


शोध संस्था के पठन पर प्रस्तुत, दिनांक
शोध संस्था के पठन पर प्रस्तुत, दिनांक

18 मार्च 2011

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार
संघ सरकार के लेखे
2010-11 की संख्या - 1



विषय सूची

अध्याय सं./पैरा सं.	विषय	पृष्ठ
	प्राक्कथन	<i>xi</i>
	विशिष्टताएं	<i>xiii</i>
1.	संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था - एक विहंगावलोकन	1-7
1.1 एवं 1.2	प्रस्तावना	1
1.2.1	समेकित निधि में वर्तमान वर्ष के प्रचालन	3
1.2.2	लोक लेखा में वर्तमान वर्ष का प्रचालन	3
1.2.3	घाटा तथा रोकड़ शेष	4
1.3	XIIवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की तुलना में मुख्य वित्तीय पैरामीटरों पर वर्तमान वर्ष में निष्पादन	4
1.4	वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेजों के बीच असंगतियां	5
1.5	लोक वित्त प्रबंधन में जवाबदेही	7
2.	लेखे पर टिप्पणियां	8-43
2.1	संघ के वित्त लेखे में बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विवरणियों/सूचनाओं का गैर-समावेश	8
2.2	कार्यान्वयन अभिकरणों के खाते में अनिर्धारणीय अव्ययित शेष	9
2.3	सरकारी लेखाओं में अपारदर्शिता	10
2.4	लोक लेखे में निधियों का अपर्याप्त प्रकटीकरण	12
(i)	राष्ट्रीय निवेश निधि	12
(ii)	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि	13
2.5	सरकारी लेखे से बाहर पड़ी लोक निधियाँ	14
2.6	करों की वापसी पर ब्याज का गलत लेखांकन	15
2.7	आयकर कल्याण निधि का सूजन	15
2.8	संसद द्वारा विघटित निधि का अप्राधिकृत संचालन	17
2.9	नि.म.ले.प. की सलाह के बिना लेखांकन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन की निरंतरता	18

अध्याय सं./पैरा सं.	विषय	पृष्ठ
2.10	विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम-प्रोफार्मा लेखे की स्थिति	20
2.11	हानियों तथा गैर-वसूलनीय देयों को बट्टे खाते में डालना/अस्थगित करना	20
2.12	अन्य अभ्युक्तियाँ	21
2.12.1	बाह्य ऋण का लेखांकन कम बताना	21
2.12.2	दिए गए कर्जों के निवंधन एवं शर्तों को अंतिम रूप न दिया जाना	21
2.12.3	कार्यक्रमों की नामावली के प्रति लघु शीर्ष संख्याओं का आवंटन न किया जाना	22
2.12.4	संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जों को न दर्शाना	23
2.12.5	विनिवेश तथा इसका लेखाओं में समायोजन में अंतर	25
2.12.6	लेखे में बोनस अंशों की प्राप्ति का गैर-समायोजन	26
2.12.7	एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स का विलयन	26
2.12.8	ज.वि.नि.स. को दिए गए कर्ज का गलत बताया जाना	27
2.12.9	कर्मचारी पेंशन निधि के शेष में समाधान न की गई असंगति	27
2.12.10	2007-08 के वित्त लेखाओं पर निपटान न की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	28
2.12.11	संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्ज का अद्यतन न होना	29
2.12.12	लेखाओं में कर्ज का इक्विटी के रूप में परिवर्तन नहीं दर्शाया गया	29
2.12.13	बंद किए गए लघु शीर्ष का प्रचालन	29
2.12.14	लघु शीर्ष का खोला न जाना	30
2.12.15	भारतीय स्टेट बैंक(भा.स्टे.बै.) में निवेश	30
2.12.16	सा.क्षे.उ. से प्राप्त लाभांशों पर डाटा का अद्यतन न किया जाना	30
2.12.17	राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (रा.डे.वि.बो.) के अस्तित्व पर गलत सूचना	31
2.12.18	हिन्दुस्तान शिप्यार्ड लिमिटेड के सम्बन्ध में गलत सूचना	31

अध्याय सं./पैरा सं.	विषय	पृष्ठ
2.12.19	प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क की राशि में असंगति	31
2.13	लेखे की परिशुद्धता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटक	32
2.13.1	मुख्य उचन्त लेखे के अन्तर्गत बकाया शेष	32
2.13.2	ऋ.ज.प्रे. शीर्षों के अंतर्गत अधिक प्रतिकूल शेष	38
2.13.3	“चैक एवं बिल” शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष	41
2.13.4	प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा शेषों की समीक्षा का न किया जाना	42
3.	संसाधन: प्रवृत्तियाँ तथा संरचना	44-59
3.1	प्रस्तावना: कुल संसाधनों के घटक	44
3.2	स.घ.उ. में निवल प्राप्तियों का अंश	46
3.3	राजस्व प्राप्तियाँ : मुख्य समुच्चयों की प्रवृत्ति	47
3.4	मुख्य कर: सापेक्ष निष्पादन	48
3.4.1	कर उत्पादकता	50
3.5	गैर-कर राजस्व	51
3.5.1	गैर-कर राजस्व (गै.क.रा.) के विभिन्न उप-संघटकों के सापेक्ष अंश में विचलन	52
3.6	गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ	54
3.6.1	अंतिम दशक में विनिवेश प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ	55
3.6.2	कर्जों की वसूली में प्रवृत्तियाँ	57
3.7	मुख्य राजस्व संबंधित परिवर्तनियों के बजट अनुमानों तथा वित्त लेखे के बीच अंतराल	58
3.8	संभावित प्रत्याशाएं	59
4.	संसाधनों का उपयोग : व्यय	60-73
4.1	प्रस्तावना: कुल संवितरणों के घटक	60
4.2	वास्तविक व्यय में राजस्व व्यय का प्रभावी अंश	62
4.2.1	राजस्व व्यय: प्रवृत्ति एवं घटक	63
4.2.2	अन्य राजस्व व्यय- आर्थिक सहायता	65
4.3	व्यय: योजनागत एवं योजनेतर	67

अध्याय सं./पैरा सं.	विषय	पृष्ठ
4.3.1	योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय में वृद्धि प्रवृत्तियाँ	67
4.3.2	कुल व्यय में योजनागत एवं योजनेतर व्यय का सापेक्ष अंश	68
4.4	व्यय की उत्प्लावकता	69
4.4.1	योजनागत व्यय की उत्प्लावकता	69
4.4.2	गैर-योजनागत व्यय की उत्प्लावकता	69
4.4.3	राजस्व व्यय की उत्प्लावकता	69
4.4.4	पूँजीगत व्यय की उत्प्लावकता	70
4.5	व्यय की गुणवत्ता	70
4.6	सरकार के मुख्य ध्वजपोत कार्यक्रम - पिछले तीन वर्षों में वास्तविक व्यय	71
4.7	कार्यान्वयन करने वाली एजेन्सियों को राज्य/जिला स्तर स्वायत्त निकायों को केन्द्रीय योजना सहायता का सीधा अन्तरण	72
4.8	मुख्य व्यय पैरामीटरों पर बजट अनुमानों (एक दृष्टि पर बजट के अनुसार) तथा वित्त लेखे 2009-10 की एक तुलना	73
4.9	विवेकपूर्ण व्यय प्रबंधन सुनिश्चित करने की आवश्यकता	73
5.	राजकोषीय देयताओं तथा असंतुलनों का प्रबंधन	74-87
5.1	प्रस्तावना: कुल राजकोषीय देयताएं - प्रवृत्तियाँ तथा संरचना	74
5.2	स.घ.उ. के सापेक्ष में राजकोषीय देयताएं	76
5.2.1	लक्ष्य/रा.उ.ब.प्र.अधिनियम/नियमावली की अपेक्षाओं की तुलना में वास्तविक घाटा	77
5.2.2	राजस्व घाटा	78
5.2.3	राजकोषीय घाटा	79
5.2.4	प्राथमिक घाटा	80
5.3	परिसम्पत्तियों की उत्प्लावकता तथा देयताओं की तुलना में परिसंपत्तियों का अनुपात	81
5.4	ऋण धारिता	81
5.5	रोकड़ प्रबंधन	84
5.6	अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता	84

अध्याय सं./पैरा सं.	विषय	पृष्ठ
5.7	संघ सरकार की आकस्मिक देयताओं में वृद्धि	85
5.8	राजकोषीय सुधार पथ पर वापसी	87
6.	विनियोग लेखे 2009-10: प्रस्तावना	88-93
6.1 से 6.3	संवैधानिक प्रावधान	88
6.4 से 6.6	सारांश	89-90
6.7 से 6.8	प्रभारित तथा दत्तमत संवितरण	90
6.9	मार्च के अंत तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अंधाधुंध व्यय	91
7.	विनियोग लेखे 2009-10: एक विश्लेषण	94-116
7.1	अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरण	94
7.2	रेलवे के विनियोग लेखे पर लेखापरीक्षा आपत्तियों को पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित किया गया है	98
7.3	प्रावधानों से अधिक व्यय	98
7.4	₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचतें	98
7.5	₹100 करोड़ तथा अधिक की निरन्तर बचतें	98
7.6	बचतों का अभ्यर्पण	99
7.7	बचतों से अधिक अभ्यर्पण की राशि	99
7.8	31 मार्च को बचतों का अभ्यर्पण	100
7.9	निधियों का पुनर्विनियोग	100
7.10	निधियों का भारी पुनर्विनियोग	100
7.11	लघु/उप-शीर्षों को अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग	100
7.12	लघु/उप-शीर्षों से अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग	101
7.13	अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों के कारण विशाल अनुपूरक अनुदाने	101
7.14	अनावश्यक अनुपूरक अनुदान	102
7.15	उप-शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त अनावश्यक अनुपूरक अनुदान	104
7.16	अवास्तविक बजटीय पूर्वानुमान	104
7.17	पूर्ण प्रावधान का अनुपयोग	105

अध्याय सं./पैरा सं.	विषय	पृष्ठ
7.18	उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचतें	105
7.19	12वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण बचतें	106
7.20	अनुदान के अभ्यर्पण से बचने के लिए अनियमित व्यय	108
7.21	राष्ट्रीय नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत ₹60.00 करोड़ की बचतें	108
7.22	निधियों के अनुपयोग के कारण प्रभावित योजना	109
7.23	अप्राधिकृत व्यय	110
7.24	डाक सेवाएं (अनुदान सं.13)	111
7.25	रक्षा सेवाएँ	112
7.26	बचतों का अभ्यर्पण	113
7.27	बजट प्रावधानों से अधिक निरन्तर आधिक्य	114
7.28	व्यापार से प्रापण तथा महानिदेशक आयुध कारखाने के माध्यम से प्रापण का गैर-विभेदन का परिणाम गलत बुकिंग में हुआ	115
8.	चयनित अनुदानों की समीक्षा	117-149
	अनुदान सं.1 - कृषि एवं सहकारिता विभाग	117
8.1	प्रस्तावना	117
8.2	बजट एवं व्यय	117
8.3	बचतों का अभ्यर्पण	117
8.4	अनावश्यक अनुपूरक अनुदान	118
8.5	बजट प्रावधान का विरूपण	119
8.6	अवास्तविक बजटीकरण	120
8.7	एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचतें	121
8.8	निरंतर बचतें	121
8.9	वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	122
8.10	त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा नियंत्रण	123
8.11	अन्धाधुंध व्यय	123
8.12	बकाया उपयोग प्रमाणपत्र	123

अध्याय सं./पैरा सं.	विषय	पृष्ठ
	अनुदान सं. 29: भू-विज्ञान मंत्रालय	124
8.13	प्रस्तावना	124
8.14	बजट एवं व्यय	124
8.15	बचतों का अभ्यर्पण	124
8.16	निरंतर बचतें	125
8.16 (क)	मानवित सबमर्सिबल का विकास	125
8.16 (ख)	राष्ट्रीय ओसियनेरियम	125
8.16 (ग)	राष्ट्रीय मध्यम रेज मौसम पुर्वानुमान केन्द्र (रा.म.रे.मौ.पु.के., नोएडा)	126
8.16 (घ)	आई.एम.डी. का आधुनिकीकरण	126
8.17	अवास्तविक बजटीकरण	126
8.18	अन्धाधुन्ध व्यय	127
8.19	बकाया उपयोग प्रमाणपत्र	128
8.20	त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा नियंत्रण	128
	अनुदान सं.57-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	129
8.21	प्रस्तावना	129
8.22	बजट एवं व्यय	129
8.23	निरंतर बचतें	129
8.23(क)	स्कूल में दोपहर के भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम	130
8.23(ख)	राष्ट्रीय साधन-सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना	131
8.23(ग)	स्कूलों में सूचना एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी	131
8.23(घ)	शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	132
8.24	अवास्तविक बजटीय अनुमान	132
8.25	पूर्ण प्रावधान का गैर-उपयोग	133
8.26	बचतों का अभ्यर्पण	133
8.27	अंधाधुन्ध व्यय	133
8.28	बकाया उपयोग प्रमाणपत्र	134

अध्याय सं./पैरा सं.	विषय	पृष्ठ
	अनुदान सं.64- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय	134
8.29	प्रस्तावना	134
8.30	बजट एवं व्यय	135
8.31	अनावश्यक अनुपूरक अनुदान	135
8.32	बचतों का अभ्यर्पण	135
8.33	उपलब्ध प्रावधान से अधिक व्यय	136
8.34	निरंतर बचतें	136
8.35	पूर्ण प्रावधान का गैर-उपयोग	137
8.36	बजट प्रावधान का विरुद्धण	138
8.37	अवास्तविक बजटीय अनुमान	139
8.38	बकाया उपयोग प्रमाणपत्र	141
8.39	त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा नियंत्रण	141
	अनुदान सं. 105: युवा कार्य एवं खेलकूद मंत्रालय	142
8.40	प्रस्तावना	142
8.41	बजट एवं व्यय	142
8.42	बचतों का अभ्यर्पण	142
8.43	मार्च तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अन्धाधुन्ध व्यय	143
8.44	निरंतर बचतें	144
8.45	पूर्ण/बड़ी निधियों का गैर-उपयोग	144
8.45(क)	नगर पालिका युवा क्रीड़ा और खेल अभियान	145
8.45(ख)	विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में खेल एवं खेलकूद को उन्नयन बनाने के लिए योजना	145
8.45(ग)	विकलांग व्यक्तियों के बीच खेलों का उन्नयन	145
8.46	अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों के कारण बड़ी अनुपूरक अनुदानों	146
8.47	बकाया उपयोग प्रमाणपत्र	146
8.48	त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली	147
8.49	निष्कर्ष	147


अध्याय सं./पैरा सं.	विषय	पृष्ठ
	परिशिष्टों की सूची	151-152
	परिशिष्ट	153-229
	शब्दावली	230-234

प्रावक्तव्य

मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत मामले इस प्रतिवेदन में शामिल हैं।

मंत्रालयों के विभिन्न वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियों को पृथक प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। संघ सरकार के लिए, स्वायत्त निकायों, रक्षा सेवाएं-सेना तथा आयुध कारखाने, रक्षा सेवाएं-वायु सेना एवं नौ सेना, रेलवे, अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर तथा प्रत्यक्ष कर पर पृथक प्रतिवेदन भी संसद को प्रस्तुत किए जाते हैं।



संघ सरकार की वित्त व्यवस्था एवं लेखे: 2009-10

यह प्रतिवेदन संघ के लेखों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर चर्चा करता है तथा वर्ष 2009-10 के लिए संघ सरकार की वित्त व्यवस्थाओं का विश्लेषण भी करता है। इसमें विनियोग लेखे 2009-10 का विश्लेषण भी शामिल है।

विशिष्टताएं

क. संघ सरकार के लेखों पर नि.म.ले.प. की टिप्पणियाँ

- वर्ष 2009-10 के लिए, संघ सरकार ने राज्य सरकार के बजट के बाहर केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों, समितियों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को सीधे ₹93,880² करोड़ (संशोधित अनुमान के अनुसार) की केन्द्रीय योजनागत सहायता का अंतरण किया। सरकारी लेखों के बाहर अनुरक्षित इनके लेखों में अव्ययित शेषों की कुल राशि अनिश्चय है। लेखों में उस सीमा तक प्रदर्शित सरकारी व्यय को अधिक बताया गया है।

(पैरा 2.2)

- लेखे के 24 मुख्य शीर्षों (जो सरकार के कार्यों को प्रस्तुत करते हैं) के अंतर्गत ₹15899.73 करोड़ को संघ सरकार के वित्त लेखों में ‘अन्य व्यय’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो इन लेखों में अपारदर्शिता के सार्थक अंश को दर्शाते हुए संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक बनता है। यद्यपि, अंतरिम मापदण्ड के रूप में, महालेखा नियंत्रक (म.ले.नि.) ने लघु शीर्ष ‘800-अन्य व्यय’ के अंतर्गत सम्मिलित महत्वपूर्ण व्यय के ब्यौरे देते हुए वित्त लेखों में फुट नोट डाले हैं, लेकिन लेखे के नए शीर्षों को खोलने तथा लेखे के अप्रयुक्त शीर्षों को बन्द करने के माध्यम से सरकार की वर्तमान गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए लेखे की पुनःसंरचना को, नियमित आधार पर समस्या का निदान करने हेतु, सरकार द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है।

(पैरा 2.3)

- संघ वित्त लेखे 2008-09 तथा 2009-10 की संवीक्षा ने प्रकट किया कि जबकि भारत की संचित निधि (भा.सं.नि.) के अंतर्गत राष्ट्रीय निवेश निधि (रा.नि.नि.) की पोर्टफोलियों प्रबंधन योजना (विवेकाधीन प्रकार) से ₹84.81 करोड़ तथा ₹226.85 करोड़ की आय को आय के रूप में प्रदर्शित किया गया था फिर भी निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया के उल्लंघन में भा.सं.नि. से आय के अंतरण को अंकित करने के लिए लोक लेखे में मुख्य शीर्ष ‘8453-रा.नि.नि. का आय एवं व्यय लेखा’ नहीं खोला गया है। गत वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी इसकी चर्चा की गई थी।

² व्यय बजट 2010-11(खण्ड-I) के अनुसार

इसके अतिरिक्त, संशोधित लेखांकन प्रक्रिया के अन्तर्गत, 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2012 की अवधि के दौरान एकत्रित विनिवेश प्राप्ति को लघुशीर्ष “8452-102- 1.4.2009 से 31.3.2012 की अवधि के लिए भारत सरकार की विनिवेश प्राप्ति” के अंतर्गत रा.नि.नि. को अंतरित की जानी थी। संघ वित्त लेखे 2009-10 की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि उक्त लघुशीर्ष खोला नहीं गया था तथा रा.नि.नि. को/से अन्तरित ₹23,552.97 करोड़ रु. का लेखांकन विद्यमान लघुशीर्ष “8452-101-प्रीमियम को शामिल करते हुए सरकारी इक्विटी के विनिवेश प्राप्ति के अंतर्गत किया गया था”।

(पैरा 2.4(i))

- सार्वभौम सेवा बाध्यता निधि के अंतः शेष को ₹20,737.92 करोड़ तक कम बताया गया है। 2002-03 से 2009-10 के दौरान ₹31,109.36 करोड़ का कुल सार्वभौम सेवा उदग्रहण एकत्रित किया गया था परन्तु इस अवधि के दौरान निधि में से केवल ₹10,371.44 करोड़ का संवितरण किया गया था। इस प्रकार, भारत के लोक लेखे में शीर्ष 8235- सामान्य एवं आरक्षित निधियां, 118-सार्वभौम सेवा बाध्यता निधि के अंतर्गत दर्शाए गए शून्य शेष के प्रति 31 मार्च 2010 को निधि का अंतिम शेष ₹20,737.92 करोड़ होना चाहिए।

(पैरा 2.4(ii))

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भा.प्र.वि.बो.), बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (बी.नि.वि.प्रा.), केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (के.वि.नि.आ.) तथा पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पै.प्रा.गै.नि.बो.), सांवैधानिक प्रावधानों एवं वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के उल्लंघन में शुल्क प्रभारों, भारत सरकार से प्राप्त अव्ययित अनुदानों आदि के माध्यम से सृजित कुल ₹2,142.24 करोड़ की अपनी अधिशेष निधियों को मार्च 2010 के अंत तक सरकारी लेखों से बाहर रख रहे थे।

(पैरा 2.5)

- 2009-10 के दौरान कुल ₹12,815 करोड़ की आयकर वापसियों पर अदा किए गए ब्याज पर व्यय को संघ सरकार के लेखे में संघ सरकार के राजस्व में कटौती के रूप में लेखांकित किया गया था। ऐसे लेखांकन समायोजन न केवल लेखांकन नियमों के प्रतिकूल है बल्कि इनका परिणाम बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से संसद की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ब्याज भुगतानों पर व्यय करने में भी हुआ। परिणामस्वरूप, संघ सरकार के लेखे में वर्ष 2009-10 के लिए संघ सरकार के व्यय के साथ-साथ राजस्व को ₹12,815 करोड़ (अनन्तिम आँकड़े जैसा कि के.प्र.क.बो. ने बताया था) तक कम बताया गया था।

(पैरा 2.6)

- वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने आयकर कल्याण निधि (आ.क.नि.) का सृजन किया तथा पिछले तीन वर्षों से निधि को ₹100 करोड़ का अंतरण किया, जिसे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा इस आधार पर सहमति नहीं दी गई थी कि निधि द्वारा आवृत्त की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों को विभाग के वार्षिक बजट में शामिल किया जा सकेगा तथा इसे सामान्य बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से वित्तपोषित किया जाए।

(पैरा 2.7)

- मंत्रालय, संसद द्वारा पारित कोयला खदान मजदूर कल्याण निधि (निरसन) अधिनियम 1986 के प्रावधानों को लागू करने में इसके पारित होने के 24 वर्ष बाद भी असफल रहा तथा इस प्रकार, लोक व्यय से अधिक संसद के प्राधिकार को क्षति पहुंचाते हुए, अनाधिकृत व्यय करने के लिए समस्त निधि का संचालन करना जारी रखा।।

(पैरा 2.8)

- मार्च 2010 तक वाणिज्यिक अथवा अर्द्धवाणिज्यिक प्रकृति के 43 विभागीयरूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों में से 38 उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे एक से ग्यारह वर्षों के बीच की अवधि के लिए बकाया थे।

(पैरा 2.10)

- सरकारी लेखे में उचन्त शीर्षों को प्राप्तियों एवं भुगतानों के लेन-देन को प्रदर्शित करने के लिए परिचालित किया जाता है जिन्हें उनकी प्रकृति की सूचना के अभाव या अन्य कारणों के कारण लेखे के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है। 31 मार्च 2010 को सिविल, रक्षा, रेलवे, डाक तथा दूरसंचार को सम्मिलित करते हुए, संघ वित्त लेखे में उचन्त शीर्ष के अंतर्गत कुल निवल शेष ₹16,110.40 करोड़ (डेबिट) था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009-10 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखों में प्रतिकूल शेष के 51 मामले थे। इनमें से, 11 प्रतिकूल शेष 10 वर्षों से अधिक से लम्बित थे।

(पैरा 2.13.1 एवं 2.13.2)

- आर्थिक सहायताओं, प्रतिबद्ध देयताओं, ऋण एवं अन्य देयताओं की पुनर्भुगतान अनुसूची, वित्तीय परिसम्पत्तियों में सहवर्धन या अपवर्धन, वेतनों, पेंशन, अनुरक्षण आदि पर व्यय के प्रकटीकरण पर आठ अतिरिक्त विवरणियों को बारहवें वित्त आयोग द्वारा नवम्बर 2004 के अपने प्रतिवेदन में अनुशंसित किया गया तथा जो सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत थे, को वित्त लेखों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(पैरा 2.1)

- वर्ष 2009-10 के दौरान, संघ सरकार के कुल संवितरण ₹44,42,304 करोड़ थे जिसमें से ₹33,49,565 करोड़ भारत की संचित निधि पर प्रभारित थे जिससे कुल संवितरण का 75 प्रतिशत बनता था। चूंकि प्रभारित संवितरण संसद द्वारा दत्तमत करने का विषय नहीं है इसलिए संसद द्वारा प्रभावी रूप से वित्तीय नियंत्रण की गुंजाइश कुल संवितरण के लगभग 25 प्रतिशत तक सीमित है। सिविल मंत्रालयों के मामले में, प्रभारित व्यय का अनुपात ₹41,17,712 करोड़ के कुल संवितरणों के प्रति 81 प्रतिशत (₹33,49,254 करोड़) था।

(पैरा 6.4 एवं 6.9)

- संविधान के अनुच्छेद 114(3) के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा किए विनियोग के अंतर्गत के सिवाय भारत की संचित निधि से कोई भी धन आहरित नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, 2009-10 के दौरान, सिविल मंत्रालयों में चार अनुदानों के चार खण्डों में ₹9,219 करोड़, रेलवे की ग्यारह अनुदानों/ विनियोगों के 12 खण्डों में ₹1,930 करोड़ तथा डाक में एक अनुदान के एक खण्ड में ₹822 करोड़ का तथा रक्षा के दो अनुदानों के 3 खण्डों में ₹2,615 करोड़ अधिक संवितरण था जिसे संविधान के अनुच्छेद 115 (1)(ख) के अंतर्गत नियमित करने की आवश्यकता है।

(पैरा 7.1)

- अनुदान या विनियोग में बचतें या तो त्रुटिपूर्ण बजटीकरण या निष्पादन में कमी या फिर दोनों को दर्शाते हैं। 2009-10 के दौरान 53 अनुदानों (सिविल, डाक, रेलवे तथा रक्षा सेवाओं को शामिल करते हुए) के 66 मामलों में ₹100 करोड़ से अधिक बचतें थी। इन मामलों में कुल बचतें ₹2,60,295 करोड़ थीं। भारी बचतें जिन क्षेत्रों में थीं उनके ऋण का पुनर्भुगतान (₹1,62,413.18 करोड़), ग्रामीण विकास विभाग (₹11,142.92 करोड़), राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरण (₹11,508.95 करोड़), ब्याज भुगतान (₹6,996.56 करोड़), विनिवेश विभाग (₹5,379.90 करोड़), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (₹5,267.74 करोड़), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग (₹5,086.89 करोड़), वित्तीय सेवा विभाग (₹3,947.72 करोड़), ऊर्जा मंत्रालय (₹2,661.91 करोड़), पुलिस (₹2,538.02 करोड़), उच्च शिक्षा विभाग (₹1,552.60 करोड़), पंचायती राज मंत्रालय (₹1,003.89 करोड़) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (₹1,599.82 करोड़) आदि शामिल थे। मंत्रालयों/विभागों द्वारा बचतों के कारण ‘कुछ योजनाओं को प्रारम्भ करने में विफलता’ ‘प्रगति रिपोर्ट/उपयोगिता प्रमाणपत्र के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब’, ‘कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों द्वारा व्यय की धीमी गति’, ‘राज्य सरकारों के पास पड़े हुए अव्ययित शेष’ और राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति बताये गये थे।

(पैरा 7.4)

- ख. संघ सरकार की वित्त व्यवस्था 2009-10: एक विहंगावलोकन
- वर्ष 2009-10 भारत की संचित निधि में, ₹1,12,908 करोड़ के घाटे के साथ समाप्त हुआ, जबकि लोक लेखे में ₹28,268 करोड़ का अधिशेष था।

(पैरा 1.2)

संसाधन

- Xवीं योजना के दौरान संघ सरकार की प्राप्तियाँ (इसके सकल कर संग्रहण से राज्य के अंश का निवल) लगभग 22 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर पर बढ़ी जबकि समरूप अवधि के दौरान गैर-कर प्राप्तियाँ लगभग 5 प्रतिशत की निम्न दर पर बढ़ी। इस दर की तुलना में, 2009-10 में निवल कर प्राप्तियाँ केवल 3 प्रतिशत तक बढ़ी जबकि गैर-कर प्राप्तियों में वृद्धि लगभग 17 प्रतिशत थी।

(पैरा 3.3)

- प्रत्यक्ष करों का अंश (निगम कर तथा आयकर) Xवीं योजना में समरूप अंश की तुलना में XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में कुल कर प्राप्तियों में बढ़ रहा है। Xवीं योजना की तुलना में XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क का अंश गिर रहा था। तथापि, Xवीं योजना की तुलना में हाल के वर्षों में सेवा कर कर अंश दरों में वृद्धि के साथ-साथ कर आधार में वृद्धि के कारण सेवा कर के बढ़े संग्रहण के कारण काफी उच्च रहा है।

(पैरा 3.4)

- वर्तमान वर्ष के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में विनिवेश से ₹1,120 करोड़ के बजट अनुमान के प्रति ₹23,598 करोड़ (₹21,366 करोड़ के प्रीमियम सहित) वसूल किया गया था।

(पैरा 3.6.1)

संवितरण

- वास्तविक व्यय का अंश दसवीं योजना अवधि में 32 प्रतिशत से, ग्यारहवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में औसतन लगभग 26 प्रतिशत तक मुख्यरूप से ऋण पुनःभुगतान के वृद्धि अंश के कारण गिरा। ग्यारहवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में, वास्तविक व्यय में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि, दसवीं योजना अवधि की वार्षिक औसत वृद्धि दर से काफी अधिक थी। तथापि 2009-10 में वास्तविक व्यय लगभग 7 प्रतिशत की कम दर पर बढ़ा क्योंकि मन्दी की प्रवृत्तियों का सामना करने के लिए वास्तविक व्यय में आश्चर्यजनक उछाल देखा गया।

(पैरा 4.1)

- 2009-10 के दौरान राजस्व व्यय 90.05 प्रतिशत पर कुल व्यय का प्रभावी घटक बना रहा।

(पैरा 4.2)

- 2009-10 में, खाद्य आर्थिक सहायताएं 33.58 प्रतिशत तक बढ़ी जबकि पेट्रोलियम आर्थिक सहायता पिछले वर्ष की तुलना 3.47 प्रतिशत तक बढ़ी। स्वदेशी तथा आयातित उर्वरकों (यूरिया) पर दी गई आर्थिक सहायताएं लगभग 21 प्रतिशत तक कम हुई जबकि विनियंत्रित उर्वरकों के क्रय पर किसानों को दी आर्थिक सहायता लगभग 19 प्रतिशत तक कम हुई।

(पैरा 4.2.2)

- संघ सरकार के व्यय के संघटन की प्रवृत्तियों ने प्रकट किया कि गैर-योजनागत व्यय योजनागत व्यय पर काफी भारी रहा तथा राजस्व व्यय पूर्ण रूप से पूंजीगत व्यय पर छा गया। Xवीं योजना की 24.17 प्रतिशत की औसत की तुलना में 2009-10 की कुल व्यय बास्केट में योजनागत व्यय के सापेक्ष अंश में सीमांतक वृद्धि थी (25.85 प्रतिशत)।

(पैरा 4.3.2)

- 2009-10 में सर्व शिक्षा अभियान में वास्तविक व्यय बजट अनुमानों से करीबन 8 प्रतिशत तक अधिक हुआ। दोपहर के भोजन की योजना (दो.भो.यो.) के मामले में, अब तक XIवीं योजना के सभी तीन वर्षों में वास्तविक व्यय बजट अनुमानों से कम पड़ा। वर्तमान वर्ष में, एन.आर.ई.जी. योजना तथा आई.सी.जी.वाई. योजना में वास्तविक व्यय में विचारणीय गिरावट थी। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वास्तविक व्यय बजट अनुमानों से 11 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के मामले में, वर्तमान वर्ष हेतु अनुमानित से सीमांतक रूप से अधिक व्यय था जबकि XIवीं योजना के पिछले वर्षों में वास्तविक व्यय बजट अनुमानों से कम पड़ा।

(पैरा 4.6)

राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन

- तीन मुख्य राजकोषीय पैरामीटर-स.घ.उ. के सापेक्ष मापे गये राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटा- एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान संघ सरकार की वित्त व्यवस्था में समग्र राजकोषीय असंतुलनों की सीमा को इंगित करते हैं। इन पैरामीटरों के अनुसार संघ सरकार के राजकोषीय निष्पादन ने पिछले वर्ष की तुलना में 2009-10 में मामूली सुधार को दर्शाया है क्योंकि 2008-09 में राजस्व तथा राजकोषीय घाटों

दोनों में क्रमशः ₹3,56,377 करोड़ तथा ₹4,34,444 करोड़ से 2009-10 में ₹3,52,956 करोड़ तथा ₹4,32,443 करोड़ तक की कमी हुई है।

(पैरा 5.2.2, 5.2.3)

- Xवीं योजना तथा 2007-08 के दौरान प्राथमिक अधिक्य था जिसका अभिप्राय है कि ब्याज भुगतान राजकोषीय घाटों से अधिक थे। तथापि, 2008-09 तथा 2009-10 में, राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतानों से दुगना था। इसका अभिप्राय है कि इन दो वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटों का 50 प्रतिशत या अधिक ब्याज भुगतानों के अलावा राजस्व व्यय के कारण था। राजस्व व्यय की विवेकपूर्ण कटौती सरकार को प्राथमिक अधिशेष के स्तर पर वापस लाने में समर्थ बना सकेगी।

(पैरा 5.2.4)

राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन

- Xवीं योजना अवधि के लिए आंतरिक ऋण ने कुल देयताओं का 69 प्रतिशत संस्थापित किया और लगभग 11 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर पर बढ़ा। 2009-10 में, कुल देयताओं में अंश 74 प्रतिशत तक अधिक था तथा इसकी वृद्धि Xवीं योजना अवधि की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत का उच्चतर थी। आंतरिक ऋण की उच्च वृद्धि का परिणाम संभाव्य निजी क्षेत्र निवेश के “जमघट” में हो सकता है क्योंकि जब सरकार ऐसे सार्थक ढंग में ऋण बाजार में प्रवेश करती है तो ब्याज दरें कठोर होने की ओर अभिमुख होती हैं। राजकोषीय देयताओं की अन्य दोनों वर्गों में अर्थात् बाह्य ऋण (वर्तमान दर पर) तथा लोक लेखे में देयताएं, 2009-10 में वृद्धि Xवीं योजना अवधि में औसत वृद्धि दर से कम थी। वर्तमान वर्ष में बाह्य ऋण ने नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की जबकि पिछले वर्ष में इस शीर्ष के अंतर्गत विचारणीय वृद्धि थी।

(पैरा 5.1)

- XIIवें वित्त आयोग ने 2009-10 तक स.घ.उ. के 43.7 प्रतिशत तक संघ की कुल देयताओं में कटौती करने की अनुशंसा की थी। इसकी तुलना में, संघ की राजकोषीय देयताएँ वर्तमान वर्ष की समाप्ति पर लगभग 51 प्रतिशत पर रहीं।

(पैरा 5.2)

- 2009-10 में परिसम्पत्तियों के प्रति देयताओं का अनुपात Xवीं योजना के लिए 40 प्रतिशत से अधिक के प्रवृत्ति अनुपात की तुलना में केवल 35 प्रतिशत था। इसका अभिप्राय यह है कि वर्षों से देयताएं, परिसम्पत्तियों के मुकाबले तीव्रता से बढ़ी है। Xवीं योजना अवधि में लगभग 9 प्रतिशत की औसत दर वृद्धि के प्रति 2008-09 में कुल देयताएं लगभग 15 प्रतिशत तथा वर्तमान वर्ष में लगभग 11 प्रतिशत तक

बढ़ी। XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में परिसम्पत्तियों में वार्षिक वृद्धि Xवीं योजना में औसत वार्षिक वृद्धि दर की अपेक्षा उच्चतर रही है।

(पैरा 5.3)

- Xवीं योजना अवधि के दौरान बाजार के मूल्यों पर स.घ.उ. की वृद्धि दर की अपेक्षा समय से कुल ऋण पर औसतन ब्याज दर कम रही। 2009-10 में आंतरिक ऋण पर औसतन ब्याज दर (8.54 प्रतिशत) स.घ.उ. की वृद्धि दर (11.78 प्रतिशत) से कम थी। बाह्य ऋण पर अदा की गई औसतन ब्याज दर घरेलू ऋण पर अदा किए गए से काफी कम थी।

(पैरा 5.4)

- Xवीं योजना (2002-07) के लिए ₹4,509 करोड़ के संसाधनों (बढ़ते हुए राजस्व व्यय घटा बढ़ती हुई राजस्व प्राप्तियाँ) में औसत कमी की तुलना में, 2009-10 में ₹3421 करोड़ का संसाधन अधिशेष था।

(पैरा 5.4)

- 31 मार्च 2010 को, अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता का ₹1,05,339 करोड़ का आदेश था। शहरी विकास, जल संसाधन, ऊर्जा अवसंरचना तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में बड़े अनाहरित शेष थे। इसके अतिरिक्त, निरन्तर अपर्याप्त योजना का परिणाम 2009-10 में कुल ₹86.11 करोड़ रु. की अनाहरित बाह्य सहायता पर वचनबद्ध प्रभारों के रूप में परिहार्य व्यय में हुआ।

(पैरा 5.6)

अध्याय 1

संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था - एक विहंगावलोकन

वृद्धि संभावनाओं पर आशावाद की उच्च अवस्था, जो ग्यारहवीं योजना अवधि की शुरुआत की विशेषता बताता था को कुछ अप्रत्याशित घटकों अर्थात् सार्वभौम मन्दी का अचानक प्रारम्भ, अन्तर्राष्ट्रीय उपयोगी वस्तु मूल्यों में तीव्र वृद्धि होना, भारत में सूखा पड़ना तथा परिणामी उच्च स्फिक्तीकारी प्रवृत्तियों के कारण संतुलित किया जाना था। अर्थव्यवस्था पर मन्दीकरण प्रवृत्ति का प्रभाव कम करने हेतु सरकार ने विभिन्न राजकोषीय नीति उपायों को प्रारम्भ किया जिसने उच्चतर राजस्व तथा राजकोषीय घाटों की अपरिहार्य लागत पर अधोमुखी उत्तरोत्तर वृद्धि को नियंत्रित किया। पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष (2009-10) को उत्पादन क्षेत्रों में वसूली, निजी निवेश में वृद्धि, अधिक कर संग्रहण तथा उच्च पूँजीगत व्यय तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे की प्रमात्रा में गिरावट द्वारा बताया गया। XII वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुछ लक्ष्यों, जिन्हें दी गई अवधि अर्थात् 2009-10, की समाप्ति पर प्राप्त किया जाना था, को प्राप्त नहीं किया जा सका तथा इन प्रतीकूल परिस्थितियों के प्रकाश में लक्ष्यों का पुनर्निधारण किया जाना था।

1.1 संसद को प्रस्तुत संघ सरकार के वार्षिक लेखे में वित्त लेखे और विनियोग लेखे शामिल होते हैं। वित्त लेखे समेकित निधि संचित निधि और लोक लेखे में प्राप्तियों तथा भुगतान के विवरणों को दर्शाता है जबकि विनियोग लेखे प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अंतर्गत बजट प्रावधान, व्यय एवं परिणामी आधिक्य/बचतों को दर्शाता है।

बॉक्स 1.1: संघ सरकार की निधियां और लोक लेखे

समेकित निधि	आकस्मिकता निधि
संघ सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, खजाना बिलों के निर्गम द्वारा उगाहे गए समस्त ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण तथा ऋणों के पुनर्मुग्यतान के रूप में सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत स्थापित की गई “भारत की समेकित निधि” शीर्षक एक समेकित निधि बनाएंगे।	संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अंतर्गत स्थापित भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखे गए एक अग्रदाय के रूप में हैं जो उन्हें, संसद के लंबित प्राधिकार के रहते अतिआवश्यक अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम प्रदान करने का अधिकार देता है। ऐसे व्यय और समेकित निधि से इसके बराबर राशि के आहरण के लिए वैधानिक अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है तत्पश्चात आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिमों की निधि से प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।
लोक लेखा	समेकित निधि से संबंधित सरकार की सामान्य प्राप्तियों तथा व्ययों के अतिरिक्त सरकारी लेखाओं में कुछ ऐसे लेन-देन भी सम्मिलित होते हैं जिनके संबंध में सरकार अधिकतर बैंकर के रूप में कार्य करती है। भविष्य निधियों, लघु बचतों, अन्य जमाओं आदि से संबंधित लेन-देन इसके कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार, प्राप्त लोक धन को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखा जाता है तथा सम्बद्ध संवितरण उसमें से भी किए जाते हैं।

1.2 यह अध्याय वर्ष 2009-10 के दौरान संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था का एक विस्तृत परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा XIवीं योजना की तुलना में XIIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान मुख्य राजकोषीय संचयन में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। **तालिका 1.1** संघ सरकार अपनी प्राप्तियों, संवितरणों, घाटों तथा उधारों (आवश्यकता और इसके समायोजन) को समाविष्ट करते हुए चालू वर्ष (2009-10) में वित्तीय व्यवस्था की स्थिति का सार प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1: चालू वर्ष के प्रचालन का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां	व्युत्पन्न मापदण्ड	संवितरण	
		भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.)	
राजस्व प्राप्तियां	704523 (653847)	राजस्व घाटा 352956 (356377)	राजस्व व्यय 1057479 (1010224)
विविध पूँजीगत प्राप्तियां	24581 (566)		पूँजीगत व्यय 100686 (77556)
कर्जों की वसूली	12733 (13509)		ऋण तथा अग्रिम 16115 (14586)
कुल गैस-ऋण प्राप्तियां	741837 (667922)	राजकोषीय घाटा 432443 (434444)	कुल व्यय 1174280 (1102366)
लोक ऋण	3405327 (2395765)		लोक ऋण 3085792 (2164560)
कुल भा.स.नि.	4147164 (3063687)	भा.स.नि. में घाटा 122908 (203239)	कुल भा.स.नि. 4260072 (3266926)
आकस्मिकता निधि			
प्राप्तियां	0	विनियोग	0
लोक लेखा			
लघु बचतें	378377 (357343)		लघु बचतें 342105 (269605)
आरक्षित एवं निष्केप निधि	101420 (100966)		आरक्षित एवं निष्केप निधि 114998 (121565)
जमा	102198 (74084)		जमा 97849 (61590)
अग्रिम	64855 (41981)		अग्रिम 64006 (47331)
उचन्त लेखे	9247 (8654)		उचन्त लेखे 12022 (11240)
प्रेषण	4304 (1450)		प्रेषण 1153 (4285)
कुल लोक लेखे	660401 (584478)	लोक लेखे में अधिशेष 28268 (68862)	कुल लोक लेखे 632133 (515616)
अथ नकद	95256 (229633)	नकद में कमी 84640 (134377)	अन्तः नकद 10616 (95256)
लोक लेखा अधिशेष (मांग)		28268	(भा.स.नि.) में घाटा-रोकड़ में कमी
वार्धिक देयताएं (आपूर्ति)		346578	(ऋण+लघुबचत+आ.नि.+जमा) का अधिशेष
वार्धिक देयताएं (मांग)		346578	राजकोषीय घाटा (-) रोकड़ में कमी (+) (अग्रिम+उचन्त+प्रेषण) का निवल संवितरण

नोट: कोष्ठक में आंकड़े वर्ष 2008-09 के लिए अनुरूप आंकड़ों को दर्शाते हैं।

1.2.1 समेकित निधि में वर्तमान वर्ष के प्रचालन:

समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (ऋण एवं गैर-ऋण) पिछले वर्ष से वर्तमान वर्ष में 35 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ी। वर्ष 2009-10 ने राजस्व संग्रहण में वसूली को दर्शाया, जो पिछले वर्ष से करीबन 8 प्रतिशत तक बढ़ी। (एक विस्तृत विश्लेषण इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में दिया गया है)। सरकार द्वारा करों तथा शुल्कों¹ में कटौती करने के लिए किए गए उपायों से उद्योग तथा निर्यात क्षेत्र दोनों में मन्दी के कारण पिछले वर्ष में कर राजस्व प्राप्तियों में एक प्रतिशत से कम की नगण्य वृद्धि हुई थी। इस प्रकार, वर्तमान वर्ष में निवल कर राजस्व प्राप्तियों में सापेक्ष रूप से अधिक वृद्धि पिछले वर्ष में बहुत कम राजस्व संग्रहण के कारण आंशिक थी। विविध पूंजीगत प्राप्तियों, जिसमें 2008-09 में पूर्ण अवधि में गिरावट आई थी, ने भी लोक क्षेत्र उद्यमों में सरकारी इक्विटी धारण में गैर-निवेश के कारण प्राथमिक रूप से इस वर्ष सुस्पष्ट वृद्धि प्रदर्शित की थी (ब्यौरे इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में दिए गए हैं)। परिणामस्वरूप, कुल गैर-ऋण प्राप्तियां, जिसने 2008-09 में पिछले चार वर्षों की तुलना में नकारात्मक वृद्धि को दर्शाया था, वर्तमान वर्ष में 11 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ा। ऋणों की वसूली में महत्वपूर्ण नकारात्मक वृद्धि (ऋणात्मक छ: प्रतिशत) तथा लोक ऋण में सार्थक वृद्धि (43 प्रतिशत से अधिक) थी। व्यय के पक्ष में, पिछले वर्ष से 2008-09 में 37.47 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में राजस्व व्यय करीबन पांच प्रतिशत की निम्न दर पर बढ़ा। 2008-09 में इस शीर्ष द्वारा सूचित की गई 33.68 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में पूंजीगत व्यय ने लगभग 30 प्रतिशत की अधिक सकारात्मक वृद्धि को दर्शाया। कर्जों एवं अग्रिमों के संवितरणों तथा लोक ऋण के पुनर्भुगतान में लगभग क्रमशः दस प्रतिशत तथा 43 प्रतिशत की वृद्धि होने से भारत की समेकित निधि में ₹41,47,164 करोड़ की प्राप्तियों के प्रति भा.स.नि. से ₹42,60,072 के संवितरण के परिणामस्वरूप भारत की समेकित निधि में ₹1,12,908 करोड़ का घाटा हुआ जो कि पिछले वर्ष में भारत की समेकित निधि में घाटे से लगभग 45 प्रतिशत कम था।

बॉक्स 1.2: निधियों का प्रबन्ध: संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(3) में प्रावधान है कि "भा.स.नि. या राज्य की समेकित निधि में से कोई भी राशि, जैसा कि विधि के अनुसार है तथा उस प्रयोजनों के लिए और जैसा कि संविधान में प्रावधान है के सिवाय, विनियोजित नहीं की जाएगी।" लोकसभा द्वारा वित्तीय वर्ष में अनुदान की मांगों के लिए मत देने के उपरान्त, विनियोग अधिनियम के रूप में परिणत हुआ। यह प्रावधान अनुच्छेद 112 तथा 114 के साथ पठित है तथा संबंधित विनियोग बिल संसद द्वारा पारित किया जाता है और जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। विनियोग अधिनियम की धारा 2 एवं 3 के प्रावधान नीचे दिये गये हैं:

भा.स.नि. में से, विभिन्न प्रभारों को चुकाने के प्रति अनुसूची के कॉलम 3 में निर्दिष्ट राशि से अधिक न होकर लागू राशि, जो अनुसूची के कालम 2 में निर्दिष्ट सेवाओं के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान के लिए होगी, अदा की जाएगी।

इस अधिनियम के द्वारा भा.स.नि. में से भुगतान तथा प्रयुक्त किये जाने वाली के लिए प्राधिकृत राशियाँ, उल्लिखित वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी।

1.2.2 लोक लेखा में वर्तमान वर्ष का प्रचालन: 2009-10 में लोक लेखे में प्राप्तियों में 13 प्रतिशत की वृद्धि तथा लोक लेखे से 23 प्रतिशत व्यय था जिसका परिणाम ₹28,268 करोड़ के

¹ 2008-09 के बजट में, प्रति प्रतिशतता 2 अंकों में सेनेवेट दर की कटौती, एक मुख्य कर राजस्व राहत थी।

लोक लेखा अधिशेष में हुआ। (वर्तमान वर्ष हेतु लोक लेखा में लेन-देनों का एक विश्लेषण इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में दिया गया है)।

1.2.3 घाटा तथा रोकड़ शेष: वर्तमान वर्ष में ₹3,52,956 करोड़ का राजस्व घाटा² देखा गया जिसमें पिछले वर्ष से लगभग एक प्रतिशत तक का सुधार था। यह वर्ष के लिए 4.8 प्रतिशत के रा.उ.ब.प्र. के लक्ष्य के प्रति स.घ.उ. का 5.66 प्रतिशत था। 2009-10 के लिए राजकोषीय घाटा³ ₹4,32,443 करोड़ रहा, जिसमें पिछले वर्ष से सीमांतक सुधार भी था तथा स.घ.उ. का लगभग 7 प्रतिशत बनता था। यह वर्ष प्रारम्भ में एम.टी.एफ.पी.एस. में निर्धारित 6.8 प्रतिशत के रा.उ.ब.प्र. के लक्ष्य से भी अधिक था। (इन असंतुलनों का एक विस्तृत विश्लेषण इस प्रतिवेदन के अध्याय 5 में दिया गया है)।

1.3 XIIवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं की तुलना में मुख्य वित्तीय पैरामीटरों पर वर्तमान वर्ष में निष्पादन:

नवम्बर 2004 में, XIIवें वित्त आयोग ने संघ सरकार द्वारा कुछ वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति की सिफारिश की। तालिका 1.2 इन लक्ष्यों के प्रति वास्तविक निष्पादन की तुलना करती है।

तालिका 1.2 केन्द्रीय वित्तीय व्यवस्था के प्रस्तावित पुनर्गठन का कारण (XIIवें वित्त आयोग)

(स.घ.उ. का प्रतिशत)

पैरामीटर	2004-05	2009-10	वित्त लेखे 2009-10 के अनुसार वास्तविक निष्पादन
सकल कर राजस्व	9.96	10.88	10.02
कर राजस्व (केन्द्र को निवल)	7.34	7.95	7.38
गैर-कर राजस्व	2.21	2.25	3.93
कुल राजस्व प्राप्तियां	9.55	10.19	11.31
ब्याज भुगतान	4.17	2.85	3.59
कुल राजस्व व्यय	12.05	10.26	16.97
पूँजीगत व्यय	2.97	3.47	1.62
कुल व्यय	15.02	13.67	18.85
राजस्व घाटा	2.50	0.00	5.66
राजकोषीय घाटा	4.50	3.00	6.94
प्राथमिक घाटा	0.30	0.15	3.35
राजस्व/प्राप्तियां के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	43.69	27.95	31.75
ऋण (वर्ष के अंत में समायोजन देयताएं)	53.00	43.73	50.73

स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में कुल राजस्व प्राप्तियाँ गैर-कर प्राप्तियों सहित XIIवें वित्त आयोग द्वारा अनुसंशित से अधिक थीं जो स.घ.उ. के लक्षित 2.25 प्रतिशत से करीबन स.घ.उ. के चार प्रतिशत तक काफी अधिक वृद्धि को दर्शाती है। यह प्राथमिक रूप से विनिवेश प्राप्तियों में महत्वपूर्ण

² राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्ति

³ राजकोषीय घाटा = कुल व्यय - गैर ऋण प्राप्तियां

वृद्धि के कारण था (ब्यौरे इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में दिए गए हैं)। कुल व्यय, मुख्यतः राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज तथा वेतन आयोग अधिनिर्णय के कारण राजस्व व्यय के समाविष्ट न किए जाने के कारण, XIIवें वित्त आयोग द्वारा अनुसंशित लक्ष्य से काफी अधिक हुआ। स.घ.उ. के साथ-साथ राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान लक्ष्यों से अधिक हुए परन्तु पूंजीगत व्यय XIIवें वित्त आयोग द्वारा अभिकल्पित लक्ष्यों से पर्याप्त रूप से कम रहा। राजस्व घाटा, जिसे समाप्त किया जाना चाहिए था, लगभग ४८ प्रतिशत था तथा राजकोषीय घाटा XIIवें वित्त आयोग द्वारा अभिकल्पित से दो गुना से भी अधिक था। स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में ऋण को भी लगभग 44 प्रतिशत तक नियंत्रित नहीं किया जा सका था तथा इसके बजाय यह 50 प्रतिशत से काफी अधिक था।

1.4 वित्त लेखे एवं बजट दस्तावेजों के बीच असंगतियां

प्रभावी संसदीय वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य है कि व्यय एवं प्राप्ति की मान्यता के सिद्धान्त बजट प्रलेखों तथा वित्त एवं विनियोग लेखों में एकरूप हों। तथापि, राजस्व एवं राजकोषीय घाटे हेतु आंकड़े, जैसा कि वित्त लेखे में प्रदर्शित/से प्राप्त किये गये सतत रूप से उन आंकड़ों से भिन्न रहे हैं जिन्हें सरसरी दृष्टि से बजट तथा बजट अभिलेखों में संलग्न कुछ कागजों में प्रदर्शित किया जा रहा है। यह अन्तर प्राप्ति तथा व्यय पक्ष में कुछ लेन-देनों के समावेश/अपवर्जन के कारण है। जबकि इन्हें बजट कागजातों के संलग्न दस्तावेजों में प्रदर्शित किया जाता है फिर भी इन मुख्य पृष्ठों को प्रदर्शित करना आवश्यक है। **तालिका 1.3** राजस्व तथा राजकोषीय घाटे में अन्तर दर्शाती है जैसा कि वित्त लेखे में प्रदर्शित/से प्राप्त किया गया है तथा ग्यारहवीं योजना के प्रथम दो वर्षों हेतु आवश्यक समाधान लेन-देनों के साथ-साथ सरसरी दृष्टि से बजट में दर्शाया गया है। वर्तमान वर्ष, अर्थात् 2009-10 के मामले में, 2011-12 के बजट दस्तावेजों में ऐसे अन्तरों के समाधान हेतु सावधानी रखी जानी चाहिए।

तालिका 1.3: वित्त लेखे में तथा सरसरी दृष्टि में बजट में राजस्व और राजकोषीय घाटा

वित्त लेखे के अनुसार घाटा	2007-08	2008-09 (रुकरोड़ में)
राजस्व घाटा	85435	356377
राजकोषीय घाटा	164962	434444
सरसरी दृष्टि में बजट के अनुसार घाटा		
राजस्व घाटा	52569	253539
राजकोषीय घाटा	126912	336992
दोनों आंकड़ों में अन्तर		
राजस्व घाटा	32866	102838*
राजकोषीय घाटा	38050	97452**
अंतर को स्पष्ट करने वाले घटक		
तेल कम्पनियों को जारी बंध-पत्र (राजस्व व्यय)	20554	75942
राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी प्रतिभूतियां (पूंजीगत व्यय)	9996	
पूंजीगत व्यय से छोड़े गए प्रतिपक्षी अंतर्राष्ट्रीय निधि (आई.एम.एफ.) को जारी प्रतिभूतियां		1444
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) की प्रतिबलित परिसम्पत्ति स्थाई स्थिरीकरण निधि (एस.ए.एस.एफ.) हेतु परिसम्पत्ति प्रबन्धन न्यास करने को जारी प्रतिभूतियां		1225
न्यूक्लीयर पावर कार्पोरेशन में निवेश		

वित्त लेखे के अनुसार घाटा	2007-08	2008-09
राज्य सरकारों को कर्ज़ों की वसूली के प्रति बकाया कर्ज़ों के बट्टे खाते का समायोजन		5671
उर्वरक आर्थिक सहायता को क्षतिपूर्ति के प्रति, उर्वरक कम्पनियों को विशेष बंध-पत्र जारी करना	7500	20000
संयुक्त प्रभाव	38050	102838***

* 2008-09 में राजस्व घाटा ₹1,02,838 करोड़ (₹75,942 करोड़ + ₹1,225 करोड़ + ₹5,671 करोड़ + ₹20,000 करोड़) तक कम बताया गया।

** 2008-09 में राजकोषीय घाटा ₹97,386 करोड़ (₹75,942 करोड़ + ₹1,444 करोड़ + ₹20,000 करोड़) कम बताया गया। वहाँ मिलान न किए गए ₹66 करोड़ का अंतर है।

*** इसमें पूंजीगत कम से छोड़े गए प्रतिपक्षी अंतरास्थ्रीय निधि (आई.एम.एफ.) को जारी प्रतिभूतियों के ₹1,444 करोड़ शामिल नहीं है।

2008-09 में, राजस्व घाटे में ₹1,02,838 करोड़ का तथा राजकोषीय घाटे में ₹97,452 करोड़ का अन्तर था। यह अन्तर (1) तेल कम्पनियों को जारी बन्ध-पत्रों (₹75,942 करोड़), (2) आई.एम.एफ. को जारी प्रतिभूतियों (₹1,444 करोड़), (3) उर्वरक सहायता के प्रति क्षतिपूर्ति के रूप में उर्वरक कम्पनियों को जारी विशेष बंध-पत्र (₹20,000 करोड़), (4) ऋणों की वसूली के प्रति राज्य सरकारों के बकाया ऋणों को बट्टे खाते में डालना (₹5,671 करोड़) तथा (5) आई.डी.बी.आई. के एस.ए.एस.एफ. हेतु परिसम्पत्ति प्रबंधन न्यास को जारी प्रतिभूतियों (₹1,225 करोड़) के कारण था।

संघ सरकार इन बंधपत्रों/प्रतिभूतियों के निर्गमन में राजकोषीय घाटे का निष्क्रिय होना समझा जाता है क्योंकि रोकड़ प्रवाह को समाविष्ट नहीं करते और इसलिए बजटीय व्यय/प्राप्तियों के भाग नहीं माने जाते हैं। वर्तमान लेखाकरण पद्धति के अनुसार तेल बंधपत्रों तथा अन्य समान बंधपत्रों का निर्गमन लोक लेखा के अन्तर्गत संघीय बजट के वार्षिक वित्तीय विवरण (वा.वि.वि.) में प्रदर्शित किए जाते हैं और उसमें समान लेन-देन तेल कम्पनियों/उर्वरक कम्पनियों के साथ दावे के निपटान हेतु राजस्व व्यय के अन्तर्गत दर्शाए जाते हैं। तब इन लेन-देनों का संबंधित समाधान विवरणियों के माध्यम से व्यय बजट के राजस्व लेखे और प्राप्ति बजट के पूंजीगत लेखे से निवल प्राप्त किया जाता है। तथापि, इन बंध पत्रों का राजकोषीय निहितार्थ है क्योंकि ये सरकार के दायित्व को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त, चूँकि ऐसे बंध पत्रों पर ब्याज भुगतान को राजस्व व्यय के भाग की तरह माना जाता है इसलिए वे राजस्व घाटे और उसके द्वारा, सतत आधार पर राजकोषीय घाटे को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार, वर्ष के दौरान लोक लेखा की निवल अभिवृद्धि, सरकार को समेकित निधि में घाटे को पूरा करने के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

वास्तविक उधारी के माध्यम से पुनरावर्ती राजस्व व्यय को वित्तपोषित करने के लिए महत्वपूर्ण अर्ध-राजकोषीय लेन-देन न केवल राजकोषीय समेकन प्रक्रिया, जो अधोगामी है, की गुणवत्ता के बारे में आशंका पैदा करता है अपितु राजकोषीय प्रक्रियाओं एवं राजकोषीय प्रबंधन तथा लम्बी अवधि के समष्टि अर्थशास्त्र स्थायित्व में अन्तर-पीढ़ी अंश में पारदर्शिता के मुद्दे को भी बढ़ाता है। तर्कपूर्ण रूप से, ‘बजट एक दृष्टि में’ में संसद को प्रस्तुत राजकोषीय घाटे की गणना, लोक लेखा में ली गई ऐसे सभी मदों का ध्यान रखते हुए, निवल प्रभाव निकालने के लिए की जानी चाहिए। नि.म.ले.प. द्वारा इंगित किए जाने पर, राजस्व एवं सकल राजकोषीय घाटे तेल, खाद्य एवं उर्वरक बंध पत्रों के

कारण सरकार द्वारा उठाये गए दायित्वों की सीमा तक कम बताए गए फिर भी संघीय बजट 2008-09 ने पहली बार बजट विवरणी अर्थात् 'बजट एक दृष्टि में' के सारांश बजट से अलग के मदों के रूप में रेखा से नीचे की मदों को स्पष्ट रूप से सूचित किया है। मामला सरकार द्वारा तेरहवें वित्त आयोग को संदर्भित किया गया था। तेरहवें वित्त आयोग ने इंगित किया कि "यह आवश्यक है कि आकस्मिक देयताओं को पूर्ण रूप से सूचित किया जाए तथा ताकि ऐसी देयताओं के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाया जा सकें।" तेरहवें वित्त आयोग ने राजकोषीय नियमावली जो सरकारी गारंटी को सीमित करती है, में सुधार की अनुशंसा की (तेरहवें वित्त आयोग 2010-2015 दिसम्बर 2009 खण्ड-1 प्रतिवेदन के पृष्ठ 134 पर पैरा 9.47)। तथापि, 13वाँ वित्त आयोग प्रतिवेदन स्पष्ट रूप से पेट्रोलियम तथा उर्वरक बंध-पत्र जैसी लम्बित देयताओं के जारी करने पर कोई अनुशंसा नहीं करता। तथापि, संघ सरकार के राजकोषीय लेखाकरण में ऐसे दायित्वों की पूरी तरह प्रकट किए जाने तक, संघीय बजट में यथासूचित तथा लेखापरीक्षित वित्त लेखे से यथा प्रकट राजस्व एवं राजकोषीय घाटों के बीच असंगताओं को सुधारने की आवश्यकता है और सभी बजट से परे दायित्वों का ध्यान रखते हुए राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को, इन बजट से परे मदों के प्रचालन में पारदर्शिता लाने के लिए संघ सरकार द्वारा सूचित किए जाने की आवश्यकता है।

1.5 लोक वित्त प्रबंधन में जवाबदेही

अर्थव्यवस्था ने 2009-10 में वसूली का लक्षण दर्शाया है तथा इसे राजकोषीय शोधन मार्ग में बदलने की आवश्यकता है जैसा कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुसंशित किया गया था तथा जिस पर 2009-10 एवं 2010-11 में बजट व्याख्यान में बल दिया गया था। सम्मिलित विकास सहित 9 प्रतिशत का उच्चवृद्धि लक्ष्य मध्यम अवधि में प्राप्त करने योग्य है, यदि गैर-कर्ज प्राप्तियों पर अधिक निर्भर करने तथा सेवा प्रणाली को सुधारने हेतु सम्मिलित पर्यास किया गया है जिससे कि नियत समय-सीमा के भीतर वित्तीय परिणामों को भौतिक परिणामों में बदला जा सके तथा संस्थानों की पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। बजटीकरण लोक वित्तीय प्रबंधन ढाँचे का एक महत्वपूर्ण घटक है। बजट की विश्वसनीयता, इसकी बोधशीलता एवं पारदर्शिता, सरकार की कथित नीति से इसका संबंध तथा इसका पूर्वानुमान सीधे वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करता है। वर्तमान में, कई विभागों में बजटीकरण यांत्रिक रूप से किया जाता है तथा अनुमानों तथा वास्तविक निष्पादन के बीच बहुत असंगतियाँ होती हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा संतुलित नहीं हैं तथा आंतरिक एवं बाह्य लेखापरीक्षा के बीच सहक्रिया की कमी है। पिछले दशक में, हम विशेष उद्देश्य के वाहनों, लोक-निजी साझेदारी, समितियों तथा गैर-सरकारी संगठन सहित व्यापक प्रकार के अभिकरणों को व्यय हेतु लोक निधियों के अंतरण में एक बढ़ती प्रवृत्ति को देख रहे हैं। इनमें से कई निकाय नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते जैसा कि क.श.से.श. अधिनियम द्वारा परिभाषित है। जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा अपेक्षित आश्वासन प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि नि.म.ले.प. को लोक निधियाँ प्राप्त कर रहे सभी अभिकरणों के अभिलेखों की अभिगम्यता प्रदान की जाए। नि.म.ले.प. के कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा की शर्तों का संचालन करने वाले अधिनियम की, यह सुनिश्चित करने हेतु कि लोक व्यय की जवाबदेही आश्वासित है जैसा कि संविधान में अभिकल्पित किया गया है, तुरन्त प्रभाव से पुनर्समीक्षा एवं संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

अध्याय 2

लेखे पर टिप्पणियां

संघ लेखे के प्रस्तुतीकरण (परिशुद्धता, पूर्णता तथा पारदर्शिता) में अर्थपूर्ण कमियों से संबंधित टिप्पणियों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है। विनियोग लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियों को इस प्रतिवेदन के अध्याय 6, 7 तथा 8 में सम्मिलित किया गया है। सरकार के खर्च करने पर नियमितता, मितव्ययता, दक्षता तथा प्रभावकारिता पर अभ्युक्तियां अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में संसद को पृथक रूप से प्रस्तुत करने के लिए समाविष्ट की जाती हैं।

2.1 संघ के वित्त लेखे में बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित विवरणियों/सूचनाओं का गैर- समावेश

बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) ने नवम्बर 2004 में सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में रोकड़ से लेखांकन के प्रोद्भूत आधार में लम्बित परिवर्तन को अधिक पारदर्शी एवं सूचित निर्णय लेने हेतु योग्य बनाने के लिए संघ सरकार के लेखे में आठ अतिरिक्त विवरणियों/सूचनाओं को शामिल करने के लिए अनुशंसा की थी। अनुशंसा को सरकार द्वारा सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया था। बा.वि.आ. द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त विवरणियाँ निम्नलिखित थीं:

- (i) दी गई स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों आर्थिक सहायता, की विवरणी (ii) विभिन्न विभागों/इकाईयों द्वारा वेतन पर व्यय सम्मिलित करते हुए विवरणी (iii) पेंशनभोगियों पर व्यय का ब्यौरा और सरकारी पेंशन पर व्यय (iv) भविष्य में प्रतिबद्ध देयताओं पर डाटा (v) ऋण तथा अन्य देयताओं के साथ-साथ पुनर्भुगतान अनुसूची पर सूचना सम्मिलित करते हुए विवरणी (vi) सरकार द्वारा खर्च करने के तरीके में परिवर्तन से उद्भूत सहित सरकार द्वारा अधिकार में रखे हुई वित्तीय परिसम्पत्तियों में सहवर्धन या अपरदन (vii) भावी रोकड़ प्रवाह के लिए बजट में प्रस्तावित वर्ष के दौरान अथवा नई योजनाओं पर सरकार द्वारा लिए गए मुख्य नीति निर्णयों को लागू करना तथा (viii) वेतन तथा गैर-वेतन हिस्से को अलग करते हुए अनुरक्षण व्यय पर विवरणी।

वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के लिए संघ सरकार के लेखाओं पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में यह उल्लेखित किया गया था कि संघ सरकार के लेखाओं में कथित अतिरिक्त विवरणियाँ/सूचना को सम्मिलित करने हेतु बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) की अनुशंसाओं का, आयोग की अनुशंसाओं के पाँच वर्षों के बीत जाने के बावजूद भी, अनुपालन नहीं किया गया था। यह भी अनुशंसा की गई थी कि वित्त मंत्रालय

संघ वित्त लेखे में उपरोक्त अतिरिक्त विवरणियों को सम्मिलित करने हेतु एक विशिष्ट समय सीमा तैयार करे। मंत्रालय की कार्रवाई टिप्पणी जनवरी 2011 तक भी प्रतीक्षित थी।

2009-10 के लिए वित्त एवं विनियोग लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि कथित विवरणियों, जैसा कि बा.वि.आ. द्वारा अनुशंसा की गई थी, को उचित रूप से इस वर्ष के लेखाओं में सम्मिलित नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने संघ सरकार के लेखाओं में इन विवरणियों को सम्मिलित करने में अपनी असर्मथा व्यक्त की थी (दिसम्बर 2009) तथा बताया कि वित्त लेखे में अतिरिक्त विवरणियों को सम्मिलित करने पर सरकार के दृष्टिकोण को बारहवें वित्त आयोग को प्रेषित कर दिया गया था।

तेरहवें वित्त आयोग ने अवलोकन करते समय कि किए गए वित्त लेखाओं की अधिकांश संख्या सभी परिशिष्टियाँ उपलब्ध नहीं करते, अनुशंसा कि बारहवीं वित्त आयोग की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए सभी परिशिष्टियों का मानकीकरण होना चाहिए (पैरा 7.134 में) तथा सभी राज्यों द्वारा अनुपालना होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उनके प्रतिवेदनों के पैरा 9.41 से 9.61 में, तेरहवें वित्त आयोग ने वार्षिक केन्द्रीय बजट/मध्यावधि वित्तीय नीति विवरण (म.वि.नि.) के माध्यम से वित्तीय समेकन के लिए संशोधित मार्गदर्शन के सम्बन्ध में अतिरिक्त प्रकटीकरण/विवरणियाँ प्रदान करने हेतु अनुशंसा की। इस प्रकार, तेरहवें वित्त आयोग ने अच्छे प्रकटीकरण के लिए संघ एवं राज्यों के वित्त लेखाओं में अतिरिक्त विवरणियों के समावेश की आवश्यकता को भी अनुभव किया।

2.2 कार्यान्वयन अभिकरणों के खाते में अनिर्धारणीय अव्ययित शेष

हाल के वर्षों में, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, रोजगार, साफ-सफाई आदि हेतु ध्वजपोत कार्यक्रमों तथा अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (के.प्रा.यो.) के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार की कार्यनीति में उदाहरणीय विचलन हुआ है। इनमें से अधिकतर योजनाएं केन्द्रीय भाग के राज्य सरकार को हस्तांतरण के साथ लागत भागीदारी आधार पर पूर्व में कार्यान्वयन की गई थी। अब संघ सरकार ने राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों, समितियों, गैर-सरकारी संस्थानों आदि को राज्य सरकार बजट से बाहर के.प्रा.यो. के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय योजनागत सहायता को सीधे हस्तांतरण करना आरम्भ कर दिया है। राज्य तथा जिला स्तरीय कार्यान्वयन निकाय इन योजना निधियों को सरकारी खाते से बाहर बैंक में अपने खाते में रखते हैं।

वर्ष 2009-10 के लिए, संघ सरकार ने ₹93,880^३ करोड़ (संशोधित अनुमान के अनुसार) की केन्द्रीय नियोजित सहायता को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सीधे ही राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों तथा प्राधिकरणों, समितियों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को अंतरित करने के लिए एक प्रावधान बनाया। चूंकि निधियाँ उसी वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा खर्च नहीं की जा रही हैं, इसलिए उनके खातों में अव्ययित निधियों की पर्याप्त राशि पड़ी हैं। सरकारी लेखे से बाहर रखी गई, कार्यान्वयन अभिकरणों के खातों में अव्ययित शेष की कुल राशि सहज रूप से निश्चेय नहीं है। इस प्रकार, सरकारी व्यय जैसा कि लेखाओं में दर्शाया गया है को अधिक बताया गया।

कार्यान्वयन अभिकरणों को इस निधियों के प्रवाह के लिए भिन्न प्रकार की लेखांकन अभिक्रिया को अपनाने की आवश्यकता है ताकि निधि के उपयोग पर आश्वासन प्राप्त करने के पश्चात, सरकारी लेखे में केवल कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा किए गए अंतिम व्यय को ही दर्ज किया जाए।

इस विषय पर वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी टिप्पणी की गई थी किन्तु इस परिस्थिति के निदान के लिए अभी विवेकपूर्ण कदम नहीं उठाए गए हैं।

2.3 सरकारी लेखाओं में अपारदर्शिता

सरकारी वित्तीय व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता की एक दिशा में सार्वभौमिक प्रवृत्ति है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि पारदर्शी बजटीकरण तथा लेखांकन अभ्यास यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिन वास्तविक उद्देश्यों हेतु राज्यों द्वारा मांग की गई निधियाँ सरकार द्वारा किए गए वादे अनुसार व्यय की जाएंगी तथा व्यय करने से अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। लेखांकन की पारदर्शी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक लेखा प्रपत्र है जिसमें सरकार की प्राप्तियाँ एवं व्यय को विधानसभा को सूचित किया जाता है, की निरन्तर समीक्षा तथा अद्यतन किया जाता है ताकि वे सच्चे रूप से सभी महत्वपूर्ण पण्डारियों की आधारभूत सूचना की जरूरतों को पूरा करने हेतु एक पारदर्शी रूप में सरकार के सभी मुख्य कार्यकलापों पर प्राप्ति तथा व्यय को प्रदर्शित कर सकें।

संघ सरकार वित्त लेखे 2009-10 की संवीक्षा ने उजागर किया कि लेखे (जो सरकार के कार्यकलापों को प्रस्तुत करते हैं) के 24 मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ₹15,899.73 करोड़ को लेखे में लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जो संबंधित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दर्ज किए गए कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक था। यह लेखे में

^३ व्यय बजट 2010-11 (खण्ड-I) के अनुसार

अपारदर्शिता की भारी मात्रा को दर्शाता है। पर्याप्त व्यय के साथ अन्य सामाजिक सेवाएँ, कृषि वित्तीय संस्थान, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी, उद्योगों एवं खनिजों पर पूंजीगत परिव्यय, नागरिक विमानन, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, भूमि एवं जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय, वृक्षारोपण पर पूंजीगत परिव्यय, अन्य दूरसंचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, समुद्र-विज्ञान अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय तथा विदेशी व्यापार पर पूंजीगत परिव्यय आदि जैसे मुख्य शीर्षों के बौरे वर्गीकृत महत्वपूर्ण व्यय सहित "अन्य व्यय" के रूप में परिशिष्ट-II-क में दिए गए हैं।

परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि शीर्ष '2416-कृषि वित्तीय संस्था', '2801-विद्युत', '3053-सिविल विमानन' और '3275- अन्य संचार सेवाएं' के अंतर्गत कुल व्यय के प्रति 'अन्य व्यय' की प्रतिशतता क्रमशः 120 प्रतिशत, 67 प्रतिशत, 96 प्रतिशत एवं 54 प्रतिशत तक अधिक थी।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (₹5,000 करोड़), पूर्वात्तर क्षेत्र तथा सिक्किम हेतु परियोजनाओं के लिए उपयोगिता के प्रति मिशन फ्लैक्सीबल पूल (₹3,380 करोड़), किसानों को लघु अवधि क्रेडिट प्रदान करने हेतु ब्याज आर्थिक सहायता (₹2,011 करोड़), हज चार्टर को आर्थिक सहायता (₹941 करोड़), राष्ट्रमण्डल खेल (₹522 करोड़) जैसी महत्वपूर्ण व्यय मदों को वित्त लेखे में विशिष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया है लेकिन लघु शीर्ष "अन्य व्यय" में जोड़ा गया है।

इस पर नि.म.ले.प. के वर्ष 2007-08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. सी.ए.13 तथा वर्ष 2008-09 के प्रतिवेदन सं. 1 में इस अनुशंसा के साथ कि वित्तीय व्यवस्था को सूचित करने में और अधिक पारदर्शिता को प्राप्त करने हेतु इस कमी का निदान करने के लिए सरकारी लेखे की संरचना की सरकार द्वारा एक व्यापक समीक्षा की जाए, की चर्चा की गई थी। यद्यपि, आंतरिक उपाय के रूप में, लेखा महानियंत्रक (ले.म.नि.) ने वित्त लेखे में लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अन्तर्गत आवृत्त महत्वपूर्ण व्यय, सरकार के वर्तमान कार्यकलापों को दर्शाने के लिए लेखे के नए शीर्षों को खोलकर तथा अप्रचलित लेखा शीर्षों को बन्द करने के माध्यम से लेखे की पुनर्संरचना का ब्यौरा देते हुए वित्त लेखे में फुटनोटों को जोड़ा गया है जिन्हें सरकार द्वारा स्थाई आधार पर समस्या का निदान करने हेतु नहीं लिया गया है।

मंत्रालय ने सितम्बर 2010 की अपनी कार्रवाई टिप्पणी में बताया कि इस संबंध में जनवरी 2010 में लेखा महानियंत्रक द्वारा लेखा नियंत्रकों को लघु शीर्ष '800 -अन्य व्यय' के अंतर्गत महत्वपूर्ण व्यय दर्ज करते समय अत्याधिक सावधानी बरतने हेतु अनुदेश जारी कर दिए गये थे। मंत्रालय ने आगे बताया कि कुछ नए लघु शीर्ष खोले गए हैं। तथापि, इन नए शीर्षों का ब्यौरा प्रदान नहीं किया गया है।

2.4 लोक लेखे में निधियों का अपर्याप्त प्रकटीकरण

(i) राष्ट्रीय निवेश निधि

(क) राष्ट्रीय निवेश निधि (रा.नि.नि.) की निर्धारित लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार, निधि प्रबंधकों के साथ निवेशित पोर्टफोलियो से वार्षिक आय को आरम्भिक रूप से भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) में मुख्य शीर्ष "1475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" के नीचे "110- रा.नि.नि. की पोर्टफोलियो प्रबन्धन योजना (विवेकी माध्य) से आय" के अन्तर्गत आय के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। तत्पश्चात, आय को सामाजिक क्षेत्र योजनाओं पर व्यय तथा पुनुरुज्जीवनीय या लाभप्रद सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में पूँजीगत निवेश के निवेश उद्देश्यों को पूरा करने हेतु मुख्य शीर्ष "8453-रा.नि.नि. का आय एवं व्यय लेखा" को अंतरित किया जाना होता है।

संघ वित्त लेखे 2008-09 तथा 2009-10 की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ₹84.81 करोड़ तथा ₹226.85 करोड़ की आय को भा.स.नि. के अंतर्गत आय के रूप में दर्शाते हुए मुख्य शीर्ष "8453-रा.नि.नि. का आय एवं व्यय लेखा" भा.स.नि. से आय के अंतरण को दर्शाने के लिए लोक लेखा में खोला नहीं गया है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009-10 के अन्त में अंतिम शेष को शीर्ष "8452-राष्ट्रीय निवेश निधि" के अन्तर्गत "शून्य" दर्शाया गया था, यद्यपि 31 मार्च 2010 को वास्तव में ₹1,814¹ करोड़ का शेष निधि में उपलब्ध था। इस प्रकार दर्शाना संदेह एवं अपारदर्शिता का कारण बनता है, जो इस बात को दर्शाता है कि अपनाई गई लेखांकन प्रक्रिया सही नहीं थी। पारदर्शिता के हित में लेखांकन प्रक्रिया को उपयुक्त रूप से सुधारा जाना चाहिए ताकि रा.नि.नि. में सही शेष दर्शाया जा सके तथा इस निधि में से निवेश किया जा सके।

इसकी पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी चर्चा की गई थी परन्तु इस स्थिति का निदान करने हेतु कोई विवेकपूर्ण उपाय नहीं किए गए थे।

(ख) संशोधित लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत, 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2012 की अवधि के दौरान संग्रहित विनिवेश प्राप्तियों को लघु शीर्ष '8452-102-1.4.2009 से 31.3.2012 की अवधि के लिए भारत सरकार की विनिवेश प्राप्तियाँ' के अंतर्गत रा.नि.नि. को अंतरित किया जाना था। संघ के वित्त लेखे 2009-10 की संवीक्षा ने प्रकट किया कि कथित लघु शीर्ष नहीं खोला गया था तथा ₹23,552.97 करोड़ के रा.नि.नि. को/से अंतरण को लघु शीर्ष '8452-101-सरकारी ईक्विटी धारक प्रीमियम की विनिवेश प्राप्तियाँ' के अंतर्गत दर्ज किया गया था।

¹ वर्ष 2007-08 में ₹1651 करोड़ और 2008-09 में ₹163 करोड़ का अंतरण किया गया था।

(ii) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (मुख्य शीर्ष 8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां, लघु शीर्ष-118) को अप्रैल 2002 में राष्ट्रीय टेलीकॉम नीति (रा.टे.नि.) 1999 में बल दिए गए सार्वभौमिक सेवा दायित्वों को दिए गए महत्व को प्राप्त करने हेतु स्थापित किया गया था। सार्वभौमिक सेवा दायित्व (सा.से.दा.) को पूरा करने के लिए संसाधनों को "सार्वभौमिक पहुँच उगाही" के माध्यम से एकत्र किए गए हैं जो भारतीय टेलीकॉम नियमन प्राधिकरण (ट्राई) की सलाह से सरकार द्वारा निश्चित किए गए विभिन्न लाईसेंसों के अन्तर्गत सभी प्रचालकों द्वारा अर्जित राजस्व की एक प्रतिशतता है। इसे समायोजित सकल राजस्व के पांच प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है। ग्रामीण/दूरवर्ती क्षेत्रों हेतु सा.से.दा. का कार्यान्वयन निर्धारित सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाता है जिन्हें सा.दे.दा. निधि से निवल लागत (अर्थात् वार्षिकी पूंजीगत वसूली जमा प्रचालन खर्च घटा वार्षिक राजस्व) की प्रतिपूर्ति की जाती है।

दूरसंचार विभाग (दू.वि.) द्वारा निधियों का प्रबंधन किया जाता है। सा.से.दा. के प्रति प्राप्त उगाही को सर्वप्रथम भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है तथा बाद में केन्द्र सरकार समय-समय पर सा.से.दा. को पूरा करने हेतु विशिष्ट रूप से प्रयोग करने के लिए भारत के लोक लेखे में सा.से.दा. निधि को ऐसी प्राप्तियां जमा करती है। यह एक गैर-व्ययगत निधि है।

2002-03 से 2009-10 के दौरान दू.वि. द्वारा ₹31109.36 करोड़ की कुल सार्वभौमिक उगाही का संचयन किया गया किन्तु इस अवधि के दौरान निधि से केवल ₹10371.44 करोड़ का संवितरण किया गया था। इस प्रकार, 31 मार्च 2010 को निधि का अंतिम शेष, भारत के लोक लेखे में शीर्ष 8235-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां, 118-सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के अंतर्गत दर्शाए गए "शून्य" शेष के प्रति ₹20737.92 करोड़ होना चाहिए था। इसलिए, ₹20737.92 करोड़ तक सा.से.दा. निधि के अंतिम शेष को कम बताया गया।

यह अनुशंसा की जाती है कि दूरसंचार विभाग को आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए तथा सार्वभौमिक पहुँच उगाही की सभी प्राप्तियों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व उसी वित्तीय वर्ष में सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को अंतरित करना चाहिए ताकि निधि शेषों को लेखे में सही रूप से दर्शाया जा सके। दू.वि. को सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्रामीण तथा दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्वों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त योजनाएं पूरी की गई है ताकि सा.से.दा. उद्देश्यों को पूरा किया गया है तथा निधि शेषों की उन्हीं उद्देश्यों के लिये प्रयोग किया गया है जिनके लिए इन्हें संग्रहित किया गया था।

2.5 सरकारी लेखे से बाहर पड़ी लोक निधियाँ

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (आ.का.वि.) ने जनवरी 2005² में सभी मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि नियामक निकायों की निधियों को लोक लेखे में अनुरक्षित किया गया है।

पांच नियामक निकायों अर्थात् भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (भा.प्र.वि.बो.), बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (बी.नि.वि.प्रा.), पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण (पै.नि.नि.वि.प्रा.) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (के.वि.नि.आ.) तथा पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पै.प्रा.गै.नि.बो.) के वार्षिक लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ये निकाय मार्च 2010 के अंत तक शुल्क प्रभारों, भारत सरकार से प्राप्त अव्ययित अनुदानों आदि के माध्यम से सृजित कुल ₹2,142.47³ करोड़ की अपनी अधिशेष निधियों को, सरकारी लेखों से बाहर रखे थे। इस प्रकार, संघ सरकार के वित्त लेखे सरकारी लेखाओं के बाहर पड़ी ₹2,142.47 करोड़ की निधियों की सीमा तक, सरकारी वित्त व्यवस्था की यथोचित एवं पूर्ण स्थिति प्रकट नहीं करते हैं।

नि.म.ले.प. के मार्च 2008 को समाप्त वर्ष हेतु प्रतिवेदन सं. सी.ए.13 तथा वर्ष 2008-09 की संख्या 1 ने भी बी.नि.वि.प्रा. तथा भा.प्र.वि.बो. द्वारा निधियों को सरकारी लेखाओं से बाहर रखने को उजागर किया था।

दिसम्बर 2009 तथा नवम्बर 2010 में, मंत्रालय ने बताया है कि लोक लेखे में भा.प्र.वि.बो. एवं बी.नि.वि.प्रा. की निधियों का संचालन करने के संबंध में व्यवस्था को प्रतिज्ञापित करने वाले विस्तृत दिशानिर्देशों को तैयार कर लिया गया था तथा विस्तृत लेखांकन प्रक्रिया का निरूपण करने हेतु लेखा महानियंत्रक को भेज दिया गया था। तथापि, इस संबंध में कोई भी निधि वर्ष 2009-10 के लिए वित्त लेखे के लोक लेखा में प्रारम्भ नहीं की गई थी।

नवम्बर 2010 में के.वि.नि.आ. ने बताया कि विद्युत मंत्रालय के परामर्श से ले.म.नि. द्वारा के.वि.नि.आ. की निधियों के संचालन के लिए शीर्ष पहले खोला जा चुका था और के.वि.नि.आ. के व्यय से स्थापना संबंधित खर्च को पूरा करने हेतु संसद ने वर्ष 2010-11 के लिए पहले बैच में ₹24.25 करोड़ पारित किए थे। यह भी बताया गया कि भारतीय लोक लेखा के अंतर्गत संचित निधियों को के.वि.नि.आ. निधियों में अंतरण के लिए विद्युत मंत्रालय से आगे की सूचना प्रतीक्षित थी। सितम्बर 2009 तथा दिसम्बर 2010 को

² भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) का.आ.सं. एफ.1 (30)-बी (ए.सी.) /2004 दिनांक 07 जनवरी 2005

³ भा.प्र.वि.बो. - ₹1,467.81 करोड़ रु. बी.नि.वि.प्रा. ₹622.29 करोड़ रु. पै.नि.नि.वि.प्रा. ₹0.23 करोड़, के.वि.नि.आ.- ₹33.55 करोड़ रु. तथा पै.प्रा.गै.नि.बो.- ₹18.59 करोड़ रु.

पै.नि.नि.वि.प्रा. ने बताया कि इस मामले पर पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से स्पष्टीकरण की माँग की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, नवम्बर 2010 में वित्त मंत्रालय ने बताया कि पै.नि.नि.वि.प्रा. को भा.प्र.वि.बो. तथा बी.नि.वि.प्रा. द्वारा अपनी अधिक्य निधियों के संबंध में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुपालन में कोई आपत्ति नहीं थी।

2.6 करों की वापसी पर ब्याज का गलत लेखांकन

अधिक कर की वापसी पर ब्याज भुगतान भारत की संचित निधि पर प्रभारित है तथा इस प्रकार, सामान्य बजटीय क्रियाविधि के माध्यम से देय है। इस लेन-देन को संघ लेखे में दर्ज करने हेतु लेखे के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची में मुख्य शीर्ष ‘2020-आय एवं व्यय पर करों का एकत्रण’ के अंतर्गत एक अलग लघु शीर्ष ‘108-वापसी पर ब्याज’ को शामिल किया जाता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2009-10 के बजट अनुमानों में वापसियों पर ब्याज हेतु कोई बजट प्रावधान तैयार नहीं किया गया था तथा ₹12,815 करोड़ की राशि प्रावधानिक की आयकर वापसियों पर ब्याज पर व्यय को संघ सरकार के लेखे 2009-10 में संघ सरकार के राजस्व में कटौती के रूप में माना गया था। ऐसे लेखांकन समायोजन न केवल लेखांकन नियमावली के उल्लंघन में है बल्कि इनका परिणाम बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से संसद की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ब्याज भुगतानों पर व्यय प्रभारित करने में भी होता है। वास्तव में, ₹92 करोड़ के आयकर की वापसी पर ब्याज का, 2001-02 के बजट में एक व्यय मद के रूप में बजटीकरण किया गया था। तथापि, संशोधित अनुमानों के स्तर पर, वापसी पर ब्याज को प्राप्ति के रूप में दर्शाने की पहले की पद्धति को प्रत्यावर्तित कर दिया गया था।

वापसियों पर ब्याज को राजस्व में कटौती के रूप में वर्गीकृत करने के परिणामस्वरूप, व्यय के साथ-साथ 2009-10 के लिए संघ सरकार के राजस्व को संघ सरकार के लेखों में ₹12,815 करोड़ (के.बो.प्र.के. द्वारा बताया गया प्रावधानिक आंकड़ा) तक कम बताया था।

संघ के लेखे पर पिछले वर्ष के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन के साथ-साथ वर्ष 2004, 2005, 2006, 2007 तथा 2008 के प्रत्यक्ष कर पर नि.म.ले.प. के प्रतिवेदनों में भी इस पद्धति पर चर्चा की गई है परन्तु इस स्थिति का निदान करने हेतु कोई विवेकपूर्ण कदम नहीं उठाया गया।

2.7 आयकर कल्याण निधि का सृजन

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग ने आयकर कल्याण निधि (आ.क.नि.) का सृजन किया तथा पिछले तीन वर्षों में निधि के प्रति ₹100 करोड़ का अंतरण किया। निधि को (i) आयकर

विभाग के अधिकारियों की कल्याण, मनोरंजन तथा अन्य बाह्य गतिविधियों के उन्नयन, (ii) चोट अथवा दुर्घटना जैसी आकस्मिकताओं के दौरान अधिकारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने, (iii) मृत अधिकारियों के परिवार को अनुग्रह भुगतान प्रदान करने, (iv) अधिकारियों को आपातकालीन एवं गम्भीर संकट हेतु जो कि के.स.स्वा.यो. प्रतिपूर्ति नियमावली के अंतर्गत पूर्णतः प्रतिपूर्तियोग्य नहीं है, जोखिम बीमा सहित चिकित्सा अनुरक्षण के विभिन्न प्रकारों को प्रदान करने, (v) अधिकारियों के उपयोग हेतु अवकाश गृहों का निर्माण/किराए पर लेना/पट्टे पर लेना/साज-सज्जा/अनुरक्षण आदि के उद्देश्य के साथ सृजित किया गया था।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक निधि के सृजन पर इस आधार पर सहमत नहीं हुआ था कि निधि द्वारा आवृत्तन की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों को विभाग के वार्षिक बजट में शामिल किया जा सकेगा तथा यह सामान्य बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से वित्तपोषित किया जाए। लोक लेखे के ब्याज वहन करने वाले वर्गों के अंतर्गत निधि का सृजन, ब्याज की आवर्ती जो कि सामान्य संसदीय वित्तीय नियंत्रण के अधीन नहीं होगी देयताओं के लिए आवश्यक था। निधि का उपयोग, संसद में प्रस्तुत किए गए अनुदानों की मांगों के मामले के रूप में, मानक विषय शीर्षों के माध्यम से सूचित किए जाएंगे और इस प्रकार, यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) किसी एक वर्ग के लोगों या व्यक्तिगत के लाभ हेतु लोक धन से व्यय अनुमत नहीं करती जब तक कि व्यय मान्यताप्राप्त नीति या व्यवसाय के अनुसरण में नहीं था। इसके अतिरिक्त, यदि उद्देश्य, अधिकारियों/अधिकारियों के परिवार के सदस्यों, जिन्होंने अन्वेषण/गिरफ्तारी कार्रवाई के दौरान क्षति/मृत्यु का सामना किया, को आवृत करना तथा अधिकारियों हेतु आवृत उच्च जोखिम बीमे के प्रावधान को शामिल करना है, तो भारत सरकार की निर्दिष्ट योजना के अंतर्गत प्रावधान किया जा सकता है या ऐसे उद्देश्यों हेतु वर्तमान निधियों के अंतर्गत विद्यमान प्रावधानों में सम्मिलित किया जा सकता है। निधि/योजना को सरकारी कार्यों को पूरा करने में समान जोखिमों का सामना करने वाले अन्य विभागों के अधिकारियों/स्टाफ पर भी लागू किया जाना चाहिए। उल्लेखित दिए अन्य उद्देश्यों को मंत्रालय की अनुदानों हेतु माँग में मानक विषय शीर्षों ‘पुरस्कार’, ‘चिकित्सा उपचार’, ‘कार्यालय व्यय’, ‘सहायता अनुदान’ के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है।

इस मामले पर पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में चर्चा की गई थी। सितम्बर 2010 की अपनी कार्रवाई टिप्पणी में मंत्रालय ने बताया कि निधि का सृजन विस्तृत जाँच तथा जनवरी 1998 में वित्त मंत्रालय द्वारा परिणामी स्वीकृति के पश्चात किया गया था। इसने यह भी बताया कि निधि के सृजन की उत्पत्ति वी.डी.आई.एस.- 97 योजना, जिसमें सामान्य ‘कर संग्रहण से अधिक लगभग ₹10,700 करोड़ के अतिरिक्त कर का संग्रहण किया गया था, के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में निहित है। तथापि, निधि का सृजन न तो संसद द्वारा न ही

मंत्रीमंडल द्वारा अनुमोदित था; सामान्य वित्तीय नियमावली किसी एक वर्ग के लोगों अथवा व्यक्तिगत के लाभ हेतु लोक धन से व्यय को अनुमत नहीं करती है तथा निधि की उपयोगिता, संसद में प्रस्तुत किए गए अनुदानों की माँगों के मामले के रूप में मानक विषय के माध्यम से सूचित नहीं किए जाएंगे तथा संसद को वित्तीय सूचना से समझौता किया गया है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2010) कि ₹100 करोड़ के संचित कार्पस से कोई व्यय नहीं किया गया था तथा अगस्त 2007 में निधि के प्रारम्भ से इस निधि में कोई ब्याज क्रेडिट नहीं किया गया था।

2.8 संसद द्वारा विघटित एक निधि का अप्राधिकृत संचालन

कोयला खान श्रमिक आवासिय तथा सामान्य कल्याण निधि (निधि) को 1947 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। कोयला तथा कोक के प्रेषण पर सरकार द्वारा उदग्रहित उपकर को प्राप्ति-शीर्ष- "0038-संघ के उत्पाद शुल्क" में जमा कराया गया था तथा इस उपकर के कारण संग्रहित राशि का कुछ भाग अधिनियम के अंतर्गत इस निधि को अंतरित किया जाना था। 1947 के अधिनियम को 1986 में संसद द्वारा पारित अन्य अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया था। 1986 के अधिनियम ने कोयला श्रमिक आवासीय बोर्ड को विघटित किया तथा अभिकल्पना की कि अक्तूबर 1986 से लागू पूर्ण अधिनियम के अंतर्गत संस्थापित "कोयला खान श्रमिक आवासीय तथा सामान्य कल्याण निधि" के आवासीय खाते तथा सामान्य कल्याण खाते में जमा कराने हेतु पड़े सभी धन तथा रोकड़ शेष भारत की समेकित निधि का हिस्सा होंगे तथा जमा कराया जाएगा।

मंत्रालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने 1986 के अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में निम्नलिखित असंगतियाँ प्रकट की:

- (i) 1 अक्तूबर 1986 तक आवासीय सामान्य कल्याण निधि में पड़े रोकड़/धन को अधिनियम की शर्तों के अनुसार भारत की समेकित निधि में जमा नहीं कराया गया था।
- (ii) निधि में शेषों का वर्ष दर वर्ष आधार पर कोयला कल्याण विकास निधि के अंतर्गत संचालन किया जाना जारी था तथा 2009-10 तक इसे मंत्रालय के वित्त लेखे में दर्शाया गया।
- (iii) निधि लेखे में शेषों का उपयोग कोयला मंत्रालय के धनबाद में वेतन एवं लेखा कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय (क्षे.वे.ले.का.) की स्थापना व्यय को इस तर्क पर कि उस कार्यालय हेतु कोई अलग बजट नहीं पूरा करने हेतु किया जा रहा था। 1987-

88 तथा 2009-10 के बीच निधि में से ₹10.43 करोड़ की राशि को स्थापना व्यय के रूप में अप्राधिकृत रूप से व्यय किया गया था।

- (iv) 1986 के अधिनियम द्वारा 1 अक्टूबर 1986 से निधि को समाप्त करने के बावजूद निधि में प्राप्तियों का प्रवाह प्रति वर्ष जारी रहा। 1986-87 की समाप्ति पर निधि में ₹7.56 करोड़ का शेष था। 1987-88 और 2009-10 के बीच निधि से ₹14.30 करोड़ के और अंतर्वाह तथा ₹10.43 के बहिर्वाह थे।

मंत्रालय कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि (निरस्त) अधिनियम, 1986 प्रावधानों को संसद द्वारा इसके पारित किए जाने के बाद 24 वर्षों के पश्चात भी कार्यान्वित करने में विफल रहा तथा इस प्रकार, संसद के प्राधिकार को कमजोर करते हुए लोक व्यय के अतिरिक्त अप्राधिकृत व्यय को पूरा करने हेतु विघटित निधि का संचालन जारी रखा। इसके अतिरिक्त, कोयला मंत्रालय के व्यय का आंकड़ा, इन वर्षों के शुरू से अंत तक कम बताया गया था क्योंकि आर.पी.ए.ओ. धनबाद को स्थापना व्यय, भारत की समेकित निधि में दर्ज व्यय आंकड़े में शामिल नहीं था।

मामला अक्टूबर 2010 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर नवम्बर 2010 तक प्रतीक्षित था।

2.9 नि.म.ले.प. की सलाह के बिना लेखांकन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन की निरंतरता

लेखापरीक्षा ने अनियमित तरीके के बारे में वर्ष 2008-09 हेतु नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं.-1 के पैरा 2.8 तथा 2010-11 के प्रतिवेदन सं.-14, (कैन्टीन भण्डारण विभाग के निष्पादन लेखापरीक्षा) के अध्याय-III, पैरा 3.3 में इंगित किया है जिसमें रक्षा मंत्रालय नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सलाह के बिना कैन्टीन भण्डारण विभाग हेतु ‘सहायता अनुदान’ की बजाए एक अलग विषय शीर्ष ‘अंशदान’ के अंतर्गत 2005-06 से 2009-10 के दौरान ₹448 करोड़ का व्यय दर्ज कर रहा था।

इसकी चर्चा पहले भी क्रमशः नि.म.ले.प. के 2007 के प्रतिवेदन सं-1 के पैरा 7.21 तथा 2007 की सं.-13 में पैरा सं.7.23 में की गई थी। उपरोक्त अनियमित प्रक्रिया ने इन राशियों की उपयोगिता पर वित्तीय नियंत्रणों को कम किया क्योंकि सामान्य वित्तीय नियमावली के अंतर्गत केवल ‘सहायता अनुदान’ हेतु ही उपयोग प्रमाण पत्रों के लिए ही आग्रह किया जा सकता था। यद्यपि, विषय शीर्ष ‘सहायता अनुदान’ तथा ‘अंशदान’ दोनों ही वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन नियमावली के नियम 8 के अंतर्गत मानकीकृत विषय शीर्ष हैं फिर भी विषय शीर्ष ‘अंशदान’ को अभिप्रेत अन्तर्राष्ट्रीय निकायों की सदस्यता के प्रति व्यय

को वर्गीकृत करना है। अलग विषय शीर्ष सहायता अनुदान के प्रावधानों को प्रदर्शित करने हेतु विद्यमान है। इसलिए, ‘अंशदान’ शीर्ष के अंतर्गत के.भ.वि. संवितरणों को दर्ज करना गलत है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय को वर्ष 2008-09 हेतु नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं.1-संघ सरकार के लेखे के लेखापरीक्षा पैरा सं. 2.8 के लिए अक्टूबर 2010 तक पहली बार के लिए भी कार्रवाई टिप्पणी को अभी भी प्रस्तुत करना है।

मंत्रालय कोई उपचारी/शोधक कार्रवाई किए बिना अनियमित प्रक्रिया के साथ बना रहा। शीर्ष 2075.00.108.01.00.32- अंशदान के अंतर्गत 2005-06 से 2010-11 की अवधि के दौरान हुए/प्रदान किए गए अनियमित व्यय का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

तालिका 2.1 अंशदान के रूप में दर्ज व्यय

(रुक्कोड़ में)

वर्ष	सहायता अनुदान की बजाए ‘अंशदान’ के रूप में दर्ज व्यय की राशि
2005-06	77.38
2006-07	73.12
2007-08	91.82
2008-09	83.95
2009-10(ब.आ.)	114.01
2010-11(ब.आ.)	141.77
योग	582.05

लेखांकन नीति में एक ऐसा महत्वपूर्ण बदलाव भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह जैसा कि भारत के संविधान के अंतर्गत अपेक्षित है के बिना किया गया था। इसने गम्भीरता से ऐसे संवितरणों की जवाबदेही कम की। यह विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि ऐसे संवितरण इकाई/संरचना तक फैल गए तथा इकाई की रेजिमेन्टल निधि का भाग बन गए। सहायता अनुदानों को सेवाओं द्वारा रेजिमेन्टल निधि में क्रेडिट किया गया था तथा सभी उद्देश्यों के लिए प्राप्तकर्ता के हाथों में गैर-लोक निधि के रूप में माना गया था। विषय शीर्ष ‘अंशदान’ के अंतर्गत इस व्यय का प्रावधान एवं दर्ज करना गलत था क्योंकि भुगतान की प्रकृति भारत की समेकित निधि से अनुदान के समान रहती थी।

2.10 विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम-प्रोफार्मा लेखे की स्थिति

सामान्य वित्तीय नियमावली अनुबंध करती है कि वाणिज्यिक या अर्धवाणिज्यिक प्रकृति के विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम सहायक लेखे तथा प्रोफार्मा लेखे, जैसा भी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, का अनुरक्षण करेंगे। मार्च 2010 तक वाणिज्यिक या अर्धवाणिज्यिक प्रकृति के 43 विभागीय रूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रम थे। इन उपक्रमों के वित्तीय परिणामों का प्रोफार्मा लेखे, जिसमें सामान्यतः व्यापार लेखा, लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन-पत्र सम्मिलित होते हैं, तैयार करके वार्षिक रूप से सुनिश्चित किया जाता है। जबकि भारत सरकार की प्रैस व्यापार लेखा, लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन-पत्र के बिना प्रोफार्मा लेखे तैयार करती हैं फिर भी प्रकाशन विभाग ने केवल भण्डारण लेखा तैयार करता है। उनके नवीनतम उपलब्ध लेखों के आधार पर विभागीय रूप से प्रबंधित उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों की स्थिति को **परिशिष्ट-II-ख** में दिया गया है।

परिशिष्ट से यह देखा जा सकेगा कि 37 उपक्रमों के संबंध में प्रोफार्मा लेखे एक ग्यारह वर्षों के बीच की अवधि के लिए बकाया थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.2: अवधि जिसके लिए प्रोफार्मा लेखे बकाया पड़े थे

वर्षों की संख्या	अवधि	उपक्रमों की संख्या
1-3	2007-08 से 2009-10	26
4-7	2003-04 से 2006-07	8
8-11	1999-2000 से 2002-03	3
	योग	37

तीन उपक्रम जिनके प्रोफार्मा लेखे 8-11 वर्ष की अवधि के लिए बकाया थे वे फिल्म प्रभाग (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय), विद्युत विभाग, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (विद्युत मंत्रालय) तथा प्रकाशन विभाग (शहरी विकास मंत्रालय) हैं।

प्रोफार्मा लेखे के अभाव में, इन संगठनों, जिन्हें वाणिज्यिक आधार पर प्रबंधित किया जाना नियत है, द्वारा प्रदत्त सेवाओं की लागत का पता नहीं लगाया जा सकेगा। उनकी गतिविधियों हेतु निवेश पर वापसी, लाभकारिता आदि जैसे निष्पादन संकेतकों को निर्धारित करना भी संभव नहीं था।

2.11 हानियों तथा गैर-वसूलनीय देयों को बट्टे खाते में डालना/अस्थगित करना

मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की गई वर्ष 2009-10 के दौरान बट्टे खाते में डाली गई/अस्थगित की गई हानियों तथा गैर-वसूलनीय देयों को परिशिष्ट-II-g में दिया गया है। परिशिष्ट से यह देखा जा सकेगा कि 2009-10 के दौरान, 218 मामलों में, ₹4.02 करोड़

बट्टे खाते में डाले गए थे। वर्ष के दौरान, 138 मामलों में किए गए अस्थगित की वसूलियाँ तथा किए गए अनुग्रह भुगतान कुल ₹1.02 करोड़ तक थे।

2.12 अन्य अभ्युक्तियाँ

2.12.1 बाह्य ऋण का लेखांकन कम बताना

ऋणदाता देशों अथवा विदेशी संस्थानों से भारत सरकार द्वारा प्राप्त बाह्य ऋणों को विनिमय की ऐतिहासिक दर, जो कि लेन-देन/प्राप्ति की तिथि पर प्रचलित दर है, पर सरकारी लेखे में दर्ज किया गया है। पुनर्भुगतान विनिमय दर में अनुवर्ती परिवर्तनों के कारण लेखे के आधार पर परिकलित देय राशि से काफी अधिक हैं। इस अधिक भुगतान को प्रत्येक वर्ष नकारात्मक अंत शेष के रूप लेखे में दर्शाया गया था। शेष ऋण, जिन्हें अभी तक पूरी तरह वापस नहीं किया गया है, सकारात्मक शेषों के साथ लेखे में प्रकट हुए। बाद में, जब बाह्य ऋण जोड़े गए इसे नकारात्मक तथा सकारात्मक शेषों को निबल करने के कारण कम बताया गया।

इसी प्रकार, विशेष देश से प्राप्त ऋण के शेषों ने भी ऋण के सही आंकड़े प्रकट नहीं किए हैं क्योंकि एक विशेष देश ने कई परियोजनाओं हेतु ऋण दिए हैं जिन्हें अलग से दर्ज किया गया है। इनमें से, कुछ परियोजनाओं पर ऋणों को पहले ही अदा किया जा चुका है परन्तु विनिमय परिवर्तनों के कारण भुगतान अभी भी किए जा रहे हैं लिन्हें नकारात्मक शेष के रूप में दर्ज किया गया है। यह नकारात्मक शेष, जब जोड़ा गया, ने उस विशेष देश से बकाया ऋण के शेषों को कम बताया है।

इस प्रकार, ₹1,34,083 करोड़ के बाह्य ऋण के आंकड़े, जो वित्त लेखे में प्रकट हो रहे हैं, बकाया बाह्य ऋण के वास्तविक आकार को प्रदर्शित नहीं करते हैं। विवरणी सं. 14⁴ के नीचे नोट के अनुसार, मार्च 2010 के अंत में वर्तमान दर पर बाह्य ऋण ₹2,49,306 करोड़ था। इस प्रकार, विनिमय की ऐतिहासिक दर पर लेखे में बाह्य ऋण को अंकित करना देयता का सही प्रतिबिंब नहीं है।

ले.म.नि. ने बताया कि विनिमय परिवर्तन के कारण ऋणात्मक शेष थे जिनका ऋणों के पूर्ण रूप से लौटाने के बाद ही समाधान किया जाएगा। यद्यपि, विनिमय के ऐतिहासिक दर पर बाह्य ऋण के वास्तविक परिमाप के संदर्भ में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

2.12.2 दिए गए कर्जों के निबंधन एवं शर्तों को अंतिम रूप न दिया जाना

वित्त लेखे की विवरणी सं. 3⁵, जिसमें संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जों के ब्यौरे शामिल हैं, ने दर्शाया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी कैंसर संस्थान तथा अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली को ₹29.29 करोड़ प्रदान किया गया था और कर्जे की

⁴ विवरणी 14: ऋण एवं सरकार के दायित्व वाले अन्य बचत की विवरणी

⁵ विवरणी 3: संघ सरकार द्वारा कर्जे एवं पेशागियाँ

सम्बन्धित प्राथमिक अवधि 1994-95 थी, परन्तु ऋणों के निबन्धन एवं शर्तों को अभी भी अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

यह देखा जा सकता है कि कर्ज प्रदान करने के 15 वर्षों के अंतराल के बाद भी, कर्जों के निबन्धन एवं शर्तों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। यह प्रदान किए गए कर्जों की वसूली तथा अन्य पहलुओं के संबंध में प्रबंधन मंत्रालय का विचारशील प्रस्ताव नहीं दर्शता था।

लेखा महानियंत्रक (ले.म.नि.) ने बताया कि मामला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया था तथा लेखापरीक्षा को इस संबंध में आगे की गतिविधि सूचित किया जाएगा। यह मामला 2000 के प्रतिवेदन सं. 1 (पैरा 8.11) में उजागर किया गया था और उस समय भी ले.म.नि. का यही उत्तर था।

2.12.3 कार्यक्रमों की नामावली के प्रति लघु शीर्ष संख्याओं का आवंटन न किया जाना

निम्नलिखित मामलों में वित्त लेखे की विवरणी सं. 10⁶ बार विवरणी सं.14 में ‘कार्यक्रमों’ के नामावली के प्रति लघु शीर्ष संख्याओं का आवंटन नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:-

तालिका 2.3 नामावली संख्याओं का आवंटन न किया जाना

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	उप-मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम की नामावली
विवरणी सं. 10			
1.	4216	01	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और अन्य सेवा श्रेणी के लिए घर
2.	4216	01	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए घर
3.	4216	02	औद्योगिक आवास
4.	4216	02	श्रम कालोनियों के निवासियों के स्थानांतरण हेतु आवास
5.	4216	02	कैन्टीन भण्डारण विभाग
6.	4216	02	झुग्गी झोपड़ी को हटाने की योजना
7.	4216	02	आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना
8.	4216	02	औद्योगिक श्रमिकों हेतु योजना
9.	4216	02	गंदी बस्ती सुधार
10.	4216	02	सरकारी कर्मचारियों हेतु आवास स्थान

⁶ विवरणी 10: वर्ष के दौरान एवं वर्ष के अंत तक पूँजीगत लेखा पर व्यय की विवरणी

11.	4216	02	भूमि के अधिग्रहण तथा विकास हेतु दि.वि.प्रा.
12.	4216	02	गांव, अटावा से बेदखलों के लिए आवास
13.	4701	01	टिकापारा नारज बाँध
14.	4701	02	दमन गंगा परियोजना
15.	4711	02	दमन गंगा परियोजना
16.	4711	02	ब्रह्मपुत्र नदी में निकर्षण
17.	4861	01	हजीरा पर अंतिम संवर्धन संयंत्र
विवरणी सं. 14			
18.	6002	00	आस्थगित भुगतान क्रेडिट के अंतर्गत सीमा सङ्करण संगठन हेतु जापान सरकार से प्राप्त विविध भण्डारण

लेखा महानियंत्रक ने बताया (सितम्बर 2010) कि नए लघु शीर्ष के आबंटन हेतु मामला संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ उठाया गया था और इस संबंध में आगे की प्रगति से लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

2.12.4 संघ सरकार द्वारा कर्जों को गलत दर्शाना

वित्त लेखे 2008-09 (अथवा पहले के वर्ष) की विवरणी सं. 3 में, नीचे उल्लेखित मंत्रालयों/राज्यों/संगठनों को कर्ज अदा किए गए दर्शाए गए थे। तथापि, यह दर्शाए बिना कि वर्ष 2009-10 के दौरान इन राज्यों/संगठनों से क्या बकाया कर्जों को प्राप्त किया गया/बट्टे खाते में डाला गया, वर्ष 2009-10 के लिए विवरणी सं. 3 से इन कर्जों के ब्यौरे को हटा दिया गया था।

तालिका 2.4 (क) वित्त लेखे 2009-10 में कर्जों का दर्शाया न जाना

क्र.सं.	मंत्रालय/ विभाग	राज्य/सं.शा.क्षे/संगठन	अवधि जिससे कर्ज संबंधित है	31.3.2009 तक कुल बकाया कर्ज (रुलाख में)
1.	का.यो.शि.	बिहार	2000-01	29.50
2.	-वही-	नागालैण्ड	2007-08	31.95
3.	सूचना प्रौद्योगिकी	केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स लि.	1982-83	58.45
4.	रसायन	हिन्दुस्तान इनसेक्टिसाईडस लि.	1981-82	909.00
5.	भारी उद्योग	बर्न स्टर्डर्ड कम्पनी	1985-86	8935.00

क्र.सं.	मंत्रालय/ विभाग	राज्य/सं.शा.क्षे/संगठन	अवधि जिससे कर्ज संबंधित है	31.3.2009 तक कुल बकाया कर्ज (रुलाख में)
6.	-वही-	एनर्ड्यू यूले एण्ड कम्पनी	1992-93	13348.00
7.	-वही-	रिचर्ड्सन एण्ड क्रूर्ड्स लि.	1981-82	10118.00
8.	-वही-	तंगभट्रा इस्पात उत्पाद	1980-81	9241.00
9.	-वही-	भारत प्रोसिस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर लि.	1981-82	1602.00
10.	-वही-	भारत ब्रेकर्स एण्ड वाल्व्स लि.	1979-80	327.00
11.	-वही-	भारत यंत्रा निगम लि.	1992-93	1852.00
12.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	इंतास	2004-05	350.00
13.	-वही-	जैवविज्ञान ई लि.	2004-05	750.00
14.	-वही-	प्रोमईड निर्यात	2004-05	200.00
15.	-वही-	विरचाऊ बायोटेक	2005-06	345.00
16.	-वही-	भारत बायोटेक इंटरनेशनल	2005-06	750.00
17.	-वही-	डाबर अनुसंधान प्रतिष्ठान	2004-05	200.00
18.	-वही-	डालमिया अ.एवं वि. कैन्ड्र	2004-05	55.00
19.	खनन	सिक्किम खान निगम	1991-92	54.00
20.	इस्पात	मोकोन लि.	2006-07	107.00
21.	जहाजरानी	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	1982-83	14987.00
22.	-वही-	जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास	2003-04	959.04
23.	रेलवे	ईस्ट कोच रेलवे	1973-74	0.76
24.	शहरी कार्य	हिन्दुस्तान प्री-फेबस लि.	1974-75	5395.00

कर्जों की वर्तमान स्थिति के संबंध में उत्तर देने के बजाय लेखा महानियंत्रक ने बताया (सितम्बर 2010) कि संबंधित मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए थे तथा उत्तरों की प्राप्ति पर लेखा परीक्षा को सूचित किया जाएगा।

(ख) यह देखा गया है कि 2007-08 तथा पहले की अवधि के दौरान दिए गए नीचे उल्लेखित कर्ज एवं पेशगियाँ पृथक वित्त लेखे-2009-10 में शामिल हो रहे हैं। तथापि, इन कर्ज एवं पेशगियों के ब्यौरे वित्त लेखे- 2008-09 में प्रदर्शित नहीं किए गए थे।

तालिका 2.4 (ख) वित्त लेखे 2008-09 में कर्जों का दर्शाया न जाना

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	राज्य/सं.शा.क्ष/संगठन	अवधि जिससे कर्ज संबंधित है	31.3.2010 तक कुल बकाया कर्ज (रुलाख में)
1.	रसायन और पेट्रो रसायन	हिन्दुस्तान इंसेक्टिससार्डल	2005-06	3402.00
2.	भारी उद्योग	एन्ड्रयू यूले एण्ड कम्पनी	2007-08	5972.00
3.	-वही-	रिचर्ड्सन एण्ड क्रूडस लि.	1990-91	10178.00
4.	-वही-	तंगभद्रा इस्पात उत्पाद	1972-73	9976.00
5.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	ए.बी.एल. जैव प्रौद्योगिकी	2005-06	45.40
6.	-वही-	भारत सेरमस एण्ड वैक्सिनस	2005-06	190.41
7.	-वही-	सुदर्शन बायोटेक लि.	2005-06	22.40
8.	-वही-	बायोमिक्स नेटवर्क लि.	2005-06	139.80
9.	-वही-	बिगटेक प्रावेइट लि.	2005-06	21.00
10.	-वही-	लूपिन लि.	2005-06	114.46
11.	जहाजरानी	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	1995-96	31801.26
12.	-वही-	पाराद्वीप पत्तन न्यास	1986-87	36786.00

वित्त लेखे 2008-09 में उपरोक्त कर्जों का न दर्शाया जाना यह प्रदर्शित करता है कि मंत्रालय/विभाग सिविल लेखा नियम-पुस्तक 2005 के पैरा 4.29.1 में विनिहित प्रपत्र सी.ए.एम.-29 में कर्जों का रजिस्टर अनुरक्षण एवं अद्यतन नहीं कर रहे हैं चूंकि तंगभद्रा इस्पात उत्पाद लि. को 1972-73 से पहले संवितरित कर्जों को वर्ष 2009-10 में लेखाओं में प्रदर्शित किया गया था।

उत्तर में, लेखा महानियंत्रक ने बताया संबंधित मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए थे तथा उत्तरों की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जाएगा।

2.12.5 विनिवेश तथा इसका लेखाओं में समायोजन में अंतर

2009-10 के लिए वित्त लेखे में दर्ज करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में संघ सरकार की इक्विटी धारिता के विनिवेश से प्राप्ति ₹2232.81 करोड़ थी। इक्विटी के मूल्य, जिसका विनिवेश किया गया था, को विवरणी सं.10 एवं 12⁷ जो प्रगामी परिव्यय दर्शाता है

⁷ विवरणी 12: वर्ष के दौरान तथा तक क्षेत्रवार पूँजीगत व्यय तथा कर्ज एवं पेशागी तथा वित्तपोषण के स्रोत

तथा विवरणी सं.11⁸ जो सा.क्षे.उ. आदि के इक्विटी/पूँजीगत आधार में सरकारों के निवेश को दर्शाता है, में से कम करना अपेक्षित था।

तथापि, विनिवेश के कारण वित्त लेखे की विवरणी 10 तथा 11 में ₹1114.63 करोड़ प्रभावी किए गए थे। इस प्रकार, विनिवेश की प्राप्तियों तथा लेखे में किए विनिवेश के समायोजन के बीच ₹1118.18 करोड़ का अंतर था।

लेखा महानियंत्रक ने बताया कि इस संबंध में सूचना प्रस्तुत करने हेतु विद्युत मंत्रालय को निर्देश जारी कर दिया गया था तथा उत्तर की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

2.12.6 लेखों में बोनस अंशों की प्राप्ति का गैर-समायोजन

वित्त लेखे की विवरणी सं. 8⁹ में दर्शाए गए ₹982.82 करोड़ की प्राप्ति बोनस अंश के संबंध में थी। इस राशि के प्रति, केवल ₹972.48 करोड़ का समायोजन सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सा.क्षे.उ.) जिनसे बोनस अंश प्राप्त किया गया था, के प्रति विवरणी सं. 11 में दर्शाया गया था। सा.क्षे.उ. का ब्यौरा जिनसे ₹10.34 करोड़ की राशि का बोनस अंश प्राप्त किया गया था विवरणी सं. 11 में दर्शाया जाना था।

लेखा महानियंत्रक ने बताया कि ₹10.34 करोड़ की शेष राशि को दर्ज करने के संबंध में रक्षा मंत्रालय को उल्लेख किया गया था।

2.12.7 एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाईन्स का विलयन

भारत सरकार ने मार्च 2007 में एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाईन्स का विलयन स्वीकृत किया। उपरोक्त के परिणामस्वरूप, कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत एक नई कम्पनी अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय विमानन कम्पनी लि. (एन.ए.सी.आई.एल.) निगमित की गई थी। तथापि, 2009-10 के वित्त लेखे की विवरणी सं. 11 में ₹153.84 करोड़ के निवेश के साथ एयर इण्डिया, ₹432.14 करोड़ के निवेश के साथ इंडियन एयरलाईन्स तथा ₹800.05 करोड़ के निवेश के साथ एन.ए.सी.आई.एल को अलग कम्पनियों के रूप में दर्शाया जा रहा है।

यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय विमानन कम्पनी लि. के साथ एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाईन्स के संलयन की योजना सभी तीनों कम्पनियों के निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृत थी फिर भी

⁸ विवरणी 11: संवैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों आदि में कुल निवेश

⁹ विवरणी 8: लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों और पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत लेखा

वर्ष 2009-10 के लिए संघ वित्त लेखे में इन्हें तीन अलग सा.क्षे.उ. के रूप में दर्शाया जा रहा है।

इस विषय पर पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में टिप्पणी की गई थी परन्तु अभी तक न ही कोई विवेकी प्रगति पाई गई और न ही बतायी गई।

2.12.8 ज.वि.नि.स. को दिए गए कर्ज का गलत बताया जाना

जहाजरानी विकास निधि समिति (ज.वि.नि.स.) दिसम्बर 1986 में समाप्त हो गई थी तथा इसकी सभी परिसम्पत्तियाँ एवं देयताओं को ज.वि.नि.स. (समाप्त) अधिनियम, 1986, की धारा 4 के अनुसार केन्द्रीय सरकार को अंतरित किया गया था। तथापि, वर्ष 2009-10 के संघ वित्त लेखे की विवरणी 15¹⁰ में, ₹62.42 करोड़ का कर्ज ज.वि.नि.स. के प्रति बकाया के रूप में अभी भी दर्शाया गया था। चूंकि ज.वि.नि.स. की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को पहले ही केन्द्रीय सरकार को अंतरित कर दिया गया था, यह स्पष्ट नहीं था कि केन्द्रीय सरकार कैसे स्वयं के विरुद्ध बकाया कर्ज दर्शा रही थी।

ले.म.नि. ने बताया (नवम्बर 2010) कि मामला स्पष्टीकरण हेतु आर्थिक कार्य विभाग को प्रेषित कर दिया गया था।

2.12.9 कर्मचारी पेंशन निधि के शेष में समाधान न की गई असंगति

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अनुसार, कर्मचारी पेंशन निधि को केन्द्र सरकार के अंशदान को भारत सरकार के लोक लेखे में रखा जाना होता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय संघ सरकार के लेखाओं में भु. एवं ले.का. द्वारा आवश्यक समायोजनों हेतु अंशदान (तथा उस पर ब्याज हेतु) को केन्द्र सरकार के अंश के संबंध में संस्वीकृतियाँ जारी करता है। संस्वीकृतियों की प्रतियाँ इसके वार्षिक लेखे में आवश्यक प्रविष्टियाँ करने हेतु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) को भी प्रेषित की जाती है। इस प्रकार, कर्मचारी पेंशन निधि को पेंशन अंशदान को सरकारी अंश के शेष, जैसा कि लोक लेखे तथा क.भ.नि.सं. के लेखे में अंकित किया गया है, से मेल खाने चाहिए।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि वर्ष 2007-08 के लिए क.भ.नि.सं. के वार्षिक लेखे के अनुसार, वर्ष 2007-08 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे में अंकित ₹36,939.04 करोड़ के प्रति पेंशन निधि को केन्द्र सरकार का अंशदान (ब्याज सहित) ₹36,809.06 करोड़ था जो दो वित्तीय दस्तावेजों में उत्पन्न ₹129.98 करोड़ का अंतर बढ़ा रहा था।

¹⁰ विवरणी 15: संघ सरकार द्वारा कर्ज एवं पेशगियों की विवरणी

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2010) कि ₹129.98 करोड़ के बताए गए अन्तर का समाधान कर दिया गया था तथा यह अंतर वर्ष 1990-91 तक लेखे में उसी मुख्य शीर्ष ‘8342-अन्य जमा’ के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन निधि के अंतर्गत कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा योजना (क.ज.जु.बी.यो.) के आंकड़ों की अतिव्याप्ति के कारण था और कि अंतिम समाधान के बाद, शोधन को 2009-10 के वित्त लेखे में दर्शाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2010) कि अंत तक अभी भी आंकड़े की वास्तविक राशि का पता नहीं लगाया जा सका था तथा वास्तविक राशियों के अभाव में शोधन नहीं किए जा सके।

इस विषय पर पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी चर्चा की गई थी परन्तु अभी तक कोई विवेकपूर्ण प्रगति नहीं पाई गई है। इस त्रुटि से निपटने के लिए नियमित समाधान की आवश्यकता है।

2.12.10 2007-08 के वित्त लेखाओं पर निपटान न की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

दो वर्षों के बीत जाने के बावजूद 2007-08 के लिए वित्त लेखे से संबंधित निम्नलिखित मामलों पर विस्तृत कारणों को लेखा महानियंत्रक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है:

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश, जैसा कि संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी स.11 में अंकित किया गया है, 31.3.2007 तक ₹15,915.55 करोड़ था। 31.3.2008 को यह ₹11,806.97 करोड़ तक कम हो गया तथा वित्त लेखे में ‘समाधान के कारण’ को कारण के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

(ख) हिन्दुस्तान पैट्रोलियम निगम लिमिटेड में निवेश, जैसा कि संघ सरकार के वित्त लेखे की विवरणी सं.-॥ में अंकित किया गया है, ‘समाधान के कारण’ के रूप में वित्त लेखे में दर्शाए गए कारण के साथ 2006 -07 में ₹174.91 करोड़ से 2007-08 में ₹173.08 करोड़ तक कम हुआ था।

वर्ष 2008-09 के लिए वित्त लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने उपरोक्त मामलों में निवेश के आंकड़ों में भिन्नता के लिए विस्तृत कारणों को पूछा। तथापि, सही एवं विस्तृत कारणों को प्रस्तुत करने की बजाय, लेखा महानियंत्रक ने बताया कि मामला वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग और पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भेज दिया गया था तथा उत्तर की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जाएगा।

लेखा महानियंत्रक के उत्तर से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसे नेमी प्रकार का मामला माना गया और जहां तक सरकारी लेन-देन के सही एवं उचित कार्य दर्शने की स्थिति का वित्त लेखे में समझौता किया जाता है।

2.12.11 संघ सरकार द्वारा दिए गए गर्ज का अद्यतन न होना

निम्नलिखित बकाया कर्जों के प्रति कई वर्षों से वित्त लेखे की विवरणी सं.3 में इनकी बकाया मूल राशि में अथवा बकाया कर्जों की कुल राशि में बिना किसी बदलाव के साथ उसी स्थिति को अंकित किया जा रहा है।

(रुलाख में)

मंत्रालय	राज्य/संगठन	बकाया	कुल	पहले की अवधि
		मूल	बकाया	जिससे कर्ज संबंधित है
उद्योग	मध्य प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर तथा त्रिपुरा	29.73	519.24	1992-93 से 1995-96

इंगित किए जाने पर लेखापरीक्षा महानियंत्रक ने सामन्य उत्तर प्रस्तुत किया कि मामला उद्योग मंत्रालय को पहले ही प्रेषित कर दिया गया था तथा इस संबंध में आगे की गतिविधि से लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखाओं में सही स्थिति बताई गई है, इस मामले के लिए तुरन्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

2.12.12 लेखाओं में कर्ज का इक्विटी के रूप में परिवर्तन नहीं दर्शाया गया

वित्त लेखे की विवरणी-3 के अनुसार ₹86.79 करोड़ की राशि के कर्जों को बर्डस ग्रुप आफ कम्पनीस के संबंध में इक्विटी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। इस परिवर्तन के प्रभाव को सम्बन्धित सा.क्षे.उ. में सरकारी इक्विटी बढ़ाते हुए वित्त लेखाओं की विवरणी सं. 10,11 और 12 में दर्शाया नहीं गया था।

इंगित किए जाने पर, लेखा महानियंत्रक ने बताया कि सामान्य रूप में इस सम्बन्ध में इस्पात मंत्रालय को उल्लेख कर दिया गया था और उत्तर की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। ऐसे मामले, यदि तुरन्त ध्यान में लिए जाए, तो लेखाओं में अधिक परिशुद्धता लाने में समर्थ होंगे।

2.12.13 बंद किए गए लघु शीर्ष का प्रचालन

मुख्य शीर्ष 8658-उचन्त लेखा के अंतर्गत लघु शीर्ष 111-विभागीय समायोजन लेखा, विभागीय लेखांकन प्राधिकारियों के खातों में वर्ष 1982-83 के लिए लेखे से निष्क्रिय हो

गया। विभिन्न लेखे भेजने वाले प्राधिकरणों को लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार, 2008-09 की समाप्ति तक इस लघु शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेषों का निपटान किया जाना था। तथापि, वित्त लेखे की विवरणी सं.13¹¹ में, ₹60.80 करोड़ (ड.) लघु शीर्ष के बकाया शेष को दर्शाया जाना जारी था।

लेखा महानियंत्रक ने बताया कि सभी सम्बंधित प्राधिकरणों को शेषों को समाप्त करने हेतु कहा जा रहा था।

2.12.14 लघु शीर्ष का खोला न जाना

लघु शीर्ष ‘8235-126-केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग’ वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रभावी शुद्धि पत्र सं. 669 दिनांक 19 जनवरी 2009 के माध्यम से मुख्य एवं लघु शीर्ष लेखा की सूची में शामिल किया गया था। जबकि लघु शीर्ष वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए वित्त लेखे की विवरणी सं. 13 में लोक लेखा में खोला नहीं गया था।

मंत्रालय ने बताया कि सी.ई.आर.सी. निधि के प्रचालन हेतु अन्य संबंधित शीर्षों को हाल ही में खोला गया था तथा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज करना वर्ष 2010-11 से प्रारम्भ किया जाएगा।

2.12.15 भारतीय स्टेट बैंक(भा.स्टे.बै.) में निवेश

₹9,996.01 करोड़ तक भा.स्टे.बै. के अधिकार मामले में अंशदान एवं ₹35,531.33 करोड़ तक भा.स्टे.बै. में भा.रि.बै. पण की अभिग्रहण लागत को भारतीय स्टेट बैंक में निवेश की एक प्रविष्ट में मिलाने की बजाए वित्त लेखे की विवरणी सं. 11 में पृथक प्रविष्टि के रूप में दर्शाया गया था।

लेखा महानियंत्रक ने बताया कि इस संबंध में आर्थिक कार्य विभाग को निर्देश कर दिया गया था।

2.12.16 सा.क्षे.उ. से प्राप्त लाभांशों पर डाटा को अद्यतन न किया जाना

वित्त लेखे की विवरणी सं. 11, सा.क्षे.उ. से प्राप्त लाभांश/ब्याज के संबंध में ब्यौरों तथा हानि होने वाले सा.क्षे.उ. के मामलों में अद्यतन संचयी हानि को दर्शाने वाली टिप्पणी कॉलम में सा.क्षे.उ. के कई मामलों को अद्यतन नहीं किया गया था। परिणामतः वित्त विवरणी सा.क्षे.उ. में कार्यों की सही एवं उचित स्थिति को नहीं दर्शाती है।

¹¹ विवरणी 13: ऋण, जमा, प्रेषण तथा आकस्मिक निधि के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरणों एवं शेषों की विवरणी

लेखा महानियंत्रक ने बताया कि इस संबंध में संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए थे तथा उत्तर की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

2.12.17 राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (रा.डे.वि.बो.) के अस्तित्व पर गलत सूचना

वित्त लेखे की विवरणी सं. 11 के टिप्पणी कॉलम में, कृषि मंत्रालय के अधीन, रा.डे.वि.बो., आनंद एक सा.क्षे.उ. को गलती से स्वेच्छा से समाप्त तथा क्रियाकलापों को बन्द करना बताया गया था। रा.डे.वि.बो. को प्रारम्भ में समिति अधिनियम 1860 के अंतर्गत समिति के रूप में पंजीकृत किया गया था, 12 अक्टूबर, 1987 से पहले से मौजूद इंडियन डेरी कारपोरेशन, बड़ौदा, कम्पनी अधिनियम 1956, संसद अधिनियम-रा.डे.वि.बो. अधिनियम 1987 (1987 का 37) के अंतर्गत बनाई गई एवं पंजीकृत कम्पनी के साथ विलीन कर दिया गया था तथा जो कि पूर्ण रूप से अस्तित्व में थी।

लेखा महानियंत्रक ने बताया कि इस संबंध में कृषि मंत्रालय को उपरोक्त टिप्पणी को स्पष्ट करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए थे तथा उत्तर की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

2.12.18 हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सम्बन्ध में गलत सूचना

वित्त लेखे की विवरणी सं.11 में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को, जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत पूर्णरूप से निजी सरकारी उद्यम बताया जा रहा था जबकि हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड उनके वेबसाइट पर रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन उद्घोषित की गई है।

इंगित किए जाने पर लेखा महानियंत्रक ने बताया कि इस संबंध में रक्षा मंत्रालय को निर्देश जारी कर दिए गए थे तथा उत्तर की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

2.12.19 प्रत्याभूति शुल्क प्राप्ति की राशि में असंगति

संघ सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों को दर्शाने वाली वित्त लेखे की विवरणी सं. 4¹² में, विभिन्न संस्थानों जिनके लिए संघ सरकार प्रत्याभ के रूप में होती है से प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क को ₹445.92 करोड़ बताया गया था जबकि संघ सरकार की प्राप्तियों को दर्शाने वाली विवरणी सं.8 में शीर्ष 0075-108-प्रत्याभूति शुल्क के अंतर्गत प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क को ₹622.14 करोड़ बताया गया था।

¹² विवरणी 4: संघ सरकार द्वारा प्रतिभूतियों पर विवरणी

विवरणी सं. 4 में शेष राशि के लिए प्रत्याभूति शुल्क के व्यौरों को दर्शाने के लिए इंगित किए जाने पर लेखा महानियंत्रक ने बताया कि इस संबंध में वित्त मंत्रालय को निर्देश जारी कर दिए गए थे तथा उत्तर की प्राप्ति पर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

2.13 लेखे की परिशुद्धता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटक

2009-10 के संघ वित्त लेखे की शुद्धता (i) उचंत शीर्षों के अंतर्गत अंतिम वर्गीकरण की प्रतीक्षा कर रहे लेने-देनों की बड़ी संख्या, (ii) ऋण, जमा एवं प्रेषण (ऋ.ज.प्रे.) लेखाशीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेषों की बढ़ती संख्या तथा मात्रा तथा (iii) उनके समाशोधन हेतु समय से कार्रवाई में कमी के कारण निरन्तर बकाया शेष जैसे घटकों द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है।

लेखापरीक्षा ने ऋण, जमा, प्रेषण तथा उचंत शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों की ले.म.नि. के कार्यालय तथा पांच प्रधान लेखा कार्यालयों (प्र.ले.का.) अर्थात केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (के.प्र.क.बो.), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वा.प.क.म.), सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक (स.ले.ले.नि.), विदेश मंत्रालय (वि.मं.) तथा आर्थिक कार्य विभाग (आ.का.वि.) में पिछले पांच वर्षों से संबंधित अभिलेखों की एक विस्तृत जांच की थी। इन प्र.ले.का. को, शेषों समाहार तथा वर्षों से उनके संचयन के आधार पर चुना गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं:

2.13.1 मुख्य उचन्त लेखे के अन्तर्गत बकाया शेष

‘उचन्त शीर्ष’ नामित लेखे के कुछ मध्यवर्ती/समायोजक शीर्ष उन प्राप्तियों एवं भुगतान के लेन-देन को प्रदर्शित करने के लिए सरकारी लेखाओं में खोले गए हैं जिन्हें उनकी प्रकृति की सूचना के अभाव या अन्य कारणों के कारण लेखे के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है। लेखे के इन शीर्षों को ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा अन्तिम रूप से तब समाशोधित किया जाता है जब उनके संबंधित अन्तिम शीर्षों में दर्ज किया जाता है। यदि इन राशियों का समाशोधित रहती है तो उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत शेष संचित होगा तथा सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय को भी सही रूप में प्रदर्शित नहीं करेगा।

भुगतान एवं लेखा कार्यालय (भु.ले.का.) द्वारा आवधिक रूप से प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर लघु-शीर्षवार उचन्त शेषों हेतु खाता उप/वर्गीकृत शीर्षवार भु.ले.का. द्वारा, जहाँ कहीं आवश्यक हो, और प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं। संबंधित प्रधान लेखा कार्यालय के मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक से उचन्त शेषों की समीक्षा करना तथा नियमित मानीटरिंग के उद्देश्य हेतु म.ले.नि. को सूचित किया जाना अपेक्षित है।

31 मार्च 2010 को सिविल, रक्षा, रेलवे, डाक तथा दूरसंचार को सम्मिलित करते हुए संघ वित्त लेखे में उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत कुल निवल शेष ₹16,110.40 करोड़ (डेबिट) था। यह शेष सिविल मंत्रालयों के संबंध में ₹4,795.53 करोड़ (डेबिट), रक्षा के लिए ₹8,240.34 करोड़ (डेबिट), रेलवे से संबंधित ₹1,869.19 करोड़ (डेबिट), डाक के लिए ₹345.83 करोड़ (डेबिट) तथा दूरसंचार के लिए ₹274.16 करोड़ (डेबिट) तथा भारत सरकार क्षतिपूर्ति विमोचन (ईराक को निर्यात योजना) बंधपत्र 2001 के संबंध में ₹1,133.68 करोड़ (डेबिट) है। वित्त लेखे उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत निवल शेषों को दर्शाते हैं तथा इसलिए, इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया की वास्तविक महत्ता संसद को प्रस्तुत किये गए सरकार के वार्षिक लेखे में सूचित नहीं की जाती है। इन शीर्षों के अन्तर्गत सही शेष को विभिन्न उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत पृथक रूप से डेबिट और क्रेडिट को केवल संकलित करके परिकलित किया जा सकता है। डेबिट/क्रेडिट शेष को निवल करने से वित्त लेखे में उचन्त शेषों को अर्थपूर्ण न्यूनोक्ति में होता है। यह न्यूनोक्ति लघु शीर्ष के साथ-साथ मुख्य शीर्ष स्तर दोनों में होती है। पिछले पांच वर्षों के लिए सिविल मंत्रालयों (मुख्य शीर्ष 8658) के संबंध में मुख्य उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत उचन्त शेषों की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 2.5: सिविल मंत्रालयों के संबंध में मुख्य उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत उचन्त शेषों की स्थिति

लघु शीर्ष का नाम	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		(₹ करोड़ में)
	डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	डे.	क्रे.	
101-पी.ए.ओ. उचन्त	1720.37	121.15	1844.33	692.30	2882.39	617.77	2512.92	524.57	2880.09	1172.22	
निवल	(-) 599.22		(-) 1152.04		(-) 2264.62		(-) 1988.35		(-) 1707.87		
102- उचन्त लेखा (सिविल)	1013.92	308.14	1022.42	308.95	1087.28	10310.30	1608.78	1443.21	1942.11	1447.74	
निवल	(-) 705.78		(-) 713.47		9223.02		(-) 165.57		(-) 494.37		
107-रोकड़ निपटान	318.75	16.57	383.18	16.57	362.14	16.58	349.49	16.57	371.03	16.57	
निवल	(-) 302.18		(-) 366.61		(-) 345.56		(-) 332.92		(-) 354.46		
108-पी.एस.बी. उचन्त	1690.31	848.86	4979.41	1029.07	6517.28	782.19	3526.51	1942.36	2435.52	1775.10	
निवल	(-) 841.45		(-) 3950.34		(-) 5735.09		(-) 1584.16		(-) 660.42		
109- रिजर्व बैंक उचन्त (मुख्या.)	261.29	195.48	259.05	185.11	11.37	190.89	11.37	190.04	11.37	185.26	
निवल	(-) 65.81		(-) 73.94		179.52		178.67		173.89		
110- रिजर्व बैंक उचन्त केन्द्रीय लेखा कार्यालय	73.22	312.55	116.12	294.59	209.18	48.57	339.41	47.09	92.02	128.83	

निवल	239.32		178.48		(-) 160.61		(-) 292.32		36.81	
115- विदेश में क्रय इत्यादि	1008.98	-	994.46	-	536.65	-	877.79	-	1894.85	-
निवल	(-) 1008.98		(-) 994.46		(-) 536.65		(-) 877.79		(-) 1894.85	
129- सामग्री क्रय निपटान	124.73	74.00	127.62	96.17	156.31	107.84	167.82	115.88	195.25	143.11
निवल	(-) 50.74		(-) 31.45		(-) 48.47		(-) 51.94		(-) 52.14	
136-प्राप्ति शीर्ष में अन्तरण हेतु प्रतिक्रिया शीर्ष क्रय प्राप्तियाँ	-	120.39	-	112.15	-	114.97	-	152.15	-	145.47
निवल	120.39		112.15		114.97		152.15		145.47	
138- अन्य नामांकित बैंक (निजी क्षेत्र बैंक)	5.38	3.60	646.05	1449.94	2.34	170.68	1.55	40.38	2.88	100.70
निवल	(-) 1.78		803.89		168.34		38.83		97.82	

टिप्पणी: (-) डेबिट शेष दर्शाता है

यह देखा जा सकता है कि उचन्त लेखा (सिविल), विदेश में क्रय हेतु उचन्त लेखा, सामग्री क्रय निपटान के अंतर्गत डेबिट शेषों में पिछले वर्षों से 2009-10 में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, पी.ए.ओ. उचन्त तथा सामग्री क्रय निपटान के अंतर्गत क्रेडिट शेषों में भी पिछले वर्षों से 2009-10 में वृद्धि हुई है। ले.म.नि. द्वारा ऐसे शेषों के समाशोधन के प्रभावी मानीटरिंग हेतु उचन्त लघु शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों का वर्ष-वार द्वारा अनुरक्षित नहीं किया गया था।

भु.ले.का. उचन्त

यह लघु शीर्ष संघ सरकार के अन्तर्गत भु.ले.का. संघ शासित क्षेत्रों तथा महालेखाकार के भु.ले.का. के खातों में हो रहे अन्तः विभागीय तथा सरकारी लेन-देनों के समायोजन हेतु प्रचालित किया जाता है। इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन एक लेखा अधिकारी के जिसमें प्राप्त लघु शीर्ष "भु.ले.का. उचन्त" परिचालित किया गया है, द्वारा अन्य लेखा अधिकारी की ओर से या तो की गई वसूलियों को या भुगतानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शीर्ष के अन्तर्गत क्रेडिट का समाशोधन 'ऋण क्रेडिट' द्वारा किया जाता है जब लेखा अधिकारी जिसकी किताबों में आरम्भिक वसूली दर्ज की जाती है, द्वारा चैक जारी किया जाता है। 'भु.ले.का. उचन्त' के अन्तर्गत डेबिट का समाशोधन लेखा अधिकारी जिसके पक्ष में भुगतान किया गया था, से चैक की प्राप्ति तथा वसूली होने पर 'ऋण डेबिट' द्वारा किया जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष का अर्थ होगा कि किसी भु.ले.का. द्वारा अन्य भु.ले.का. की ओर से भुगतान किए गए, जिनकी वसूली की जानी है। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया क्रेडिट शेष का अर्थ होगा कि किसी भु.ले.का. द्वारा अन्य भु.ले.का. की ओर से भुगतान प्राप्त किए गए हैं जिनका भुगतान अभी किया जाना है।

मार्च 2010 में, इस शीर्ष के अन्तर्गत डेबिट शेष ₹2,880.09 करोड़ तथा क्रेडिट ₹1,172.22 करोड़ था। बकाया शेष मुख्य रूप से आपूर्ति मंत्रालय ₹1,914.82 करोड़ (डेबिट); आर्थिक कार्य विभाग: ₹629.05 करोड़ (क्रेडिट); के.प्र.क.बो. (राजस्व) : ₹290.82 करोड़ (डेबिट); विदेश मंत्रालय: ₹339.20 करोड़ (डेबिट); सङ्क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय: ₹280.51 करोड़ (क्रेडिट); परमाणु ऊर्जा विभाग: ₹122.73 करोड़ (क्रेडिट) के संबंध में थे जो इन विभागों/मंत्रालयों द्वारा अन्य भु.ले.का. की ओर से किए गए भुगतानों (डेबिट) या की गई प्राप्तियों (क्रेडिट) को प्रदर्शित करते हुए जिनकी उनके द्वारा अभी भी 31 मार्च 2010 तक वसूली/भुगतान किए जाने थे। भु.ले.का. उचन्त के अन्तर्गत भारी डेबिट तथा क्रेडिट शेष तथा उन के निरन्तर संचयन ने महत्वपूर्ण नियंत्रण की कमियों को प्रदर्शित करता था।

प्रधान लेखा कार्यालयों के लेखे की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि विदेश मंत्रालय में 2000-01 से 2009-10 की अवधि से संबंधित ₹361.38 करोड़ (डेबिट) तथा ₹22.18 करोड़ (क्रेडिट) बकाया थे जिसमें ₹61.02 करोड़ (डेबिट) तथा ₹74.30 करोड़ (क्रेडिट) शामिल थे जो पांच वर्षों से अधिक से समाधान हेतु लम्बित थे। आर्थिक कार्य विभाग में वर्ष 2009-10 की समाप्ति तक (-)₹3.51 करोड़ (डेबिट) तथा ₹625.54 करोड़ (क्रेडिट) बकाया थे जिसमें (-)₹0.15 करोड़ का डेबिट शेष तथा (-) ₹0.04 करोड़ का क्रेडिट शेष शामिल थे जो चार वर्षों से अधिक से लंबित थे। प्र.ले.का. ने पुराने शेषों के निपटान हेतु किए गए प्रयत्नों के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

उचन्त लेखा (सिविल)

यह अस्थायी लघु शीर्ष लेन-देनों के लेखांकन हेतु परिचालित किया जाता है जिसे निश्चित सूचना/दस्तावेजों जैसे कि वाऊर, चालान आदि की आवश्यकता हेतु व्यय या प्राप्ति के अन्तिम शीर्ष तक नहीं ले जाया जा सकता। इस लघु शीर्ष को प्राप्तियां दर्ज करने हेतु क्रेडिट तथा किए गए व्यय हेतु डेबिट किया जाता है। अपेक्षित सूचना/दस्तावेजों आदि की प्राप्ति पर पूर्व प्रतिलेखा डेबिट या क्रेडिट द्वारा लघु शीर्ष को ‘ऋणात्मक’ डेबिट या ‘ऋणात्मक’ क्रेडिट द्वारा लेखे से वांछित मुख्य/उप-मुख्य/लघु शीर्षों के प्रति समाशोधित किया जाता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत बकाया डेबिट शेष का अभिप्राय किया गया भुगतान को जिसे वाऊर आदि जैसे विवरण की अपेक्षा में अन्तिम व्यय शीर्ष को डेबिट नहीं किया जा सका। बकाया क्रेडिट शेष का अभिप्राय प्राप्त की गई राशि जिसे विवरण के अभाव में अंतिम प्राप्ति शीर्ष को क्रेडिट नहीं किया जा सका, से होगा।

31 मार्च 2010 को इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष ₹1,447.14 करोड़ (क्रेडिट) तथा ₹1,942.11 करोड़ (डेबिट) ने दर्शाया कि ₹3,389.85 करोड़ की प्राप्तियां तथा व्यय, जिन्हें समायोजन हेतु व्यक्तिगत रूप से संचालित किया जाना अपेक्षित था, को उनके अंतिम

शीर्षों के प्रति दर्ज नहीं किया गया था। मुख्य बकाया शेष आर्थिक कार्य विभाग: ₹833.39 करोड़ (क्रेडिट), गृह मंत्रालय: ₹763.09 करोड़ (डेबिट); विदेश मंत्रालय: ₹513.57 करोड़ (क्रेडिट), उच्च आयोग: ₹435.76 करोड़ (डेबिट) तथा वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग) : ₹606.20 करोड़ (डेबिट) से संबंधित थे।

प्रधान लेखा कार्यालयों में शेषों की नमूना जाँच ने प्रकट किया कि आर्थिक कार्य विभाग में वर्ष 2009-10 की समाप्ति तक ₹1.53 करोड़ (डेबिट) तथा ₹834.92 करोड़ (क्रेडिट) के शेष बकाया थे जिसमें ₹0.17 करोड़ डेबिट शेष तथा ₹209.92 करोड़ का क्रेडिट शेष शामिल थे जो चार वर्षों से अधिक से लंबित थे। के.प्र.क.बो. में 1991-92 से 2009-10 की अवधि से संबंधित ₹8.33 करोड़ (डेबिट) तथा ₹0.04 करोड़ (क्रेडिट) के शेष बकाया थे जिसमें ₹0.05 करोड़ (डेबिट) शामिल थे जो पाँच वर्षों से अधिक के लिए निपटान हेतु लम्बित थे। प्र.ले.का. ने बकाया शेषों का निपटान करने के लिए किए गए प्रयत्नों पर कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

विदेशों में क्रय हेतु उचन्त लेखा

लघु शीर्ष ‘विदेशों में क्रय हेतु उचन्त लेखा’ नियंत्रक सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा (नि.स.ले.एवं ले.प.), वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के लेखाओं में परिचालित होता है। सरकार दाता को विदेशों में आपूर्तिकर्ताओं को परियोजना प्राधिकारियों/ आयातकों को आपूर्ति की गई सामग्री के प्रति सीधे ही भुगतान करने की तथा समकक्ष राशि को संबंधित लाइन मंत्रालय से भुगतान प्राप्त होने तक उचन्त शीर्ष के अन्तर्गत रखने की सलाह देती है। यद्यपि सरकार ने इन आयातों के लिए भुगतान पहले ही कर दिए गए हैं फिर भी इस शीर्ष के अधीन डेबिट शेष उस राशि को दर्शाता है जिसे आयातकों/परियोजना प्राधिकारियों से अभी वसूल किया जाना है।

2009-10 में, विदेशों में क्रय हेतु उचन्त लेखा शेष ₹1,894.85 करोड़ था। 31 मार्च 2010 को मुख्य देनदार हेलीकॉप्टर कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (₹67.24 करोड़); पवन हंस लि. (₹57.44 करोड़); पीराइट्स, फोसफेट्स एवं रसायन लि. (₹24.95 करोड़); कोल इंडिया लि. (प.बं.) (₹23.18 करोड़) तथा सात सरकारी मंत्रालय (₹216.11 करोड़) थे। यह भी पाया गया कि 2001 से विभिन्न संगठनों से ₹235.95 करोड़ बकाया थे। मुख्य आयातकों के संबंध में 2001 से बकाया राशि का विवरण दर्शाते हुए सूची परिशिष्ट-II-घ में दी गई है। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से यह पाया गया था कि तदनन्तर भुगतान विभिन्न आयातकों/परियोजना प्राधिकारियों की ओर से किये गये थे जबकि उनसे पहले किए गए क्रय हेतु भुगतान अभी तक देय थे। नि.स.ले.एवं ले. द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

इस विषय पर एक लेखापरीक्षा पैराग्राफ को वर्ष 2008-09 के लिए नि.म.ले.प. की प्रतिवेदन सं. 1 में शामिल किया गया था। मंत्रालय ने अपनी कार्यवाई टिप्पणी में बकाया कि उचन्त राशि का प्रभावी रूप से पता लगाया जा रहा था तथा मामले का आयातकों के साथ नियमित रूप से अनुसरण किया जा रहा था। उसने यह भी बताया कि ₹534.72 करोड़ की राशि का 31.05.2010 तक निपटान कर दिया गया था।

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचन्त

सरकारी लेखा प्रणाली में नामित बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से सरकारी व्यवसाय संचालित करते हैं। जब एक बिल के भुगतान हेतु एक चैक जारी किया जाता है तो राशि को लेखा के अंतिम शीर्ष को डेबिट किया जाता है। जब एक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक द्वारा चैक को भुनाया जाता है तो यह अपने रोकड़ शेष से राशि का भुगतान करता है तथा इसके बाद केन्द्रीय लेखा अनुभाग (के.ले.अ.), भा.रि.बैं. नागपुर से जो प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग का लेखा अनुरक्षित करता है, प्रतिपूर्ति कर दावा करता है। इसी प्रकार, जब सरकारी प्राप्तियों का नामित/अधिकृत बैंक में भुगतान किया जाता है तो यह प्राप्तियों को केन्द्रीय लेखा अनुभाग, भा.रि.बैं. नागपुर को देता है। चूंकि सरकारी रोकड़ शेष में, बैंक द्वारा किए सरकारी लेन-देन को दर्ज करने में समय विलम्ब है इसलिए समायोजन की प्रतीक्षा कर रहे लेन-देन हेतु लेखे की सरकारी किताबों में लघु शीर्ष ‘सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचन्त’ परिचालित किया जाता है। भा.रि.बैं.(के.ले.अ.) नागपुर से लेखे की प्राप्ति पर सा.क्षे.बैं. उचन्त के अन्तर्गत मूल दर्ज (-)क्रेडिट/(-)डेबिट जैसा भी मामला हो द्वारा समाशोधित किया जाता है। ये राशियां सरकार के रोकड़ शेष में दर्शाई नहीं गई हैं।

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष हेतु बकाया सा.क्षे.बैं. शेष कुल ₹2,435.52 करोड़ (डेबिट) तथा ₹1,775.10 करोड़ (क्रेडिट) था। विभाग जिनके प्रति मुख्य शेष बकाया थे, वे राजस्व विभाग: ₹352.77 करोड़ (क्रेडिट); केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय: ₹754.71 करोड़ (क्रेडिट); सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय: ₹83.39 करोड़ (क्रेडिट); के.उ.सी.शु.बो.: ₹209.36 करोड़ (डेबिट); गृह मंत्रालय: ₹161.76 करोड़ (क्रेडिट) तथा के.प्र.क.बो.: (राजस्व) ₹1,414.48 करोड़ (डेबिट) थे। इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत डेबिट तथा क्रेडिट शेष वर्षों से बढ़े थे इस प्रकार इसने लेखाओं में सरकारी रोकड़ शेष के उचित प्रकटीकरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। शेषों के समाशोधन हेतु किए गए प्रयासों के बारे में पूछा गया था किन्तु लेखापरीक्षा को कोई उत्तर नहीं किया गया था।

प्रधान लेखा कार्यालयों में शेषों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि के.प्र.क.बो. में, 2009-10 की समाप्ति तक ₹945.66 करोड़ (डेबिट) तथा (-)₹449.57 करोड़ (क्रेडिट) के शेष बकाया थे जिनमें ₹43.35 करोड़ के डेबिट शेष तथा ₹31.87 करोड़ क्रेडिट शेष शामिल थे

जो 20 वर्षों से अधिक से लम्बित थे। आर्थिक कार्य विभाग में वर्ष 2009-10 की समाप्ति (-)₹6.13 करोड़ (डेबिट) तथा ₹0.82 करोड़ (क्रेडिट) के शेष बकाया थे जिनमें ₹3.26 करोड़ का डेबिट शेष तथा (-)₹0.76 करोड़ क्रेडिट का शेष शामिल थे जो तीन वर्षों से निपटान हेतु लम्बित थे।

रिजर्व बैंक उचन्त, केन्द्रीय लेखा कार्यालय

संघ सरकार के लेखाओं में कर्ज, सहायता अनुदान, आयकर भाग, और राज्य सरकारों को संघ उत्पाद शुल्क के भाग के भुगतान, हेतु इस लघुशीर्ष को परिचालित किया जाता है। जब भुगतान प्राधिकृत किया जाता है तो इस शीर्ष को संबंधित व्यय शीर्ष डेबिट तथा क्रेडिट किया जाता है। संघ सरकार के लेखे को समायोजन करते हुए भा.रि.बैं. से लेखे के मासिक विवरण की प्राप्ति पर लघु शीर्ष को 8675-भा.रि.बैं. के पास जमा 101- केन्द्रीय सिविल को क्रेडिट करते हुए ऋणात्मक क्रेडिट किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान तथा उस पर ब्याज के भुगतान के समय पर इस शीर्ष को ऋण/ब्याज को क्रेडिट करके डेबिट किया जाता है। भा.रि.बैं. (के.ले.अ.) नागपुर से लेखे के मासिक विवरण प्राप्त होने पर शीर्ष का 8675-भा.रि.बैं-101-केन्द्रीय सिविल के साथ जमा के प्रति, प्रतिलेखा डेबिट द्वारा ऋणात्मक डेबिट किया जाता है। 31 मार्च 2010 को इस लघु शीर्ष के अंतर्गत बकाया शेष ₹92.02 करोड़ (डेबिट) तथा ₹128.83 करोड़ (क्रेडिट) था। बकाया भा.रि.बैं. (के.ले.का) उचन्त शेष मुख्य रूप से आपूर्ति विभाग: ₹82.88 करोड़ (क्रेडिट) तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय: ₹54.77 करोड़ (डेबिट) तथा विदेश मंत्रालय ₹14.53 करोड़ (डेबिट) के प्रति थे।

प्रधान लेखा कार्यालय में शेषों की नमूना जाँच ने प्रकट किया कि वि.म. में, वर्ष 2009-10 के अंत में (-)₹0.09 करोड़ तथा (-)₹14.62 करोड़ के शेष बकाया थे जिसमें (-)₹0.09 करोड़ के डेबिट शेष तथा ₹5.94 करोड़ के क्रेडिट शेष शामिल थे जो वर्ष 2007-08 से संबंधित थे।

2.13.2 ऋ.ज.प्रे. शीर्षों के अंतर्गत अधिक प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष ऋणात्मक शेष हैं जो उन लेखा शीर्षों के अन्तर्गत प्रदर्शित होते हैं जहाँ सामान्य रूप से एक ऋणात्मक शेष नहीं हो सकता है। उदाहणस्वरूप, किसी भी कर्ज या अग्रिम लेखा शीर्ष के प्रति, एक ऋणात्मक शेष, वास्तविक अग्रिम राशि से अधिक पुनर्भुगतान को इंगित करेगा।

वर्ष 2009-10 हेतु संघ सरकार के वित्त लेखे में, ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेषों के 51 मामले हैं जिन्हें परिशिष्ट-II-ड में दिया गया है। इनमें से, चार शेष वर्ष 2009-10 के दौरान प्रतिकूल हो गए तथा शेष 47 मामले पहले के वर्षों के वित्त लेखे में

दर्शाए गए थे। इनमें 22 मामले पांच वर्षों से अधिक, 11 मामले 10 वर्षों से अधिक तथा चार मामले 20 वर्षों से अधिक समय से लम्बित शामिल हैं। यद्यपि, वित्त लेखे में प्रतिकूल शेष के फुटनोट उल्लेख करते थे कि ये जांचाधीन थे लेकिन म.ले.नि. तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा ऐसे जांचों के निष्कर्ष और उनके समाशोधन के लिए किए गए प्रयास लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

लघु शीर्ष स्तर पर प्रतिकूल शेष एक साथ लिए गए विभिन्न लेखा वृत्तों के शेषों के कुल प्रभाव को प्रस्तुत करता है। इकाई/लेखा वृत्त के स्तर पर, प्रतिकूल शेष भु.ले.का. एवं प्र.ले.का. के पुस्तकों में भी प्रकट होते हैं लेकिन इनमें से बहुत से प्रतिकूल शेष प्रभावहीन हो जाते हैं क्योंकि जब लेखा वृत्तों के लेखे समेकित किए जाते हैं तो ये शेष एकत्रित हो जाते हैं। उदाहरणस्वरूप, आर्थिक कार्य विभाग, के.प्र.क.बो., वि.म., स्वा.प.क.म. तथा स.ले.ले.प.नि. के चयनित पांच प्र.ले.का. की लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष 2009-10 के अंत तक प्रतिकूल शेषों के साथ 19 लेखाशीर्ष थे जिनमें से नौ को उपरोक्त प्रतिकूल शेषों के 51 मामलों में प्रदर्शित नहीं किया गया है। प्र.ले.का. की लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए प्रतिकूल शेषों को **परिशिष्ट-II-च** में दिया गया है। प्र.भु.ले.का. में प्रतिकूल शेषों पर अभ्युक्तियां नीचे दी गई हैं:

(i) प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक - वि.म.

प्रा.मु.ले.नि., वि.म. में अभिलेखों की संवीक्षा ने उजागर किया कि वर्ष 2009-10 के अंत में शीर्ष 8443-सिविल जमा-113 ‘विदेश में क्रय हेतु जमा आदि’ के अंतर्गत ₹19.40 करोड़ (डेबिट) का प्रतिकूल शेष 27 वर्षों से अधिक से बिना निपटान के पड़ा था। ₹19.40 करोड़ की कुल बकाया राशि में से ₹13.94 करोड़ सेल से संबंधित हैं। इसे वर्ष 2007-2008 हेतु नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं.सी.ए. 13 में इंगित किया गया था परन्तु दावा अभी भी निपटान हेतु बकाया है। इसके अतिरिक्त, ₹26.03 करोड़ (डेबिट) का प्रतिकूल शेष शीर्ष-8443 सिविल जमा-117-लोक निकायों अथवा निजी व्यक्तिगतों हेतु किए कार्यों के लिए जमा’ के अंतर्गत प्रकट हो रहा था। लोक निकायों अथवा निजी व्यक्तिगतों के पक्ष में मिशनों/केन्द्रों द्वारा किए भुगतानों को इस शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इस शीर्ष के अंतर्गत डेबिट शेष ने प्रदर्शित किया कि ₹26.03 करोड़ की राशि इस शीर्ष के अंतर्गत लोक निकायों/निजी व्यक्तिगतों के पक्ष में मिशनों द्वारा जमा के अधिक में खर्च/दर्ज की गई थी। प्रा.ले.का. ने बताया है कि बी.एस.एन.एल. से संबंधित ₹1.75 करोड़ की राशि जिसे भारतीय दूतावास, काठमाण्डू द्वारा 01.10.2000 से 31.08.2005 तक की अवधि के दौरान वहाँ तैनात दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के कार्मिकों के वेतन, या.भ. आदि के लिए खर्च किया गया था। शेष राशि तथा जब से यह राशि लंबित है की अवधि के ब्यौरा प्रा.ले.का. द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

(ii) सहायता, लेखा तथा लेखापरीक्षा नियंत्रक-स.ले.प.नि.

वर्ष 2009-10 के अंत में मुख्य शीर्ष 6002-बाह्य ऋण के अंतर्गत सहायता, लेखा तथा लेखापरीक्षा नियंत्रक के लेखों में ₹62.77 करोड़ का प्रतिकूल शेष ऋणों के पुनर्भुगतान के समय विनियम हानियों के कारण था। इस विषय पर एक लेखापरीक्षा पैराग्राफ को वर्ष 2008-09 के लिए नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं.1 में शामिल किया गया था। मंत्रालय ने अपनी कार्रवाई टिप्पणी में बताया कि 7 देशों/दानकर्ताओं के संबंध में प्रतिकूल शेष का निपटान कर दिया गया था तथा अन्य मामलों के प्रतिकूल शेषों को बट्टे खाते में डालने की कार्रवाई तभी की जाएगी जबकि ऋणदाता द्वारा विस्तारित प्रत्येक व्यक्तिगत ऋण को प्रत्येक अनुबंध की परिशोधन सूची के अनुसार पूर्णतः पुनर्भुगतान किया गया था।

(iii) प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक- के प्र.क.बो.

2003-04 से शीर्ष '7610.203-अन्य वाहनों के क्रय हेतु अग्रिम' के अंतर्गत ₹(-)8.72 लाख (डेबिट) का प्रतिकूल शेष था। प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक ने बताया कि मामला शीघ्र निपटान हेतु क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों के साथ उठाया गया था।

(iv) लेखा नियंत्रक-आ.का.वि.

कार्यालय मुख्य लेखा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा ने उजागर किया कि ₹294.12 करोड़ का प्रतिकूल शेष शीर्ष 7052-02-101 जहाजरानी विकास निधि समिति को कर्ज के अन्तर्गत पड़ा हुआ था जो कि मूल राशि के रूप में ब्याज राशि के गलत वर्गीकरण के कारण 2002-03 से लेखाओं में दर्शाया गया है। इसे वर्ष 2007-08 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या सी.ए.-13 के पैरा 2.9.2(ii) में निर्दिष्ट किया गया था परन्तु प्रतिकूल शेष अभी भी निरन्तर है। प्र.ले.का. ने बताया कि प्रतिकूल शेषों का वर्तमान वित्तीय वर्ष में निपटान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, शीर्ष 7605-विदेशी सरकारों को अग्रिम (052-तुर्कमानिस्तान, 053-कीर्जास्तान, 058-उज्ब्रिकेस्तान) के अंतर्गत ₹13.58 करोड़ (क्रेडिट); शीर्ष 8013.01.101-'सेवानिवृत हो रहे सरकारी कर्मचारियों हेतु जमा योजना' के अन्तर्गत ₹62 करोड़ (डेबिट) तथा शीर्ष 8342.120 'विविध जमा' के अंतर्गत ₹109.02 करोड़ (डेबिट) के बड़े प्रतिकूल शेष 2009-10 के अंत तक भी बिना निपटान के पड़े थे। प्रतिकूल शेष तीन वर्षों से अधिक से दर्शाए जा रहे थे प्र.ले.का. ने बताया कि शीर्ष 7605 के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष विनियम दर अस्थिरता और मूल के रूप में गलती से दर्ज ब्याज प्राप्ति के कारण था जबकि अन्य प्रतिकूल शेष प्र.ले.का. द्वारा गलत वर्गीकरण के कारण थे और शेषों को समाप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

(v) मुख्य लेखा नियंत्रक, स्वा.प.क.मं.

शीर्ष 8342.00.117-सरकारी कर्मचारियों हेतु परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत ₹0.57 करोड़ (डेबिट) का प्रतिकूल शेष था। प्र.ले.का. ने बताया कि प्रतिकूल शेष वर्ष 2007-08 तक प्राप्तियों से वर्ष 2007-08 में अधिक भुगतान के कारण था तथा इसके परिशोधन हेतु मामला प्रधान लेखा कार्यालयों के साथ उठाया जाएगा।

2.13.3 “चैक एवं बिल” शीर्ष के अन्तर्गत बकाया शेष

यह शीर्ष लेन-देनों के आरम्भिक अभिलेख जो अन्तर समाशोधित होते हैं, के लिए मध्यवर्ती लेखांकन शीर्ष है। लेखाओं के विभागीयकरण की योजना के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के भुगतान एवं लेखा कार्यालयों द्वारा भा.रि.बैं या अधिकृत बैंकों की शाखाओं पर आहरित चैकों द्वारा सरकार के प्रति दावों का भुगतान किया जाता है।

जब दावे भु.ले.का./विभागीय अधिकारी को उपयुक्त बिल में प्रस्तुत किए जाते हैं तब प्रक्रियाओं तथा निर्धारित जांचों तथा भुगतान आदेश को दर्ज करने के उपरान्त चैक जारी कर भुगतान को प्राधिकृत किया जाता है। प्रत्येक माह के अन्त में, मुख्य शीर्ष 8670-चैक एवं बिल को वितरित चैकों की कुल राशि द्वारा क्रेडिट किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र बैंक/भा.रि.बैं (के.ले.अ.) नागपुर से जारी चैकों के प्रति उनके द्वारा किए गए भुगतानों को दर्शाते हुए तिथि-वार मासिक विवरण ‘ति.मा.वि.’/ शेषों की मासिक विवरण की प्राप्ति होने पर जैसा भी मामला हो शीर्ष 8670- चैक एवं बिल को ऋणात्मक क्रेडिट तथा उपरोक्त 8658-108-पी.एस.बी. उचन्त/8675-101-भारतीय रिजर्व बैंक जमा- केन्द्रीय सिविल को प्रदान किया जाता है।

2009-10 के वित्त लेखे में भारी शेष “चैक एवं बिल” के निम्न लघु-शीर्षों के अन्तर्गत बकाया पड़े हुए हैं:

	(₹ करोड़ में)
पूर्व लेखापरीक्षा चैक	क्रेडिट 0.41
भुगतान एवं लेखा कार्यालय चैक	क्रेडिट 8729.50
विभागीय चैक	क्रेडिट 394.07
खजाना चैक	क्रेडिट 4.59
इरला चैक	क्रेडिट 0.59
दूर संचार लेखा चैक	क्रेडिट 1380.42
डाक चैक	क्रेडिट 6107.36
रेलवे चैक	क्रेडिट 2851.61
रक्षा चैक	क्रेडिट 4089.93
इलैक्ट्रॉनिक एडवाइस	डेबिट 40.91
भुगतान एवं लेखा कार्यालय इलैक्ट्रॉनिक एडवाइस	क्रेडिट 40.61

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 45 में विनिर्दिष्ट है कि जारी करने के एक माह के उपरान्त तीन माह के भीतर किसी भी समय देय होगा। इसके अतिरिक्त नियम 47(2) में विनिर्दिष्ट है कि जारी करने के एक माह के उपरान्त छः माह की अवधि तक अदत्त शेष चैकों का भुगतान तथा नवीनीकरण हेतु अभ्यर्थित नहीं किए गए चैकों के मामलों में, उन्हें '8670-चैक एवं बिल' में ऋणात्मक क्रेडिट करके वापसी या रद्द किया जाना होता है तथा क्रियाशील मुख्य/लघु शीर्ष व्यय जिसमें से वास्तविक रूप से डेबिट किया गया था, को ऋणात्मक डेबिट किया जाता है तथा लेखे में राशि को पुनः लेनदेन किया जाना होता है।

विभिन्न लघु शीर्षों के अन्तर्गत ऐसी भारी बकाया राशियां दर्शाती हैं कि लेखांकन प्राधिकारी आवश्यक कार्रवाई जैसा कि नियमावली के अन्तर्गत की जानी अपेक्षित थी नहीं कर रहे थे। 'चैक एवं बिल' के अन्तर्गत बकाया राशि की सीमा तक सरकारी रोकड़ शेष अधिक बताए गए। उत्तर में, म.ले.नि. ने अक्तूबर 2010 में बताया कि तीन महीनों से अधिक बकाया चैकों को वापस लेने हेतु संबंधित मु.ले.नि. को अनुदेश जारी किए जा रहे थे।

पांच प्रधान लेखा कार्यालयों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि वि.मं. में ₹166.15 करोड़ की राशि के 6574 चैक तथा स्वा.प.क.मं. में ₹8.22 करोड़ की राशि के 2251 चैक तथा के.प्र.क.बो. में ₹16.06 करोड़ के 7565 चैक तथा आ.का.वि. में ₹1.06 करोड़ की राशि के 863 चैक छः माह से अधिक के लिए बिना भुगतान किए रहे किन्तु इन्हें प्र.ले.का. द्वारा निरस्त नहीं किया गया था।

2.13.4 प्रधान लेखा कार्यालयों द्वारा शेषों की समीक्षा का न किया जाना

सिविल लेखा नियमावली के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंत में, भु.ले.का. विभिन्न ऋ.ज.प्रे. शीर्षों के अन्तर्गत शेषों का सत्यापन करेगा और जहाँ कहीं भी आवश्यक है यह सुनिश्चित करेगा कि शेषों की यथातथ्यता उन व्यक्तियों/पार्टियों द्वारा स्वीकार्य है जिनके द्वारा शेष रखे जाते हैं या जिसे देय है और गैर-समाधान विभिन्नताओं को दर्शाने वाले व्यौरे एवं मामले जहाँ शेषों की स्वीकृति प्रतीक्षित है, को दर्शाने वाला विवरण प्रत्येक वर्ष 15 सितम्बर तक वार्षिक रूप से प्रस्तुत करना अपेक्षित है। प्रधान लेखा अधिकारी पूरे मंत्रालय/विभाग हेतु समेकित रिपोर्ट को समस्त रूप से प्रत्येक वर्ष 15 अक्तूबर तक महालेखा नियंत्रक को भेजा जाना अपेक्षित है। इस समीक्षा को करने का उद्देश्य लेखे के विभिन्न लेखा पुस्तिकाओं के अनुरक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना तथा ऋण, जमा एवं प्रेषण के आंकड़ों का समाधान करना है।

सिविल विभागों के संबंध में, वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के शेषों की समीक्षा कुल 68 प्रधान लेखा कार्यालयों में से क्रमशः केवल 20, 26, 36 तथा 38 विभागों में पूर्ण की गई थी।

प्र.ले.का. द्वारा शेषों की समीक्षा करने के विफलता तथा समय पर कार्रवाई की कमी ने कई वर्षों से बकाया पड़े प्रतिकूल शेषों को दर्शाया गया है, जैसा कि बाद के पैराग्राफों में प्रतिबिम्बित किया गया है।

यह अनुशंसा की जाती है कि वित्त मंत्रालय सरकारी लेखे की यथातथ्यता एवं गुणवत्ता का सुधार करने के लिए ऋ.ज.प्रे. एवं उचंत शीर्ष के अन्तर्गत शेषों के समाशोधन/निपटान हेतु निरन्तर समीक्षा एवं सामयिक कार्रवाई हेतु एक अत्यधिक प्रभावी नियंत्रण तंत्र को स्थापित करे।

ले.म.नि. कार्यालय ने पैरा 2.13.1 से 2.13.4 तक लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के उत्तर में बताया है (नवम्बर 2010) कि पुराने उचन्त शेषों को देखने तथा इसका जल्द से जल्द निपटान करने/बट्टे खाते में डालने हेतु एक कार्य समूह स्थापित किया गया था।


अध्याय 3

संसाधन: प्रवृत्तियां तथा संरचना

3.1 संघ सरकार के निष्पादन का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण पूर्व-अपेक्षित संसाधन स्थिति की एक सम्पूर्ण समझ है क्योंकि किसी विशेष राजकोषीय वर्ष में संसाधनों की प्रमात्रा, सरकार के व्यय सीमा का निर्धारण करती है।

वर्ष 2009-10 के लिए संघ प्राप्तियों (आरम्भिक रोकड़ शेषों के कुल निवल संसाधन) के घटकों तथा उप-घटकों को बाक्स 3.1 में वर्गीकृत - किया गया है।

बाक्स 3.1: कुल संसाधनों के घटक एवं उप-घटक



तालिका 3.1: कुल प्राप्तियों के घटक: सापेक्ष अंश तथा प्रवृत्तियाँ

(रुपये में)

अवधि	राजस्व प्राप्तियां#	पूंजीगत प्राप्तियाँ			कुल प्राप्तियां*	बाजार मूल्य पर स.घ.उ. *
		सकल गैर- ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	सकल ऋण प्राप्तियां	लोक लेखे में सकल प्रोदभवन		
Xवीं योजना (2002-07)						
औसत	477466	45989	917229	393933	1834616	3317483
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	26	3	50	21	100	
2007-08	801226	49187	1868102	460981	3179496	4947857
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	25	2	59	15	100	
2008-09	814026	14075	2395765	584478	3808344	5574449
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	21	नगण्य	63	15	100	
2009-10	869355	37314	3405327	660401	4972397	6231171
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	18	1	68	13	100	
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)						
Xवीं योजना (2002-07)						
औसत	15.62	(-) 29.02	42.05	9.33	24.97	14.18
2007-08	24.08	155.85	13.59	1.31	15.01	15.50
2008-09	1.60	(-) 71.38	28.25	26.79	19.78	12.66
2009-10	6.80	165.11	42.14	12.99	30.57	11.78

राज्यों को सौंपे गए करों तथा शुल्कों के आंकड़े सम्मिलित हैं (2009-10 हेतु ₹1,64,832 करोड़)।

*केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (के.सां.सं.), सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन ब्यूरो मंत्रालय प्रेस नोट दिनांक 31 मई 2010 ने दर्शाया है कि वर्तमान मूल्यों/बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के संशोधित अनुमानित आंकड़े ₹62,31,171 करोड़ हैं। आंकड़ों का के.सां.सं. द्वारा लगातार संशोधन किया जा रहा है तथा यह डाटा वृहत अर्थव्यवस्था निष्पादन के साथ राजकोषीय निष्पादन की एक निर्देशक तुलना हेतु है।

टिप्पणी: सापेक्ष अंशों को दर्शाते आंकड़ों को पूर्णांक के समीप पूर्णांकन कर दिया गया है इसलिए कुल योग को हमेशा 100 में न जोड़ा जाए। नगण्य उन आंकड़ों को संदर्भित करता है, जहां उप-घटक का अंश गैर-कर राजस्व से 0.5% से कम है।

ऋण प्राप्तियाँ कुल प्राप्तियों का अकेला सबसे बड़ा घटक बनाती है। Xवीं योजना के दौरान कुल प्राप्तियों के लगभग 50 प्रतिशत की औसत की तुलना में XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में अंश कुल प्राप्तियों के औसतन 64 प्रतिशत तक महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा। वर्तमान वर्ष के दौरान, ऋण प्राप्तियों का अंश कुल प्राप्तियों का 68 प्रतिशत था। यह ऋण प्राप्तियों में पिछले वर्ष से 42 प्रतिशत की वृद्धि के कारण था। चूंकि भारत जैसी उद्गमी अर्थव्यवस्था में एक संतुलित बजट को अभिकल्पित नहीं किया जा सकता इसलिए भारी ऋण क्षमता को अपने व्यय की योजना करने हेतु भविष्य की भावी सरकारों की प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, क्योंकि जबकि मूल ब्याज भुगतान वचनबद्ध देयता हैं। जितने अधिक वचनबद्ध भुगतान होंगे, भावी सरकारों के पास संचालनात्मक व्यय हेतु उतनी ही कम गुंजाइश होती है।

ऋण प्राप्तियों के अलावा, पूंजीगत प्राप्तियों में लोक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों के विनिवेश जैसी गैर-ऋण प्राप्तियाँ तथा ऋणों एवं पेशगियों की वसूली शामिल हैं जो कि कुल प्राप्तियों में एक

नगण्य अंश बनाते हैं। इन्होंने विभिन्न वर्षों में वृद्धि में महत्वपूर्ण असंगतियों को भी दर्शाया तथा इसलिए, यह प्राप्तियों का पुर्वानुमेय स्रोत नहीं हैं। वर्तमान वर्ष में गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों ने पिछले वर्ष से महत्वपूर्ण वृद्धि (165 प्रतिशत) प्रदर्शित की। इसके लिए एक कारण यह है कि पिछले वर्ष में, पूँजीगत प्राप्तियों में नकारात्मक वृद्धि थी तथा इसलिए आधार, जिस पर वृद्धि परिकलित की जाती है, कम है। अन्य कारण है कि इस वर्ष केन्द्रीय लोक क्षेत्र उपक्रमों¹ में सरकारी अंशों का अल्पसंख्या इक्विटी का महत्वपूर्ण विनिवेश था तथा इस लेखे के अंतर्गत ₹23,599 करोड़ (₹21,366 करोड़ के प्रीमियम सहित) का संग्रहण किया था। इससे अधिक ब्यौरे पैरा 3.6 में उपलब्ध कराए गए हैं।

राजस्व प्राप्तियों का अंश Xवीं योजना में कुल प्राप्तियों के औसतन 26 प्रतिशत से XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में 21 प्रतिशत तक गिरा है। वर्तमान वर्ष में अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण उल्लेखनीय गिरावट हुई। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि ने पिछले वर्ष में 2 प्रतिशत से कम से वर्तमान वर्ष में लगभग 7 प्रतिशत तक के सुधार ने दर्शाया कि मंदी निम्नतम थी। राजस्व प्राप्तियों का और विश्लेषण पैरा 3.3 में उपलब्ध कराया गया है।

लोक लेखा उन प्राप्तियों को संदर्भित है जिनके लिए सरकार लोगों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करती है (**अध्याय-1; बॉक्स 1.1**)। प्राप्तियों के इस घटक का अंश XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में यह Xवीं योजना अवधि के दौरान से कम था। लोक लेखों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि ने बड़ी असंगतियां दर्शाई तथा इसलिए सरकार द्वारा इस संसाधन को नियंत्रित नहीं किया जा सका। 2009-10 में, पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में लगभग 13 प्रतिशत वृद्धि थी। अधिकतम वृद्धि राष्ट्रीय लघु बचत निधि (42 प्रतिशत), राज्य भविष्य निधि (38 प्रतिशत), जमा एवं अग्रि म(44 प्रतिशत) तथा धन-प्रेषणों (197प्रतिशत) में देखी गई थी। विशेष जमा एवं लेखों में प्राथमिक रूप से पिछले वर्ष की तुलना में पैट्रोलियम बंधपत्रों ((-)86प्रतिशत) को कम जारी करने तथा उर्वरक कम्पनियों को कोई विशेष बंधपत्र जारी न करने के कारण यथेष्ट नकारात्मक वृद्धि ((-) 87 प्रतिशत) थी।

3.2 स.घ.उ. में निवल प्राप्तियों का अंश:

प्राप्तियां तथा संवितरण विशेष रूप से जो लोक ऋण तथा लोक लेखा से संबंधित है, वे वित्त लेखों में सकल आधार पर प्रदर्शित होते हैं। अर्थोपाय अग्रिम (अ.अ.) तथा 14 दिवसीय खजाना बिलों का लघु अवधि उपायों द्वारा समायोजन करते हैं तथा अस्थायी बेमेलता को ओट प्रदान करते हैं। इसी प्रकार, लोक लेखे में प्रोत्तम्भवन को भी सकल आधार पर सूचित किया गया है तथा इसका एक वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने के लिए लाभ उठाने की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए,

¹ विवरण के लिए तालिका 3.10 का संदर्भ लें।

सरकार के अ.अ. तथा 14 दिवसीय खज़ाना बिलों के प्रभाव को, इसके संसाधनों से इनकी प्रभावी प्राप्तियों पर पहुंचने के लिए निवल करना अधिक वास्तविक होगा।

तालिका 3.2: संशोधित प्राप्तियां तथा स.घ.उ. में इसका अंश

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां*	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	ऋण प्राप्तियां**	अ.अ. की निवल प्राप्तियां	खजाना बिलों से निवल प्राप्तियां	निवल लोक लेखा प्रोत्भवन	कुल निवल प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां/ स.घ.उ. (प्रतिशत)
2002-03	355948	41896	206830	(-) 5176	3134	37011	639643	25.34
2003-04	404866	86780	297096	0	1626	(-) 22650	767718	27.10
2004-05	455466	68664	326960	0	7354	27119	885563	27.34
2005-06	525325	13382	369247	0	24733	3514	936201	25.26
2006-07	645723	19225	408517	0	136	48639	1122240	26.20
2007-08	801226	49187	633418	0	29154	35721	1548706	31.30
2008-09	814026	14075	671488	0	30033	68862	1598484	28.68
2009-10	869355	37314	882979	0	-2995	28268	1814921	29.13

* राज्यों को सौंपे गए करों तथा शुल्कों के आंकड़े सम्मिलित हैं।

** अर्थोपाय अग्रिमों तथा खजाना बिलों की प्राप्तियों का निवल

तालिका 3.2 पिछले आठ वर्षों के लिए कुल प्राप्तियों तथा स.घ.उ. की तुलना में कुल प्राप्तियों के अनुपात पर ऐसी निरावेशन के प्रभाव को सूचित करती है। 2009-10 हेतु संघ सरकार की निवल प्राप्तियों में ₹49,72,397 करोड़ से ₹18,14,921 करोड़ (64 प्रतिशत की कमी) से ₹31,45,418 करोड़ तक गिरावट आई। इसी प्रकार, जबकि **तालिका 3.1** दर्शाती थी कि स.घ.उ. अनुपात के प्रति सकल प्राप्तियाँ लगभग 80 प्रतिशत तक अधिक थी होने को जबकि **तालिका 3.2** दर्शाती है कि निवल करने के उपरान्त स.घ.उ. के प्रति संसाधन अनुपात केवल 29 प्रतिशत है।

3.3 राजस्व प्राप्तियां : मुख्य समुच्चयों की प्रवृत्ति

वित्त आयोग के अनुशंसाओं के अनुसार सकल कर प्राप्तियों के भाग को राज्य सरकार के साथ बांटा गया है। संघ सरकार की कर प्राप्तियों में, (उनके सकल कर संग्रहण से राज्यों के अंश का निवल) Xवीं योजना के दौरान लगभग 22 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई जबकि गैर-कर राजस्व में समनरूप अवधि के दौरान लगभग पांच प्रतिशत की निम्न दर से वृद्धि हुई। इस दर की तुलना में, 2009-10 में निवल कर प्राप्तियां लगभग 3 प्रतिशत तक बढ़ी जबकि गैर-कर प्राप्तियों में वृद्धि लगभग 17 प्रतिशत थी। यह देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष 2008-09 को आम आर्थिक मंदी के कारण कर तथा गैर-कर प्राप्तियों दोनों में बहुत कम वृद्धि दर्ज की गई थी।

तालिका 3.3: राजस्व प्राप्तियों की संरचना एवं प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

अवधि	सकल कर राजस्व	करों में राज्यों का भाग	निवल कर राजस्व	गैर-कर राजस्व	संघ के निवल राजस्व
Xवीं योजना (2002-07) औसत	323047	83040	240007	154419	394426
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)			61	39	100
XIवीं योजना (2007-12)					
2007-08	593147	151800	441347	208079	649426
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)			68	32	100
2008-09	605298	160179	445119	208728	653847
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)			68	32	100
2009-10	624528	164832	459696	244827	704523
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)			65	35	100
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)					
Xवीं योजना (2002-07)	21.31	20.76	21.50	4.86	14.59
XIवीं योजना (2007-12)					
2007-08	25.27	26.15	24.96	20.83	23.61
2008-09	2.05	5.52	0.85	0.31	0.68
2009-10	3.18	2.90	3.27	17.29	7.75
टिप्पणी: गैर-कर राजस्व में अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान के साथ-साथ रेलवे, डाक, तथा विभागीय उपक्रमों से प्राप्तियां भी शामिल हैं।					

Xवीं योजना 2002-2007 के दौरान गैर-कर राजस्व संघ सरकार के निवल राजस्व के औसत का 39 प्रतिशत बनता है (तालिका 3.3)। संघ की निवल राजस्व प्राप्तियों में गैर-कर राजस्व अंश में अवमन्दन हुआ है। XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में औसत अंश गिरकर लगभग 33 प्रतिशत हो गया। तथापि, वर्तमान वर्ष में इस वर्ग के अंतर्गत यथेष्ट वृद्धि (17 प्रतिशत) थी। गैर-कर राज्य के उप-घटकों का एक विस्तृत विश्लेषण इस अध्याय के पैरा 3.5 में दिया गया है।

3.4 मुख्य कर: सापेक्ष निष्पादन

वर्तमान वर्ष में निगम कर तथा आयकर की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में यथेष्ट रूप से ऊर उठी जबकि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर प्राप्तियों ने नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की।

तालिका 3.4: कर राजस्व के संघटक (सकल)

(रुपयोग में)

अवधि	कुल सकल कर राजस्व#	निगम कर	आयकर	सीमाशुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य**
X वीं योजना (2002-07) औसत	323047	87602	51720	60497	100210	17373	5645
XI वीं योजना (2007-12)							
2007-08	593147	192911	102659	104119	123611	51302	18545
2008-09	605298	213395	106075	99879	108613	60941	16395
2009-10	624528	244725	122417	83324	102991	58422	12649
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)							
X वीं योजना (2002-07)	21.31	31.59	18.83	17.36	9.60	73.21	68.93
XI वीं योजना (2007-12)							
2007-08	25.27	33.67	36.71	20.61	5.10	36.45	47.62
2008-09	2.05	10.62	3.33	(-)4.07	(-)12.13	18.79	(-)11.59
2009-10	3.18	14.68	15.41	(-)16.58	(-)5.18	(-)4.13	(-)22.85


*सेवा कर 1994-95 में लागू किया गया था। #राज्यों/सं.शा.क्षे. को सौंपे गए करों/शुल्कों के आंकड़े शामिल हैं।

**अन्य करों में होटल प्राप्ति कर, ब्याज कर, सम्पत्ति कर, उपहार कर, फ्रिंज लाभ कर, प्रतिभूति लेन-देन कर, बैंकिंग नकद लेन-देन कर आदि शामिल हैं।

टिप्पणी: सापेक्ष अंश को दर्शाते आंकड़ों का पूर्णांक के समीप पूर्णांकन कर दिया गया है इसीलिए कुल योग को हमेशा 100 से न जोड़ा जाए। नगण्य उन आंकड़ों को संदर्भित करता है, जहां उप-घटक का अंश सकल कर राजस्व के 0.5 प्रतिशत की अपेक्षा कम है।

सेवा कर संग्रहण में ₹2,519 करोड़ की कमी हेतु मुख्य कारण वर्ष 2009-10 में करों के दर में 12 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की कटौती था। दरों में कटौती के अतिरिक्त संग्रहण में कटौती हेतु उत्तरदायी अन्य घटक मार्ग में माल परिवहन अभिकर्ताओं को प्रदत्त पैकिंग/कार्गो हैंडलिंग/वेयरहाउसिंग पर निविदा परिवहन परमिटों वाले सवारी वाहनों के माध्यम से परिवहन पर माल परिवहन अभिकर्ताओं से प्राप्त सेवाओं पर आयातकों को सेवा कर के भुगतान से अनुमत छूट आदि था।

चार्ट 3.1: कर राजस्व के घटक-सापेक्ष अंश



जैसा कि चार्ट 3.1 में दर्शाया गया है कि कुल कर प्राप्तियों में प्रत्यक्ष करों (निगम कर तथा आयकर) का अंश Xवीं योजना में समनुरूप अंश की तुलना में XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में बढ़ रहा है। सीमा शुल्कों तथा उत्पाद शुल्कों के अंश Xवीं योजना की तुलना में XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में गिर रहे हैं। तथापि, सेवा कर का अंश, दरों में वृद्धि के साथ-साथ कर आधार में वृद्धि के कारण सेवा कर के अधिक संग्रहण के कारण Xवीं योजना अवधि की तुलना में हाल के वर्षों में काफी अधिक रहा है। वर्तमान में 116 सेवाएं सेवा-कर के अधीन हैं। वर्तमान वर्ष में, 5 नई सेवाओं को सेवा कर क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया था तथा इन पाँच सेवा प्रदाताओं से ₹142 करोड़ वसूले गये थे। सेवा कर संग्रहण में पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में ₹2,519 करोड़ तक की गिरावट थी। मर्दे, जिसने वर्तमान वर्ष में सेवा कर में राजस्व संग्रहण में मुख्य गिरावट दर्शाई, बाक्स 3.2 में दी गई हैं।

बाक्स 3.2 निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 2008-09 की तुलना में 2009-10 में सेवा कर में हुई नकारात्मक वृद्धि

	राजस्व की कटौती (₹ करोड़ में)
❖ टेलीफोनिक बिलिंग पर कर	1506
❖ सामान्य बीमा प्रीमीयम पर कर	154
❖ प्रचार सेवाएं	171
❖ सलाहकार इंजीनियर सेवाएं	182
❖ संपत्ति एजेंट/परामर्शी सेवाएं	108
❖ प्रबंधन परामर्शी सेवाएं	203
❖ व्यापार सहायक सेवाएं	501
❖ अनुरक्षण एवं मरम्मत सेवाएं	60
❖ सड़क द्वारा माल परिवहन वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक भवन तथा लोक अवसंरचना के संबंध में निर्माण सेवाएं	228
❖ बारह घरों से अधिक वाले आवासीय परिसर का निर्माण	107
❖ क्रोडिट/डेबिट कार्ड, बैंज कार्ड संबंधी सेवाएं	284
❖ दूरसंचार के संबंध में तार प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाएं	239
❖ अन्य व्यापार अथवा वाणिज्य में उपयोग हेतु अचल सम्पत्ति का किराया पर देने में प्रदत्त सेवाएं	5
❖ शिक्षा उप-कर	63
	171

3.4.1 कर उत्पावकता: यह किसी देश की आर्थिक वृद्धि तथा विकास के संबंध में कर राजस्व में वृद्धि के निर्मित लचीलेपन की चर्चा करता है। कर उत्पावकता न केवल कर नीति तथा प्रशासन पर निर्भर करती है बल्कि अर्थव्यवस्था के सामान्य निष्पादन पर भी निर्भर करती है। यह मानते हुए कि स.घ.उ. अर्थव्यवस्था के निष्पादन का एक अच्छा संकेतक है, उत्पावकता गुणांक स.घ.उ. (कर आधार) में एक प्रतिशत वृद्धि की तुलना में विभिन्न करों की प्रतिशतता वृद्धि की दर को दर्शाता है।

तालिका 3.5: मुख्य करों की उत्प्लावकता

(प्रतिशत)

अवधि	सकल कर राजस्व	निगम कर	आयकर	सीमाशुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर
Xवीं योजना (2002-07) औसत	1.502	2.227	1.327	1.224	0.677	5.162
XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	1.630	2.173	2.369	1.330	0.329	2.352
2008-09	0.162	0.838	0.263	(-)0.322	(-)0.958	1.484
2009-10	0.270	1.246	1.308	(-)1.407	(-)0.439	(-)0.351

कर उत्प्लावकता विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र में, जिस पर सरकार का कर संचयन महत्वपूर्णरूप से निर्भर है, पुनरुत्थान के कारण एक से अधिक (1.502) थी। उच्च कर उत्प्लावकता के पीछे अन्य महत्वपूर्ण घटक, कर जाल में सेवा कर की दर में वृद्धि के साथ-साथ इसके आधार को व्यापक करके नई सेवाओं को शामिल करना था। वर्ष 2007-08 में सकल कर राजस्व के सभी घटकों (उत्पाद शुल्क के अपवाद सहित) में एक से अधिक की उत्प्लावकता थी। वास्तव में स.घ.उ. में प्रत्येक एक प्रतिशत की वृद्धि हेतु निगम कर, आयकर तथा सेवा कर में 2 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि थी। तथापि, पिछले दो वर्षों में जब औद्योगिक मंदी थी, तब वहां अप्रत्यक्ष करों की महत्वपूर्ण नकारात्मक वृद्धि थी परन्तु वर्तमान वर्ष को भी सेवा कर में नकारात्मक वृद्धि के साथ चिन्हित किया गया था।

दर में वृद्धि तथा सेनेवेट दर की ओर बढ़ना, चिन्हित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क की कमी तथा अन्य को छूट प्रदान करने की अपेक्षा, कर आधार का विस्तार करने की नीति, मुख्य रूप से उत्पाद शुल्क के अंतर्गत संचयनों की गति में धीमेपन हेतु उत्तरदायी है। उत्प्लावक स.घ.उ. वृद्धि के बावजूद संघ की कुल कर प्राप्तियों में सीमा शुल्क तथा उत्पाद-शुल्क का गिरता हुआ अंश व्यापार उदारीकरण से संयोजित टैरिफ कटौती के परिणामस्वरूप राजस्व सृजन करने के उपाय के रूप में उनकी विलयित भूमिका को दर्शाती है।

3.5 गैर-कर राजस्व

सरकार के गैर-कर राजस्व के दो घटक; इसके प्रधान क्रियाकलापों जैसे न्यायपालिका, पुलिस, मुद्रा एवं सिक्का ढलाई आदि से आय तथा वह जो या तो मध्यस्थता वापरी अथवा लाभांश अथवा उपभोगकर्ता प्रभारों जैसे रेलवे, डाक और विभागीय उपक्रमों के रूप में इसकी परिसम्पत्तियों/निवेशों से उत्पन्न हुआ हो, से संघटित समझा जा सकता है। जहां प्रधान क्रियाकलापों, वित्तीय मध्यस्थता एवं निवेश से राजस्व वास्तविक उगाही के रूप में होते हैं, वहीं सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से आय सकल आधार पर होती है तथा उन्हें सेवा प्रदान करने की प्रचालन लागत से निवलीकृत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, लाभांश आय में भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरित अधिशेष भी

शामिल होता है तथा यह निवेश सम्बद्ध होने से कहीं सलाभ सिक्का ढलाई (सलाभ सिक्के ढलाई मुद्रा भण्डार में गैर-मुद्रा स्फीति वृद्धि है) से अधिक सम्बन्धित है।

3.5.1 गैर-कर राजस्व (गै.क.रा.) के विभिन्न उप-संघटकों के सापेक्ष अंश में विचलन:

कुल गैर-कर प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियों में, Xवीं योजना के 24 प्रतिशत के औसत से 2007-08 में 17 प्रतिशत तथा 2008-09 तथा 2009-10 में प्रत्येक 15 प्रतिशत के निम्न पर महत्वपूर्णरूप से कमी आई। हाल के वर्षों में अंश में गिरावट ऋण स्वैप योजना के लागू करने के कारण थी, जिसका परिणाम 2005-06 से 2009-10 की अवधि हेतु बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ऋण समेकीकरण योजना तथा राहत सुविधा योजना के अंतर्गत निम्न ब्याज दरों सहित बकाया ऋणों के संग्रह में कमी तथा ब्याज की निम्न दरों पर बकाया ऋणों के समेकन तथा पुनःसूचीबद्ध करने में हुआ।

2007-08 तथा 2008-09 में लाभों तथा लाभांशों के अंश में उर्द्धगामी प्रवृत्ति थी। अंश 2009-10 में लगभग 21 प्रतिशत तक पहुँचा। यह संघटक मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लाभांश, रेलवे के अंशदान, भा.रि.बै., भा.जी.बी.नि. तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिशेष लाभों के अंश तथा अन्य निवेशों से लाभांशों से बना है।

तालिका 3.6: गैर-कर राजस्व - उप-संघटकों तथा प्रवृत्तियों की सापेक्ष संरचना

(रुकरोड में)

अवधि	कुल गैर-कर राजस्व #	ब्याज प्राप्तियां	लाभांश तथा लाभ	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	प्रधान तथा अन्य कार्य **
Xवीं योजना (2002-07) औसत	154419	37023	24018	687	77953	14738
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	24	16	नगण्य	50	10
XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	208079	34612	34500	742	120998	17227
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	17	17	नगण्य	58	8
2008-09	208728	30846	38608	540	118146	20588
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	15	19	नगण्य	57	10
2009-10	244827	35849	50250	713	133038	24977
सापेक्ष अंश (प्रतिशत)	100	15	21	नगण्य	54	10
वृद्धि की औसत वार्षिक दर						
Xवीं योजना (2002-07)	4.86	(-) 13.56	8.65	16.07	13.07	5.59
XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	20.83	30.35	17.71	58.89	20.44	11.75
2008-09	0.31	(-)10.88	11.91	(-)27.22	(-)2.36	19.51
2009-10	17.29	16.22	30.15	32.04	12.60	21.32

टिप्पणी: सापेक्ष अंशों को दर्शाते हुए आंकड़ों को पूर्णांक के समीप पूर्णांकन कर दिया गया है इसलिए कुल योग को हमेशा 100 में न जोड़ा जाए। नगण्य उस आंकड़ों संदर्भित करता है जहां उप-घटक का अंश गैर कर राजस्व से 0.5 प्रतिशत से कम है।

अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान शामिल है।

सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता तथा सामाजिक सुरक्षा आदि शामिल हैं।

आर्थिक सेवाओं में डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्यपालन, बन, वृक्षारोपण, खाद्य भण्डारण तथा गोदाम, कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सिंचाई हेतु उपभोक्ता प्रभार, ऊर्जा का प्रावधान, सा.क्षे.उ. तथा रेलवे, डाक, जहाजरानी आदि जैसे सरकारी उपक्रमों की प्राप्तियाँ शामिल हैं।

** राजकोषीय सेवाएं तथा अन्य सामान्य सेवाएं (पुलिस, लोक निर्माण कार्य, लेखन-सामग्री तथा मुद्रण आदि)

लाभांशों तथा लाभों से गैर-कर राजस्व (भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरित अधिशेष को शामिल करके), हाल के वर्षों में तीव्रता से बढ़ता घटक था। Xवीं योजना की लगभग 9 प्रतिशत की औसतन वार्षिक वृद्धि की तुलना में XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में, लाभांश तथा लाभ वर्तमान वर्ष में 30 प्रतिशत से अधिक की अधिकतम वृद्धि के साथ लगभग 20 प्रतिशत की औसत पर बढ़ रहे हैं। अगर अर्थव्यवस्था सुधरती है तो इस शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियाँ देश के गैर-कर राजस्वों को महत्वपूर्णरूप से योगदान दे सकेगी।

आर्थिक सेवाओं (मुख्यतः ऊर्जा, पैट्रोलियम, फसल उपज तथा पशुपालन) के अंतर्गत प्राप्तियों का गैर-कर राजस्व बास्केट में 50 प्रतिशत से अधिक का बड़ा अंश है। उपभोक्ता प्रभारों का योक्तितीकरण तथा बेहतर सेवा प्रावधान मध्यम अवधि में इस शीर्ष के अंतर्गत संग्रहणों को बढ़ा सकते थे।

तालिका 3.7: पैट्रोलियम प्राप्तियों में वृद्धि

(रुकरोड़ में)

वर्ष	पैट्रोलियम पर लाभ	पैट्रोलियम छूट शुल्क तथा रायलटी	पैट्रोलियम अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ	लाइसेंस शुल्क तथा खनन पट्टेदारी किराया	वाणिज्यिक उपलब्धि बोनस	अन्य प्राप्तियाँ	योग
2004-05	2690	2572	20	37	0	0	5319
2005-06	3278	2422	19	63	0	0	5782
2006-07	4342	3332	23	102	0	520	8319
2007-08	4199	3498	22	72	2	52	7845
2008-09	5036	3289	16	43	0	109	8493
2009-10	5926	4266	28	72	0	39	10331

2004-05 के बाद से, गैर-कर राजस्व बास्केट के लगभग 4 से 5 प्रतिशत की पैट्रोलियम प्राप्तियाँ परिकलित की गईं। पैट्रोलियम पर लाभ जिसे 2004-05 में 50 प्रतिशत अंश परिकलित किया गया, 2009-10 में पैट्रोलियम प्राप्तियों का मुख्य अंशदाता (लगभग 57 प्रतिशत) रहा है जैसा कि

तालिका 3.7 में पाया गया। पेट्रोलियम प्राप्तियों अर्थात् पेट्रोलियम छूट शुल्कों तथा रॉयलिट्यों के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण उप-संघटक का सापेक्ष अंश 2004-05 में लगभग 48 प्रतिशत से 2009-10 में 41 प्रतिशत तक गिरा।

तालिका 3.8 टेलीकॉम प्राप्तियों में वृद्धि

(रुकरोड में)

वर्ष	मानीटरिंग संगठन की प्राप्तियाँ	वायरलेस योजना तथा समन्वय संगठन से प्राप्तियाँ	टेलीकॉम लाइसेंस शुल्क	सार्वभौमिक पहुँच उगाही	अन्य प्राप्तियाँ	वापसियाँ	कुल योग
2004-05	0	1040	6038	778	120	0	7976
2005-06	13	1372	3433	3215	2032	0	10065
2006-07	0	2090	3097	3941	3336	0	12464
2007-08	0	3056	3449	5406	14818	0	26729
2008-09	0	3455	3996	5515	156	(-)124	12998
2009-10	0	3810	4001	5778	2291	0	15880

गैर-कर राजस्व का एक और महत्वपूर्ण संघटक टेलीकॉम प्राप्तियाँ हैं, जिन्हें 2004-05 में गै.क.रा. का लगभग 5 प्रतिशत परिकलित किया गया था तथा 2007-08 में बास्केट के लगभग 13 प्रतिशत तक बढ़ गई। कुल गै.क.रा. की तुलना में टेलीकॉम प्राप्तियों का अंश 2009-10 में महत्वपूर्णरूप से 6 प्रतिशत से अधिक तक गिरा। तालिका 3.8 दर्शाती है कि दूरसंचार लाइसेंस शुल्क जिसका 2004-05 में टेलीकॉम प्राप्तियों में काफी अधिक सापेक्ष अंश (76 प्रतिशत) था, का 2009-10 में महत्वपूर्णरूप से निम्न अंश (लगभग 25 प्रतिशत) था। तुलना में, वायरलेस योजना एवं समन्वय संगठन से प्राप्तियों के अंश में 2004-05 में 13 प्रतिशत से 2009-10 में 24 प्रतिशत की वृद्धि तथा सार्वभौमिक पहुँच उगाही के अंश में 2004-05 में लगभग 10 प्रतिशत से वर्तमान वर्ष में लगभग 36 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

3.6 गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ, विविध पूंजीगत प्राप्तियों (विनिवेश) तथा कर्जे एवं पेशगियों की वसूली से बनती हैं। तालिका 3.9 विनिवेश से गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों तथा राज्य तथा संघ क्षेत्र सरकारों, विदेशी सरकारों, सरकारी निगमों, गैर-सरकारी संस्थानों तथा सरकारी कर्मचारियों को संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जे एवं पेशगियों की वसूली का विवरण प्रस्तुत करती है। यह तालिका बजट अनुमानों तथा विनिवेश से प्राप्तियों की वास्तविक वसूली के साथ-साथ संघ सरकार के कर्जे एवं पेशगियों की वास्तविक वसूली को भी दर्शाती है।

तालिका 3.9: अंतिम दशक में विनिवेश से प्राप्तियाँ तथा कर्जों की वसूली

अवधि	विनिवेश			कर्जों की वसूली		
	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	प्राप्ति प्रतिशत	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	प्राप्ति प्रतिशत
				(₹करोड़ में)	(₹करोड़ में)	
2002-03	12000	3149	26.24	20080	38745	192.95
2003-04	13200	16632	126.00	20523	69827	340.24
2004-05	4000	4363	109.10	29625	64240	216.84
2005-06	0.0	1570	--	13525	11801	87.25
2006-07	3840	534*	0.00	9530	18691	196.13
2007-08	1651	4387	265.72	3030	10391	342.94
2008-09	1165	22	1.89	5993	13509	225.41
2009-10	1120	23599+	2107	5720	12733	222.61

* मुख्य रूप से तेल एवं प्राकृतिक गैस द्वारा बोनस अंश जारी करने के कारण

+ कृपया विवरण के लिए तालिका 3.10 का संदर्भ लें

3.6.1 अंतिम दशक में विनिवेश प्राप्तियाँ में प्रवृत्तियाँ: जनवरी 2005 के आगे से, सरकार ने राष्ट्रीय निवेश निधि (रा.नि.नि.) स्थापित की। केन्द्रीय लोक क्षेत्र उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्तियाँ को रा.नि.नि. में सारणीकृत किया गया है जिसका अनुरक्षण भारत की समेकित निधि से बाहर किया गया है। विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ (वि.पूं.प्रा.) में प्रवृत्तियाँ, अर्थात् 2005-06 से 2009-10 तक अंतिम पांच वर्षों के दौरान विनिवेश की प्राप्तियाँ वृहद अस्थिरता का संकेत करती हैं। जबकि, 2005-06 के दौरान ₹1,570 करोड़ (वर्ष हेतु 'शून्य' बजट अनुमानों के प्रति) सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में, सरकारी इक्विटी के विनिवेश के कारण वि.पूं.प्रा. के रूप में दर्ज किये गये थे फिर भी 2006-07 के दौरान (केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में इक्विटी नियंत्रणों के आंशिक विनिवेश के कारण ₹3,840 करोड़ के बजट अनुमानों के प्रति) वर्ष के दौरान सरकारी इक्विटी के विनिवेश के कारण कोई प्राप्ति नहीं थी। तथापि, ₹534 करोड़ की प्राप्ति मुख्यतया तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बोनस अंशों को जारी करने के कारण थी। 2007-08 के दौरान, वित्त लेखे में विनिवेश से ₹4,387 करोड़ की वास्तविक प्राप्तियाँ वर्ष के लिए बजट अनुमानों (₹1,651 करोड़) करीबन तीन गुना थीं। वर्तमान वर्ष के दौरान, ₹1120 करोड़ बजट अनुमान के प्रति केन्द्रीय लोक क्षेत्र उपक्रमों (जैसा कि नीचे तालिका 3.10 में दर्शाया गया है) में विनिवेश से वास्तव में ₹23,599 करोड़ (₹21366 करोड़ के प्रीमियम सहित) वसूला गया।

तालिका 3.10 2009-10 में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (के.सा.क्षे.उ.) में अल्पसंख्यक अंशधारिता की बिक्री से प्राप्त विनिवेश राशि

(रुकरोड में)

क्र.सं.	के.सा.क्षे.उ. का नाम	कुल प्राप्त मूल्य
1.	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (एन.एच.पी.सी.एल.): सरकार ने 8 फरवरी 2007 को कम्पनी की सरकारी शेयरधारिता में से 5% शेयरों के विनिवेश के साथ एन.एच.पी.सी. लिमिटेड की प्री-इश्यू पेड-अप पूँजी के 10% पूँजी को नए इश्यू के माध्यम से जारी करना संस्वीकृत किया था। आई.पी.ओ. अगस्त 2009 में पूर्ण हुआ तथा सरकार ने ₹2012.85 करोड़ की राशि प्राप्त की।	2012.84
2.	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एन.एम.डी.सी.): सरकार ने सरकारी शेयर होल्डिंग में से एन.एम.डी.सी. लिमिटेड के प्री-इश्यू पेड-अप कैपिटल के 8.38% शेयर मार्च 2010 में फालो आन पब्लिक आफरिंग के माध्यम से जारी किए तथा ₹9930.42 करोड़ प्राप्त किए।	9930.42
3.	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.): सरकार ने एन.टी.पी.सी. में अपनी शेयर होल्डिंग में से प्री-इश्यू पेड-अप कैपिटल के 5% पूँजी का विनिवेश फरवरी 2010 में फालो आन पब्लिक आफरिंग के माध्यम से किया तथा ₹8480.10 करोड़ प्राप्त किए।	8480.1
4.	आयल, इण्डिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.): सरकार ने 30 अगस्त 2007 को सरकारी शेयर होल्डिंग में से कम्पनी के 10% अक्विटी के साथ-साथ आयल इण्डिया लिमिटेड के पोस्ट इश्यू कैपिटल के 11% इक्विटी के नवीन इश्यू को विनिवेश करना संस्वीकृत दिया था तथा सरकार को इसके साथ-साथ बाजार आधारित मूल्य पर 2:1:1 के अनुपात में आई.ओ.सी., एच.पी.सी.एल. तथा बी.पी.सी.एल. के पक्ष में 10% का क्रमशः विनिवेश करना था आई.पी.ओ. सितम्बर 2009 में पूरा हो गया था तथा सरकार ने ₹2,247.05 करोड़ प्राप्त किया।	2247.05
5.	सरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (आर.ई.सी.): मार्च 2010 में फालोअप पब्लिक आफरिंग के माध्यम से 15% नई इक्विटी जारी करते हुए सरकार ने आई.ई.सी. के 5% प्री इश्यू पेड अप कैपिटल के बराबर अपनी हिस्सेदारी जारी की तथा ₹882.51 करोड़ प्राप्त किए।	882.51
6.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	40.00
7.	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड	5.68
	कुल	23598.60

27 जनवरी 2005 को सरकार ने लाभप्रद के.सा.क्षे.उ. में सरकार की अल्पसंख्यक अंशधारिता के क्रय से वसूली को सारणीगत बनाने हेतु भारत की संचित निधि से बाहर एक “राष्ट्रीय निवेश निधि” (रा.नि.नि.) को स्थापित करने का निर्णय लिया था। निधि से आय का सामाजिक क्षेत्र परियोजनाओं में निवेश तथा चयनित लाभप्रद एवं पुनरुद्धरणीय लोक क्षेत्र उपक्रमों में पूंजीगत निवेश हेतु उपयोग किया जाएगा।

2008-09 के सर्वभौम मंदी द्वारा उत्पन्न कठिन आर्थिक स्थिति की दृष्टि में नवम्बर 2009 में सरकार ने के.सा.क्षे.उ. के विनिवेश से प्राप्तियों के उपयोग हेतु तीन वर्षों की अवधि- अप्रैल 2009 से मार्च 2012 के लिए एक बार छूट प्रदान करने का निर्णय लिया अर्थात् इस अवधि के दौरान विनिवेश प्राप्तियों योजना आयोग/व्यय विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट सामाजिक क्षेत्र योजनाओं में निवेश करने के लिए पूर्णस्वयं से उपलब्ध हो सकेगी। यथापूर्ण स्थिति को अप्रैल 2012 से पुनः स्थापन किया जाएगा। तथापि, रा.नि.नि. को विद्यमान कार्पस बिना छूए रहेगा तथा निधि प्रबंधक द्वारा प्रबंधन करना जारी रहेगा। विनिवेश प्राप्तियों का उपयोग सरकार की सामाजिक क्षेत्र योजनाओं नामतः:

- i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
- ii) इंदिरा आवास योजना
- iii) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
- iv) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
- v) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
- vi) त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करने हेतु किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, संशोधित लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2012 की अवधि के दौरान एकत्रित विनिवेश प्राप्तियों को लघु शीर्ष ‘8452-102-1.4.2009 से 31.3.2012 की अवधि हेतु भारत सरकार की विनिवेश प्राप्तियाँ’ के अन्तर्गत रा.नि.नि. का अंतरित किया जाना था। संघ के वित्त लेखे 2009-10 की संवीक्षा ने प्रकट किया कि कथित लघु शीर्ष नहीं खोला गया था तथा 23,552.97 करोड़ के रा.नि.नि. को/से अंतरण को विद्यमान लघु शीर्ष ‘8452-101-प्रीमियम सहित सरकारी इक्विटी धारिता के विनिवेश की प्राप्तियाँ’ के अन्तर्गत दर्ज किया गया था।

3.6.2 ऋण वसूली में प्रवृत्तियाँ: 2003-04 तथा 2004-05 के ऋण विनिमय योजना के अन्तर्गत नरम-ब्याज व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए राज्यों के साथ-साथ कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उच्च लागत कर्जों के पूर्व-भुगतान के साथ, कर्जों की वसूली के अन्तर्गत प्राप्तियों ने 2005-06 के दौरान एक अनुमानित गिरावट दर्शाई। पिछले वर्ष से ऋणों की वसूली में न केवल अर्थपूर्ण कमी आई बल्कि 2005-06 के दौरान ₹13,525 करोड़ के अपर्याप्त बजट लक्ष्य से कम रही। तथ्य दिये गये कि संघ सरकार की राज्य सरकार के लिए वित्तीय मध्यस्थता के रूप में

भूमिका को बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर समाप्त कर दिया गया तथा संघ सरकार से राज्यों के बकाया ऋणों को ऋण समेकन तथा राहत सुविधा (डी.सी.आर.एफ.) के अन्तर्गत ब्याज की कम की गई दर पर कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया था, फिर भी 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान संघ सरकार द्वारा ऋणों की वसूली हेतु बजट अनुमान अविश्वसनीय रूप से कम हुआ था। राज्यों के निश्चिन्त राजकोषीय स्थिति के कारण, हाल के वर्षों में राज्यों से कर्जों की वसूली के साथ-साथ बजट अनुमानों में सुधार हुआ है। वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के लिए बजट अनुमानों की दो समय से अधिक बार प्राप्ति की गई थी।

बाजार उधारों तथा लोक लेखों में प्रोत्तमन से बनी अन्य पूँजीगत प्राप्तियां, जो प्रवृत्ति से ऋण सर्जक हैं, की चर्चा बाद के अध्यायों में की गई है।

3.7 मुख्य राजस्व संबंधित परिवर्तनियों के बजट अनुमानों तथा वित्त लेखे के बीच अंतराल

इस पैरा में, 2009-10 में मुख्य राजस्व परिवर्तनियों (जैसा कि वित्त लेखों से उद्भूत हुए हैं) के वास्तविक निष्पादन में विचलन जो उस वर्ष के बजट में अनुमानित किया गया था, को अभिग्रहण करने के लिए प्रयास किया गया है। 2009-10² हेतु बारहवें वित्त आयोग के अनुमानित राजस्व की वास्तविक आकड़ों से वास्तविक डाटा जो बारहवें वित्त आयोग के समय अनुमानित किया गया था, में विचलन का अनुमान प्राप्त करने हेतु तुलना की गई थी।

तालिका 3.11: मुख्य राजस्व मापदण्डों में विचलन -2009-10 में वास्तविक निष्पादन के साथ-साथ बजट अनुमानों (ब.अ.) तथा बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) के अनुमानों की तुलना

(रुपरुप में)

मापदण्ड	वास्तविक	ब.अ. [^]	ब.अ. के प्रतिशत के रूप में वास्तविक का विचलन	बा.वि.आ. अनुमान	बा.वि.आ. के प्रतिशत के रूप में वास्तविक का विचलन
(1) सकल कर राजस्व	624528	641079	(-)3	595485	5
(2) करों का राज्य का अंश	164832	164362	1	159070	4
(3) निवल कर राजस्व { (1)-(2) }	459696	476717	(-) 4	434815	6
(4) कर राजस्व					
(क) निगम कर	244725	256725	(-) 5	203509	20

² जैसा कि बारहवें वित्त आयोग (2005-10) के प्रतिवेदन के अनुबंध 5.2 में दिया गया है।

(रक्करोड़ में)

मापदण्ड	वास्तविक	ब.अ. [^]	ब.अ. के प्रतिशत के रूप में वास्तविक का विचलन	बा.वि.आ. अनुमान	बा.वि.आ. के प्रतिशत के रूप में वास्तविक का विचलन
(ख) आयकर	122417	106800	15	104187	17
(ग) सीमा शुल्क	83324	98000	(-) 15	76802	9
(घ) उत्पाद शुल्क	102991	106477	(-) 3	172933	(-) 40
(ङ) सेवा कर	58422	65000	(-)10	36701	59
(5) गैर-कर प्राप्तियाँ					
जिनमें से					
(क) ब्याज प्राप्तियाँ	35849	27099	32		
(ख) लाभ तथा लाभांश	50250	49750	1		
(6) पूंजीगत प्राप्तियाँ	3444141	2246218	53	189883	1714

[^] स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरणी - 2010-11

जब हमने बजट अनुमानों के साथ वास्तविक प्राप्तियों की तुलना की तो यह पाया गया है कि मुख्य नकारात्मक परिवर्तन सीमा शुल्क (15 प्रतिशत), सेवा कर (10 प्रतिशत) तथा निगम कर (5 प्रतिशत) में था। पूंजीगत प्राप्तियों तंथा आयकर प्राप्तियों के मामले में बजट अनुमानों की तुलना में क्रमशः 53 तथा 15 प्रतिशत का सकारात्मक परिवर्तन था।

3.8 संभावित प्रत्याशाएं


अर्थव्यवस्था वसूली का संकेत दर्शा रही है तथा कर यौक्तिकीकरण (जैसा कि प्रत्यक्ष कर संहिता तथा माल एवं सेवा कर बिल में विचार किया गया दोनों में से जो भी XIवीं योजना अवधि की समाप्ति से पहले लागू होगा), कर प्रशासन व्ययों में कटौती, अपंवचन पर नियंत्रण आदि के माध्यम से कुल संसाधनों में गैर-ऋण प्राप्तियों के अनुपात को बढ़ाने हेतु हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। तथापि, जैसा कि XII वित्त आयोग द्वारा इंगित किया गया है कि राजकोषीय समेकन को प्राप्त करने के लिए राजस्व वृद्धि पर अत्यधिक निर्भरता के बजाय केन्द्र पर व्यय समायोजन का सहारा लिया जाना चाहिए।

अध्याय 4

संसाधनों का उपयोग : व्यय

4.1 सरकार का व्यय विकासनीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। संघ सरकार के कुल संवितरण के चार मुख्य घटक हैं (बॉक्स 4.1)।

बॉक्स 4.1: कुल संवितरणों के घटक



तालिका 4.1 दर्शाती है कि सरकार के संवितरणों का मुख्य घटक ऋण के पुनर्भुगतान की ओर जाता है। ऋण पुनर्भुगतान का अंश Xवीं योजना में 43 प्रतिशत के औसत से XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान लगभग 57 प्रतिशत के औसत तक चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। चूंकि ये घटक वर्तमान संचालनों के लिए उपलब्ध व्यय तक सीमित हैं, इसलिए इसकी 2008-09 तथा 2009-10 में तीव्र वृद्धि चिंता का विषय है। ऋण का विस्तृत विश्लेषण इस प्रतिवेदन के अध्याय 5 में किया गया है। संघ सरकार न तो राज्यों के साथ बांटे जाने वाले केन्द्रीय करों के अंश (जैसा कि यह समय-समय पर वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित है) पर, न ही लोक लेखा से संवितरणों पर भी नियंत्रण को निष्पादित नहीं कर सका है क्योंकि सरकार इस निधि में जमा के लिए मात्र एक बैंक के रूप में कार्य कर रही है। ऋण भुगतानों का संवितरण करने के बाद, करों का राज्यों का अंश और लोक लेखा से मांग वास्तविक अथवा संचालनात्मक व्यय के लिए सरकार के लिए उपलब्ध है।

तालिका 4.1: कुल संवितरण के घटक

(रुपये में)

अवधि	वास्तविक व्यय	करों में राज्यों का अंश	ऋण का पुनर्भुगतान	लोक लेखा में संवितरण	कुल संवितरण	स.घ.उ. (वाजार मूल्य)
X वीं योजना (2002-07) (औसत)	573852	83040	784611	375206	1816709	3317464
सापेक्ष अंश	32	5	43	21	100	
XI वीं योजना (2007-12)						
2007-08	863575	151800	1604110	425260	3044745	4947857
सापेक्ष अंश	28	5	53	14	100	
2008-09	1102366	160179	2164560	515616	3942721	5574449
सापेक्ष अंश	28	4	55	13	100	
2009-10	1174280	164832	3085792	632133	5057037	6231171*
सापेक्ष अंश	23	3	61	13	100	
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत में)						
X वीं योजना (2002-07)	10.86	20.76	47.63	8.92	24.77	14.18
XI वीं योजना (2007-12)						
2007-08	18.70	26.15	8.32	4.65	11.32	15.50
2008-09	27.65	5.52	34.94	21.24	29.49	12.66
2009-10	6.52	2.90	42.56	22.60	28.26	11.78

* केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (के.सां.सं.), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की प्रैस टिप्पणी दिनांक 31 मई 2010 ने दर्शाया है कि वर्तमान मूल्यों/वाजारी मूल्यों पर स.घ.उ. हेतु अग्रिम अनुमान के आकड़े ₹ 62,31,171 करोड़ हैं। आंकड़ों को लगातार के.सां.सं. द्वारा संशोधित किया जा रहा है तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र निष्पादन के साथ राजकोषीय निष्पादन की सांकेतिक तुलना हेतु इस डाटा का महत्व है।

नोट: सापेक्ष अंश को दर्शाने वाले आंकड़ों को निकटस्थ के पूर्णक तक पूर्ण किए गए हैं और इस प्रकार सदैव 100 तक नहीं जोड़े जाएंगे।

तालिका 4.1 दर्शाती है कि वास्तविक व्यय के अंश में Xवीं योजना अवधि में 32 प्रतिशत से XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में लगभग औसतन 26 प्रतिशत तक मुख्य रूप से ऋण पुनर्भुगतानों के बढ़ते अंश के कारण गिरावट आई। XIवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में, वास्तविक व्यय में वर्ष-दर-

वर्ष वृद्धि Xवीं योजना अवधि की वार्षिक औसत वृद्धि दर की अपेक्षा काफी अधिक थी। तथापि, 2009-10 में, वास्तविक व्यय में लगभग 7 प्रतिशत की निम्न दर पर वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष में मंदीकरण प्रवृत्तियों का सामना करने के लिए वास्तविक व्यय में आश्चर्यजनक उठान था। वास्तविक व्यय के मुख्य घटक राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय और कर्जे तथा पेशगियाँ हैं (तालिका 4.2)। पूँजीगत व्यय, जिसके परिसम्पति सृजन का कारण बनने की अधिक सम्भावना है, (बशर्ते की वास्तविक परिणाम वित्तीय परिणामों के साथ प्राप्त हुए हैं) में 2008-09 में एक नकारात्मक वृद्धि हुई थी परन्तु वर्तमान वर्ष में इसे तीव्रता से पुनः प्राप्त किया। कर्जे तथा पेशगियाँ (शैक्षिक एवं स्वास्थ्य संस्थाओं, लोक क्षेत्र कम्पनियों, स्थानीय निकाय, प्राकृतिक आपदाएं आदि को सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के लिए) ने भी Xवीं योजना अवधि में औसत नकारात्मक वृद्धि की तुलना में XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में अधिक वृद्धि को दर्शाया।

तालिका 4.2 व्यय के घटकों के सापेक्ष अंश तथा वृद्धि प्रवृत्तियाँ

(रुक्करोड में)

अवधि	राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	कर्जे एवं पेशगियाँ	वास्तविक व्यय	राजस्व व्यय/वास्तविक व्यय	अन्य/वास्तविक व्यय
X वीं योजना (2002-07) (औसत)	500825	46993	26034	573852	87.27	12.73
XI वीं योजना (2007-12)						
2007-08	734861	116937	11777	863575	85.10	14.90
2008-09	1010224	77556	14586	1102366	91.64	8.36
2009-10	1057479	100686	16115	1174280	90.08	9.95
वृद्धि की औसत वार्षिक दर						
X वीं योजना (2002-07)	12.24	19.61	(-) 29.46	10.86		
XI वीं योजना (2007-12)						
2007-08	11.64	97.22	17.55	18.70		
2008-09	37.47	-33.68	23.85	27.65		
2009-10	4.68	29.82	10.48	6.52		

4.2 वास्तविक व्यय में राजस्व व्यय का प्रभावी अंश

अधिकांश वास्तविक व्यय राजस्व व्यय के लिए होता है, जिसका परिणाम आमतौर पर सरकार हेतु परिसम्पत्तियों के नवीन सृजन में नहीं होता है तथा जो सरकारी कार्यप्रणाली के सामान्य प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु महत्व रखता है। Xवीं योजना अवधि के दौरान, वास्तविक व्यय के प्रति राजस्व व्यय का औसत अंश लगभग 87 प्रतिशत था। 2008-09 में राजस्व व्यय का अंश वास्तविक व्यय के लगभग 92 प्रतिशत तक बढ़ा तथा वर्तमान वर्ष में लगभग 90 प्रतिशत तक कम हुआ।

राजस्व व्यय की प्रबलता, प्राथमिक रूप से राजस्व व्यय-प्रोत्साहन कार्यक्रमों एवं योजनाओं के पक्ष में योजना प्राथमिकताओं में एक सचेतन विचलन तथा लघु अवधि में गैर-योजनागत राजस्व व्यय, विशेष रूप से ब्याज भुगतान, पेंशन, वेतन एवं रक्षा जैसे प्रतिबद्ध एवं अनिवार्य व्यय से उद्भूत सर्वांगी दृढ़ता के कारण हुई है। इसके अतिरिक्त, राज्य विकास क्रियाकलापों को या तो केन्द्रीय

सहायता या फिर केन्द्रीकृत रूप से प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से केन्द्रीय सहायता के उद्देश्य जिसके लिए यह राज्यों तथा अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा उपयोग की गई है, पर ध्यान दिए बिना राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न सरकारी अभिकरणों द्वारा राजस्व एवं पूँजीगत के बीच लेखांकन शीर्षों के प्रतिपादन में विचलन है तथा डाटा को संगत, विश्वसनीय तथा तुलनीय बनाने हेतु इसे मानकीकृत किए जाने की आवश्यकता है।

4.2.1 राजस्व व्यय: प्रवृत्ति एवं घटक

Xवीं योजना अवधि में काफी कम 12 प्रतिशत की वार्षिक औसत की तुलना में राजस्व व्यय XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान लगभग 20 प्रतिशत तक बढ़ा है।

तालिका 4.3: राजस्व व्यय एवं इसके घटक

(रुक्कोड़ में)

अवधि	राजस्व व्यय	वेतन एवं भत्ते**	ब्याज भुगतान	पेंशन	राज्यों को अनुदान	अन्य #
Xवीं योजना (2002-07) (औसत)	500825	36728	135860	25539	60676	242022
सापेक्ष अंश	100	7	27	5	12	48
XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	734861	44361	179987	37346	106333	366834
सापेक्ष अंश	100	6	24	5	14	50
2008-09	1010224	71726	200580	45747	121702	570469
सापेक्ष अंश	100	7	20	5	12	56
2009-10	1057479	98980(सं.अ.)	223701	66051	136915	531832
सापेक्ष अंश	100	9	21	6	13	51
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)						
Xवीं योजना (2002-07)	12.24	4.43	5.40	17.49	21.14	14.70
XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	11.64	11.31	16.66	(-) 4.42	19.65	9.12
2008-09	37.47	61.69	11.44	22.50	14.45	55.51
2009-10	4.68	38.00	11.53	44.38	12.50	-6.77

**टिप्पणियां:

- 1) आंकड़ों में रक्षा के गैर-सिविलियन कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर व्यय शामिल नहीं है।
 - 2) वेतन एवं भत्ते पर व्यय जिनमें यात्रा भत्ता, उत्पादकता से सम्बद्ध बोनस, तदर्थ बोनस, अर्जित अवकाश का नगदीकरण एवं मानदेय सम्मिलित नहीं हैं।
 - 3) वेतन एवं भत्तों पर व्यय संबंधित वर्षों के व्यय बजट (भाग-I) में सूचित किए गए के अनुसार अपनाए गए हैं।
- # वर्ग 'अन्य' में अन्य बातों के साथ-साथ खाद्य, उर्वरकों तथा पैट्रोलियम उत्पादों हेतु प्रदान सुरक्षित आर्थिक सहायताओं के साथ-साथ इन उत्पादों की आपूर्ति में निगमों तथा कम्पनियों को क्षतिपूर्ति 'कम वसूलियाँ' शामिल हैं।

तालिका 4.3 राजस्व व्यय के विभिन्न घटकों पर अपने मुख्य उद्देश्य-वार वर्गीकरण के संदर्भ में किए गए व्यय को दर्शाती है।

वेतन एवं भत्ते तथा पेंशन भुगतान: Xवीं योजना अवधि में संघ सरकार के कुल राजस्व व्यय में वेतन एवं भत्तों का अंश 7 प्रतिशत था। XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में, वेतन एवं भत्तों में औसतन अंश सीमांतक रूप से 8 प्रतिशत तक बढ़ा जबकि पेंशनों का अंश उसी 5 प्रतिशत तक की औसत पर रहा। इस प्रकार, वेतन आयोग अधिनिर्णय ने सरकार के कुल राजस्व व्यय में इन घटकों के सापेक्ष अंश में यथेष्ट रूप से वृद्धि नहीं की। तथापि, वृद्धि के क्रम में, वित्त आयोग अधिनिर्णय के कारण 2008-09 तथा 2009-10 इन दो घटकों में विचारणीय वृद्धि थी।

ब्याज भुगतान: राजस्व व्यय बास्केट में ब्याज भुगतान का अंश Xवीं योजना अवधि में 27 प्रतिशत से XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में औसतन 22 प्रतिशत तक नीचे आया। इस उपघटक की विस्तृत चर्चा अध्याय-5 में दी गई है।

राज्यों को अनुदान: केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को योजनागत तथा योजनेतर अनुदान प्रदान किए गए हैं। विवरण तालिका 4.4 में दिए गए हैं।

तालिका 4.4: राज्यों सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान

(रुपरुपड़ में)

क्र. सं.	लघु शीर्ष	अवधि			वृद्धि		अंश	
		2007-08	2008-09	2009-10	(प्रतिशत में)	2008-09	2009-10	2008-09
मुख्य शीर्ष- 3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान								
1	01 योजनेतर अनुदान	34822	36928	44829	6	21	30	33
	02 राज्य योजित योजनाओं हेतु अनुदान	48975	61064	67529	25	11	50	49
2	03 केन्द्र योजित योजनाओं हेतु अनुदान	1366	1907	2147	40	13	2	2
3	04 केन्द्रीय प्रायोजित योजित योजनाओं हेतु अनुदान	20645	21269	21937	3	3	17	16
4	05 विशेष योजित योजनाओं हेतु अनुदान	526	535	473	2	-11	0	0
	कुल	106333	121702	136915	14	13	100	100
मुख्य शीर्ष- 3602-संघ शासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान								
1	01 योजनेतर अनुदान -	948	1233	1143	30	-7	52	28
2	02 संघ शासित क्षेत्र योजित योजनाओं हेतु अनुदान	969	959	2711	-1	183	40	67
3	03 केन्द्र योजित योजनाओं हेतु अनुदान	5	7	6	40	-14	0	0
4	04 केन्द्र प्रायोजित योजित योजनाओं हेतु अनुदान	123	189	180	53	-5	8	4
	कुल	2044	2388	4039	17	69	100	100

2009-10 में सहायता अनुदान का अधिकतम अंश राज्यों और संघशासित क्षेत्रों दोनों के लिए योजनागत योजनाओं को दिया गया। जबकि राज्य सरकार को गैर-योजनागत अनुदानों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि थी, परन्तु संघ शासित क्षेत्रों को सहायता अनुदानों में एक नकारात्मक वृद्धि थी।

यह मुख्यरूप से क्षेत्रोंके राज्यों के लिए 2008-09 में गैर-योजनागत अनुदानों की कम वृद्धि के कारण था और संघ शासित क्षेत्रों के लिए उसी शीर्ष के अंतर्गत अत्यधिक वृद्धि थी। संघ शासित क्षेत्रों के लिए योजनागत अनुदानों ने वर्तमान में 183 प्रतिशत की एक आश्चर्यजनक वृद्धि दर्शाई।

4.2.2 अन्य राजस्व व्यय- आर्थिक सहायता

तालिका 4.5 आर्थिक सहायताओं का वर्णन प्रस्तुत करती है, जिसे सरकार ने Xवीं योजना अवधि और XIवीं योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान सुस्पष्ट रूप से प्रदान किया था। कुल आर्थिक सहायताएं 2008-09 से वर्तमान वर्ष में 0.01 प्रतिशत तक बढ़ी। खाद्य के मामले में 34 प्रतिशत की अधिकतम वृद्धि देखी गई थी जबकि यूरिया के मामले में 21 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि थी।

तालिका 4.5 संघ सरकार के बजट में सुस्पष्ट आर्थिक सहायताएं

(रुकरोड़ में)

अवधि	खाद्य	उर्वरक @	उर्वरक #	पैट्रोलियम आर्थिक सहायताएँ≡≡	अन्य *	कुल आर्थिक सहायताएं	आर्थिक सहायताएं (अ)	आर्थिक सहायताएं (ब)
औसत वार्षिक मूल्य								
Xवीं योजना (2002-07)	23941^^	10969	5717	3971	2596	47194	1.42	9.42
XIवीं योजना (2007-12)								
2007-08	31328	19556^	12934	2820	4288	70926	1.43	9.65
2008-09	43751	28048^	48555	2852	6502	129708	2.33	12.84
2009-10	58443	22184	39452	2951	6692	129722	2.08	12.27

@ देशी एवं आयातित उर्वरकों (यूरिया) पर दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है

विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री पर किसानों को छूट के रूप में दी गई आर्थिक सहायता को दर्शाता है।

* अन्य में इमदादी व्याज, नैफेड को दिए गए अनुदान, विनिमय हानि हेतु क्षतिपूर्ति, हज घोषणा-पत्र हेतु आर्थिक सहायता आदि शामिल है।

** प्रशासनिक मूल्य तंत्र के अन्तर्गत उनके दावों के निपटान में एवं संवेदनशील पैट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण वसूलियों के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के प्रति तेल कम्पनियों को क्रमशः 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान जारी किए गए ₹17,263 करोड़, ₹24,122 करोड़, ₹20,554 करोड़, ₹75,942 करोड़, एवं ₹10306 करोड़ के पैट्रोलियम बन्ध-पत्रों को शामिल नहीं करता तथा 2009-10 के दौरान संवेदनशील पैट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण कम वसूलियों के लिए क्षतिपूर्ति के प्रति ₹12000 करोड़ का व्यय भी शामिल नहीं है।

^ उर्वरक आर्थिक सहायता के प्रति क्षतिपूर्ति के रूप में उर्वरक कम्पनियों को 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान जारी किए गए क्रमशः ₹ 7,500 करोड़ (यूरिया हेतु ₹ 3,500 करोड़, विनियंत्रित उर्वरक हेतु ₹ 4,000 करोड़) एवं ₹20,000 करोड़ के विशेष बंधपत्र को शामिल नहीं किया गया है।

^^ 2006-07 के दौरान भारतीय खाद्य निगम को जारी ₹16,200 करोड़ की विशेष प्रतिभूतियों को शामिल नहीं करता है।


(अ) स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में (ब) राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में

2008-09 में उर्वरक आर्थिक सहायतों में भारी वृद्धि का मुख्य कारण आयातित उर्वरक (विशेषिकर डी-एमोनिया, एक विनियंत्रित उर्वरक) के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में भारी वृद्धि के साथ आयातित

विनियंत्रित उर्वरक की मात्रा में वास्तविक वृद्धि थी। तथापि, वर्ष 2009-10 के दौरान आयातित उर्वरक (यूरिया तथा विनियंत्रित उर्वरक दोनों) के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में सीमांत कटौती के साथ आयातित उर्वरक के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में पर्याप्त कटौती थी जिसका परिणाम वर्ष 2008-09 की तुलना में उर्वरक आर्थिक सहायता में कटौती में हुआ। इस कटौती के पश्चात भी, 2009-10 में ₹ 61,636 करोड़ कुल उर्वरक आर्थिक सहायता 2007-08 में ₹ 32,490 (₹ 7500 करोड़ के विशेष बंधपत्र को हटाकर) की संगत आर्थिक सहायता से अधिक थी।

2008-09 में स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में कुल आर्थिक सहायताएं लगभग 1 प्रतिशतता बिन्दु तक बढ़ी परन्तु वर्तमान वर्ष में सीमांत रूप से कम हुई। 2007-08 से अधिक 2008-09 में राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में आर्थिक सहायताएं 3.19 प्रतिशतता बिन्दुओं तक बढ़ी परन्तु वर्तमान वर्ष में कुछ हद तक स्थिर थी।

चार्ट 4.1 2009-10 में स्पष्ट आर्थिक सहायता के घटकों के सापेक्ष अंश



आर्थिक सहायता न केवल सुस्पष्ट रूप से, अर्थात् बजट के माध्यम से प्रदान की जाती है, बल्कि लोगों को इमदादी लोक सेवा द्वारा भी उपलब्ध करायी जा रही है। इस प्रकार की आर्थिक सहायताओं को सामान्यतया अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता के रूप में नामित किया जाता है। वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों को बजटीय सहायता, लो.क्षे.उ. में इसके निवेश से अपर्याप्त वापसी तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से उपभोक्ता प्रभारों की अपर्याप्त वसूली, जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता की श्रेणी में आती है। **तालिका 4.5** में प्रदर्शित आर्थिक सहायताएं केवल ‘स्पष्ट आर्थिक सहायताएं’ से संबंधित हैं जिनके लिए संबंधित वर्षों के संघ बजट में आबंटन किए जाते हैं। इस प्रकार, यह प्रवृत्तियां आंशिक चित्र प्रस्तुत करती है क्योंकि ये जन हित में सरकार द्वारा लागू किए गए मूल्य नियंत्रण के कारण अपने उत्पादों की कम वसूलियों के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में संबंधित कम्पनियों को विशेष बंध-पत्र/प्रतिभूतियों को जारी करके संघ सरकार द्वारा सृजित अतिरिक्त बजटीय देयताओं से विशिष्ट हैं। अगर इन अतिरिक्त बजटीय देयताओं को भी आर्थिक सहायता के रूप में माना गया है तो आर्थिक सहायताओं पर संघ सरकार

का व्यय तीव्रता से बढ़ेगा तथा आर्थिक सहायताओं पर किए जाने वाले वास्तविक व्यय को अधिक यर्थात् रूप से प्रदर्शित करेगा।

इसके अतिरिक्त, ले.म.नि द्वारा 2009-10 के लिए आर्थिक सहायताओं पर प्रस्तुत किए गये डाटा के अनुसार घेरेलू एल.पी.जी. तथा कैरोसिन (पी.डी.एस.) संचालनों की बिक्री के कारण कम वसूलियों हेतु क्षतिपूर्ति के प्रति ₹12000 करोड़ के व्यय का पैट्रोलियम आर्थिक सहायता के रूप में संगणना नहीं की गई है। यह नोट करना उचित है कि कथित रोकड़ व्यय की संशोधित अनुमान स्तर पर पैट्रोलियम आर्थिक सहायता के रूप में ₹14954 करोड़ की वृद्धि करते हुए संगणना की गई थी परन्तु पैट्रोलियम आर्थिक सहायता ₹2951 करोड़ दर्शाई गई है।

4.3 व्यय: योजनागत एवं योजनेतर

वित्त लेखे व्यय को आगे योजनागत और योजनेतर में बांटने का प्रावधान करते हैं। योजनागत व्यय सामान्यतः नई परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर संवृद्धि विकासात्मक व्यय से संबंधित होता है और इसमें राजस्व तथा पूँजीगत दोनों व्यय समाविष्ट होते हैं। दूसरी ओर, योजनेतर व्यय का सामान्यतः पहले से प्राप्त सेवाओं के स्तरों को बनाए रखने के लिए उपयोग होता है। तथापि, योजनागत और योजनेतर व्यय, दोनों में राजस्व व्यय के सापेक्ष पूँजीगत व्यय में वृद्धि को गुणात्मक रूप से अधिक वांछनीय माना जाता है क्योंकि यह सरकार द्वारा सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना नेटवर्क के विस्तार और पूँजी निर्माण को जन्म देता है। **तालिका 4.6** संघ सरकार के योजनागत एवं योजनेतर व्यय की वृद्धि तथा संयोजन को प्रस्तुत करती है जबकि कुल व्यय में योजनागत और योजनेतर व्यय के सापेक्ष अंश में प्रवृत्तियों को **तालिका 4.7** दिया गया है।

तालिका 4.6: योजनागत एवं योजनेतर व्यय में वृद्धि

(₹करोड़ में)

अवधि	योजनागत				योजनेतर			
	कुल	राजस्व	पूँजीगत	ऋण	कुल	राजस्व	पूँजीगत	कर्जे एवं चेशिगियाँ
Xवीं योजना (2002-07) औसत	138676	101635	17960	19081	435176	399190	29033	6954
XIवीं योजना (2007-12)								
2007-08	205082	173572	21806	9704	658493	561289	95131	2073
2008-09	275301	234774	28123	12404	827065	775450	49433	2182
2009-10	303593	254087	35003	14503	870687	803392	65683	1612
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)								
Xवीं योजना (2002-07)	12.35	21.46	7.30	(-) 28.44	10.38	9.99	28.78	(-) 31.50
XIवीं योजना (2007-12)								
2007-08	10.22	9.43	12.32	20.88	21.61	12.34	138.55	4.12
2008-09	34.24	35.26	28.97	27.82	25.60	38.16	-48.04	5.26
2009-10	10.28	8.23	24.46	16.92	5.27	3.60	32.87	-26.12

4.3.1 योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय में वृद्धि प्रवृत्तियाँ: तालिका 4.6 दर्शाती है कि 2009-10 में योजनागत व्यय में वृद्धि पिछले वर्ष से 10.28 प्रतिशत (12.35 प्रतिशत की Xवीं योजना की

वृद्धि दर से कम) थी तथा योजनेतर व्यय में 5.27 प्रतिशत (10.38 प्रतिशत की Xवीं योजना की वृद्धि दर से अधिक) थी। योजनागत कर्जों के मामले में, Xवीं योजना के दौरान नकारात्मक वृद्धि (-28.44 प्रतिशत) की तुलना में पिछले वर्ष 2009-10 में सार्थक वृद्धि (16.92 प्रतिशत) थी।

4.3.2 कुल व्यय में योजनागत एवं योजनेतर व्यय का सापेक्ष अंश: केन्द्र सरकार के व्यय के संयोजन में प्रवृत्तियाँ प्रकट करती हैं कि योजनेतर व्यय योजनागत व्यय से बहुत अधिक प्रभावशाली है तथा राजस्व व्यय पूर्ण रूप से पूँजीगत व्यय पर छा गया है। **तालिका 4.7** दर्शाती है कि 24.17 प्रतिशत की Xवीं योजना की औसत की तुलना में 2009-10 में कुल व्यय बास्केट में योजनागत व्यय के सापेक्ष अंश में सीमांत वृद्धि (25.85 प्रतिशत) थी।

तालिका 4.7: योजनागत एवं योजनेतर व्यय: सापेक्ष अंश

(प्रतिशत में)

अवधि	यो.व्य./कु.व्य.	गै.यो.व्य./कु.व्य.	यो.रा.व्य./यो.व्य.	गै.यो.रा.व्य./गै.यो.व्य.
X वीं योजना (2002-07) (औसतन)	24.17	75.83	73.29	91.73
XI वीं योजना (2007-12)				
2007-08	23.75	76.25	84.64	85.24
2008-09	24.97	75.03	85.28	93.76
2009-10	25.85	74.15	83.69	92.27

टिप्पणी: यो.व्य. = योजनागत व्यय, गै.यो.व्य. = गैर-योजनागत व्यय, यो.रा.व्य. = योजनागत राजस्व व्यय,
गै.यो.रा.व्य. = गैर-योजनागत राजस्व व्यय तथा कु.व्य. = कुल व्यय

तालिका 4.7 दर्शाती है कि Xवीं योजना हेतु, योजनागत एवं गैर-योजनागत दोनों व्यय के लिए, राजस्व घटक (क्रमशः 73.29 तथा 91.73 प्रतिशत) औसतन अधिक प्रभावी रहा। Xवीं योजना की तुलना में, वर्ष 2009-10 के लिए, योजनागत व्यय में योजनागत राजस्व व्यय का अंश (83.69 प्रतिशत) था जबकि गैर-योजनागत व्यय में गैर-योजनागत राजस्व का अंश अधिक था (92.27 प्रतिशत)। योजनागत व्यय के राजस्व घटक में बढ़ोत्तरी, मुख्य रूप से राज्यों को योजनागत अनुदानों में बढ़ोत्तरी तथा ग्रामीण रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों के अंतर्गत व्यय वचनबद्धताओं को पूरा करने के कारण भी थी। ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण जल आपूर्ति, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, 'सर्व शिक्षा अभियान', 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन', 'राष्ट्रीय बागवानी मिशन', लघु सिंचाई तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों जैसे सामाजिक अभिमुख क्षेत्रों में व्यय करने से वृद्धि हुई थी जो हाल के वर्षों में योजनागत व्यय के राजस्व घटक में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी का कारण बना।

4.4 व्यय की उत्प्लावकता

तालिका 4.8: स.घ.उ. तथा राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में व्यय की उत्प्लावकता में प्रवृत्तियाँ

(प्रतिशत में)

व्यय के प्रकार	2002-2007		2008-09		2009-10		2007-10	
	स.घ.उ.	राजस्व प्राप्तियाँ	स.घ.उ.	राजस्व प्राप्तियाँ	स.घ.उ.	राजस्व प्राप्तियाँ	स.घ.उ.	राजस्व प्राप्तियाँ
योजनागत व्यय	0.871	0.791	2.704	21.432	0.872	1.512	1.773	5.203
गैर-योजनागत व्यय	0.732	0.664	2.021	16.024	0.448	0.776	1.226	3.599
राजस्व व्यय	0.863	0.783	2.959	23.456	0.397	0.688	1.633	4.792
पूँजीगत व्यय	1.382	1.255	(-2).659	-21.080	2.532	4.388	-0.590	(-1).731
कर्ज एवं पेशगियाँ	-2.077	-1.886	1.883	14.930	0.890	1.542	1.389	4.076
कुल व्यय	0.766	0.695	2.183	17.309	0.554	0.960	1.359	3.988

व्यय में वृद्धि की एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी बनाने हेतु अन्य राजकोषीय परिवर्तनों के साथ-साथ दीर्घ-आर्थिक परिवर्तनों के साथ तुलना की जानी चाहिए। इस पैरा में, विभिन्न प्रकार के व्ययों में वृद्धि (तालिका 4.8 का कॉलम 1) की स.घ.उ. वृद्धि दर (चूंकि यह एक देश के दीर्घ-आर्थिक विकास का अच्छा सूचक है) तथा राजस्व प्राप्तियों (व्यय तथा राजस्व के बीच के अंतर समझने हेतु) के साथ तुलना की गई है। तालिका 4.8 निम्नलिखित जानकारी प्रदान करता है:

4.4.1 योजनागत व्यय की उत्प्लावकता: Xवीं योजना अवधि हेतु, कुल व्यय के अनुपात के रूप में योजनागत व्यय में वृद्धि स.घ.उ. के साथ-साथ राजस्व प्राप्तियों दोनों की वृद्धि से कम थी। स.घ.उ. में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु, योजनागत व्यय केवल 0.871 प्रतिशत तक बढ़ा तथा राजस्व प्राप्तियों में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु योजनागत व्यय केवल 0.791 प्रतिशत तक बढ़ा। यह प्रवृत्ति XIवीं योजना (2007-10) के प्रथम तीन वर्षों में विपरीत थी जब विभिन्न राजकोषीय प्रेरक कार्यक्रमों के कारण योजनागत व्यय वृद्धि स.घ.उ. की वृद्धि की 1.773 तथा राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की 5.2 गुना थी।

4.4.2 गैर-योजनागत व्यय की उत्प्लावकता: Xवीं योजना की पूर्ण अवधि हेतु, गैर-योजनागत व्यय में वृद्धि स.घ.उ. के साथ-साथ राजस्व प्राप्तियों दोनों की वृद्धि से कम थी। स.घ.उ. में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु गैर-योजनागत व्यय केवल 0.732 प्रतिशत तक बढ़ा तथा राजस्व प्राप्तियों में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु गैर-योजनागत व्यय केवल 0.664 प्रतिशत तक बढ़ा। XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में, गैर-योजनागत व्यय में वृद्धि तथा राजस्व प्राप्तियों वृद्धि स.घ.उ. वृद्धि से अधिक थी।

4.4.3 राजस्व व्यय की उत्प्लावकता: Xवीं योजना पूर्ण अवधि हेतु, राजस्व व्यय में वृद्धि स.घ.उ. के साथ-साथ राजस्व प्राप्तियों दोनों की वृद्धि से कम थी। स.घ.उ. में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु राजस्व व्यय केवल 0.863 प्रतिशत तक बढ़ा तथा राजस्व प्राप्तियों में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु राजस्व व्यय केवल 0.783 प्रतिशत तक बढ़ा। XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में यह प्रवृत्ति

विपरीत थी, जब विभिन्न राजकोषीय प्रेरक कार्यक्रमों के कारण राजस्व व्यय वृद्धि स.घ.उ. की वृद्धि की 1.63 गुना तथा राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की 4.8 गुना थी।

4.4.4 पूँजीगत व्यय की उत्पावकता: Xवीं योजना अवधि हेतु, पूँजीगत व्यय में वृद्धि स.घ.उ. के साथ-साथ राजस्व प्राप्तियों दोनों की वृद्धि से अधिक थी। स.घ.उ. में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु पूँजीगत व्यय केवल 1.382 प्रतिशत तक बढ़ा तथा राजस्व प्राप्तियों में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि हेतु पूँजीगत व्यय केवल 1.255 प्रतिशत तक बढ़ा, तथापि, XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में यह प्रवृत्ति विपरीत थी तथा पूँजीगत व्यय की वृद्धि या तो स.घ.उ. वृद्धि या फिर राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि से काफी कम थी।

4.5 व्यय की गुणवत्ता

देश में सामाजिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में अच्छी अवसंरचना की उपलब्धता उसके व्यय की गुणवत्ता को प्रदर्शित करती है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से विकास शीर्षों पर लोक व्यय के महत्व को ध्यान में रखते हुए, सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उपयुक्त व्यय यौक्तिकीकरण उपाय करे तथा अभ्यन्तर लोक सामान तथा सेवाओं के प्रावधान पर बल डाले जो कि नागरिकों के कल्याण को बढ़ाएगा। विकास व्यय के प्रति आबंटन को सुधारने के अतिरिक्त, विशेष रूप से हाल के वर्षों में ऋण सेवा में गिरावट के कारण सृजित किए जा रहे राजकोषीय स्थान को ध्यान में रखते हुए, व्यय उपयोग की प्रभावकारिता को भी कुल व्यय (तथा/अथवा स.घ.उ.) के प्रति पूँजीगत व्यय (पू.व्य.) के अनुपात द्वारा प्रदर्शित किया गया है। वास्तविक व्यय के प्रति पू.व्य. जितना अधिक होगा उतनी बेहतर व्यय की गुणवत्ता होगी।

तालिका 4.9 वास्तविक व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

वर्ष	स.घ.उ.	वा.व्य.=	वा.व्य./ स.घ.उ.	आ.से.व्य. ≡	आ.से.व्य./ वा.व्य. की %	सा.से.व्य.=	सा.से.व्य. /वा.व्य. की प्रतिशत	पू.व्य.	पू.व्य. / वा.व्य. की प्रतिशत
2002-2007	3317483	573852	17.30	192842	33.60	32634	5.69	46993	8.19
2007-2008	4947857	863575	17.45	337115	39.04	63246	7.32	116937	13.54
2008-2009	5574449	1102366	19.78	466578	42.33	90288	8.19	77556	7.04
2009-2010	6231171	1174280	18.85	423181	36.04	103895	8.85	100686	8.57
2007-2010	5584492	1046740	18.74	408958	39.07	85810	8.20	98393	9.40

≡ वा.व्य.= कर्जे एवं पेशगियों पर व्यय सहित वास्तविक व्यय, आ.से.व्य.= आर्थिक सेवा व्यय, सा.से.व्य.= सामाजिक सेवा व्यय, पू.व्य. = पूँजीगत व्यय

तालिका 4.9 दर्शाती है कि Xवीं योजना के दौरान स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में संघ सरकार का वास्तविक व्यय लगभग 17 प्रतिशत था। XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में, स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में वास्तविक व्यय स.घ.उ. के लगभग 19 प्रतिशत तक अधिक था। वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में, आर्थिक सेवाओं में व्यय, योजना अवधि में लगभग 34 प्रतिशत के औसत की तुलना में XIवीं योजना (39 प्रतिशत से अधिक का औसत) के प्रथम 3 वर्षों में यथेष्ट

रूप से बढ़ा। इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र व्यय में XIवीं योजना में लगभग 6 प्रतिशत से, XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में औसतन 8 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई। चूंकि आर्थिक क्षेत्र व्यय तथा सामाजिक क्षेत्र व्यय दोनों विकास व्यय समझे जाते हैं, इसलिए वित्तीय परिव्यय की गुणवत्ता में, XIवीं योजना अवधि की तुलना में XIवीं योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों में एक सुधार का अनुभव करना प्रतीत होता है। तथापि, जब तक वित्तीय परिव्यय वास्तविक परिणामों में रूपान्तरित नहीं किये जाते हैं, तब तक व्यय की गुणवत्ता का निर्धारण करना कठिन होगा। तथापि वास्तविक व्यय में पूँजीगत व्यय के अनुपात में, XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में केवल सीमान्तक वृद्धि दर्शाई।

4.6 सरकार के मुख्य ध्वजपोत कार्यक्रम - पिछले तीन वर्षों में वास्तविक व्यय:

तालिका 4.10: पिछले तीन वर्षों में सरकार के कुल मुख्य ध्वजपोत कार्यक्रम - वास्तविक व्यय


(₹ करोड़ में)

क्र.सं	कार्यक्रम *	2007-08			2008-09			2009-10		
		व.अ.	वास्तविक	विचलन (प्रतिशत में)	व.अ.	वास्तविक	विचलन (प्रतिशत में)	व.अ.	वास्तविक	विचलन (प्रतिशत में)
1	स.शि.अ.	9760	11481	17.6	11940	12643	5.9	11934	12825	7.5
2	दो.भो.यो.	6582	5832	-11.4	7200	6531	-9.3	7200	6932	-3.7
3	रा.ग्रा.रो.आ.यो.	10800	12661	17.2	14400	29999	108.3	39100	33538	-14.2
4	ग्रामीण विद्युत	3983	3913	-1.8	5055	5500	8.8	6300	5000	-20.6
5	इं.आ.यो.	3636	3885	6.8	4859	8799	81.1	7918	8799	11.1
6	प्र.मं.ग्रा.स.यो.	6110	6500	6.4	7075	7780	10.0	10933	11340	3.7
7	रा.ग्रा.स्वा.मि.	12581	11617	-7.7	13838	13651	-1.4	15534	15670	0.9

स.शि.अ. = सर्व शिक्षा अभियान, दो.भो.यो. = दोपहर के भोजन की योजना, रा.ग्रा.रो.आ.यो. = राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन योजना, रा.गा.ग्रा.वि.यो.- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इं.आ.यो. = इंदिरा गांधी आवास योजना, प्र.मं.ग्रा.स.यो. = प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना, रा.ग्रा.स्वा.यो. = राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान का वास्तविक व्यय में, 2009-10 में बजट अनुमानों से लगभग 8 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। दोपहर के भोजन की योजना (दो.भो.यो.) के मामले में, XI वीं योजना के सभी तीन वर्षों में अब तक, वास्तविक व्यय बजट अनुमानों से कम पड़ा। वर्तमान वर्ष में, रा.ग्रा.रो.आ.योजना और रा.गा.ग्रा.वि.यो. में वास्तविक व्यय में यथेष्टरूप से कमी हुई थी। इंदिरा गांधी आवास योजना के अंतर्गत, वास्तविक व्यय बजट अनुमानों में लगभग 11 प्रतिशत तक बढ़ा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के मामले में, जो वर्तमान वर्ष के अनुमानित किया गया था उसमें सीमान्तक रूप से अधिक व्यय था, जबकि XI वीं योजना के पिछले वर्षों में, वास्तविक व्यय, बजट अनुमानों से कम हुआ। इसके अतिरिक्त निम्न चार्ट 4.2 2007-10 अवधि के दौरान तीन कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय दर्शाता है।

चार्ट 4.2 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान कुछ मुख्य ध्वजपोत कार्यक्रमों पर वास्तविक व्यय



4.7 कार्यान्वयन करने वाली एजेन्सियों को राज्य/जिला स्तर स्वायत्त निकायों को केन्द्रीय योजना सहायता का सीधा अन्तरण

निम्न तालिका 4.11 दर्शाती है कि कुल योजना व्यय को केन्द्रीय योजना सहायता के सीधे अन्तरण का अनुपात में, 2006-07 में 24.55 प्रतिशत से 2009-10 में 32.33 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई थी।

तालिका 4.11: राज्य/जिला स्तरीय स्वायत्त निकायों से कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय योजना सहायता का सीधा अन्तरण

वर्ष (1)	सीधे अन्तरण की राशि (जैसा व्यय बजट, संस्करण I, विवरणी सं. 18 में है) (2)	कुल योजना व्यय (3)	(₹ करोड़ में)	
			कालम 3 से कालम 2 की प्रतिशतता (4)	
2006-07	43,816	1,86,060	24.55	
2007-08	54,776	2,05,082	26.71	
2008-09	83,224	2,75,301	30.23	
2009-10	(स.अ.) 93,881	3,03,593	32.33	

तालिका 4.11 दर्शाती है कि कुल योजनागत व्यय के लिए केन्द्रीय योजना सहायता सीधे अंतरण का अनुपात 2006-07 में 24.55 प्रतिशत से 2009-10 में 32.33 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

4.8 मुख्य व्यय पैरामीटरों पर बजट अनुमानों (एक दृष्टि पर बजट के अनुसार) तथा वित्त लेखे 2009-10 की एक तुलना

तालिका 4.12 बजट अनुमान तथा वास्तविक निष्पादन

(रैकरेड में)

पैरामीटर	वास्तविक	बजट अनुमान ≡ (ब.अ.)	ब.अ. से विचलन की प्रतिशतता	बारहवें वित्त आयोग (वा.वि.आ.) के अनुमान	वा.वि.आ. अनुमानों से विचलन की प्रतिशतता
1. गैर-योजनागत व्यय	870687	695689	(+) 25	-	-
क. गैर-योजनागत राजस्व व्यय	803392	618834	(+) 30	362577	(+) 122
जिससे					
(क) ब्याज भुगतान	223701	225511	(-) 1	156006	(+) 43
(ख) आर्थिक सहायताएं	129722	111276	(+) 17	36157	(+) 259
ख. गैर-योजनागत पूंजीगत व्यय	65683	76855	(-) 15	-	-
2. योजनागत व्यय	303593	325149	(-) 7	-	-
क. योजनागत राजस्व व्यय	254087	278398	(-) 9	195390	(+) 30
ख. योजनागत पूंजीगत व्यय	35003	46751	(-) 25	-	-
3. कुल व्यय (1+ 2)≡	1174280	1020838	(+) 15	747849	(+) 57

≈ प्राप्तियों से मिलान किए गए व्यय को छोड़कर।

≈ एक दृष्टि में बजट के अनुमान

जैसा तालिका 4.12 में दर्शाया गया है, कुल व्यय बजट अनुमानों से 15 प्रतिशत तक बढ़ा क्योंकि गैर-योजनागत राजस्व व्यय 30 प्रतिशत तक बढ़ा था। योजनागत तथा गैर-योजनागत पूंजीगत व्यय दोनों में महत्वपूर्ण नकारात्मक विचलन था।

4.9 विवेकपूर्ण व्यय प्रबंधन सुनिश्चित करने की आवश्यकता


चूंकि सरकार बजट को वित्तपोषित करने हेतु ऋण निधियों पर वर्धमान रूप से निर्भर कर रही है इसलिए राजस्व व्यय को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। स.घ.उ. के संबंध में राजस्व घाटे को नियंत्रण करने की आवश्यकता की अध्याय 5 में चर्चा की गई है। वर्षों से इस घटक की वृद्धि का पता लगाने कि केन्द्रीय मंत्रालय (साथ-साथ राज्यों) के पार कौन राजस्व व्यय संस्थापित करता है, के लिए एक उपयुक्त समरूपण करने की आवश्यकता है। आर्थिक सहायताओं में बड़ी वृद्धि राजकोषीय शोधन मार्ग की उपलब्धि को रोक सकती है। परियोजनाओं तथा योजनाओं की बेहतर रूपरेखा, कार्यान्वयन अभिकरणों को निधि अन्तरण की अधिक कड़ी जवाबदेही, समय एवं लागत अधिक लगने की कड़ी मॉनीटरिंग तथा यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय परिणामों सहित भौतिक परिणाम भी प्राप्त किए गए हैं, व्यर्थ व्यय से बचने में काफी अधिक प्रभावी होगा।

अध्याय 5

राजकोषीय देयताओं तथा असंतुलनों का प्रबंधन

5.1 भारत जैसी उद्गामी अर्थव्यवस्था में संतुलित बजट कोई विकल्प नहीं है तथा सरकार को उत्तरोत्तर बढ़ती व्यय आवश्यकताओं तथा अपर्याप्त गैर-ऋण प्राप्तियों के बीच अंतराल को समाप्त करने हेतु कर्जों का प्रयोग करना है। आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण और अन्य देयताएं, देयताओं के तीन सेट हैं जिनसे संघ सरकार का ऋण संघटित है (बॉक्स 5.1)। आन्तरिक एवं बाह्य ऋण, लोक ऋण को गठित करते हैं और भारत की समेकित निधि के अंतर्गत सुरक्षित किए जाते हैं। आन्तरिक ऋण में बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियां और अन्य विभिन्न विशेष प्रतिभूतियां, क्षतिपूर्ति एवं अन्य बन्ध-पत्र और अन्य रूपया प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं। बाह्य ऋण विदेशी सरकारों और निकायों से प्राप्त कर्जों का द्योतक है। सरकार की अन्य देयताएं उधारकर्ता की अपेक्षा एक बैंकर या न्यासी के रूप में अपनी क्षमता से अधिक उद्भूत होती हैं जिसमें लघु बचतें, भविष्य निधि, आरक्षित निधि और निष्केप निधि जमा (व्यय प्रभारित करके सृजित जबकि वास्तविक व्यय/संवितरण अभी किया जाना है) समाविष्ट हैं। ये उधार या संभूतियां भा.स.नि. के अंतर्गत सुरक्षित नहीं हैं और ये लोक लेखा के भाग के रूप में दर्शाई जाती हैं। तथापि, ये सभी देयताएं या उनकी वापसी अथवा विनिर्देशित व्यय के सम्बन्ध में सरकार के दायित्व हैं।

बॉक्स 5.1: भारत सरकार की राजकोषीय देयताएं



तालिका 5.1 सरकार की कुल देयताएं प्रस्तुत करती है जिसमें Xवीं योजना अवधि तथा XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान आंतरिक ऋण एवं वर्तमान विनिमय दर तथा ऐतिहासिक दर (जिस दर पर ऋण मूल रूप से अनुबंधित किया गया था) दोनों पर संगणित बाह्य ऋण एवं लोक लेखा सम्मिलित हैं। परिशिष्ट-V-क में उसके संघटन के आधार पर वार्षिक कुल देयता दर्शाई गई है।

तालिका 5.1: कुल राजकोषीय देयताएं - प्रवृत्तियां तथा संरचना

(₹करोड़ में)

अवधि	आन्तरिक ऋण	ऐतिहासिक दरों पर बाह्य ऋण	लोक लेखा*	कुल देयताएं (ऐतिहासिक दरों पर)	बाह्य ऋण (वर्तमान दरों पर)	कुल देयताएं (वर्तमान दरों पर)
Xवीं योजना (2002-07) (औसत)	1274620	72715	368973	1716307	193395	1836987
XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	1799651	112031	466602	2378284	210104	2476357
2008-09	2019841	123046	556235	2699122	264059	2840135
2009-10	2328339	134083	583279#	3045701	249306	3160924
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)						
Xवीं योजना (2002-07) (औसत)	10.80	19.75	7.29	10.37	1.05	8.98
XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	16.48	9.07	6.33	13.98	4.41	13.33
2008-09	12.24	9.83	19.21	13.49	25.68	14.69
2009-10	15.27	8.97	4.86	12.84	-5.59	11.29

* 1999-2000 से लोक लेखा देयताओं में, विशिष्ट राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेशित सीमा तक लघु बचतों के कारण देयताएं शामिल नहीं हैं।

31.3.2010 को, लोक लेखा देयताएं ₹10,67,541 करोड़ थी, जिनमें विशेष राज्य सरकार प्रतिभूतियों में निवेश किए गए ₹4,82,762 करोड़ तथा 2007-08 से आई.आई.एफ.सी.एल. में निवेश किए गए ₹1,500 करोड़ शामिल हैं।

तालिका 5.1 दर्शाती है कि Xवीं योजना अवधि हेतु आंतरिक ऋण ने कुल देयताओं का 69 प्रतिशत संघटित किया तथा लगभग 11 प्रतिशत की औसतन वार्षिक दर पर बढ़ा। 2009-10 में, कुल देयताओं में अंश 74 प्रतिशत तक उच्च था तथा इसकी वृद्धि Xवीं योजना अवधि की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत तक अधिक थी। आंतरिक ऋण की अधिक वृद्धि संशक्त निजी क्षेत्र निवेश के "जमघट" में परिणित हो सकती है क्योंकि जब सरकार ऐसे एक सार्थक प्रकार से ऋण बाजार में प्रवेश करती है तो ब्याज दरें दृढ़ हो जाती है। राजकोषीय देयताओं के अन्य दोनों वर्गों में, अर्थात् बाह्य ऋण (वर्तमान दर पर) तथा लोक लेखे में देयताएं, 2009-10 में वृद्धि Xवीं योजना में औसत वृद्धि से कम थी। वर्तमान वर्ष में बाह्य ऋण ने नकारात्मक वृद्धि दर्शाई जबकि पिछले वर्ष में इस शीर्ष के अंतर्गत यथेष्ट वृद्धि थी।

5.2 स.घ.उ. के सापेक्ष में राजकोषीय देयताएं

XII वें वित्त आयोग ने 2009-10 तक, संघ की कुल देयताओं में स.घ.उ. के 43.7 प्रतिशत तक की कटौती की अनुशंसा की थी (तालिका 4.13 बारहवाँ वित्त आयोग प्रतिवेदन, नवम्बर 2004 का पृष्ठ 75,)। इसकी तुलना में, वर्तमान वर्ष की समाप्ति पर संघ की राजकोषीय देयताएं 50 प्रतिशत से अधिक रहीं।


तालिका 5.2: स.घ.उ. के सापेक्ष में राजकोषीय देयताएं

(प्रतिशत)

अवधि	आन्तरिक ऋण/स.घ.उ.	बाह्य ऋण (ऐतिहासिक दरों पर)/स.घ.उ	लोक लेखे/स.घ.उ	कुल देयताएं (ऐतिहासिक दरों पर)/स.घ.उ	बाह्य ऋण (चालू दरों पर)/स.घ.उ	कुल देयताएं (चालू दरों पर)/स.घ.उ
Xवीं योजना (2002-07) (आौसत)	38.42	2.19	11.12	51.74	5.83	55.37
XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	36.37	2.26	9.43	48.07	4.25	50.05
2008-09	36.23	2.21	9.98	48.42	4.74	50.95
2009-10	37.37	2.15	9.36	48.88	4.00	50.73

बॉक्स 5.2 घाटों के विभिन्न प्रकारों की सूचना प्रदान करता है जो बजट को संतुलित करने हेतु सरकार के अत्यधिक कर्जे लेने से घटित होते हैं।

बॉक्स 5.2: घाटे के संघटक



5.2.1 लक्ष्य/रा.उ.ब.प्र.अधिनियम/नियमावली की अपेक्षाओं की तुलना में वास्तविक घटा

सरकारी अधिसूचना जारी किए जाने एवं रा.उ.ब.प्र. नियमावली, 2004 के सूत्रीकरण के पश्चात में रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2003 जुलाई 2004 से प्रभाव में आया। अधिनियम एवं नियमावली में प्रावधान किया गया कि न्यूनतम वार्षिक हास लक्ष्य में स.घ.उ. के 0.5 प्रतिशतता अंक के साथ 2008-09 तक राजस्व घटे के निवारण हेतु तथा राजकोषीय घटे को न्यूनतम वार्षिक हास लक्ष्य के रूप में स.घ.उ. के 0.3 प्रतिशतता अंक के साथ स.घ.उ. के 3 प्रतिशत के स्तर पर लाया जा सके। रा.उ.ब.प्र. अधिनियम/नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य/ अपेक्षाओं के अनुसार अन्य विषयों के साथ-साथ राजकोषीय प्रबन्धन में अन्तःउत्पादन इक्विटी¹ तथा दीर्घावधि बृहत-आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना है। तथापि, राजस्व एवं राजकोषीय घटे में हास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में अन्तः लचीलापन है क्योंकि उसका एक उपबन्ध है कि विनिर्दिष्ट सीमा को, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार अथवा आधारों या राष्ट्रीय विपदा या ऐसे अपवादात्मक आधारों जिसे केन्द्र सरकार विशेष रूप से उल्लेख करे, के कारण अतिक्रमण किया जा सकता है। रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के इस प्रावधान का आह्वान करने पर संघ सरकार ने राजकोषीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अधिनियम में मूलरूप से विचार की गई तिथियों का संशोधन किया। राजकोषीय घटे से संबंधित लक्ष्यों को अधिनियम में अध्यादेश के अनुसार प्राप्त करना निर्धारित किया गया था, जबकि 2009-10 तक राजकोषीय घटे से संबंधितों को मुख्यतः विशेष रूप से XIवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ पर राजस्व व्यय-गहन कार्यक्रमों तथा योजनाओं के पक्ष में योजनागत वरीयताओं में संवेदनशील विचलन के कारण उनके विलोपन हेतु पुनः सूचीबद्ध किया गया था। लघु अवधि में समाहित गैर-योजनागत प्रतिबद्ध राजस्व व्ययों की सर्वांग दृढ़ता विशेष रूप से ब्याज भुगतानों, आर्थिक सहायता-सुरक्षा और अस्पष्ट दोनों, पेंशन, वेतन तथा रक्षा क्षेत्र जैसे प्रतिबद्ध तथा अनिवार्य व्यय से उत्पन्न अन्य सहयोगी घटक बताया गया था।

बजट के साथ-साथ तथा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित, केन्द्र सरकार 2004-05 से मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति विवरण (म.अ.रा.नी.वि.) के साथ-साथ राजस्व एवं राजकोषीय घटे हेतु तथा कर राजस्व हेतु 3-वर्षीय परिवर्तनशील लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए तथा स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में केन्द्र सरकार के कुल बकाया दायित्वों को प्रस्तुत कर रही है। इन्हें वृद्धि के पूर्वानुमानों तथा सरकार के नीतिगत रवैये के आधार पर प्राप्त किया गया है। म.अ.रा.नी.वि. विवरण में वर्तमान वर्ष हेतु निर्धारित राजस्व तथा राजकोषीय घटे के लक्ष्य, के साथ-साथ उनके वास्तविक स्तरों, जैसा कि 2009-10 के संघ सरकार के वित्त लेखों में प्रदर्शित है, को तालिका 5.3 में दिया गया है।

¹ वर्तमान राजकोषीय असावधानियों के लिए भविष्य के उत्पादन के भार को कम करते हुए।

तालिका 5.3: रा.उ.ब.प्र. नियमावली के अन्तर्गत लक्ष्यों की तुलना में परिणाम (स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)

राजकोषीय संकेतक	म.अ.रा.नी.वि. 2007-08 में वर्ष 2009-10 हेतु निर्धारित लक्ष्य	म.अ.रा.नी.वि. 2008-09 में वर्ष 2009-10 हेतु निर्धारित लक्ष्य	म.अ.रा.नी.वि. 2009-10 में निर्धारित लक्ष्य	वास्तविक स्तर (2009-10 के वित्त लेखाओं से कटौती के अनुरूप)	ब.अ. 2009-10 के साथ विचलन
राजस्व घाटा	0.0	0.0	4.8	5.66	17.92%
राजकोषीय घाटा	3.0	3.0	6.8	6.94	2.06%

तालिका 5.3 पूर्व वर्षों में बजटों के साथ संलग्न मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणियों (म.अ.रा.नी.वि.) में 2009-10 के लिए मुख्य राजकोषीय मापदण्डों हेतु निर्धारित लक्ष्यों-राजस्व तथा राजकोषीय घाटे को प्रस्तुत करता है। 2009-10 के ब.अ. में निर्धारित 4.8 प्रतिशत के राजस्व घाटे के लक्ष्य के प्रति वास्तविक राजस्व घाटा 5.66 प्रतिशत था जो लक्ष्य से 17.92 प्रतिशत का विचलन दर्शाता है। राजकोषीय घाटे के मामले में, 6.8 प्रतिशत के लक्ष्य के प्रति संघ सरकार हेतु वास्तविक राजकोषीय घाटा 2.06 प्रतिशत से अधिक था जिसने लक्ष्य से 3.24 प्रतिशत के विचलन को दर्शाया। विसर्पण हेतु मुख्य कारणों में अर्थव्यवस्था में मंदी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा भिज्ञ राजकोषीय विस्तार हुआ - व्यय में बढ़ोत्तरी सहित कर घटाने के परिणामस्वरूप अधिक राजस्व घाटे के साथ-साथ अधिक राजकोषीय घाटा हुआ तथा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में विचार किए गए निर्धारित मूल उद्देश्यों की गैर-अनुपालना हुई।

5.2.2 राजस्व घाटा

राजस्व घाटा राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्ति के बीच अंतर को प्रस्तुत करता है। राजस्व घाटा बिना तदनुरूप पूँजी/परिसंपत्ति के निर्माण के उधारों में वृद्धि के कारण बनता है। अतः राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए, लिए गए उधार का कोई भी परिसंपत्ति संबल नहीं होता तथा यह एक बेमेल परिसंपत्ति व देयता का सृजन करता है। इन कारणों के कारण, राजस्व घाटा साधारणतया कम वांछनीय समझा जाता है। राजस्व घाटे में प्रवृत्तियां तथा उसके कुछ मुख्य पैरामीटर तालिका 5.4 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 5.4: राजस्व घाटा तथा उसके पैरामीटर

(टैकरोड में)

अवधि	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	राजस्व घाटा	निम्न के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा		
				स.घ.उ.	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय
Xवीं योजना (2002-07) (औसत)	394426	500825	106399	3.21	26.98	21.24
XIवीं योजना (2007-12) (औसत)						
2007-08	649426	734861	85435	1.73	13.16	11.63
2008-09	653847	1010224	356377	6.39	54.50	35.28
2009-10	704523	1057479	352956	5.66	50.10	33.38

तालिका 5.4 दर्शाती है कि स.घ.उ. के संबंध में, Xवीं योजना अवधि हेतु राजस्व घाटा 3.2 प्रतिशत तक हो गया। स.घ.उ. अनुपात की तुलना में 2007-08 में राजस्व घाटा काफी कम (1.7 प्रतिशत) था किन्तु 2008-09 में इसमें 6.4 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई। वर्तमान वर्ष में कुछ सुधार था तथा राजस्व घाटा 5.66 प्रतिशत पर स्थिर रहा। जब भी राजस्व घाटे की राजस्व प्राप्ति से तुलना की गई है तो यह पाया गया है कि Xवीं योजना अवधि हेतु राजस्व घाटा औसतन राजस्व प्राप्तियों के 27 प्रतिशत से अधिक दर्ज किया गया। यह आंकड़ा 2008-09 में तेजी से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया तथा वर्तमान वर्ष में लगभग 50 प्रतिशत तक सीमांतक रूप से गिरा।

राजस्व व्यय से तुलना में, Xवीं योजना अवधि हेतु औसत पर, राजस्व घाटे में राजस्व व्यय के 21 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। 2008-09 में यह अनुपात 35 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया तथा वर्तमान वर्ष में लगभग 33 प्रतिशत से अधिक तक सीमांतक रूप से गिरा।

5.2.3 राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा साधारणतः सरकार की निवल बढ़ती हुई देयताओं या इसके अतिरिक्त उधारों का प्रतिनिधित्व करता है। कमी को या तो अतिरिक्त लोक ऋणों (आन्तरिक या बाह्य) अथवा लोक लेखाओं से अधिशेष निधियों का प्रयोग करके पूरा किया जा सकता था। मुख्य राजकोषीय पैरामीटरों के सापेक्ष घाटे की प्रवृत्तियों के साथ राजकोषीय घाटे की प्रवृत्तियाँ तालिका 5.5 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 5.5: राजकोषीय घाटा तथा इसके पैरामीटर

(₹करोड़ में)

अवधि	गैर-ऋण प्राप्तियां	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा	राजकोषीय घाटा निम्न के प्रतिशत के रूप में		
				स.घ.उ.	गैर-ऋण प्राप्तियां	कुल व्यय
Xवीं योजना (2002-07) (औसत)	440415	573852	133437	4.02	30.30	23.25
XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	698613	863575	164962	3.33	23.61	19.10
2008-09	667922	1102366	434444	7.79	65.04	39.41
2009-10	741837	1174280	432443	6.94	58.29	36.83

स.घ.उ., गैर-ऋण प्राप्तियों तथा कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा Xवीं योजना अवधि में औसतन काफी कम था। 2008-09 में, यह अनुपात विचारणीय रूप से अपकर्षित हुए जैसे कि तालिका 5.5 में दर्शाया गया है तथा वर्तमान वर्ष में, इनमें सीमांतक सुधार था।

यदि राजकोषीय घाटे का अधिकांश भाग पूँजीगत व्यय को कायम रखने के लिए या पूँजीगत निर्माण हेतु इकाइयों के लिए वित्तीय सुविधायें प्रदान करने के लिए हैं, तो ऐसे घाटे को एक हद तक वांछनीय समझा जा सकता है। तालिका 5.6 XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के साथ-साथ Xवीं योजना अवधि में राजकोषीय घाटे के संघटकों की गति को दर्शाती है।

तालिका 5.6: राजकोषीय घाटे के संघटकों

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व घाटा	निवल पूँजीगत व्यय	निवल कर्जे एवं पेशगियाँ
Xवीं योजना (2002-07)	79.74	31.22	-10.96
XIवीं योजना (2007-12)			
2007-08	51.79	47.37	0.84
2008-09	82.03	17.72	0.25
2009-10	81.62	17.60	0.78

राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटे का प्रमुख घटक था जो Xवीं योजना अवधि के दौरान 80 प्रतिशत के लगभग आंका गया। 2007-08 में राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे के अंश में तीव्र गिरावट थी लेकिन 2008-09 में तथा वर्तमान वर्ष में राजस्व घाटे को, राजकोषीय घाटे का लगभग 82 प्रतिशत आंका गया। पूँजीगत व्यय को हानि पहुँची क्योंकि उधार ली गई निधियों से बढ़ते हुए राजस्व को वित्तपोषित करना आवश्यक था। संघ सरकार के निवल कर्जे तथा पेशगियाँ राजस्व तथा पूँजीगत व्यय दोनों के लिए हो सकते हैं।

5.2.4 प्राथमिक घाटा

यद्यपि राजकोषीय घाटा साधारणतया अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को निरूपित करता है फिर भी ऐसे संसाधनों के एक भाग की आवश्यकता ब्याज भुगतानों के वित्तपोषण के लिए पड़ सकती है। ब्याज के भुगतान पिछले दायित्वों के व्यय को दर्शाते हैं तथा चालू नियतात्मक वरीयताओं से स्वतंत्र हैं। यदि असंतुलन के वर्तमान स्वरूप को देखना हो तो इन भुगतानों को कुल असंतुलन में से पृथक् करने की और घटाये जाने की आवश्यकता है।

तालिका 5.7: प्राथमिक घाटा तथा इनके पैरामीटर

(रुक्करोड़ में)

अवधि	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	ब्याज भुगतान	प्राथमिक घाटा*	स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक घाटा
Xवीं योजना (2002-07)	106399	133437	135860	-2423	-0.07
XIवीं योजना (2007-12)					
2007-08	85435	164962	179987	-15025	-0.30
2008-09	356377	434444	200580	233864	4.20
2009-10	352956	432443	223701	208742	3.35

* नकारात्मक आंकड़ा प्राथमिक अधिशेष के विद्यमान होने का संकेत करता है।

Xवीं योजना अवधि में तथा 2007-08 में एक प्राथमिक आधिक्य था जिसका तात्पर्य यह है कि राजकोषीय घाटे के मुकाबले व्याज भुगतान अधिक था। तथापि, 2008-09 तथा 2009-10 में राजकोषीय घाटा व्याज भुगतान से दोगुना था। इसका अर्थ यह है कि इन दो वर्षों में राजकोषीय घाटा 50 प्रतिशत या अधिक राजस्व व्यय के कारण था जो व्याज भुगतान से अलग था। राजस्व व्यय की तर्क संगत कमी ने सरकार को प्राथमिक आधिक्य की स्थिति में लौटने हेतु सक्षम बनाया।

5.3 परिसम्पत्तियों की उत्प्लावकता तथा देयताओं की तुलना में परिसंपत्तियों का अनुपात

विकासशील देशों में सरकार पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ सृजित करने या निवेश करने के लिए निधियां उधार लेने का कारण बनती है। यद्यपि सरकारी लेखांकन पद्धति में तुलन-पत्र सरकार द्वारा अपने स्वामित्व की स्थायी परिसम्पत्तियों जैसे भूमि तथा भवन आदि का विस्तृत हिसाब करने के लिए सृजित नहीं किए जाते हैं, तथापि लेखे, किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को भी दर्शाते हैं व उनका प्रावधान करते हैं। सरकारी निवेश, बकाया ऋण एवं अग्रिम तथा संचित पूँजीगत व्यय को उसकी परिसम्पत्तियों के रूप में समझा जा सकता है। इसकी कुल राजकोषीय देयताओं की तुलना में इन परिसम्पत्तियों के अनुपात को उधार ली गई निधियों के उपयोग की गुणवत्ता मापने के प्रतिस्थानी उपाय के रूप में माना जा सकता है।

तालिका 5.8: परिसम्पत्तियों की उत्प्लावकता तथा देयताओं की तुलना में परिसंपत्तियों का अनुपात

(₹ करोड़ में, अनुपात तथा वृद्धि दर प्रतिशत में)

अवधि	कुल देयताएं	कुल परिसम्पत्तियां	देयताओं की तुलना में परिसम्पत्तियों का अनुपात	देयताओं की वार्षिक वृद्धि	परिसंपत्तियों की वार्षिक वृद्धि	परिसंपत्तियों की उत्प्लावकता
Xवीं योजना (2002-07) (औसत)	1836987	739512	40.26	8.98	4.74	0.53
XIवीं योजना (2007-12)						
2007-08	2476357	942507	38.06	13.33	14.37	1.08
2008-09	2840135	1020498*	35.93	14.69	8.27	0.56
2009-10	3160924	1119741	35.42	11.29	9.72	0.86

40 प्रतिशत के Xवीं योजना के औसत अनुपात की तुलना में 2009-10 में देयताओं के प्रति परिसम्पत्तियों का अनुपात केवल 35 प्रतिशत था। इसका अभिप्राय यह है कि वर्षों से देयताएं, परिसम्पत्तियों के मुकाबले तीव्रता से बढ़ रही हैं जैसा कि तालिका 5.8 में दर्शाया गया है। Xवीं योजना अवधि लगभग 9 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के प्रति 2008-09 में कुल देयताएं लगभग 15 प्रतिशत तथा वर्तमान वर्ष में लगभग 11 प्रतिशत तक बढ़ी। XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में परिसम्पत्तियों में वार्षिक वृद्धि Xवीं योजना में औसत वार्षिक वृद्धि से अधिक हुई है।

5.4 ऋण धारिता

यदि सरकार निकट भविष्य में इन देयताओं के सम्भार की चुकौती में सक्षम है और ऋण-स.घ.उ. अनुपात अनियंत्रणीय अनुपातों तक नहीं बढ़ता है, तो राजकोषीय देयताओं को जारी रखने योग्य

समझा जाता है। इस स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त डोमर का ऋण स्थिरता समीकरण है। यह बताता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर ऋण पर ब्याज की दर से अधिक हो तो ऋण-स.घ.उ. अनुपात के स्थिर रहने की संभावना होती है, बशर्ते प्राथमिक शेष² या तो शून्य या सकारात्मक या नाममात्र नकारात्मक हों। ऐसी स्थिति में जहाँ ब्याज की दर, उत्पादन की वृद्धि की दर से अधिक है, ऋण-स.घ.उ. अनुपात का बढ़ना तब तक जारी रहेगा जब तक प्राथमिक शेष सकारात्मक नहीं हो जाते। यदि अर्थव्यवस्था की नाममात्र वृद्धि दर, घरेलू ऋण पर ब्याज की नाममात्र दर से बढ़ती है, जो वित्तीय दमन के अंतर्गत हो सकता है, जब प्राथमिक घाटा चल रहा हो तभी घरेलू ऋण की स्थिरता संभव है।

काफी समय से कुल ऋण पर औसत ब्याज दर (नाममात्र) Xवीं योजना अवधि के दौरान बाजार मूल्यों³ पर स.घ.उ. की वृद्धि की दर से कम रही, जैसे कि तालिका 5.9 में दर्शाया गया है। 2009-10 में आंतरिक ऋण पर औसत ब्याज दर (8.54 प्रतिशत) स.घ.उ. (11.78) प्रतिशत की वृद्धि दर की अपेक्षा कम थी। बाह्य ऋण पर प्रदत्त औसत ब्याज दर, घरेलू ऋण पर प्रदत्त औसत ब्याज दर से काफी कम थी।

तालिका 5.9: वर्तमान विनिमय दरों पर राजकोषीय देयताओं पर औसत ब्याज दर

(प्रतिशत)

अवधि	आन्तरिक देयताएं	बाह्य ऋण	कुल देयताएं	स.घ.उ. की वृद्धि दर	ब्याज विस्तार
Xवीं योजना (2002-07) (औसत)	8.91	1.78	8.09	14.18	6.10
XIवीं योजना (2007-12)					
2007-08	8.87	1.95	8.24	15.50	7.26
2008-09	8.67	2.00	8.10	12.66	4.56
2009-10	8.54	1.37	7.88	11.78	3.90
औसत ब्याज दर = अदा किया गया ब्याज/वर्ष के प्रारम्भ में बकाया देयताएं*100 है					

संघ सरकार की ऋण धारणीयता (i) ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) एवं कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात (ii) उपलब्ध उधार ली गई निधियों के उपयोग पर भी निर्भर करती है। ऋण मोचन से ऋण प्राप्तियों का अनुपात उस सीमा को इंगित करता है जहाँ तक उधार ली गई राशियों की निवल उपलब्धता को इंगित करते हुए ऋण प्राप्तियों का ऋण मोचन में उपयोग किया जाता है। **तालिका 5.10** दर्शाती है कि ऋण मोचन अनुपात Xवीं योजना के दौरान 98.68 प्रतिशत था परन्तु XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में गिरा। 2009-10 में, ऋण प्राप्तियों का 97 प्रतिशत कुल ऋण पुनर्भुगतान के लिए लगाया गया था। यह अनुपात मुख्य रूप से बढ़ी हुई ऋण प्राप्तियों के कारण बाद के वर्षों में घटा है।

² प्राथमिक शेष राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान घटाने का उल्लेख करते हैं।

³ कृपया अध्याय 3 में तालिका 3.1 का संदर्भ लें।

तालिका 5.10: ऋण प्राप्तियों की तुलना में ऋण मोचन का अनुपात

अवधि	ऋण प्राप्तियां*	ऋण पुनर्भुगतान		मूल ऋण पुनर्भुगतान (1)/ ऋण प्राप्तियां	कुल ऋण पुनर्भुगतान (2)/ऋण प्राप्तियां
		मूल*	मूल+ व्याज (1) (2)		
	(रुकोड़ में) (वार्षिक औसत)			(प्रतिशत)	
Xवीं योजना (2002-07) (औसत)	1250358	1097979	1233839	87.81	98.68
XIवीं योजना (2007-12)					
2007-08	2219076	1919363	2099350	86.49	94.60
2008-09	2754231	2454164	2654744	89.11	96.39
2009-10	3912574	3564771	3788472	91.11	96.83

*ऋण प्राप्तियां तथा पुनर्भुगतान में भा.स.नि. में ऋण आंकड़े तथा लोक लेखे में निवल अर्थोंपाय अग्रिम तथा प्राप्ति एवं पुनर्भुगतान सम्मिलित हैं।

तालिका 5.11 दर्शाती है कि Xवीं योजना अवधि के लिए ₹4,509 करोड़ के संसाधनों (बढ़ते हुए राजस्व व्यय घटा बढ़ती हुई राजस्व प्राप्तियां) में औसत कमी की तुलना में, संसाधन अंतराल 2008-09 में चिंताजनक रूप से ₹2,70,942 करोड़ तक बढ़ गया परन्तु वर्तमान वर्ष में ₹3,421 करोड़ के सकारात्मक संसाधन अंतराल में परिवर्तित हो गया।

तालिका 5.11: संवृद्धित राजस्व व्यय तथा व्याज भुगतानों को पूरा करने के लिए संवृद्धित राजस्व प्राप्तियों में कमी

(रुकोड़ में)

अवधि	संवृद्धि				संसाधन अन्तराल
	प्राप्तियां	गैर-व्याज राजस्व व्यय	व्याज व्यय	राजस्व व्यय	
Xवीं योजना (2002-07) (औसत)	52023	48510	8021	56532	-4509
XIवीं योजना (2007-12)					
2007-08	124033	50914	25707	76621	47412
2008-09	4421	254770	20593	275363	-270942
2009-10	50676	24134	23121	47255	3421

2009-10 में, संवृद्धित राजस्व व्यय (व्याज भुगतान के बाद निवल) 2008-09 की तुलना में दसवें हिस्से तक घट गया तथा इसलिए ₹2,70,942 करोड़ के विशाल संसाधन अन्तर को दर्शाया जो उल्लेखनीय सुधार को परिलक्षित करता था तथा वर्तमान वर्ष में संवृद्धित राजस्व व्यय संवृद्धित राजस्व प्राप्तियों से कम था। 2008-09 में असामान्य रूप से उच्च संवृद्धित राजस्व व्यय को मुख्यतः (i) 2008-09 में फसल पालन पर ₹53,650 करोड़ के संवृद्धित व्यय के साथ 2009-10 में ₹32,149 करोड़ की गिरावट, (ii) 2008-09 में पैट्रोलियम पर ₹55,456 करोड़ के संवृद्धित व्यय के सा 2009-10 में ₹53,536 करोड़ की गिरावट तथा (iii) 2008-09 में ग्रामीण रोजगार

पर ₹21,163 करोड़ के संवृद्धित व्यय के साथ 2009-10 में ₹3,961 करोड़ की गिरावट को आरोपित किया जा सकता है।

5.5 रोकड़ प्रबंधन

अप्रैल 1997 से लागू अर्थोपाय अग्रिमों (अ.अ.) की नई योजना को सरकार के लिए उसके नकद प्रवाह में अस्थायी बेमेल को काबू करने को सुगम बनाने हेतु प्रारंभ किया गया था। रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2003 के अनुसार 1 अप्रैल 2006 से केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों के प्राथमिक प्रवर्तन में भागीदारी से भारतीय रिजर्व बैंक के पीछे हटने के साथ ही 2006-07 से अर्थोपाय अग्रिमों (अ.अ.) व्यवस्थाओं को संशोधित कर दिया गया था। रा.उ.ब.प्र. प्रावधानों द्वारा अनिवार्य परिवर्तन को सुसाध्य बनाने हेतु संशोधित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत 2006-07 हेतु सीमा को त्रैमासिक आधार पर नियत किया गया था। तथापि, रिजर्व बैंक ने संक्रमण काल के मुद्दों एवं मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के परामर्श से सीमाओं को संशोधित करने के लिए लचीलेपन को बनाए रखा। संघ सरकार द्वारा प्राप्त किए गए अ.अ. के विवरण तालिका 5.12 में दर्शाए गए हैं जो यह प्रकट करते हैं कि हाल के वर्ष के पश्चात कोई अ.अ. बकाया नहीं थे।

तालिका 5.12: अर्थोपाय अग्रिम


(रुकरोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान वापस दिए गए	बकाया अर्थोपाय अग्रिम
2002-03	5176	118961	124137	शून्य
2003-04	शून्य	96615	96615	शून्य
2004-05	शून्य	62080	62080	शून्य
2005-06	शून्य	1134	1134	शून्य
2006-07	शून्य	25226	25226	शून्य
2007-08	शून्य	110007	110007	शून्य
2008-09	शून्य	226012	226012	शून्य
2009-10	शून्य	153154	153154	शून्य

5.6 अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता

31 मार्च 2010 को अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता ₹1,05,339 करोड़ थी। अप्रयुक्त बाह्य सहायता के क्षेत्र-वार विवरण परिशिष्ट-V-ख में दिए गए हैं तथा चार्ट 5.1 विभिन्न स्रोतों से बाह्य सहायता का वर्ष-वार कुल अनाहारित शेष दर्शाती है। सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक के कार्यालय से क्षेत्रवार विवरण इंगित करता है कि शहरी विकास, जल संसाधनों, ऊर्जा, अवसंरचना तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में बड़े अनाहारित शेष थे।

चार्ट 5.1 अप्रयुक्त बाह्य सहायता



अनाहरित बाह्य सहायता पर वचनबद्धता प्रभार, बाद की तिथियों में आहरण हेतु पुनर्निर्धारित मूल राशि पर दिए जाते हैं। चूंकि वचनबद्धता प्रभारों के भुगतान को दर्शाने के लिए लेखाओं में कोई पृथक शीर्ष नहीं है, इसलिए इसे 'ब्याज देयता' शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। तालिका 5.13, Xवीं तथा XIवीं योजना अवधि के दौरान बाद की तिथियों में सहायता के आहरण के पुनर्निर्धारित करने के लिए विभिन्न निकायों/सरकारों को दिए गए प्रभारों को दर्शाती है। यह इस सम्बन्ध में निरन्तर अपर्याप्त योजना की ओर संकेत करता है जिसका परिणाम 2009-10 में ₹86 करोड़ से अधिक के वचनबद्ध प्रभारों के रूप में परिहार्य व्यय में हुआ।

तालिका 5.13: वचनबद्धता प्रभार

(रुकरोड़ में)

वर्ष	ए.वि.वै.	फ्रांस	जर्मनी	अ.पु.वि.वै.	जोड़
2002-03	26.45	0.19	0.95	39.60	67.19
2003-04	38.23	0.02	8.99	45.91*	93.15
2004-05	45.10	शून्य	2.07	117.94*	165.11
2005-06	53.42	0.0	1.86	92.89*	148.17
2006-07	59.56	0.0	1.93	79.02	140.51
2007-08	62.55	0.0	1.72	60.27	124.54
2008-09	62.62	0.0	4.17	50.58*	117.37
2009-10	53.26	0.0	5.57	27.28	86.11

स्रोत: सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा का नियंत्रक


* अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण सहायता सम्मिलित है।

5.7 संघ सरकार की आकस्मिक देयताओं में वृद्धि

संघ सरकार की आकस्मिक देयताएं, निवेशकों के लिए निवेश प्रोत्साहित करने और उधार जोखिम कम करने में इसकी अपनी भूमिका, विशेषकर उन क्रियाकलापों में जहाँ लम्बी अवधि की परिपक्वता, निवेश के स्वरूप की विशेषता है, के कारण उत्पन्न होती हैं। जहाँ गारंटियां रुद्दिगत

रूप से मापे गए ऋण का भाग नहीं होती, चूक होने की स्थिति में, इससे सरकार की ऋण स्थिति में तेजी की संभावना होती है। गारंटियों का मामला, अवसंरचना की बढ़ती हुई निवेश आवश्यकता, इस प्रकार की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी और इसके आह्वान किए जाने की बढ़ती सम्भावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। तालिका 5.14, Xवीं योजना तथा XIवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में, वित्तीय वर्ष के अन्त तक गारंटियों की अधिकतम राशि तथा गारंटीकृत राशियां तथा बकाया राशियों से संबंधित स्थिति को दर्शाती है।

चार्ट 5.2 संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ



तालिका 5.14: संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अंत में स्थिति (1)	गारंटी की अधिकतम राशि (2)	बकाया गारंटीकृत राशि (3)	बकाया बाह्य गारंटियाँ (4)	कुल बकाया गारंटियों के प्रतिशत के रूप में बकाया बाह्य गारंटियाँ (5)
2002-03	174487	90617	51097	56.39
2003-04	184420	87780	50328	57.33
2004-05	132728	107957	48276	44.72
2005-06	118560	110626	47358	42.81
2006-07	114671	109826	46340	42.19
2007-08	114001	104872	46459	44.30
2008-09	117659	113335	59343	52.36
2009-10	150437	137205	72408	52.70

गारंटियाँ सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से उधार योग्यता अथवा सा.क्षे.उ. को बाजार से मुद्रा उधार लेने हेतु दी जाती है। 2009-10 में, अधिकतम गारंटी राशि (₹150437 करोड़) में से 51 प्रतिशत विदेशी कर्जदाता संस्थाओं को गई 40 प्रतिशत आर.बी.आई/बैंकों/उद्योग वित्त निगमों

आदि को मूल एवं ब्याज के पुनर्भुगतान, नगद क्रेडिट सुविधा आदि के लिए तथा शेष 9 प्रतिशत शेयर पूँजी के पुनर्भुगतान के लिए, न्यूनतम वार्षिक डिविडेन्ड के भुगतान हेतु तथा बाण्डो, उधारों एवं डिवेंचर/काउण्टर गारण्टी आदि के लिए प्रयुक्त हुई। वित्त मंत्रालय द्वारा मुख्य मंत्रालयों जिनको गारण्टी प्रदान की गई उनमें से मुख्य थे- उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय/विभाग, आर्थिक कार्य, नागरिक उड्डयन, ऊर्जा एवं स्टील। मंत्रालयों द्वारा अद्यतन गारण्टी रजिस्टरों का अनुरक्षण सरकार के जोखिम की प्रमात्रा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

एफ.आर.बी.एम. नियम 2004 के नियम 3(3) में सन्निहित है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ किसी भी वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार 0.5% स.घ.उ. की राशि से अधिक गारण्टी नहीं देगी। यह प्रतिशतता वर्ष 2008-09 में 0.090 प्रतिशत के निवल गारण्टी देयता के आधार पर परिकलित की जाती है। 2009-10 में यह प्रतिशतता 0.4086 प्रतिशत थी। किसी वित्तीय वर्ष के अन्त में वह गारण्टी जो लम्बित है उसे आगामी वर्षों में आगे लाया जाएगा क्योंकि उसे कभी भी भुनाया जा सकता है। किसी विशेष वर्ष में गारण्टी भुनाए जाने की संभाव्यता के जोखिम का अनुमान इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम किसी विशेष वर्ष में गारण्टी राशि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करते हैं।

2009-10 में, कुल बकाया गारंटियाँ, स.घ.उ. का 2.2 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियां जोकि संघ सरकार को प्रोद्भूत थी, का 19.47 प्रतिशत थीं।

5.8 राजकोषीय सुधार पथ पर वापसी

XIIवें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की है कि बजट दस्तावेजों के साथ संसद के पटल पर प्रस्तुत की जा रही मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण एक वचनबद्धता का विवरण होना चाहिए न कि केवल एक उद्देश्य होना चाहिए। लोक निजी साझेदारी तथा मूल प्राप्ति एवं व्यय प्रक्षेपणों के परिवर्ती घौरों पर नए प्रकटन विनिर्दिष्ट कर दिए गए हैं। राजस्व घाटे को उत्तरोत्तर कम किया जाना चाहिए तथा 2014-15 तक समाप्त किया जाना चाहिए। केन्द्र हेतु ऋण स्टाक को स.घ.उ. के 45 प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए (यह वर्तमान में 50 प्रतिशत से अधिक है)। राजकोषीय सुधार प्रक्रिया के मूल्यांकन हेतु एक स्वतंत्र समीक्षा क्रियाविधि संस्थापित की जानी चाहिए तथा रा.उ.ब.प्र. अधिनियम में चक्रिय आर्थिक घटना की प्रवृत्ति का विशेष रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता है जो रा.उ.ब.प्र. लक्ष्यों की छूट के लिए आवश्यक है।

अध्याय 6

विनियोग लेखे 2009-10: प्रस्तावना

संवैधानिक प्रावधान

6.1 लोक सभा द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान मांगें पारित होने के तत्काल पश्चात्, सरकार अनुच्छेद 114 के अधीन भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) में से विनियोग कराने के लिए एक विनियोग बिल प्रस्तुत करती है। संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम, सरकार को विशिष्ट सेवाओं के लिए भा.स.नि. से उपयुक्त विशिष्ट राशि के विनियोग का प्राधिकार देता है। संसद, संविधान के अनुच्छेद 115 की शर्तों के अनुसार अनुवर्ती विनियोग अधिनियमों द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी संस्वीकृत कर सकती है। विनियोग अधिनियमों में संवितरण, जो अनुच्छेद 114 तथा 115 की शर्तों के अनुसार विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत संसद द्वारा दत्तमत किए गए हैं, तथा संविधान के अनुच्छेद 112(3) तथा अनुच्छेद 293(2) की शर्तों के अनुसार भा.स.नि. को प्रभारित किए गए संवितरण शामिल हैं। सरकार प्रत्येक वर्ष विभिन्न सेवाओं पर वास्तव में व्यय की गई सकल राशि की तुलना में विनियोग अधिनियमों द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यय के विवरण को दर्शाते हुए विनियोग लेखे तैयार करती है।

6.2 लेखा महानियंत्रक (ले.म.नि.) सिविल मंत्रालयों के 98 अनुदानों और विनियोजन के संबंध में विनियोग लेखे तैयार करता है। रक्षा मंत्रालय, रेलवे और डाक विभाग अपने अनुदानों के विनियोग लेखे तैयार करते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, सरकार के कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिविल, रक्षा, डाक तथा रेलवे के संबंध में चार विनियोग लेखे, प्रत्येक वर्ष संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत अपने प्रतिवेदन सहित राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है जो कि उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। 2009-10 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के अनुदानों तथा विनियोगों के लिए मांगें का विवरण निम्न प्रकार था:

क्रियाकलाप का क्षेत्र	अनुदानों/विनियोगों के लिए मांगें की संख्या
सिविल	98
रक्षा सेवाएं	6
डाक सेवाएं	1
रेलवे	16
योग :	121

6.3 इस प्रतिवेदन में, आबंटन से अधिक व्यय, जिसकी संसद द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता हो; अव्ययित प्रावधान, जिसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो; अनियमित तथा अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन, कुछ मंत्रालयों द्वारा आवश्यकता के बिना किए गए अनुपूरक प्रावधान, अवास्तविक

बजट, तथा गहन परीक्षण के लिए चयनित मंत्रालयों के संबंध में विस्तृत अभ्युक्तियों का विश्लेषण, शामिल करते हुए विनियोग लेखाओं (सिविल, डाक तथा रक्षा सेवाओं), की लेखापरीक्षा टिप्पणियां, निहित हैं। क्षेत्रीय विशिष्टताओं की बेहतर समालोचना की सुविधा हेतु सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक, रेलवे तथा रक्षा विनियोग सम्बन्धी सभी अनुदानों पर व्यापक रूप से विचार किया गया है। विनियोग प्रक्रिया को पूर्ण रूप से आवृत करने के लिए जहाँ भी आवश्यक था रेलवे विनियोग का हवाला दिया गया है। तथापि रेलवे विनियोग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष 2009-10 को समाप्त वर्ष से सम्बन्धित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपलब्ध है।

सारांश

6.4 तालिका 6.1 वर्ष 2009-10 के दौरान कुल प्रावधान (प्रभारित तथा दत्तमत-दोनों) तथा संवितरण दर्शाती है। **परिशिष्ट-VI-k** सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक तथा रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं के सारांश के ब्यौरे प्रस्तुत करता है।

तालिका 6.1: 2009-10 के दौरान प्रावधान तथा संवितरण

विभाग	कुल प्रावधान	संवितरण	बचत	(₹करोड़ में)
सिविल	4356312	4117712	238600	
डाक	12916	13609	(+) 693	
रेलवे	173368	165202	8166	
रक्षा सेवाएं	148499	145781	2718	
कुल योग	4691095	4442304	248791	

6.5 सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत, ₹2,38,600 करोड़ की निवल बचत चार अनुदानों के अंतर्गत ₹9,219 करोड़ के अधिक व्यय तथा सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों में ₹2,47,819 करोड़ की बचत के कारण था। ₹9,219 करोड़ के समग्र अधिक व्यय में से ₹9,000 करोड़ अनुदान सं. 21-रक्षा पेंशन के अंतर्गत प्रत्याशित से अधिक पेंशन के भुगतान के कारण था। ₹2,47,819 करोड़ की समग्र बचत में अनुदान सं. 37-ऋणों का पुनर्भुगतान {पूँजीगत (प्रभारित) खण्ड} में ₹1,62,413 करोड़, अनुदान सं. 32-आर्थिक कार्य विभाग (राजस्व पूँजीगत (दत्तमत) खण्ड) में ₹12,589 करोड़ अनुदान सं. 35-राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों हेतु अन्तरण {राजस्व (दत्तमत/प्रभारित) तथा पूँजीगत (प्रभारित खण्ड)} में ₹11,509 करोड़, अनुदान सं. 80- ग्रामीण विकास विभाग {राजस्व (दत्तमत) खण्ड} में ₹11,143 करोड़, अनुदान सं. 34-व्याज भुगतान {राजस्व (प्रभारित) खण्ड} में ₹6,997 करोड़, अनुदान सं. 44-विनिवेश विभाग {पूँजीगत (दत्तमत) खण्ड} में ₹5,380 करोड़, अनुदान सं. 57-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग {राजस्व (दत्तमत)} तथा पूँजीगत (दत्तमत) खण्ड} में ₹5,268 करोड़, अनुदान सं. 87-सङ्केत परिवहन एवं राजमार्ग विभाग में राजस्व एवं पूँजीगत (दत्तमत) खण्ड के अंतर्गत ₹5,087 करोड़, अनुदान सं. 33-वित्तीय

सेवा विभाग राजस्व (दत्तमत) एवं पूँजीगत पूँजीगत (दत्तमत) खण्ड में ₹3,948 करोड़, अनुदान सं. 74-विद्युत मंत्रालय राजस्व (दत्तमत) पूँजीगत (दत्तमत) खण्ड में ₹2,662 करोड़, तथा अनुदान सं. 53-पुलिस राजस्व/पूँजीगत (दत्तमत) खण्ड के अंतर्गत ₹2,538 करोड़ की बचतें थीं। इनके अलावा, शेष अनुदानों/पुनर्विनियोजन में सकल बचत ₹18,285 करोड़ थी।

6.6 सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 205 अनुभागों में निवल बचतें और चार अनुभागों में आधिक्य, डाक विभाग के तीन अनुभागों में बचतें और एक अनुभाग में रेलवे के 22 अनुभागों में बचतें और 12 अनुभागों में आधिक्य तथा रक्षा सेवाओं के 9 अनुभागों में बचतें तथा 3 अनुभागों में आधिक्य थे। परिशिष्ट-VI-ख विवरणों के सार को दर्शाता है।

प्रभारित तथा दत्तमत संवितरण

6.7 परिशिष्ट-VI-ग में वर्ष 1998-2010 के लिए सिविल मंत्रालयों/विभागों की अनुमोदित मांगों (अनुदान तथा विनियोग) के प्रति किए गए वांस्तविक संवितरणों का विवरण निहित है। इन वर्षों के दौरान, सिविल मंत्रालयों/विभागों के लिए कुल संवितरणों का 70 से 81 प्रतिशत भारत की समेकित निधि को प्रभारित थे।

6.8 2009-10 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत कुल संवितरण ₹41,17,712 करोड़ के थे जो 2008-2009 के दौरान ₹31,49,073 करोड़ के कुल संवितरण से ₹9,68,639 करोड़ अधिक थे। यह 1998-99 में ₹6,08,167 करोड़ से 577 प्रतिशत तक बढ़ गया था। प्रभारित संवितरण 1998-99 में ₹4,68,679 करोड़ से 615 प्रतिशत तक बढ़ कर 2009-10 में ₹33,49,254 करोड़ थे तथा उसी अवधि से दत्तमत संवितरण ₹1,39,488 करोड़ से 451 प्रतिशत तक बढ़ कर ₹7,68,458 करोड़ तक हो गए थे। 2009-10 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों के प्रभारित संवितरण मुख्यतः, ब्याज भुगतानों ₹2,23,701 करोड़ जो 2008-09 के ₹2,01,143 करोड़ की अपेक्षा 11 प्रतिशत अधिक था, ऋणों का पुनर्भुगतान ₹3085792 करोड़ तथा संविधान के अनुछेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत अनुदानों के कारण राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण ₹37,418 करोड़ राज्य योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों आदि के कारण था तथा जो कुल संवितरणों का 81 प्रतिशत बनता था। चूंकि प्रभारित संवितरण संसद के मतदान के अधीन नहीं हैं, इसलिए संसद द्वारा वित्तीय नियंत्रण की प्रभावकारिता की गुंजाइश सिविल मंत्रालयों में कुल संवितरण के केवल 19 प्रतिशत तक ही सीमित होती है।

तथापि, सिविल, डाक, रक्षा सेवाएं और रेलवे को शामिल करते हुए, भा.स.नि. से ₹44,42,304 करोड़ की राशि के कुल संवितरणों की पृष्ठ भूमि के निरीक्षण किये गए, प्रभारित संवितरण की प्रतिशतता 75 प्रतिशत (₹33,49,565)।

मार्च के अंत तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अन्धाधुंध व्यय

6.9 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 56(3) के अनुसार, अन्धाधुंध व्यय, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा तथा इससे बचना होगा। वित्त मंत्रालय ने सितम्बर 2007 में वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों के मार्च तथा अंतिम तिमाही में व्यय को क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 33 प्रतिशत तक सीमित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए। तालिका 6.2 में कुछ मंत्रालय/विभाग द्वारा संवितरण का मुख्य भाग 2010 के मार्च माह/वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में ही किया गया था।

तालिका 6.2: मार्च 2010 के महीने और अथवा 2009-10 की अन्तिम तिमाही के दौरान अन्धाधुंध व्यय

(रुकरोड़ में)

क्र.सं.	अनुदानों का विवरण	बजट अनुमान	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय का प्रतिशतता	अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	वित्तीय वर्ष की पिछली तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता
सिविल						
1.	6-रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग	275.61	-	-	219.89	80
2.	09-नागर विमानन मंत्रालय	887.04	879.89	99	1170.90	132
3.	10-कोयला मंत्रालय	379.00	159.35	42	193.56	51
4.	19-संस्कृति मंत्रालय	1276.04	267.56	21	445.76	35
5.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास का मंत्रालय	1622.27	507.27	31	749.34	46
6.	49-भारी उद्योग विभाग	812.00	620.33	76	681.43	84
7.	54-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	1417.33	306.26	22	1362.65	96
8.	55-संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	3595.56	1465.85	41	1852.76	52
9.	68-विदेशी भारतीय कार्य मंत्रालय	80.00	26.49	33	33.73	42
10.	72-पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	13475.33	13480.39	100	14126.25	105
11.	86-जहाजरानी मंत्रालय	1950.53	369.72	19	747.05	38
12.	100-शहरी विकास विभाग	3005.79	-	-	3011.79	82
रक्षा सेवाएं						
13.	22-रक्षा सेवाएं-थल सेना	60270.83	10825.54	18	-	-
14.	27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	54824.00	17796.46	32	24034.37	44

कुछ मामले जिनमें भारी व्यय किया गया की चर्चा नीचे की गई है:

अनुदान सं.6-रसायन एवं पैट्रो-रसायन विभाग- वित्तीय वर्ष 2009-10 की अन्तिम तिमाही के दौरान किया गया भारी व्यय असम गैस परियोजना हेतु पूँजीगत आर्थिक सहायता के लिए दिसम्बर 2009 में ₹166.07 करोड़ के अनुपूरक अनुदान की संसद द्वारा संस्थीकृति के कारण था।

अनुदान सं.9-नागरिक उड्डयन मंत्रालय में, मार्च 2010/वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही के दौरान किया गया अधिक व्यय मुख्य रूप से (क) एयर इंचया को हज प्रचालन/सेवा कर (₹40.00 करोड़) की बकाया राशि का भुगतान, (ख) भारतीय राष्ट्रीय उड्डयन कम्पनी लिमिटेड में इक्विटी इनफ्यूजन (₹800.00 करोड़) (ग) पवन हंस हेलीकॉप्टर लि. में निवेश (₹19.00 करोड़) तथा (घ) भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण में निवेश (₹49.58 करोड़) के कारण व्यय को आवृत्त करने के लिए दिसम्बर 2009 में ₹1,080 करोड़ का प्रथम अनुपूरक अनुदान तथा मार्च 2010 में ₹30.00 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक अनुदान संसद द्वारा संस्थीकृत किए जाने के कारण था।

अनुदान सं.49-भारी उद्योग विभाग में, मार्च 2010/वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में भारी व्यय मुख्य रूप से (क) इन्स्ट्रूमेंटेशन लि. के लिए अवसंरचनात्मक योजना के रूप में भारत सरकार के बकाया ऋण को बट्टे खाते भालने हेतु किए गए भुगतान (₹249.78 करोड़); (ख) इन्स्ट्रूमेंटेशन लि. कोटा के लिए संदर्भ में ब्याज का अधित्याग (₹258.26 करोड़); (ग) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स विनिर्माण कम्पनी लि. को ऋण (₹30.00 करोड़); (घ) भारत वैगन एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी लि. के संदर्भ में बही में दर्ज करने (₹3.33 करोड़) के कारण व्यय को आवृत्त करने के लिए मार्च 2010 में ₹515.00 करोड़ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान के संस्थीकृत के कारण था।

अनुदान सं.72-पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में, मार्च 2010/वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही के दौरान किया गया अधिक व्यय मुख्य रूप से (क) आई.ओ.सी.एल./ बी.पी.सी.एल./एच.पी.सी.एल. को पैट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण कम वसूली हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में तेल विपणन कम्पनियों को भुगतान (₹11,843.00 करोड़); तथा (ख) आई.ओ.सी. द्वारा जारी बोनस शेयर में इक्विटी निवेश (₹958.08 करोड़) के कारण व्यय को आवृत्त करने के लिए मार्च 2010 में ₹12,801.08 करोड़ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान के संस्थीकृति के कारण था।

अनुदान सं. 100-शहरी विकास विभाग में, वित्तीय वर्ष 2009-10 के अन्तिम तिमाही के दौरान किया गया अधिक व्यय (क) सी.डब्ल्यू.जी. से संबंधित परियोजनाओं में डी.डी.ए. द्वारा आरम्भ किए जाने (₹404.55 करोड़); (ख) दिल्ली मेट्रो का अतिरिक्त व्यय (₹10.20 करोड़); (ग) फेज-II नेटवर्क के कार्यों से संबंधित डी.एम.आर.सी. की इक्विटी (₹350.00 करोड़) तथा (घ) डी.एम.आर.सी. (₹1,500.00 करोड़), बैंगलूर मेट्रो (₹135.00 करोड़) तथा चेन्नई मेट्रो (₹40.00 करोड़) को सहायता के रूप में उपलब्ध कराए जा रहे ऋण हेतु व्यय को आवृत्त करने के लिए

दिसम्बर 2009 में ₹2,439.86 करोड़ के प्रथम अनुपूरक अनुदान की संस्थीकृति तथा मार्च 2010 में संसद द्वारा ₹7.47 करोड़ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान की संस्थीकृति के कारण था।

चूंकि विभिन्न संगठनों को मार्च में जारी की गई निधियों को वर्ष के दौरान, जो उसी महीने की अन्तिम तिथि को समाप्त होती है, सही ढंग से व्यय नहीं किया जा सकता है इसलिए यह तय करना संभव नहीं है कि निधियों को उसी वर्ष में उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए वे प्राधिकृत की गई थी, को उपयोग में लाया गया था।

अध्याय 7

विनियोग लेखे 2009-10: एक विश्लेषण

अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरण

7.1 संविधान के अनुच्छेद 114(3) में व्यवस्था है कि इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित किए गए विनियोगों के अधीन को छोड़कर, कोई भी धन, भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) से, आहरित नहीं किया जाए। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) के नियम 52(3) में अनुबद्ध है कि अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने या आकस्मिक निधि से अग्रिम को छोड़कर, कोई ऐसा संवितरण नहीं किया जाना चाहिए जिसके कारण वह एक वित्तीय वर्ष के लिए संसद द्वारा प्राधिकृत कुल अनुदान अथवा विनियोग से अधिक हो जाए। तालिका 7.1 में भा.स.नि. से अनुमोदन से अधिक कुल आधिक्य का सार सम्मिलित है। 2009-10 के दौरान, सिविल मंत्रालयों/विभागों में चार अनुदानों के चार खण्डों में ₹92,188,874,896 (अर्थात ₹9,218.89 करोड़), रेलवे के 11 अनुदानों/विनियोगों के 12 खण्डों में ₹19,296,123,832 (अर्थात ₹1,929.61 करोड़), डाक विभाग के एक अनुदान के एक खण्ड में ₹8,221,599,000 करोड़ (अर्थात ₹822.16 करोड़) तथा रक्षा सेवाओं के दो अनुदानों के तीन खण्डों में ₹26,152,257,850 (अर्थात - ₹2,615.23 करोड़) का अधिक संवितरण था। इनका विवरण तालिका 7.2 में दिया गया है तथा जिनकी संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के अंतर्गत नियमन की आवश्यकता है।

तालिका 7.1: अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरणों का सार

(आंकड़े ₹ में)

		सिविल	रक्षा	डाक	रेलवे
दत्तमत	राजस्व	92188874896	26146215352	8221599000	19071723861
	पूंजीगत	-	-	-	-
प्रभारित	राजस्व	-	6042498	-	190759310
	पूंजीगत	-	-	-	33640661
अनुदानों/विनियोगों की संख्या		4	2	1	11
कुल आधिक्य		92188874896	26152257850	8221599000	19296123832

तालिका 7.2: अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरण के विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	आंकड़े ₹ में	मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए विचलन के कारण
सिविल			
राजस्व (दत्तमत्)			
1.	14 – दूरसंचार विभाग	अनुदान व्यय आधिक्य	107658700000 108536860488 878160488
2.	20 – रक्षा मंत्रालय	अनुदान व्यय आधिक्य	108223500000 109176673097 953173097
3.	21 – रक्षा पेंशन	अनुदान व्यय आधिक्य	259997500000 349992901305 89995401305
4.	54 – गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	अनुदान व्यय आधिक्य	13614700000 13976840006 362140006
रेलवे			
राजस्व (दत्तमत्)			
5.	04- स्थायी मार्गों एवं कार्यों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	अनुदान व्यय आधिक्य	74407558000 74962582359 555024359
6.	05- चालन शक्ति की मरम्मत एवं अनुरक्षण	अनुदान व्यय आधिक्य	33883241000 34791971288 908730288
7.	06 - सवारी डिब्बों एवं माल डिब्बों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	अनुदान व्यय आधिक्य	76924875000 78570614230 1645739230

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	आंकड़े ₹ में	मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए विचलन के कारण	
विविध व्यय				
8.	08- संचालन व्यय- चल स्टाक एवं उपकरण	अनुदान व्यय आधिक्य	59472840000 59835900599 363060599	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन मजदूरी आदि पर अधिक व्यय, अधिक डेबिट तथा अधिक विविध व्ययों का समायोजन
9.	09- संचालन व्यय- ट्रैफिक	अनुदान व्यय आधिक्य	118199061000 118433375471 234314471	-वही-
10.	12- विविध कार्य व्यय	अनुदान व्यय आधिक्य	31576458000 31772312173 195854173	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण वेतन, मजदूरी आदि पर अधिक व्यय, हथियारों एवं गोले बारूद की खरीद, विविध व्यय, अधिक डेबिट का समायोजन तथा वस्तुओं की अधिक क्षतिपूर्ति, कामगारों के क्षतिपूर्ति दावों का अधिक निपटान, एक्स ग्रेशिया भुगतान वस्तुओं की प्रत्यक्ष खरीद, मेडिकल, स्वास्थ्य तथा कल्याण कर्मचारियों के प्रशिक्षण, किराया दरों एवं करों का भुगतान, भारी लंबित देयताओं की निकासी तथा दावों का समाधान
11.	13- भविष्य निधि, पेंशन निधि एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	अनुदान व्यय आधिक्य	153988173000 169112069979 15123896979	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के कारण बकायों संबंधी पेंशन भुगतान प्राधिकरणों से अधिक डेबिट की प्राप्ति, अधिक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति मामले, नयी परिभाषित पेंशन योजना में सरकार का योगदान
12.	15- सामान्य राजस्वों का लाभांश, सामान्य राजस्वों से लिए गए कर्जों का पुनर्भुगतान तथा अधिक पूंजीकरण परिशोधन	अनुदान व्यय आधिक्य	55388300000 55433403762 45103762	लाभांशयुक्त पूंजी में बढ़ोत्तरी,
राजस्व (प्रभारित)				
13.	03- सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएं	विनियोग व्यय आधिक्य	1058000 3479286 2421286	पूर्वानुमानित की अपेक्षा अधिक आज्ञाप्ति भुगतानों का समाधान
14.	05- चालन शक्ति की मरम्मत एवं अनुरक्षण	विनियोग व्यय आधिक्य	शून्य 174024 174024	पूर्वानुमानित न होने वाले आज्ञाप्ति व्यय के भुगतान
15.	10- संचालन व्यय- इंधन	विनियोग व्यय आधिक्य	22536000 210700000 188164000	पूर्वानुमानित की अपेक्षा प्रवेश कर हेतु अधिक आज्ञाप्ति व्यय का समाधान

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	आंकड़े ₹ में	मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए विचलन के कारण	
पूंजीगत (प्रभारित)				
16.	16- परिसम्पति- अधिग्रहण, निर्माण एवं प्रतिस्थापन (पूंजीगत)	अनुदान व्यय आधिक्य	610200000 643840661 33640661	पुर्वानुमानित की अपेक्षा अधिक आज्ञाप्ति भुगतानों का समाधान
डाक विभाग				
राजस्व (दत्तमत)				
17.	13 – डाक विभाग	अनुदान व्यय आधिक्य	125226700000 133448299000 8221599000	छठे वेतन आयोग रिपोर्ट को लागू करना, नए नियुक्त स्टाफ को अधिक प्रवर्तन प्रशिक्षण, जी. डी.एस. समिति रिपोर्ट का कार्यान्वयन तथा नरेगा एवं मोर्ड आदि के कारण व्यय का निपटान
रक्षा सेवाएं				
राजस्व (दत्तमत=				
18.	22 – रक्षा सेवाएं- थल सेना	अनुदान व्यय आधिक्य	602525300000 627166411895 24641111895	एम.आई.एस.ओ. द्वारा प्रदान अफसर/पी.वी.ओ.आर. के तैनाती आंकड़े तथा वास्तविक तैनाती में अन्तर के कारण, कोर्ट के फैसलों के कारण कार्मिकों की बहाली के कारण, महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण अधिक व्यय तथा प्रधानमंत्री के लिए टेरीटोरियल आर्मी के महंगाई भत्ते में वृद्धि टेरीटोरियल आर्मी डे परेड, छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण यात्रा भत्ता में वृद्धि तथा सी.जी.डी.ए. द्वारा बकाया वेतन तथा भत्तों के भुगतान का गलत लेखाकरण।
19.	23 – रक्षा सेवाएं- नौ सेना	अनुदान व्यय आधिक्य	94357000000 95862103457 1505103457	नए अफसरों की भर्ती, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण यात्रा भत्ता का संशोधन, महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण अधिक व्यय, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के बकाया भत्तों की अदायगी, तटीय सुरक्षा के प्रचालन आवश्यकता के लिए नावों को किराए पर लेना, तट सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल के ईंधन बिलों का अतिरिक्त भुगतान तथा परियोजना में शामिल नहीं किए गए नए करारों के अनुसार विमान चालकों को अमेरिका में प्रशिक्षण हेतु अतिरिक्त भुगतान।
राजस्व (प्रभारित=				
20.	22 – रक्षा सेवाएं- थल सेना	अनुदान व्यय आधिक्य	200900000 206942498 6042498	प्रत्याशित की अपेक्षा अधिक न्यायालय मामलों को अंतिम रूप देने के कारण।

7.2 रेलवे अनुदानों से संबंधित अन्य विवरण भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2009-10 के संबंधित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित किए हैं।

प्रावधानों से अधिक व्यय

7.3 भुगतान एवं लेखा अधिकारी किसी उप-शीर्ष अथवा प्राथमिक इकाई के अन्तर्गत बजट आबंटन से अधिक भुगतान केवल अनुदान नियंत्रित करने वाले विभागाध्यक्ष से यह आश्वासन प्राप्त करने के पश्चात ही कर सकता है कि संवितरण हेतु आवश्यक निधियां पुनर्विनियोग आदेश इत्यादि जारी करने पर प्रदान कर दी जाएगी। यद्यपि, वर्ष 2009-10 के शीर्ष-वार विनियोग लेखों में यह पाया गया कि 26 अनुदानों के 94 उप-शीर्षों में उपलब्ध प्रावधानों से ₹21,774.78 करोड़ के कुल व्यय का अधिक किया गया था, परन्तु संबंधित अनुदान/विनियोग का प्रबंधन करने वाले प्राधिकारी ने व्यय को समायोजित करने के लिए कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किए थे, जो बजटीय नियंत्रण में ढील को दर्शाते हैं। अधिक व्यय वाले उप-शीर्ष परिशिष्ट VII-क में सूचीबद्ध हैं।

₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचतें

7.4 किसी अनुदान अथवा विनियोग में बचतें या तो त्रुटिपूर्ण बजटीकरण अथवा निष्पादन में कमी अथवा दोनों को दर्शाते हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान 51 अनुदानों (सिविल, डाक, रेलवे एवं रक्षा सेवाएं सहित) के 66 मामलों में ₹100 करोड़ से अधिक की बचतें हुई, जिनकी लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) को विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी दी जाने की आवश्यकता है। अधिक बचतें ऋणों का पुनर्भुगतान (₹1,62,413.18 करोड़), ग्रामीण विकास विभाग (₹11,142.92 करोड़), राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अन्तरण (₹11,508.95 करोड़), ब्याज भुगतान (₹6,996.56 करोड़), विनिवेश विभाग (₹5,379.90 करोड़), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (₹5,267.74 करोड़), सङ्क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (₹5,086.89 करोड़), वित्तीय सेवा विभाग (₹3,947.72 करोड़), विद्युत मंत्रालय (₹2,661.91 करोड़), पुलिस (₹2,538.02 करोड़), उच्चतर शिक्षा विभाग (₹1,552.60 करोड़), पंचायती राज मंत्रालय (₹1,003.89 करोड़) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (₹1599.82 करोड़) आदि जैसे क्षेत्रों में थे। परिशिष्ट VII-ख विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत बचतों के ब्यौरे दर्शाता है।

मंत्रालयों/विभागों द्वारा बचतों के कारण ‘कुछ योजनाओं को आरम्भ न कर पाना’, ‘प्रगति रिपोर्ट/उपयोगिता प्रमाणपत्रों को देरी से जारी करना’, ‘कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा व्यय की धीमी गति, राज्यों के पास अव्ययित शेष पड़े रहना तथा राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति आदि थे।

7.5 इसके अतिरिक्त नौ पूँजीगत खण्डों सहित 24 अनुदानों/विनियोजनों के 29 अनुभागों में पिछले तीन वर्षों (2007-10) के दौरान ₹100 करोड़ तथा अधिक की निरन्तर बचतें थीं जैसा परिशिष्ट VII-ग में दिया गया है। बड़ी निरन्तर बचतों वाले कुछ मामले राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण (₹25,634.32 करोड़), रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय (₹15,259.03

करोड़), ब्याज भुगतान (₹14,133.75 करोड़), वित्तीय सेवा विभाग (₹12,876.84 करोड़), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (₹12,342.91 करोड़), पुलिस (₹7,721.25 करोड़), तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (₹6,169.39 करोड़) थे।

बचतों का अभ्यर्पण

7.6 सा.वि.नि. 56 के प्रावधानों के अनुसार, अनुदान अथवा विनियोग से बचतों का जैसे ही पूर्वानुमान लगे उसे वर्ष के अंतिम दिन की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। अव्ययित प्रावधान को भविष्य में सम्भावित आधिक्य के लिए भी आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए। 2009-10 के दौरान, सिविल मंत्रालयों/ विभागों के 98 अनुदानों/विनियोगों के 205 खण्डों के अंतर्गत ₹2,47,819 करोड़ की बचतें थीं। यह 4 अनुदानों के 4 खण्डों के अंतर्गत ₹9,219 करोड़ के अधिक व्यय के द्वारा प्रतिसन्तुलित किया गया था जिसका परिणाम ₹2,38,600 करोड़ की निवल बचत में हुआ। अभ्यर्पित की गई राशियां तालिका 7.3 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 7.3: बचतों तथा अभ्यर्पण का विवरण

(₹करोड़ में)

अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पित की गई राशि	31 मार्च को अभ्यर्पित की गई राशि	अभ्यर्पित न की गई राशि
राजस्व			
दत्तमत	41931.90	39521.06	38071.03
प्रभारित	12921.81	12661.58	12661.58
कुल : राजस्व	54853.71	52182.64	50732.61
पूंजीगत			
दत्तमत	29534.90	28284.64	27422.99
प्रभारित	163430.58	5349.51	5349.11
कुल : पूंजीगत	192965.48	33634.15	32772.10
कुल योग	247819.19	85816.79	83504.71
			162769.23

7.7 दूरसंचार विभाग, राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण, विदेश मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग, रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों के अन्तर्गत अभ्यर्पित की गई राशि बचतों से अधिक थी। विवरण परिशिष्ट-VII-घ ब्यौरे प्रदान करता है। दूरसंचार विभाग के मामले में, विभाग ने ₹87.82 करोड़ का अधिक संवितरण किया जिसको भारत के संविधान के अनुच्छेद 115 (1)(ख) के अंतर्गत नियमन की आवश्यकता है (और ब्यौरे हेतु पैरा 7.1 में देखा जा सकता है)। अधिक व्यय के बावजूद मंत्रालय/विभाग ने ₹40.21 करोड़ की राशि का मार्च, 2010 में अभ्यर्पण भी किया। यह अपर्याप्त बजटीय नियंत्रणों का सूचक है।

31 मार्च को बचतों का अभ्यर्पण

7.8 51 मामलों में जहाँ किसी एक अनुदान/विनियोग में बड़ी बचतों ($\text{₹}100$ करोड़ से अधिक) को देखा गया और जिसे अन्ततः अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत हुई निधियों सहित 31 मार्च 2010 को संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अभ्यर्पित किया गया था, के ब्यौरे परिशिष्ट VII-ड में दर्शाए गये हैं।

निधियों का पुनर्विनियोग

7.9 संवितरण के लिए, कोई अनुदान अथवा विनियोग उन उप-शीर्षों अथवा मानक विषय शीर्षों में जिनके अन्तर्गत उसे लेखाबद्ध किया जाता है वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले सक्षम कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा किसी अनुदान अथवा विनियोग के भीतर प्राथमिक इकाइयों के बीच जिसके साथ ऐसा अनुदान अथवा विनियोग सम्बन्धित है, का पुनर्विनियोजन अनुमोदित कर सकता है। निधियों का पुनर्विनियोग केवल तभी करना चाहिए जब यह ज्ञात हो अथवा प्रत्याशित हो कि उस इकाई के विनियोग, जिससे निधियों का अन्तरण किया जाना है, को पूरी तरह प्रयोग में नहीं लाया जाएगा अथवा अव्ययित प्रावधान को पुनर्विनियोजन की इकाई में प्रभावी किया जा सकता है।

7.10 2009-10 के लिए पुनर्विनियोजन आदेशों के संदर्भ में विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि संसद द्वारा प्राधिकृत मूल प्रयोजन/कार्यकलाप को विफल करते हुए विभिन्न प्राथमिक इकाइयों के बीच निधियों के भारी पुनर्विनियोजन किए गए थे। कुछ मामले जहाँ पर निधियों के भारी पुनर्विनियोजन किये गये थे, ऋण का पुनर्भुगतान ($\text{₹}1,56,682$ करोड़), राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण ($\text{₹}9,563$ करोड़), रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ($\text{₹}4,248$ करोड़) ग्रामीण विकास विभाग ($\text{₹}3,691$ करोड़), ब्याज भुगतान ($\text{₹}3,187$ करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ($\text{₹}3,080$ करोड़), उर्वरक विभाग ($\text{₹}2,867$ करोड़), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ($\text{₹}2,445$ करोड़), कृषि एवं सहकारिता विभाग ($\text{₹}1,947$ करोड़), रक्षा सेवाएं - वायु सेना ($\text{₹}1,891$ करोड़), रक्षा सेवाएं - थल सेना ($\text{₹}1,389$ करोड़), विद्युत मंत्रालय ($\text{₹}1,289$ करोड़), पुलिस ($\text{₹}1,240$ करोड़), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ($\text{₹}1,158$ करोड़), वित्तीय सेवा विभाग ($\text{₹}1,034$ करोड़), संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण ($\text{₹}1,000$ करोड़), पेयजल आपूर्ति विभाग ($\text{₹}979$ करोड़), परमाणु ऊर्जा ($\text{₹}770$ करोड़) तथा विदेश कार्य मंत्रालय ($\text{₹}584$ करोड़) थे।

लघु/उप-शीर्षों को अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

7.11 लेखाओं की नमूना जांच ने प्रकट किया कि सिविल मंत्रालयों/विभागों के 24 अनुदानों/विनियोगों के 37 मामलों में, डाक विभाग के एक अनुदान के एक मामले में तथा रक्षा मंत्रालय के चार अनुदानों के पाँच मामलों में, कुल $\text{₹}1,57,253.87$ करोड़ का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण था क्योंकि जिन लघु/उपशीर्षों में निधियां पुनर्विनियोजन के द्वारा अन्तरित की गई थीं उनके अन्तर्गत मूल प्रावधान पर्याप्त से अधिक था। 43 मामले, जहाँ पुनर्विनियोग $\text{₹}1$ करोड़ या

उससे अधिक के कुछ मामले परिशिष्ट-VII-च में दिए गए हैं। परिणामतः, लघु/उप-शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचतें इन शीर्षों को पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थीं।

लघु/उप-शीर्षों से अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

7.12 10 अनुदानों/विनियोगों के 11 लघु/उप-शीर्षों, जैसा कि परिशिष्ट-VII-छ में दर्शाया गया है, में कुल ₹228.52 करोड़ के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन थे जहां प्रत्येक मामले के अन्तर्गत अंतिम संवितरण पुनर्विनियोजन से पहले मूल प्रावधान की अपेक्षा अधिक था। इनमें से प्रत्येक में, इन शीर्षों से पुनर्विनियोजन के पश्चात अंतिम प्रावधान से भी आधिक्य पुनर्विनियोजित राशियों की अपेक्षा अधिक था।

अवास्तविक बजटीय अनुमान के कारण विशाल अनुपूरक अनुदानें

7.13 भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 के अन्तर्गत, संसद, सरकार को भारत की समेकित निधि से विशिष्ट राशियाँ विनियोजित करने हेतु प्राधिकृत करती है। संसद संविधान के अनुच्छेद 115 के अनुसार अनुगामी विनियोग अधिनियम द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी संस्थीकृत कर सकती है। व्ययों के अनुमान तैयार करते समय मंत्रालयों/विभागों से पिछले वर्षों के दौरान वितरण की प्रवृत्ति को ध्यान में रखना तथा पूर्ण सावधानी बरतना अपेक्षित है जिससे वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने से पहले अनुमानों में सभी अपरिहार्य तथा भावी व्यय हेतु प्रावधान कर लिए जाएं। वित्त मंत्रालय यथोचित विचार विमर्श तथा बजट पूर्व बैठकों/संवीक्षा के पश्चात बजट प्रस्तावों को अन्तिम रूप देता है। वर्ष 2009-10 के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभागों में से अधिकांश ने मूल प्रावधानों से बहुत अधिक अनुपूरक अनुदान/विनियोग प्राप्त किए थे। तालिका 7.4 में उल्लेखित अनुदानों के कुछ अनुभागों में ₹20 करोड़ या अधिक के अनुपूरक अनुदान थे जो मूल प्रावधान के 40 प्रतिशत से 634 प्रतिशत के बीच थे। यह मंत्रालयों/विभागों द्वारा बजट अनुमानों के वास्तविक आधार पर तैयार नहीं करने तथा वास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों को सुनिश्चित करने हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा बजट पूर्व बैठकों को आयोजित करने तथा संवीक्षा की क्रियाविधि के अभिप्रेत प्रभाव के न होने का द्योतक था।

तालिका 7.4: अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों के कारण भारी अनुपूरक अनुदानों के बौरों को दर्शाती विवरणी

(रुपयों में)				
क्र.सं.	अनुदान का विवरण	वास्तविक प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक प्रावधान से अनुपूरक प्रावधान की प्रतिशतता
राजस्व (दत्तमत)				
1.	6-रसायन तथा पैट्रोरसायन विभाग	220.36	166.07	75
2.	9- नागर विमानन मंत्रालय	731.09	311.00	43
3.	39- पेंशन	10899.08	6913.33	63
4.	44- विनिवेश विभाग	18.78	23.42	125
5.	49- भारी उद्योग विभाग	275.56	515.48	187
6.	72-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	13475.33	11843.00	88

7.	74- विद्युत विभाग	7617.73	3233.93	42
8.	91- इस्पात मंत्रालय	115.01	728.69	634
9.	100- शहरी विकास विभाग	1008.52	414.80	41
पूंजीगत (दत्तमत्त)				
10.	09- नागर विमानन मंत्रालय	155.95	800.00	514
11.	14- दूरसंचार विभाग	104.00	171.75	165
12.	19- संस्कृति मंत्रालय	36.00	20.00	56
13.	31- विदेश मंत्रालय	525.00	297.50	57
14.	32- आर्थिक कार्य विभाग	7763.65	9136.26	118
15.	33- वित्तीय सेवा विभाग	2967.02	2373.98	80
16.	44-विनिवेश विभाग	2240.00	3139.90	140
17.	54- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	63.79	48.00	75
18.	72-पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	--	958.08	--
19.	97- दादर एवं नागर ह्यैली	57.44	23.00	40
20.	100-शहरी विकास विभाग	2600.36	2026.48	78
21.	105-युवा कार्य एवं खेलकूद मंत्रालय	493.70	350.58	71

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

7.14 2003-04 से आगे सिविल मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत प्राप्त मूल तथा अनुपूरक अनुदानों तथा मूल प्रावधानों से अनुपूरक प्रावधानों की प्रतिशतता की स्थिति **परिशिष्ट-VII-J** में दी गई है। नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 14 अनुदानों/विनियोगों से संबंधित 14 अनुभागों में, जिनके ब्लौरे तालिका 7.5 में दिए गए हैं, जबकि 2009-10 के दौरान ₹15,654.30 करोड़ के कुल अनुपूरक प्रावधान अधिक व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किये थे, फिर भी अन्तिम व्यय मूल अनुदान/विनियोग से भी कम हुआ था। प्राप्त किया गया समग्र अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था जिसने त्रुटिपूर्ण बजटीकरण को प्रदर्शित किया।

‘नकद अनुपूरक अनुदान’ प्राप्त करने के बजाय, मंत्रालय/विभाग को अनुदान में उपलब्ध बचत का प्रयोग करने की सम्भावना का पता लगाना चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो ‘टोकन’ या ‘तकनीकी अनुपूरक अनुदान’ लेना चाहिए जिससे वर्ष के अन्त में होने वाली बचतों से बचा जा सके।

तालिका 7.5: अनुपूरक अनुदान/विनियोग से अधिक बचतें

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	मूल प्रावधान	प्राप्त अनुपूरक अनुदान	वास्तविक संवितरण	बचतें
सिविल					
राजस्व-दत्तमत्त					
1.	5 - नाभिकीय विद्युत योजनाएं	2363.90	55.67	2002.11	417.46
2.	18- कार्पोरेट कार्य मंत्रालय	189.62	9.43	182.26	16.79
3.	31 - विदेश मंत्रालय	5767.97	40.01	5528.26	279.72
4.	33- वित्तीय सेवा विभाग	35446.52	1025.02	34598.82	1872.72
5.	43 - प्रत्यक्ष कर	3093.80	22.77	3043.42	73.15
6.	57 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	41319.58	1771.04	38322.88	4767.74
7.	58- उच्चतर शिक्षा विभाग	15429.00	87.17	13963.57	1552.60
8.	88- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	2446.00	5.03	2398.28	52.75
पूंजीगत-दत्तमत्त					
9.	19- संस्कृति मंत्रालय	36.10	20.00	33.22	22.88
10.	32- आर्थिक कार्य विभाग	7763.65	9136.26	4619.34	12280.57
11.	44- विनिवेश विभाग	2240.00	3139.90	--	5379.90
12.	74- विद्युत मंत्रालय	1889.00	27.00	1579.76	336.24
13.	87- सङ्कर परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	15842.00	311.00	14165.10	1987.90
14.	92- कपड़ा मंत्रालय	184.00	4.00	183.63	4.37
योग		15654.30			

कुछ मामले तथा, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने 'बचत नोट व्याख्या' में दिए गए बचत कारणों की चर्चा नीचे दी गई है:

- अनुदान संख्या 5- न्यूक्लीयर पावर योजना में बचत का मुख्य कारण कम मात्रा में सामरिक द्रव्यों का आयात था अर्थात् पी.एच.डब्ल्यू.आर. ईंधन की आपूर्ति (₹369.87 करोड़) तथा सामरिक आयात सूची में बदलाव (₹47.07 करोड़)।
- अनुदान सं. 33- में वित्तीय सेवा विभाग, बचत का मुख्य कारण कृषि ऋण माफी तथा ऋण सहायता योजना 2008 (₹1,692.15 करोड़) थे। ₹1,000.00 करोड़ की बचत कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना के प्रभावों के निर्धारण हेतु सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स की रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण हुई।

- अनुदान सं. 32- आर्थिक मामले विभाग में ₹3,035.61 करोड़) की बचत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंशदान योजना के अंतर्गत अ.मु.को.के. सहमति-पत्र संशोधन “आवाज एवं सहभागिता” के लागू न होने के कारण थी तथा ₹9,136.25 करोड़ अ.मु.को.के. द्वारा ‘मूल्य देयता अनुरक्षण’ योजना के अन्तर्गत विशेष निकासी अधिकार के अनुसार अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता न होने के कारण थी।
- अनुदान सं.44- विनिवेश विभाग में ₹5379.90 करोड़ की बचत का कारण रिजर्व निधि में अन्तरण (एन.आई.एफ.) योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय निवेश निधि (एन.आई.एफ.) की लेखा प्रक्रिया में परिवर्तन था। संशोधित लेखा प्रक्रिया के अनुसार, वर्ष 2009-12 में संबंधित मंत्रालय/विभाग जो विनिवेश राशि प्राप्ति में से योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं, निधियों को विनिवेश विभाग के बजाय इन्हें एन.आई.एफ. निधि में स्थानान्तरित करेंगे।
- अनुदान सं.87- सङ्क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में, वित्त मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अन्तर्गत ₹8,578.45 करोड़ के प्रावधान में से प्रावधान को घटाकर ₹7,404.70 करोड़ कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप योजना में ₹1,173.75 करोड़ की बचत हुई। इसके अतिरिक्त, एन.एच.1ए, एन.एच.22 तथा एन.एच.31ए के एफ.डी.आर. लक्ष्यों में तथा निर्माण कार्य लक्ष्य में कमी के कारण ₹155.74 करोड़ की बचत हुई।

उप-शीर्षों के अन्तर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

7.15 अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय, मंत्रालयों/विभागों ने संसद को योजनाओं/कार्यकलापों के अन्तर्गत विभिन्न उद्देश्यों हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की भारी राशि बताई थी किन्तु वे अन्ततः सम्पूर्ण अनुपूरक अनुदानों या उनके हिस्से को खर्च करने में न केवल असफल रहे बल्कि मूल बजट प्रावधान को भी खर्च न कर सके। ऐसे उप-शीर्ष जहाँ सम्पूर्ण अनुपूरक अनुदान के साथ मूल बजट प्रावधान भी अव्ययित रहे, का ब्यौरा परिशिष्ट-VII-झ में दिया गया है।

अवास्तविक बजट पूर्वानुमान

7.16 प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट परिपत्र अनुबद्ध करते हैं कि अनुमानों की लम्फेरेखा तैयार करते समय, पूर्व निष्पादन, विभिन्न योजनाओं के सूत्रीकरण/ कार्यान्वयन के स्तर, योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अभिकरणों की संस्थागत क्षमता, व्यय करने वाले अभिकरणों द्वारा व्यय पर नियंत्रण आदि पर पूरा ध्यान दिया जाए। इसका उद्देश्य बाद के स्तर पर परिहार्य अभ्यर्पणों हेतु गुंजाइश को कम करना है। इसके अतिरिक्त, सामान्यतः परियोजनाओं/योजनाओं की बजट-पूर्व संवीक्षा को पूर्ण किए बिना बजट में कोई प्रावधान नहीं किए जाने चाहिए। तथापि, जहाँ आवश्यक संवीक्षा किए बिना प्रावधान किए गए हैं, संसद द्वारा बजट पारित करने तक वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले ऐसी संवीक्षा पूर्ण कर लेनी चाहिए तथा समुचित अनुमोदन प्राप्त कर लेने चाहिए। शीर्षवार विनियोग लेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विभिन्न उप-शीर्षों के अन्तर्गत मंत्रालयों/विभागों ने अत्यधिक प्रावधान किए थे जिसका परिणाम अन्ततः वर्ष के अन्त में भारी

बचतों तथा अभ्यर्पणों में हुआ। परिशिष्ट-VII-ज ₹10 करोड़ या अधिक की बचत के ऐसे 140 मामलों का विवरण प्रदान करता है जो बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनता है।

सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोग

7.17 मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के अन्तर्गत 63 लघु उपशीर्षों में संसद द्वारा स्वीकृत सम्पूर्ण प्रावधान अव्ययित रहे। सम्पूर्ण प्रावधान की बचत इस तथ्य का द्योतक है कि परियोजनाओं/कार्यक्रमों की उपयुक्त बजट-पूर्व समीक्षा के आधार पर बजट अनुमान तैयार नहीं किए गए। उप-शीर्ष के ब्यौरे परिशिष्ट VII-ठ में दिया गया है। कुछ मुख्य योजनाएं जो सम्पूर्ण प्रावधानों के उपयोग न करने के कारण आगे नहीं बढ़ पायी अथवा प्रभावित हुई, वे हैं- दीर्घावधि को आपरेटिव क्रेडिट संरचना का पुनरुद्धार (₹1000.00 करोड़) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना तथा संवैधानिक देयों का भुगतान योजना (₹250.00 करोड़) राष्ट्रीय राज्य एवं जिला स्तर पर योजना प्रक्रिया को सहायता (₹175.00 करोड़) सेतुसमुद्रम नहर परियोजना (₹151.10 करोड़), राज्यों तथा संघ क्षेत्रों की सरकारों के प्रशासन को टी.डी.पी.एस. के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं की स्मार्ट कार्ड आधारित सुपुर्दगी को प्रारम्भ करने की एक प्रारम्भिक योजना के कार्यान्वयन हेतु सहायता (₹142.28 करोड़), राष्ट्र सङ्क सुरक्षा बोर्ड (₹72.00 करोड़), दिल्ली में सङ्क (₹60.00 करोड़), भारतीय सांख्यिकीय आधुनिकीकरण प्रणाली (₹82.30 करोड़) और किशोरी कन्याओं के सशक्तीकरण हेतु राजीव गांधी योजना (₹97.00 करोड़)

उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की बचतें

7.18 विनियोग लेखों की विस्तृत संवीक्षा ने प्रकट किया कि कुछ अनुदानों तथा विनियोगों के अंतर्गत मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली संबंधित योजनाओं के संबंध में एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की बचतें थीं जो कि खराब बजट बनाने या निष्पादन में कमी या दोनों के सूचक हैं। मंत्रालय/विभाग को न केवल अनुमानों तथा वास्तविकों के बीच बड़े पैमाने पर विचलनों को कम करने बल्कि दुर्लभ संसाधनों को लाभकारी ढंग से उपयोग करने हेतु अपने बजटीय कार्यों को अधिक वास्तविक बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मंत्रालयों/विभागों को बजटीय अनुमान की प्रणाली की और/अथवा अपने कार्यक्रम प्रबंधन की दक्षता की समीक्षा की जानी अपेक्षित है। परिशिष्ट VII-ठ एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की 74 ऐसी बचतों का ब्यौरा प्रदान करता है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई मुख्य बचतें ₹2,548.46 करोड़ कम यूरिया के आयात, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया मूल्यों के कम होने तथा अस्थाई विनिमय दरों में विचलन के कारण यूरिया का आयात; ₹9,136.07 करोड़-एस.डी.आर. के अनुसार मुद्रा का मूल्य बनाए रखने हेतु आई.एम.एफ. द्वारा अतिरिक्त निधियों की गैर आवश्यकता के कारण मूल्य बाध्यता का अनुरक्षण (एम.ओ.पी.); ₹2,149.19 करोड़ ऋण माफी हेतु योग्य पाई गई। राज्य सरकारों की कम संख्या के कारण बट्टे खाते में डाले राज्य सरकारों को ऋण ₹1,175.61 करोड़-जल संसाधन मंत्रालय से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम; ₹739.86 करोड़ - पूंजीगत निर्माण कार्यों की धीमी गति तथा कम वाहनों के प्राप्ति के कारण अ.भा.अ.वि.सं. प्रकार के उच्च विशेषता अस्पतालों का उन्नयन; ₹1,000.00 करोड़ राज्य सरकारों से व्यवहार्य

प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति के कारण पिछड़े क्षेत्रों को अनुदान ₹1,300.00 करोड़-आम चुनावों तथा भारी वर्षा मौसम से योजना की धीमी प्रगति के कारण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण नियम ₹4,272.01 करोड़- राज्य सरकारों के पास-पिछले वर्षों के अव्ययित शेषों की उपलब्धता के कारण जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला कार्यक्रम सामंजस्यकारियों तथा अन्यों को सहायता; ₹1,291.64 करोड़-राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति तथा ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु व्यय वित्त समिति ज्ञापन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण क्षमता निर्माण तथा तकनीकी सहायता आदि में हुई।

12वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण बचतें

7.19 बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) के संदर्भ की शर्तों में से एक यह थी कि वह उन सिद्धान्तों की अनुशंसा करेगा जो भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्वों के सहायता अनुदानों तथा राज्यों जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत अनुच्छेद की धारा (1) के उपबन्ध में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त उद्देश्यों हेतु अपने राजस्वों के सहायता अनुदानों के माध्यम से सहायता की आवश्यकता है, को जारी राशियों को नियंत्रित करेंगे।

बारहवें वित्त आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत 2005-10 की सौंपी गई अवधि के दौरान राज्यों को देय कुल ₹1,42,640 करोड़ की विभिन्न अनुदानों की अनुशंसा की जैसा कि ब्लौरा तालिका 7.6 में नीचे दिया गया है:

तालिका 7.6 राज्यों को देययोग्य बड़े अनुदानों के ब्लौरे दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	क्षेत्र/मर्दे	राशि (₹करोड़ में)
1.	पश्च-अंतरण योजनेतर राजस्व घाटा	56,856
2.	शिक्षा क्षेत्र	10,172
3.	स्वास्थ्य क्षेत्र	5,887
4.	सड़क एवं पुलों का अनुरक्षण	15,000
5.	भवनों का अनुरक्षण	5,000
6.	वनों का अनुरक्षण	1,000
7.	विरासत संरक्षण	625
8.	राज्य-विनिर्दिष्ट आवश्यकताएं	7,100
9.	स्थानीय निकाय	25,000
10.	विपत्ति राहत	16,000
योग		1,42,640

इन अनुदानों¹ की निर्मुक्ति के साथ कुछ शर्तें जुड़ी थीं तथा अनुदानों की उपयुक्त उपयोगिता को सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति द्वारा मानीटरिंग भी की जा रही थीं।

वर्ष 2009-10 के लिए अनुदान सं. 35-राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकार को अंतरण के विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा ने राजस्व प्रभारित भाग में शीर्ष ‘3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान-योजनेतर अनुदान-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के उपबन्ध के अंतर्गत अनुदान’ कुछ

¹ योजनेतर राजस्व घाटा अनुमानों के अतिरिक्त

राज्य सरकारों द्वारा बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण 4,938.14 करोड़ की सीमा तक बचतों को प्रकट किया जिनका ब्यौरा तालिका 7.7 में दिया गया है:

तालिका 7.7 अनुदानों, उनके प्रति निर्मुक्तियों तथा बचतों को दर्शाने वाले ब्यौरों की विवरणी

क्र.सं.	क्षेत्र/उप-शीर्ष	ब.अ.	व्यय	बचत	राज्य जिन्होंने शर्त पूरी नहीं की थी	शर्त के प्रकार
1.	शिक्षा क्षेत्र 3601.01.104.07	2915.45	2281.35	634.10	झारखण्ड, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल	2009-10 हेतु एन.पी.आर.ई. के ब.अ. वर्ष के लिए बा.वि.आ. के प्रक्षेपित स्तर से नीचे रहना। वर्ष 2007-08 हेतु एन.पी.आर.ई. के वास्तविक का 2007-08 हेतु बा.वि.आ. प्रक्षेपित सामान्य व्यय से कम रहना।
2.	स्वास्थ्य क्षेत्र 3601.01.104.08	1944.31	1370.84	573.47	झारखण्ड, उड़ीसा एवं उत्तराखण्ड	-वही-
3.	सड़कों एवं पुलों का अनुरक्षण 3601.01.104.09	4250.00	3391.24	858.76	अरुणाचल प्रदेश, ज.एवं क., झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, पंजाब एवं उत्तराखण्ड	-वही-
4.	लोक भवनों का अनुरक्षण 3601.01.104.10	2047.00	994.43	1052.57	गुजरात, झारखण्ड, नागालैण्ड, पंजाब एवं उ.प्र.	-वही-
5.	वनों का अनुरक्षण 3601.01.104.11	245.63	214.49	31.14	झारखण्ड एवं मेघालय	राज्य की उच्च स्तरीय समिति की स्वीकृत कार्य योजना तथा उपयोगिता/पूर्णता प्रमाणपत्रों की गैर-प्राप्ति
6.	विरासत संरक्षण 3601.01.104.12	201.07	179.14	21.93	बिहार, गोवा, उड़ीसा एवं उ.प्र.	-वही-
7.	राज्य-विनिर्दिष्ट आवश्यकताएं 3601.01.104.13	2581.92	2136.14	445.78	अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान एवं त्रिपुरा	-वही-
8.	स्थानीय निकाय 3601.01.104.05	7026.85	5706.46	1320.39	गोवा, ज. एवं क., झारखण्ड, मेघालय, मिजोरम एवं सिक्किम	नियत अवधि के बाद अनुदानों के लंबित अंतरण हेतु बैंक दर पर राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों को ब्याज का गैर-भुगतान

वित्तीय वर्ष 2008-09 में भी राजस्व प्रभारित भाग में शीर्ष '3601- राज्य सरकार को सहायता अनुदान-योजनेतर अनुदान - संविधान के अनुच्छेद 275(1) के उपबन्ध के अंतर्गत अनुदान' चार

उप-शीर्षों में कुछ राज्य सरकारों द्वारा बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण 3553.04 करोड़ की बचतें थी।

इस प्रकार, वित्त आयोग द्वारा राज्य सरकारों को सौंपे गए संसाधन वर्ष दर वर्ष निरंतर अव्ययित रहे जिसने पूर्ण देश में अभिप्रेत क्षेत्रीय वृद्धि को जोखिम में डाला। 2009-10 के बा.वि.आ. द्वारा सौंपे गए का अंतिम आवृत्त वर्ष होने के कारण राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों हेतु उद्दिष्ट इन अनुदानों को प्राप्त करने का अवसर खो दिया।

अनुदान के अभ्यर्पण से बचने के लिए अनियमित व्यय

7.20 परमाणु ऊर्जा विभाग (प.ऊ.वि.) ने सितम्बर 2003 में ₹3,492.00 करोड़ की अनुमानित लागत पर एक परियोजना के लिए प्रोटोटाईप फास्ट ब्रीडर रियेक्टर के संस्थापन, स्वीकृत की थी। वित्तपोषण प्रतिमान 80 प्रतिशत इक्विटी, अर्थात् ₹2,793.60 करोड़ तथा 20 प्रतिशत ऋण था। इक्विटी का प्रथम चरण में तथा ऋण को बाद के चरण में प्रवाह करना था। भारतीय नाभिकीय शक्ति निगम लिमिटेड (भा.ना.श.नि.लि.) को पांच प्रतिशत इक्विटी का पाण, जो कि ₹139.68 करोड़ है, लेना था। इसलिए विभाग को इक्विटी के सरकारी अंश के प्रति ₹2,653.92 करोड़ की राशि जारी करना अपेक्षित था।

₹2,653.92 करोड़ की संस्वीकृति के प्रति विभाग ने मार्च 2009 की समाप्ति तक ₹1,707.15 करोड़ जारी किए थे। इस प्रकार ₹946.77 करोड़ की राशि की इक्विटी के प्रति शेष राशि को जारी किया जाना था। यद्यपि वर्ष 2009-10 के दौरान केवल ₹946.77 करोड़ की सीमा तक की शेष संस्वीकृति उपलब्ध थी फिर भी प.ऊ.वि. ने ₹995.70 करोड़ की राशि जारी की, इस प्रकार संस्वीकृति को ₹48.93 करोड़ की सीमा तक बढ़ाया जिसने व्यय को अनियमित बनाया।

अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि प.ऊ.वि. ने 31.3.2010 को ₹325.70 करोड़ की किस्त जारी करते समय केवल अनुदान के अभ्यर्पण से बचने हेतु ₹48.93 करोड़ का अधिक अनुदान जारी किया। मुख्य लेखा नियंत्रक (मु.ले.नि.) द्वारा प्रदान प्रमाण-पत्र कि व्यय वर्ष 2009-10 के लिए शीर्षवार विनियोग लेखों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत किया गया है, संदेहास्पद रहता है।

सितम्बर 2010 में प.ऊ.वि. ने बताया कि ₹5677.00 करोड़ तक परियोजना लागत का संशोधन हेतु प्रस्ताव 26 मार्च 2010 को परमाणु ऊर्जा आयोग (प.ऊ.आ.) द्वारा स्वीकृत किया गया था। कैबिनेट समिति का अनुमोदन अभी प्राप्त किया जाना है जिसके लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, तथ्य यह रहता है कि प.ऊ.वि. ने ₹48.93 करोड़ का अनुदान, सक्षम प्राधिकारी, जो इस मामले में कैबिनेट समिति है, की मान्य स्वीकृति के बिना जारी किया गया था।

राष्ट्रीय नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत ₹60.00 करोड़ की बचतें

7.21 2009-10 के दौरान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पी.ई.टी.आर.ए. III त्वरत रेडियेशन सुविधा, जो फोटोनेस की नैनो माप का किरणें उपलब्ध कराती है जो कि नैनो विज्ञान अनुसंधान के साथ-साथ, पिछले अनुभव हेतु विशेष महत्व के हैं, में जर्मनी तथा भारत की एक फर्म के बीच सहयोग हेतु ₹130.00 करोड़ का एक प्रक्षेपण किया गया था तथा आगे की निर्मुक्तियाँ चालू परियोजनाओं तथा नए आरम्भों हेतु की जानी थी। चूंकि बीम लाईन निर्धारण से संबंधित ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट (ब्यौ.प.रि.) सितम्बर 2009 तक पूरी नहीं की गई थी तथा नवम्बर

2009 में शीर्ष निकाय द्वारा बाद में स्वीकार किया गया था इसलिए अनुमान को ₹70.00 करोड़ तक कम किया गया था जो ₹60.00 करोड़ की बचतों का कारण बना। ₹60.00 करोड़ में से ₹41.97 करोड़ रु. की राशि को अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित की गई थी जबकि शेष ₹18.03 करोड़ को 19 मार्च 2010 को वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित किया गया था। ₹70.00 करोड़ के घटे प्रावधान के प्रति 2009-10 के दौरान नैनो मिशन ने 70.00 करोड़ रु. की कुल लागत पर 116 नई/चालू परियोजनाओं को निधियाँ संस्थीकृत कीं।

₹18.03 करोड़ को सं.अ. स्तर पर अभ्यर्पित किया जा सकता था क्योंकि उस समय यह स्पष्ट था कि यह राशि न तो खर्च की जा सकेगी न ही किसी अन्य शीर्ष को पुनर्विनियोजित की जा सकेगी। तथापि, मार्च 2010 में ही विभाग द्वारा इसका अभ्यर्पण किया गया था जो कि सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 56 (2) के प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन है तथा इसे आवश्यक उद्देश्य के लिए अन्यत्र पुनः आवंटन से वंचित किया है।

निधियों के अनुपयोग के कारण प्रभावित योजना

7.22 2009-10 के दौरान, जनजाति कार्य मंत्रालय ने दो योजनाओं नामतः (i) जनजाति उपयोजना के अंतर्गत योजनाएं (₹900.50 करोड़) तथा (ii) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के उपबन्ध के अंतर्गत योजना (₹1,000.00 करोड़) हेतु ₹1,900.50 करोड़ की निधियाँ आबंटित की। योजना (i) के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को प्रासंगिक परिवार-आधारित तथा उनकी, जो स्वस्त्रायता दलों/समुदाय को चलाते हैं की रोजगार-सह-आय सृजन गतिविधियों तथा अवसंरचना को शामिल करने की दृष्टि सहित जनजाति के तीव्र आर्थिक विकास हेतु राज्य योजना को योज्य के रूप में जनजाति निधि हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की थी। योजना (ii) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य सरकारों को अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए तथा सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सिंचाई आदि की महत्वपूर्ण अवसंरचना में अंतराल लाने के उद्देश्य सहित अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए तथा एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की स्थापना के लिए अनुदान जारी किया है।

लेखापरीक्षा में संवीक्षा ने प्रकट किया कि वित्त मंत्रालय ने जनवरी 2010 में द्वितीय तिमाही की समाप्ति तक व्यय की प्रवृत्ति पर विचार करने के पश्चात ₹1900.50 करोड़ की निधियों के आवंटन के प्रति स.अ. स्तर पर आवंटन को ₹880.34 करोड़ तक कम किया गया था तथा 2009-10 के दौरान इस राशि का जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा पूर्ण रूप से उपयोग किया गया था तथा ₹1020.16 करोड़ की शेष अव्ययित राशि का 31.03.2010 को अभ्यर्पण किया गया था। मंत्रालय ने बचत हेतु कारणों को ‘संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पहले जारी अनुदानों के संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर उपयोगिता प्रमाणपत्रों तथा भौतिक प्रगति रिपोर्टों को पूर्ण रूप में प्राप्त न होने के कारण राज्य सरकारों को अनुदानों की गैर-निर्मुक्ति’ के रूप में आरोपित किया। मंत्रालय का उत्तर इस बात को स्पष्ट नहीं करता कि अव्ययित प्रावधान को जब यह पता चला था कि इसका व्यय नहीं किया जा सकेगा, तुरंत के बजाए वित्तीय वर्ष के अंत में क्यों अभ्यर्पित किया था।

दिये गये कारण अनुसूचित जनजाति कल्याण योजनाओं के कमजोर कार्यान्वयन तथा पहली दो तिमाहियों में खर्चों की प्रवृत्ति को प्रतिवर्तित करने में मंत्रालय की असफलता का द्योतक है।

अप्राधिकृत व्यय

7.23 वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजना नियमावली² अनुबंध करती है कि अनुदानों हेतु उसी मांग में राजस्व अनुभाग के अंतर्गत बचतों को पूँजीगत अनुभाग में अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने अथवा प्रतिक्रम से पुनर्विनियोजित नहीं किया जा सकता है।

जून 2008 में, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक प्रभाग ने कम्प्यूटरों, परिधीय तथा सॉफ्टवेयर के प्रापण हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच में उप-शीर्ष 2052.03.99.52 - मशीनरी एवं उपकरण (आई.टी.) के अंतर्गत राजस्व अनुभाग में ₹2.7 करोड़ की एक अतिरिक्त आवश्यकता को शामिल करने के लिए मुख्य लेखा नियंत्रक (मु.ले.नि.) को अनुरोध किया। मंत्रालय अतिरिक्त अनुदान प्राप्ति के बिना कार्यान्वित किया तथा ₹2.53 करोड़ की कीमत के कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर के लिए आपूर्ति आदेश दिया (सितम्बर 2008)। अंत में अतिरिक्त निधियाँ जैसी कि मांग की गई थी, स्वीकृत नहीं हुई थीं। मंत्रालय ने पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत नार्थ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक एक्सेंस कंट्रोल (स्मार्ट कार्ड) सिस्टम को प्रारम्भ करने हेतु आबंटित अप्रयुक्त निधियों के लिए आवेदन कम करने का निर्णय लिये। मंत्रालय ने इस आबंटन से कम्प्यूटरों तथा साफ्टवेयर की खरीद के प्रति व्यय को पूरा किया जबकि व्यय राजस्व अनुभाग से संबंधित था। इसे मु.ले.नि. की सहमति से किया जाना बताया गया था जबकि मु.ले.नि. ने साधारण रूप से सुस्पष्ट किया था कि अगर प्रशासनिक प्रभाग यह प्रमाणित करता है कि प्रस्ताव पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत वित्तपोषित किए जाने योग्य है तो भु.ले.का. को काई आपत्ति नहीं होगी। इस प्रकार, मंत्रालय ने अलग उद्देश्य के लिए राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत संसद द्वारा आवंटित निधियों का विचलन किया जिसका परिणाम ₹2.53 करोड़ के अप्राधिकृत व्यय में हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2009) कि चंकि बायोमेट्रिक प्रणाली उपस्थिति नियंत्रण के लिए थी इसलिए इस मामले का ध्यान रखने हेतु सभी अधिकारियों तथा स्टाफ को जारी करने हेतु बड़ी मात्रा में कम्प्यूटर खरीदे गए थे तथा इस प्रकार, यह काफी हद तक उस उद्देश्य के लिए पूँजीगत व्यय था जिसके लिए बजट प्रावधान किया गया था। मंत्रालय ने बाद में बताया जबकि बायोमेट्रिक प्रणाली स्थापित कर दी गई थी तथा सभी कम्प्यूटर अभिप्रेत उद्देश्य को पूरा कर रहे थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्प्यूटरों की भारी मात्रा में खरीद को पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत पूँजीगत व्यय के रूप में अनुमत नहीं किया जा सकता था क्योंकि मंत्रालय ने प्रारम्भ में बिलों को राजस्व व्यय के रूप में प्रस्तुत किया था। इसके अतिरिक्त, कम्प्यूटरों की खरीद हेतु अनुपूरक अनुदान की मांग करने वाला प्रस्ताव बायोमेट्रिक प्रणाली के संदर्भ में नहीं था। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि बायोमेट्रिक प्रणाली के संस्थापन हेतु प्रस्ताव, जिसकी 2003 में प्रारम्भिक रूप से गोष्ठी की गई थी, तथा 2009 में अंततः कार्यान्वित किया गया था, ने कम्प्यूटरों की ओर कोई संकेत नहीं किया था कि यह गृह मंत्रालय के अधिकारियों तथा स्टाफ को जारी करने के लिए

² वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजना नियमावली के नियम 10 के नीचे भारत सरकार का निर्णय सं. (4)

खरीदे गए थे। इस प्राकर, बायोमेट्रिक प्रणाली की खरीद के लिए तथा कम्प्यूटरों एवं साफ्टवेयर की खरीद हेतु दोनों प्रस्ताव अलग तथा सुस्पष्ट थे।

मंत्रालय ले लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए बताया (दिसम्बर 2010) कि दस्तावेजों की गहराई से जाँच पर यह पाया गया था कि मु.ले.नि. की अभ्युक्ति का ‘पूंजीगत’ से व्यय को पूरा करने की स्वीकृति के रूप में अर्थ निकाला गया था जो कि सही नहीं था। मंत्रालय ने बाद में बताया कि भविष्य में ऐसी कमियों से बचने हेतु मंत्रालय के सभी डी.डी.ओ. को निर्देश जारी कर दिए गए थे।

डाक सेवाएं (अनुदान सं.13)

7.24 अनुदान अथवा विनियोग में बचतें दर्शाती हैं कि व्यय अनुमान तथा विनियोजन के अनुसार नहीं किया जा सका। वास्तव में बचतें अव्ययित प्रावधानों को सूचित करती हैं जो खराब बजटीकरण अथवा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभाग के निष्पादन में कमी का सूचक है। पिछले पाँच वर्षों के लिए पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग में निरंतर बचतें होती रही हैं जैसा निम्न तालिका 7.8 में दर्शाया गया है। वाहनों के प्राप्ति से संबंधित डी.जी.एस.एण्ड डी. बिलों की गैर-प्राप्ति/गैर-समायोजन तथा प्रत्याशा के अनुसार कार्य की गैर-समाप्ति वर्ष 2009-10 के लिए बचतों हेतु विभाग द्वारा प्रस्तुत मुख्य कारण थे।

तालिका 7.8: पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग के अन्तर्गत निरंतर बचतें

(रुकरोड़ में)

वर्ष	अनुपूरक अनुदान सहित बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशतता
2005-06	367.09	268.98	98.11	27
2006-07	385.98	284.73	101.25	26
2007-08	255.02	90.43	164.59	65
2008-09	426.61	244.30	182.31	43
2009-10	388.81	261.62	127.19	33

पिछले चार वर्षों की तरह, अनुदान के पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग के अंतर्गत निरंतर बचतें वर्तमान वर्ष में भी प्राथमिक रूप से लघु शीर्ष 5201.00.104 - “डाक सेवाओं का यंत्रीकरण एवं आधुनिकीकरण” में दर्ज बचतों के कारण थी। इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत ₹360.25 करोड़ के बजट आवंटन में से ₹119.01 करोड़ की अव्ययित राशि छोड़ते हुए केवल ₹241.24 करोड़ खर्च किया गया था।

इसके अतिरिक्त, अनुदान पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग के अंतर्गत ₹127.19 करोड़ की बचत के प्रति ₹164.14 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई थी, जो सम्पूर्ण बचत से अधिक थी तथा बजटीय प्रबंधन में कमी दर्शाती थी।

रक्षा सेवाएँ

7.25 रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने 2007-10 के वर्षों के दौरान पाँच अनुदानों के दत्तमत खण्ड के अन्तर्गत बचतों की एक निरन्तर प्रवृत्ति को प्रकट किया जिसका विवरण तालिका 7.9 में दिया गया है।

तालिका 7.9: पिछले 2007-10 वर्षों के दौरान निरन्तर बचतें

(रुक्तरोड में)

अनुदान सं. उप-मुख्य/ लघु शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	मंत्रालय द्वारा बताए गए सहायक कारण
22- रक्षा सेवाएं - थल सेना (मुख्य शीर्ष 2076)				
110- भण्डार	127.07	468.88	2033.61	ईंधन, तेल तथा स्नेहकों से संबंधित ठेकों के गैर-कार्यान्वयन, ठेकों में कमी, करोसीन तेल की दरों में कटौती, बर्ड फ्लू के कारण खाद्य निकासी की कम मात्रा, पैक किए दूध की अप्राप्ति, यू.ए.वी. के ए.एम.सी. ठेके को अंतिम रूप न देने, यू.ए.वी. पुर्जों की गैर-सुपूर्गी, कमांड मुख्यालय द्वारा एफ.ओ.एल. को समय पर न उठाना, बैरेल के ठेके को अंतिम रूप न देने, सी.डी.ए. द्वारा बुकिंग की धीमी गति तथा इंजीनियर भण्डार आपूर्तियों पर डी.जी.ओ.एफ. द्वारा कम व्यय आदि के कारण
800-अन्य व्यय	60.38	45.06	28.35	टेलीफोन प्रशासन अनुदान, आकस्मिक एवं विविध अनुदान, एम.आई.एफ.डी., थल सेना साहस स्कंध में कम व्यय, प्रस्तावों के कार्यान्वयन में अप्रत्याशित कमियाँ, भर्ती संगठनों तथा थल सेना कमान्डर की विशेष वित्तीय शक्तियों में कम व्यय, सी.डी.ए. द्वारा बिलों की वापसी के कारण ग्रीष्मकालीन भर्तों के अंतर्गत घटे हुए व्यय आदि के कारण।
24- रक्षा सेवाएं - वायु सेना (मुख्य शीर्ष 2078)				
800 – अन्य व्यय	14.17	28.07	49.75	मितव्यी उपायों को लागू करने, सिविल/मौसम विज्ञान विभागों द्वारा बिलों को प्रस्तुत न करने, विदेश में दूतावासों/ मिशनों/ कार्यालयों/प्रशिक्षणों आदि हेतु प्रबंधित निधियों को दर्ज न करने, कुछ दूरसंचार परियोजनाओं की गैर-समाप्ति, ए.एफ.एम.एस.डी. द्वारा कारखानों को आपूर्ति की गई मशीनों आदि हेतु केन्द्रीय डिपो से डेविट वाउचरों की गैर-प्राप्ति तथा विद्युत/जल/विविध व्यय में कटौती, कमांडेंट तथा ए.एफ.सी.सी. द्वारा निधियों के अनुपयोग आदि के कारण।
27- रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय (मुख्य शीर्ष – 4076)				
02 – नौसेना				
104 – संयुक्त	96.33	139.67	135.32	मामलों के कार्यान्वयन/प्रगति प्रक्रियात्मक विलम्ब

(रुपयोग में)

अनुदान सं. उप-मुख्य/ लघु शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	मंत्रालय द्वारा बताए गए सहायक कारण
स्टाफ				तथा विनिमय दर में परिवर्तन, ए.डी.जी., सिगनल इन्टेलिजेन्स एच.क्यू. स्ट्रैटेजिक फोर्स कमाण्ड, एच.क्यू. अण्डमान निकोबार कमाण्ड, सी.डी.तथा डिफेन्स सर्विसेज एस.डी. द्वारा पूंजीगत अधिग्रहण परियोजनाओं का गैर-कार्यान्वयन/प्रगति तथा केन्द्रीय वाहन डिपो द्वारा आपूर्ति न करने के कारण मेकेनिकल ट्रांसपोर्ट वाहनों का गैर-कार्यान्वयन, कुछ मुख्य योजनाओं का गैर-फलन, भूमि का गैर-अधिग्रहण, कुछ मुख्य कार्यों को रद्द करने आदि के कारण।

⑥ अव्ययित प्रावधान/बचतों को बजट प्रावधान के संदर्भ के साथ परिकलित किया गया (अर्थात् सभी तीन वर्षों के संबंध में पुनर्विनियोग को छोड़कर मूल तथा अनुपूरक अनुदान, जो पहले की प्रक्रिया से अलग हैं)

अनुदानों के उपर्युक्त शीर्षों में भारी बचतों की निरन्तर प्रवृत्तियाँ, निधियों की आवश्यकता से अधिक अनुमान लगाने या प्राप्ति एवं परियोजना हेतु खराब योजना, अपर्याप्त निविदा प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमी तथा निरंतर बचतों से बचने हेतु प्रभावी उपचारी उपायों को प्रारम्भ करने की विफलता का संकेतक हैं।

बचतों का अभ्यर्पण

7.26 अनुदान अथवा विनियोग में बचतों का पूर्वानुमान होने पर उन्हें वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना अभ्यर्पित करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त वित्तीय नियमावली के अनुसार बचतों को सम्भावित भावी आधिक्यों हेतु भी आरक्षित नहीं किया जाना चाहिए। 2009-10 के दौरान, रक्षा सेवाओं के पाँच अनुदानों के प्रभारित खण्डों के अंतर्गत जहाँ ₹12.19 करोड़ अभ्यर्पित किया गया था, ₹23.96 करोड़ की बचत थी। रक्षा सेवाओं के पाँच अनुदानों के दत्तमत्त खण्डों के अन्तर्गत जहाँ ₹5,638.42 करोड़ अभ्यर्पित किए गए थे, वहाँ ₹5,309.49 करोड़ की बचत थी। इसमें से, ₹2,615.22 करोड़ को रक्षा सेवाएं-थल सेना एवं रक्षा सेवाएं - नौ सेना (₹2,464.11 + ₹150.51 करोड़) से संबंधित दो अनुदानों के दत्तमत्त खण्डों के अंतर्गत तथा एक थल सेना (₹0.60 करोड़) से संबंधित अनुदान के प्रभारित खण्ड के अंतर्गत आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित कर दिया गया था, जिसका परिणाम ₹2,694.27 करोड़ की समग्र बचतों में हुआ। इसके अतिरिक्त, दत्तमत्त खण्ड में पाँच अनुदानों के अंतर्गत ₹5,638.42 करोड़ तथा प्रभारित खण्ड में पाँच अनुदानों के अंतर्गत ₹12.19 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित किए गए थे जो कि नियमों के प्रतिकूल था जैसा नीचे तालिका 7.10 में ब्यौरे संलग्न है।

तालिका 7.10: बचतों एवं अभ्यर्पण का विवरण

(रुक्करोड़ में)

अनुदान/विनियोग	बचतें		अंतिम दिन अभ्यर्पित की गई राशि		अभ्यर्पित न की गई राशि	
	प्रभारित	दत्तमत्त	प्रभारित	दत्तमत्त	प्रभारित	दत्तमत्त
22- थल सेना	-	-	-	838.33	-	-
23- नौ सेना	3.35	-	0.37	-	2.98	-
24-वायु सेना	1.74	564.79	1.60	260.03	0.14	304.76
25-रक्षा आयुध कारखाने	1.17	553.04	0.50	280.11	0.67	272.93
26-अनुसंधान एवं विकास	0.50	431.46	0.24	408.18	0.26	23.28
27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	17.20	3760.20	9.48	3851.77	7.72	-
योग	23.96	5309.49	12.19	5638.42	11.77	600.97

अनुदान सं.22-थलसेना में सम्पूर्ण ₹2,464.11 करोड़ का आधिक्य था लेकिन व्यय के आधिक्य के बावजूद मंत्रालय ने 30 मार्च 2010 को ₹838.33 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की थी, जो मंत्रालय में कमजोर बजटीय नियंत्रण प्रक्रिया को दर्शाती है।

बजट प्रावधानों से अधिक निरन्तर आधिक्य

7.27 रक्षा सेवाओं से संबंधित कुछ अनुदानों में पिछले तीन वर्षों से वित्तीय बजटीय नियंत्रण विफलता की निरन्तर प्रवृत्ति पर एक विश्लेषक तालिका का व्यौरा तालिका 7.11 में दिया गया है:

तालिका 7.11: निरन्तर आधिक्य के व्यौरे

(रुक्करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान का विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	मंत्रालय द्वारा बताए गए सहायक कारण
		के दौरान अंतिम अधिक व्यय			
1.	अनुदान सं. 23-रक्षा सेवाएं - नौ सेना 2077.00.101 – नौ सेना के वेतन एवं भत्ते	30.00	242.91	323.58	अंतिम दो महीनों हेतु रोकड़ दर्ज करने के कारण अधिक व्यय, जिसे प्रकृति से परिवर्तनीय होने के कारण यथार्थ रूप से पता नहीं लगाए जा सकने के कारण, छठे वेतन आयोग के लागू करने तथा सं.अ. 2009-10 स्तरों पर अपेक्षित से कम आबंटन के कारण।
2.	अनुदान सं. 23-रक्षा सेवाएं - नौ सेना 2077.00.104 –असैनिकों	8.81	127.89	64.21	वर्ष 2009-10 हेतु आधिक्यों के कारणों के लिए नवम्बर 2010 में जारी ज्ञापन का उत्तर मंत्रालय से

	के वेतन एवं भत्ते				दिसम्बर 2010 तक प्रतीक्षित है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के लिए पुनर्विनियोग को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने इन्हें बचतों के अंतर्गत दर्शाया।
2.	अनुदान सं. 27 -रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय- 4076.00.052 - मशीनरी एवं उपकरण	121.39	811.72	499.37	-वही-

मंत्रालय उपयुक्त स्पष्टीकरण देने में विफल रहा कि उपरोक्त अनुदानों में बजट प्रावधान के बिना पी.सी.डी.ए./सी.डी.ए. को अधिक व्यय कैसे प्राधिकृत किया गया था। कार्यवाही टिप्पणी में लोक लेखा समिति को दोहराये गए आश्वासनों तथा अनुदेशों को जारी करने के पश्चात भी, मंत्रालय उपरोक्त विस्तृत मामलों में बजट प्रावधानों से अधिक निरन्तर आधिक्यों की प्रवृत्ति को रोकने में विफल रहा। यह अपर्याप्त सरकारी नियंत्रण को दर्शाता है।

व्यापार से प्राप्त तथा महानिदेशक आयुध कारखाने के माध्यम से प्राप्त का गैर-विभेदन का परिणाम गलत बुकिंग में हुआ।

7.28 मंत्रालय ने वर्ष 2003 में ₹2.00 लाख से ₹10.00 लाख तक पूंजीगत व्यय को वर्गीकृत करने हेतु एक ‘अध्ययन समूह’ की अनुशंसाओं पर आधारित लागत मापदण्ड को संशोधित किया। इसने ‘व्यापार से प्राप्त’ तथा ‘डी.जी.ओ.एफ. आपूर्तियों’ को अलग से दर्शाने हेतु दिसम्बर 2003 में मुख्य शीर्ष 4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत लघु शीर्ष - 102 - थल सेना के भारी एवं मध्यम वाहन तथा 103 - उप मुख्य शीर्ष . थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना के अन्य उपकरण का भी पुनर्निर्माण किया तथा ये संशोधन 1.4.2004 से लागू थे। बाद में, महानियंत्रक रक्षा लेखा ने भी एक शुद्धि स्लिप सं. 15/2008 जारी कि सभी सिग्नल मदों को कोड शीर्ष 908/37- इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-103-अन्य उपकरण के अंतर्गत दर्ज किये जाने थे।

2009-10 के लिए निधियों के पुनर्विनियोग तथा बचतों के अभ्यर्पण की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ था कि सेना मुख्यालय (से.मु.) के मुख्य सिग्नल अधिकारी (मु.सि.अ.) तथा विभिन्न कमाण्ड के मुख्य सिग्नल अधिकारी ने शीर्ष 908/62 के अंतर्गत एक्स-ट्रेड के माध्यम से दिए गए आपूर्ति आदेश हेतु दूरभाष प्रशासन अनुदान (टी.ए.जी.) के अन्तर्गत स्वीकृतियां दर्ज की, जिसका वास्तव में तात्पर्य डी.जी.ओ.एफ. द्वारा आपूर्त किए गए ‘इलेक्ट्रानिक्स’ था। सही रूप में इसे शीर्ष कोड 908/37 में लेखाबद्ध करना था।

इन संस्वीकृतियों पर आधारित, 147.47 करोड़ की राशि के ट्रेड से प्राप्त की गई मदों हेतु कोड शीर्ष 908/62 के अंतर्गत लघु शीर्ष-103-अन्य उपकरण के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत दर्ज किया।

लेखापरीक्षा को दिए गए उत्तर में अगस्त 2010 में रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (ए.मु.) ने ट्रेड से प्रापण डी.जी.ओ.एफ. आपूर्तियों में अन्तर को स्वीकार किया। आई.एच.क्यू. ने नवम्बर 2010 में बताया कि पूँजीगत प्रकृति की सिग्नल मद्दें पहले डी.जी.ओ.एफ., कोड शीर्ष 908/62 से अनुबंधित थीं; परन्तु डी.जी.ओ.एफ. प्रौद्योगिकी के उन्नयन के कारण कई मद्दों की आपूर्ति करने में असमर्थ था। चूंकि कोड शीर्ष 908/37 के अन्तर्गत निधियां डी.जी.एक्वीजीशन द्वारा केन्द्रीय रूप से नियंत्रित एवं पर्यवेक्षित की जाती थीं, इसलिए इस कोड शीर्ष के अन्तर्गत निधियां किसी और बजट धारक को उपआवंटित नहीं जा सकती थीं। दूसरी ओर, विभिन्न परियोजनाओं के निष्पादन के लिए एस.ओ.इन सी कार्पस हेडक्वार्टर को निचले स्तर तक टेलीफोन प्रशासन अनुदान (टी.ए.जी.) के अन्तर्गत निधियों का बंटवारा करना अपेक्षित था इसलिए मु.सि.अ. को कोड शीर्ष 908/62 के अन्तर्गत प्रापण हेतु निधियां आवंटित की गई थीं। आई.एच.क्यू. ने यह भी उत्तर दिया कि डी.जी.ओ.एफ. आपूर्ति तथा मु.सि.अ. द्वारा होने वाले प्रत्येक व्यय के लिए अलग अलग कोड शीर्ष बनाने का मामला रक्षा मंत्रालय तथा सी.जी.डी.ए. के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

रक्षा मंत्रालय के आई.एच.क्यू. का उपरोक्त तर्क तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्राप्तियों तथा प्रभारों हेतु रक्षा सेवा अनुमानों की वर्गीकृत हैण्ड बुक दूरभाष प्रशासन अनुदान के अंतर्गत मद्दों सहित सिग्नल मद्दों को कोड शीर्ष 908/37 में दर्ज करना निर्धारित करती है तथा दिसम्बर 2010 तक कोई संशोधन जारी नहीं किया गया था।

इस प्रकार ₹147.47 करोड़ की गलत बुकिंग के तुरंत उपचारी कार्य की आवश्यकता है।

अध्याय 8

चयनित अनुदानों की समीक्षा

अनुदान सं.1 - कृषि एवं सहकारिता विभाग
(कृषि मंत्रालय)

प्रस्तावना

8.1 कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं सहकारिता विभाग राष्ट्रीय नीतियों तथा कार्यक्रमों, जो भारत की भूमि, जल, मृदा तथा पौध संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से तीव्र कृषि वृद्धि तथा विकास प्राप्त करने के लक्ष्य के निरूपण तथा कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है। विभाग राज्य सरकारों द्वारा कृषि उत्पादन तथा उर्वरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों की आय को बढ़ाने हेतु किए जा रहे प्रयासों की आवश्यकता रूप से अनुपूर्ति तथा प्रशंसा करता है। यह व्यापार, मूल्य नीति, क्रेडिट आदि से संबंधित मामलों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप भी करता है।

बजट एवं व्यय

8.2 पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण तथा बचतों की समग्र स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 8.1: वर्षवार बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान		वास्तविक संवितरण		बचतें	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2007-08	7840.13	296.32	7765.34	265.84	74.79	30.48
2008-09	10735.62	344.93	10039.00	136.29	696.62	208.64
2009-10	12045.53	92.55	11890.40	44.60	155.13	47.95

बचतों का अभ्यर्पण

8.3 सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 56(2) प्रावधान करता है कि अनुदान अथवा विनियोग में अव्ययित प्रावधान को जैसे ही वे प्रत्याशित हो, वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। बचतों को भविष्य के किसी सम्भाव्य आधिक्य के लिए भी सुरक्षित नहीं रखना चाहिए। नमूना जाँच से पता चला कि इस नियम के विपरीत 2007-10 से समीक्षा के अंतर्गत सभी तीनों वर्षों में विभाग ने, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पर बचतों का अभ्यर्पण किया जिसका बौरा तालिका 8.2 में दिया गया है:

तालिका 8.2: बचतों का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचतें		अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पित न की गई राशि (%)		अभ्यर्पण की तिथि
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
2007-08	74.79	30.48	31.82	25.88	42.97 (57)	4.60 (15)	31.03.2008
2008-09	696.62	208.64	529.22	202.83	167.40 (24)	5.81(03)	31.03.2009
2009-10	155.13	47.95	118.08	42.98	37.05 (24)	4.97(10)	31.03.2010

यदि उक्त बचतें जैसे ही प्रत्याशित हुई थीं तभी अभ्यर्पित कर दी गई होती तो बचतों का उपयोग सरकार की अन्य योजनाओं में लाभदायक रूप से किया जा सकता था।

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

8.4 वित्त मंत्रालय ने 10वीं लोक सभा की लोक लेखा समिति के अपने 88वें प्रतिवेदन में की गई अभ्युक्तियों पर विचार करते हुए अगस्त 1996 के अपने कार्यालय ज्ञापन में सभी मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि अनुपूरक अनुदानें केवल आपातकालीन मामलों में ही प्राप्त की गई थीं। इसने बाद में निर्देश दिया कि अनुपूरक मांगे यथार्थ अप्रत्याशित व्यय, जिसकी वार्षिक बजट तैयार करते समय अभिकल्पना नहीं की जा सकी अथवा निर्णयों या विकासों, जो बजट की स्वीकृति के पश्चात सामने आए अर्थात पश्च बजट निर्णयों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रतिबंधित तथा सीमित होनी चाहिए न कि चल रही योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिए।

वर्ष 2007-08 से 2009-10 हेतु विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभाग ने अधिक संवितरण के पुर्वानुमान में निम्नलिखित उप-शीर्षों के अंतर्गत अनुपूरक अनुदाने प्राप्त की, परन्तु जिसका समग्र तथा/अथवा बड़ा भाग वर्ष के अन्त तक बिना उपयोग के रहा। तथ्य कि, नीचे दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहे जैसा कि निम्न तालिका 8.3 में विवरण दिया गया है। अनुपूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुए; दर्शाता है कि वित्त मंत्रालय के अनुदेशों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया था।

तालिका 8.3: अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उप-शीर्ष	वास्तविक प्रावधान	अनुपूरक अनुदान	वास्तविक संवितरण	बचत
2007-08	2401.00.800.35- कृषि हेतु राज्य योजना हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय	शून्य	4.00	शून्य	4.00

	सहायता योजना				
2008-09	2401.00.105.18 जैव कृषि के उन्नयन पर राष्ट्रीय परियोजना	11.00	1.05	8.41	3.64
	2401.00.119.08- नारियल प्रौद्योगिकी मिशन सहित नारियल विकास बोर्ड के सहायता अनुदान	75.00	1.34	65.26	11.08
2009-10	2435.01.102.01- एगमार्क श्रेणीकरण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण	17.43	1.17	17.22	1.38

बजट प्रावधान का विरूपण

8.5 लोक लेखा समिति (आठवीं लोक सभा) के 147वें प्रतिवेदन में शामिल अभ्युक्तियों के आधार पर वित्त मंत्रालय ने अनुदेशों जारी किए कि, मंत्रालयों/विभागों द्वारा निधियों के पुनर्विनियोग की प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वास्तविक उद्देश्य, जिसके लिए विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान किए गए थे, को पुनर्विनियोग की शक्ति के उपयोग के द्वारा पर्याप्त रूप से परिवर्तित नहीं किया गया था। 2007-10 के दौरान जारी पनुर्विनियोग आदेशों के अवलोकन ने प्रकट किया कि विभाग ने वास्तविक उद्देश्य/गतिविधि जिसके लिए वास्तविक प्रावधान प्राप्त किए गए थे का उल्लंघन करते हुए विनियोग की विभिन्न प्राथमिक ईकाइयों के बीच निधियों के बड़े पुनर्विनियोग किए जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका 8.4: बजट प्रावधान का विरूपण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	उप-शीर्ष से निधि को अंतरण करने के पुनर्विनियोग आदेश		उप-शीर्ष को निधि को अंतरण करने के पुनर्विनियोग आदेश		अभ्यर्पित राशि	व्यय
		आदेशों की सं.	राशि	आदेशों की सं.	राशि		
2007-08	मू. 5947.21 अ. 2189.24	101	1444.97	36	1387.28	57.69	8031.18
2008-09	मू. 10734.45 अ. 346.10	100	1878.59	38	1146.54	732.05	10175.29
2009-10	मू. 11915.22 अ. 222.86	102	2018.27	33	1857.21	161.06	11935.00

तालिका 8.4 से यह देखा जा सकता था कि वर्ष 2009-10 के दौरान विभाग द्वारा ₹3,875.48 करोड़ वाले अनुदानों में कुल 135 पुनर्विनियोग आदेश जारी किए गए थे जिसके फलस्वरूप संसद

द्वारा स्वीकृत प्राधिकरण का विरुद्ध प्रयोग हुआ। कुछ उप-शीर्ष जिनमें विरुद्ध प्रयोग प्रकट हुए थे, अनुवर्ती पैराग्राफों में उनकी व्याख्या की गई है।

- क) उप-शीर्ष ‘2401.00.108.28-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन’ में संसद द्वारा अनुमोदित ₹1,260.00 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति ₹275.82 करोड़ का इस योजना से किसी अन्य योजना का पुनर्विनियोजन (पांच अवसरों में विभाजित करके) किया गया था तथा इस योजना से ₹239.66 करोड़ के बराबर पुनर्विनियोजन के निवल प्रभाव को छोड़ते हुए अन्य योजना से इस योजना में ₹36.16 करोड़ का फिर से पुनर्विनियोजन (तीन अवसरों में विभाजित करके) किया गया था।
- ख) उप-शीर्ष ‘2401.00.119.39 -राष्ट्रीय बाँस प्रौद्योगिकी तथा व्यापार विकास बोर्ड’ में संसद द्वारा अनुमोदित ₹30.00 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति ₹10.00 करोड़ का इस योजना से अन्य किसी योजना को पुनर्विनियोजन (तीन अवसरों में विभाजित करके) किया गया था तथा इस योजना में ₹19.90 करोड़ के बराबर पुनर्विनियोजन का निवल प्रभाव छोड़ते हुए ₹29.90 करोड़ का फिर से पुनर्विनियोजन (बीस अवसरों में विभाजित करके) किया गया था।
- ग) उप-शीर्ष ‘2401.00.103.25-बीज उत्पादन एवं संवितरण हेतु बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास सुदृढ़ीकरण’ में संसद द्वारा अनुमोदित ₹329.00 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति ₹115.00 करोड़ का इस योजना से किसी अन्य योजना को पुनर्विनियोजन (तीन अवसरों में विभाजित करके) किया गया था तथा इस योजना से ₹109.84 करोड़ के बराबर पुनर्विनियोजन का निवल प्रभाव छोड़ते हुए ₹5.16 करोड़ का अन्य योजनाओं से इस योजना में फिर से पुनर्विनियोजन (दस अवसरों में विभाजित करके) किया गया था।
- घ) उप-शीर्ष ‘2401.00.109.26-राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता’ में संसद द्वारा प्राधिकृत ₹260.25 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति ₹91.17 करोड़ का इस योजना से किसी अन्य योजना को पुनर्विनियोजन (तीन अवसरों में विभाजित करके) किया गया था तथा इस योजना से ₹81.66 करोड़ के बराबर पुनर्विनियोजन का निवल प्रभाव को छोड़ते हुए ₹9.51 करोड़ का अन्य योजना से इस योजना में फिर से पुनर्विनियोजन (छः अवसरों में विभाजित करके) किया गया था।

अवास्तविक बजटीकरण

- 8.6 सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 48(2) तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बजट परिपत्र के अनुसार, मंत्रालयों/विभागों को पिछले वर्षों के दौरान संवितरण प्रवृत्तियों तथा अन्य संबंधित तत्वों जैसे कि वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी मितव्यय अनुदेशों को ध्यान में

रखते हुए अपने बजट अनुमान तैयार करने अपेक्षित है। वर्ष 2007-10 हेतु विनियोग लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभाग ने विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत काफी अधिक प्रावधान किए जिसके परिणामस्वरूप इन वर्षों के दौरान बड़े प्रावधान अप्रयुक्त रहे तथा या तो उनका अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजन या फिर अभ्यर्पण किया गया था जिसने प्रत्येक उद्देश्य, जिसके लिए बजट प्रावधान संसद द्वारा पारित किए गये थे, को विफल किया। **परिशिष्ट VIII-क 11** ऐसे मामलों का ब्यौरा प्रदान करता है जहाँ ₹10 करोड़ तथा अधिक की बचतें जो बजट प्रावधान के 40 प्रतिशत से अधिक बनती हैं पाई गई थी।

विभाग के अवास्तविक बजटीकरण के कारण "वर्षा आधारित क्षेत्र विकास" कार्यक्रम को प्रारम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि योजना की गैर-स्वीकृति के कारण पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा जिसकी पैरा 8.9 में विस्तार से चर्चा की गई है।

एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचतें

8.7 विनियोग लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि अनुदान के अंतर्गत, विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही संवीक्षा योजना के संबंध में एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचतें पाई गई थीं जो कि खराब बजटीकरण या निष्पादन में कमी या दोनों के सूचक हैं। विभाग द्वारा न केवल दुर्लभ संसाधनों को लाभकारी रूप से उपयोग करने हेतु अनुदानों तथा वास्तविक के बीच बड़े पैमाने के विचलनों को कम करने हेतु बल्कि यह भी सुनिश्चित करने हेतु कि प्रत्याशित उद्देश्य योजना के अनुसार प्राप्त किए गए हैं, अपने बजटीय कार्यों को अधिक संतुलित बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार विभाग को अपनी बजटीय अनुमानों की प्रणाली अथवा/तथा अपने कार्यक्रम प्रबंधन की दक्षता की समीक्षा करनी अपेक्षित है। **परिशिष्ट-VIII-ख** उप-शीर्षों के अंतर्गत ₹100 करोड़ अथवा अधिक की 11 ऐसी बचतों का ब्यौरा प्रदान करता है।

निरंतर बचतें

8.8 वर्ष 2007-08 के लिए बजट परिपत्र के पैरा 3.2.4 के अनुसार अनुमानों को तैयार करते समय, बाद के चरण में अभ्यर्पण हेतु उपलब्ध निधियों की गुंजाईश को कम करने की दृष्टि सहित पिछले निष्पादन, विभिन्न योजनाओं के निरूपण/कार्यान्वयन के चरण, निर्धारण के अनुसार योजना को कार्यान्वित करने हेतु कार्यान्वयन अभिकरणों की सांस्थानिक क्षमता, व्ययकर्ता अभिकरणों द्वारा व्यय करने पर बाध्यताएं तथा, अतिआवश्यक रूप से, प्राप्तकर्ताओं के पास पड़ी अप्रयुक्त/खाते में न डाली गई सरकारी सहायता की प्रमात्रा आदि का उचित ध्यान रखा जाना चाहिए था।

वर्ष 2007-10 हेतु विनियोग लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान के राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत बचतें थीं जैसा कि तालिका 8.5 में ब्यौरा दिया गया है।

अनुदान के अंतर्गत पूर्ण/बड़ी बचतों ने प्रदर्शित किया कि बजट प्रभाग द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देश को वास्तविक कार्य में भारिता के कारण निर्धारित किया जा रहा था।

तालिका 8.5: निरंतर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	मंत्रालय द्वारा दिए गए कारण
1.	2401.00.108.27 –वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2007-08	40.00	शून्य	40.00	योजनाओं की गैर-स्वीकृति के कारण समग्र प्रावधान अप्रयुक्त रहे।
		2008-09	25.00	शून्य	25.00	
		2009-10	25.00	शून्य	25.00	
2.	3601.04.436.12-वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2008-09	282.00	शून्य	282.00	-वही-
		2009-10	112.00	शून्य	112.00	-वही-
3.	2401.00.109.26-राज्य विस्तार सेवाओं को सहायता	2007-08	206.00	149.38	56.62	पिछले वर्ष के अव्ययित शेष राज्यों के पास उपलब्ध थे
		2008-09	257.00	185.80	71.20	-वही-
		2009-10	260.25	178.59	81.66	-वही-
4.	2401.00.119.40-राष्ट्रीय बागवानी मिशन	2007-08	1150.00	919.18	230.82	-वही-
		2008-09	1100.00	1010.50	89.50	-वही-
		2009-10	1100.00	800.00	300.00	-वही-

वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम

8.9 विभाग ने एक एकीकृत जल विभाजन विकास पद्धति के माध्यम से वर्षा आधारित क्षेत्रों के समग्र तथा वहनीय विकास को अति उच्च प्राथमिकता दर्ज की है। जल विभाजन पद्धति की मुख्य विशेषताएं वर्षा जल का संरक्षण तथा वहनीय एवं लागत प्रभावी विधि में मृदा एवं जल संसाधनों का अनुकूलन हैं। 2007-08 हेतु संघ के वित्त मंत्री के बजट व्याख्यान में, एक नई योजना, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को घोषित किया गया था तथा 2007-08 के दौरान ₹100.00 करोड़ का प्रावधान किया गया था। यद्यपि योजना को XIवीं योजना के आरम्भ, 2007-08 से शुरू में प्रारम्भ किया जाना था परन्तु इसे प्रारम्भ नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान क्रमशः ₹348.00 करोड़ तथा ₹153.00 करोड़ के प्रावधान भी किए गए परन्तु योजना की गैर-स्वीकृति के कारण समग्र प्रावधान अप्रयुक्त रहे। इसने दर्शाया कि इस योजना हेतु बजटीय प्राधिकरण को यह सुनिश्चित किए बिना प्राप्त किया गया था कि योजना को सक्षम प्राधिकारी का स्वीकृति प्राप्त हो गई है। योजना की स्पष्ट स्वीकृति के अभाव में विभाग को टोकन प्राधिकरण प्राप्त करना चाहिए था।

त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा नियंत्रण

8.10 मुख्य लेखानियंत्रक (मु.ले.नि.) के प्रशासनिक नियंत्रक के अधीन कृषि मंत्रालय का आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध विभाग के अंतर्गत इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने हेतु उत्तरदायी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभाग के संबंध में मु.ले.नि. द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के प्रति गई आंतरिक लेखापरीक्षा व्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका 8.6: त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा नियंत्रण

वर्ष	लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन इकाईयों की कुल सं.	लेखापरीक्षा हेतु योजित इकाईयों की सं.	लेखापरीक्षित इकाईयों की वास्तविक सं.	प्रतिशतता में कमी
2007-08	183	104	55	47
2008-09	183	114	72	37
2009-10	182	111	106	05

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया संतोषजनक नहीं थी क्योंकि वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान लेखापरीक्षा की जाने वाली वास्तविक लक्ष्यित इकाईयों के प्रति क्रमशः 47 प्रतिशत तथा 37 प्रतिशत की कमी थीं।

अन्धाधुंध व्यय

8.11 वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों/विभागों को वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अपने व्यय को बजट राशि के 33 प्रतिशत तक सीमित करने हेतु सितम्बर 2007 में अनुदेश जारी किए। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 56(3) के अनुसार, अन्धाधुंध संवितरण, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंत में वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा तथा इससे बचना चाहिए। तथापि, यह पाया गया था कि विभाग ने नियमों तथा वित्त मंत्रालय के अनुदेशों का पालन नहीं किया तथा राजस्व एवं पूंजीगत अनुभाग के दत्तमत/प्रभारित खण्डों में ₹5,947.21 करोड़ के कुल मूल बजट आबंटन के प्रति मार्च 2008 में ₹1,238.77 करोड़ (21 प्रतिशत) तथा वित्तीय वर्ष 2007-08 की अंतिम तिमाही के दौरान ₹2,724.48 करोड़ (46 प्रतिशत) का भारी व्यय किया।

बकाया उपयोग प्रमाणपत्र

8.12 सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 212 (1) के अनुसार, संबंधित संस्थान अथवा संगठन द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के वास्तविक उपयोग के प्रमाणपत्रों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीनों के भीतर प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं। जहाँ प्रमाणपत्र नियत अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो मंत्रालय/विभाग को भविष्य में किसी अनुदान को जारी करने के उद्देश्य हेतु ऐसे संस्थान अथवा संगठन को वर्ज्य सूची में डालने की स्वतंत्रता होगी। विभाग में

अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि 31.03.2009 तक विभाग द्वारा जारी सहायता अनुदान के संबंध में ₹1,757.70 करोड़ के 373 उपयोग प्रमाणपत्र बकाया थे।

अनुदान सं. 29: भू-विज्ञान मंत्रालय

प्रस्तावना

8.13 मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भूकंप विज्ञान तथा संबंधित भू-विज्ञान में उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु जुलाई 2006 में भारत सरकार ने समुद्र विकास विभाग, भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (भा.उ.मौ.वि.सं.) तथा राष्ट्रीय मध्यम रेज मौसम पुर्वानुमान केन्द्र (रा.म.रेज.मौ.पु.के.) को एक साथ रखकर भू-विज्ञान मंत्रालय संस्थापित किया। मंत्रालय समुद्री संसाधनों (जीवित और निर्जीव) के अन्वेषण तथा उपयोग के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर भी कार्य करता है तथा अंटार्कटिक/आर्कटिक एवं दक्षिणी समुद्र अनुसंधान हेतु नोडल भूमिका अदा करता है। यह मौसम/समुद्र की स्थिति का पूर्वानुमान करने, भविष्य जलवायु परिदृश्य, प्राकृतिक संकट जैसे भूकंप, सुनामी, तटीय कटाव एवं भूस्खलन, दीर्घ संसाधनों का निर्धारण, भूजल क्षमता का दीर्घ निर्धारण, महाद्वीपीय आकारिकी के मूल्यांकन में मौसम तत्वों की परस्पर क्रिया आदि जैसे अनुप्रयोगों को प्रदान करने के लिए भी प्रयास करता है।

बजट एवं व्यय

8.14 पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण तथा बचतों की समग्र स्थिति निम्नानुसार थी;

तालिका 8.7: वर्ष-वार बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान		वास्तविक संवितरण		बचतें	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2007-08	614.62	273.52	524.66	38.17	89.96	235.35
2008-09	624.63	424.89	593.97	157.72	30.66	267.17
2009-10	923.39	290.40	882.60	197.93	40.79	92.47

बचतों का अभ्यर्पण

8.15 सामान्य वित्तीय नियमावली के विपरीत, मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अपनी बचतों का अभ्यर्पण किया। 2007-10 के दौरान अभ्यर्पित राशियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका 8.8: बचतों का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचतें		अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पित न की गई राशि		अभ्यर्पण की तिथि
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
2007-08	89.96	235.35	82.01	232.37	7.95	2.98	31.3.2008
2008-09	30.66	267.17	19.10	258.10	11.56	9.07	31.3.2009
2009-10	40.79	92.47	32.12	81.61	8.67	10.86	31.3.2010

यदि उक्त बचतों की पहचान की गई होती तथा पहले के स्तर पर अभ्यर्पण हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई होती तो इनका उपयोग सरकार की अन्य योजनाओं में लाभदायक रूप से किया जा सकता था।

निरंतर बचतें

४.१६ वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार अनुमानों को तैयार करते समय, बाद के चरण में अभ्यर्पण हेतु उपलब्ध निधियों की गुंजाईश को कम करने की वृष्टि सहित पिछले निष्पादन, विभिन्न योजनाओं के निरूपन/कार्यान्वयन के चरण, अभिकरणों की सांस्थानिक क्षमता, व्यक्तां करने कार्यान्वयन करने पर बाध्यताएँ तथा, अतिआवश्यक रूप से, प्राप्तकर्ताओं के पास पड़ी अप्रयुक्त/खाते में न डाली गई सरकारी सहायता की प्रमात्रा आदि का उचित ध्यान रखा जाना चाहिए था।

विनियोग लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान के राजस्व के साथ-साथ पूँजीगत अनुभागों के अन्तर्गत बचतें थीं। अनुदान के अंतर्गत अधिक अव्ययित प्रावधानों ने त्रुटिपूर्ण बजटीकरण को प्रदर्शित किया जिसके ब्यौरे अनुबंध-VIII-ग में दिए गए हैं। बड़ी निरंतर बचतों द्वारा उप-शीर्ष/योजनाएँ प्रभावित हुईं जिनकी चर्चा नीचे की गई है।

क) मानवित सबमर्सिवल का विकास

परियोजना में एक साधन विकसित करने की अभिकल्पना की गई जो भारत को जल मध्यस्थता क्षमताओं के अंतर्गत विकसित देशों के बराबर लाएगा। प्रणाली (मेण्ड सबमर्सिवल) हाइड्रोथर्मल सल्फाईड्स, कोबाल्ट क्रस्ट, गैसहाईड्रेट्स, मैरिन लीविंग संसाधनों में वैज्ञानिक अनुसंधान में और ऑफशोर संस्थापना, पाईपलाईन, प्लेटफार्म आदि के निरीक्षण में सहायता करेगी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि मंत्रालय उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत प्रौद्योगिकी अंतरण हेतु सहयोगी साझेदार के चयन को अंतिम रूप देने में विफल रहा तथा वर्ष 2007-10 के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए आवंटित ₹5.00 करोड़ का पूर्ण बजट प्रावधान जिसका कुल ₹15.00 करोड़ बनता है, अप्रयुक्त रहा।

ख) राष्ट्रीय ओसियनेरियम

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विज्ञान पर्यटन को बढ़ावा देने के माध्यम से, समुद्र के विषय में ज्ञान को पारिवारिक अनुभव बनाना है जिससे कि युवा बच्चे वयस्क के रूप में समुद्र के कैरियर चुनाव करने के लिए प्रेरित हों। सरकार को इस योजना के अंतर्गत मूल पूँजी प्रदान करेगी और रुचि रखने वाली पार्टियों को सुविज्ञ करेगी।

योजना के अंतर्गत तीनों वर्षों (2007-10) के लिए ₹3.41 करोड़ के बजट प्रावधान का पूर्ण भाग कार्यक्रम की स्वीकृति में विलम्ब तथा भूमि के गैर-अभिग्रहण के कारण अप्रयुक्त रहा।

ग) राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (रा.म.रे.मौ.पु.के., नोएडा)

कार्यक्रम का उद्देश्य, तीन दिन पहले तक का मौसम पूर्वानुमान तैयार करने के लिए ग्लोबल सरकुलेशन मॉडल विकसित करना था। अभिप्रेत उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उच्च परिकलन सुविधाओं सहित एक राष्ट्रीय मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान केन्द्र स्थापित किया गया है। यह संस्थान विभिन्न पर्यावरणीय माडलिंग पहलुओं जैसे ग्लोबल माडलिंग और डाटा एसिमिलेशन सिस्टम, मेसोस्केल प्रेडिक्शन सिस्टम, एक्सटेंडिड रेंज/सीजनल प्रेडिक्शन प्रणाली, कम्प्यूटर नेटवर्क/इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि पर कार्य करता है। वर्ष 2008-09 के दौरान कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित मुख्य गतिविधि, संचालनात्मक मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए सेटेलाईट डाटा पर एसिमिलेशन प्ररीक्षण करने के लिए की गई थी।

वर्ष 2007-10 के दौरान रा.म.रे.मौ.पु.के., नोएडा में सुपर कम्प्यूटर के संस्थापन तथा सभागार की मरम्मत/साजसूजा हेतु कार्यक्रम की स्वीकृति में विलम्ब के कारण ₹17.11 करोड़ के बजट प्रावधान का बड़ा भाग अप्रयुक्त रहा।

घ) आई.एम.डी. का आधुनिकीकरण

भारतीय मानसून सहित मौसम पूर्वानुमान और जलवायु अनुमान के सुधार के लिए आई.एम.डी. के आधुनिकीकरण की परियोजना को विभिन्न उप-परियोजनाओं जैसे डॉपलर मौसम राडार, स्वचलित वर्षा गौज नेटवर्क, स्वचलित मौसम प्रणाली, एम.एफ.आई. आदि में विभाजित किया जाना प्रस्तावित किया गया था।

मंत्रालय के विनियोग लेखे की संवीक्षा ने उजागर किया कि योजना की गैर-स्वीकृति, प्राप्त, निर्माण तथा निविदा में विलम्ब तथा परियोजना गतिविधियों के धीमे प्रारम्भ के कारण 2007-08 से 2008-09 के दौरान योजना के अंतर्गत पूंजीगत अनुभाग में ₹219.66 करोड़ से ₹222.22 करोड़ के बीच तथा राजस्व अनुभाग के अंतर्गत ₹3.20 करोड़ से ₹16.00 करोड़ के बीच बचतें थी। 2009-10 में पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत उपकरण के प्राप्त में विलम्ब तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों के कम उपयोग के कारण ₹22.21 करोड़ की राशि की निधियाँ अव्ययित रहीं।

अवास्तविक बजटीकरण

8.17 विनियोग लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2007-10 के दौरान निम्न उप-शीर्षों के अंतर्गत बड़े प्रावधान अप्रयुक्त रहे जिन्हें वर्ष के अंत में अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित/अभ्यर्पित

किया गया था जिसने उद्देश्य जिसके लिए बजट प्रावधान संसद द्वारा पारित किए गए थे, को विफल किया:

तालिका 8.9 अवास्तविक बजटीकरण

(₹ करोड़ में)

उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बजट प्रावधान के प्रति बचतों की प्रतिशतता
2007-08				
3455.00.800.03-आई.एम.डी. का आधुनिकीकरण	16.00	--	16.00	100
5455.00.800.01-भूकम्प जोखिम मूल्यांकन केन्द्र	8.45	--	8.45	100
2008-09				
3403.00.103.03- सीफर्नट सुविधा	10.00	--	10.00	100
3403.00.200.19- विलक्षणीकरण संयंत्र	10.00	--	10.00	100
5403.00.800.01- मुख्यालय भवन	20.00	--	20.00	100
2009-10				
5425.00.800.06-राष्ट्रीय मध्यम रेज मौसम पुर्वानुमान केन्द्र	8.00	--	8.00	100
5455.00.102.01- संचालन एवं अनुरक्षण	32.01	18.31	13.70	43
5455.00.102.02- विमानन मौसम विज्ञान	14.00	--	14.00	100
5455.00.800.01 – भूकंपीय संकट एवं जोखिम मूल्यांकन	17.00	3.26	13.74	81

अन्धाधुन्ध व्यय

8.18 वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों/विभागों को वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अपने व्यय को बजट राशि के 33 प्रतिशत तक सीमित करने हेतु सितम्बर 2007 में अनुदेश जारी किया। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 56(3) के अनुसार, अन्धाधुन्ध संवितरण, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंत में वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा तथा इससे बचना चाहिए। तथापि, यह पाया गया था कि मंत्रालय ने नियमों तथा वित्त मंत्रालय के अनुदेशों का पालन नहीं किया तथा ₹973.00 करोड़ के बजट आबंटन के प्रति वित्तीय वर्ष 2008-09 की अंतिम तिमाही के दौरान ₹369.62 करोड़ (38 प्रतिशत) तथा अकेले मार्च 2009 में ₹209.26 करोड़ की राशि (22 प्रतिशत) का भारी व्यय किया।

बकाया उपयोग प्रमाणपत्र

8.19 संबंधित संस्थान/संगठन द्वारा स्वीकृत उद्देश्य हेतु प्राप्त अनुदानों के वास्तविक उपयोग के प्रमाणपत्रों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह महीनों के भीतर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपयोग प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुदानों का उद्देश्य, जिसके लिए स्वीकृत की गई थी, के लिए उपयुक्त रूप से उपयोग किया गया था तथा जहाँ अनुदान कुछ शर्तों के साथ जारी की गई थीं तो उन नियत शर्तों को पूरा किया गया था। जहाँ प्रमाणपत्र नियत अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो मंत्रालय/विभाग को भविष्य में किसी अनुदान, आर्थिक सहायता अथवा अन्य वित्तीय सहायता से ऐसे संस्थानों को वर्ज्य सूची में डालने की स्वतंत्रता होगी। अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 1230 मामलों में 31 मार्च 2009 तक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ₹128.80 करोड़ की राशि की सहायता अनुदान हेतु उपयोग प्रमाणपत्र अनुदानग्राही संस्थानों द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे जबकि यह मंत्रालय में प्राप्त होने के लिए बकाया थे। संस्वीकृत अनुदानों की पूर्व अवधि जिसके लिए उपयोग प्रमाणपत्र बकाया थे वर्ष 1983-84 से संबंधित थी जिसका ब्यौरा अनुबंध-VIII घ में दिया गया है।

मंत्रालय ने, चूककर्ता संस्थाओं/संगठनों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए न तो कोई कार्रवाई की है न ही उन्हें भावी अनुदानों के लिए वर्ज्य सूची में डाला गया है, जहाँ प्रमाणपत्र निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है।

त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा नियंत्रण

8.20 मंत्रालय का आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध 2007 में अस्तित्व में आया तथा आंतरिक लेखापरीक्षा का पूर्ण दायित्व मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार पर रखते हुए सीधे लेखा नियंत्रक के अधीन कार्य करना प्रारम्भ किया। पिछले तीन वर्षों के दौरान योजित/ की गई आंतरिक लेखापरीक्षा का ब्यौरा निम्ननुसार है:

तालिका 8.10 त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा नियंत्रण

वर्ष	इकाइयों की कुल सं.	योजित इकाइयों की सं.	वास्तव में निरीक्षण की गई इकाइयों की सं.
2007-08	29	शून्य	शून्य
2008-09	29	शून्य	शून्य
2009-10	29	शून्य	शून्य

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि मंत्रालय में आंतरिक नियंत्रण क्रिया प्रणाली का पूर्ण अभाव था क्योंकि पिछले तीन वर्षों के दौरान 29 इकाइयों में से एक को भी आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु नहीं लिया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के पास अब तक कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली नहीं थी।

मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (अगस्त 2010) कि इस तथ्य के कारण कि पदों के सृजन का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के विचाराधीन था, 2009-10 तक कोई लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी थी। मंत्रालय ने आगे बताया कि आंतरिक लेखापरीक्षा संहिता तैयारी के अधीन है तथा कि आवश्यक मानक संहिता में शामिल किए जाएंगे।

अनुदान सं.57-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

प्रस्तावना

8.21 मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 में इस दृष्टि के साथ की गई कि देश के लोग एक मूल्यवान संसाधन हैं तथा विकास प्रक्रिया नागरिक के एकीकृत विकास पर आधारित होगी। यह भी अनुभव किया गया था कि इस विकास हेतु उत्तरदायी उपकरणों तथा अभिकरण मानव संसाधनों के पूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के क्रम में एकीकृत होंगे। मंत्रालय के पास दो विभाग अर्थात् उच्चतर शिक्षा विभाग तथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है।

बजट एवं व्यय

8.22 पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरणों तथा बचतों की समग्र स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 8.11: वर्ष-वार बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल प्रावधान		वास्तविक संवितरण		बचतें	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2007-08	33584.37	शून्य	30916.08	शून्य	2668.29	शून्य
2008-09	40960.93	761.54	36054.05	750.00	4906.88	11.54
2009-10	43090.62	750.00	38321.99	250.00	4768.63	500.00

निरंतर बचतें

8.23 विनियोग लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान के राजस्व अनुभाग के अंतर्गत निरंतर अव्ययित प्रावधान थे। अनुदान के अंतर्गत बड़े अव्ययित प्रावधानों ने विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण बजटीकरण को प्रदर्शित किया। उपशीर्षों के ब्यौरे जिसमें अव्ययित प्रावधान ध्यान में आये थे, अनुबंध-VII ड में दिए गए हैं। बड़ी निरंतर बचतों द्वारा प्रभावित योजनाओं की चर्चा नीचे की गई है:-

क) स्कूल में दोपहर के भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम

प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पौष्णिक सहायता कार्यक्रम (दोपहर के भेजन की योजना) को 15 अगस्त 1995 में नामांकन, अवधारण एवं उपस्थिति को बढ़ाने तथा बच्चों के बीच एक साथ पौष्ण स्तर को सुधारने की दृष्टि सहित एक केन्द्रीय प्रत्यायोजित योजना के रूप में प्रारम्भ किया गया था। अक्तूबर 2007 में, उच्च प्राथमिक कक्षाओं (अर्थात् कक्षा VI से VIII) के बच्चों शामिल करने हेतु योजना का विस्तार किया गया था तथा योजना का नाम स्कूल में दोपहर के भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम में बदल दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक सरकारी तथा सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक बच्चे को कम से कम 200 दिनों के लिए न्यूनतम 300 कैलोरी तथा 8-12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन सहित पका हुआ दोपहर का भोजन प्रदान किया जाता था। वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान, इन वर्षों के दौरान योजना के विभिन्न संघटकों के अंतर्गत क्रमशः ₹726.60 करोड़, ₹668.48 करोड़ तथा ₹974.24 करोड़ की राशि की बचतें हुई और जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका 8.12 स्कूल में दोपहर के भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें/प्रतिशतता	कारण
2007-08	6535.60	5809.00	726.60	योजना के विस्तार के लिए मंत्रीमण्डल के अनुमोदन की प्राप्ति, खाद्यान्न की परिवहन लागत के भुगतान के लिए राज्यों/सं.शा.क्षे. से उठाए गए आंकड़ों की गैर-प्राप्ति, योजना के मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए निधियों की गैर-प्राप्ति आदि में विलम्ब।
2008-09	7200.00	6531.52	668.48	सं.शा.क्षे./राज्यों से व्यवहार्य/कम प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति तथा वि.मं. द्वारा जारी मितव्ययी अनुदेश
2009-10	7905.10	6930.86	974.24	राज्यों और एफ.सी.आई. से प्राप्त प्रस्तावों को अन्तिम रूप न देना सं.शा.क्षे. से पुनः प्रतिपूर्ति दावों की गैर-प्राप्ति, मिडिया प्रचार को प्रारम्भ करने के लिए कार्यक्रम को अन्तिम रूप न देना और राज्यों से अपर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति।

ख) राष्ट्रीय साधन-सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना

इस योजना, जो 2008-09 में प्रारम्भ की गई थी, के अंतर्गत छात्रवृत्ति उन योग्य छात्रों को प्रदान की जाती है जिनके माता-पिता की आय सभी साधनों से ₹1.50 लाख से अधिक नहीं है। प्रत्येक राज्य/सं.शा.क्षे. के पास कक्षा VII तथा VIII में छात्रों के नामांकन के आधार पर तय छात्रवृत्ति का नियत हिस्सा है। छात्रवृत्ति सरकारी स्थानीय निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा IX के छात्रों को कक्षा XIIवीं तक अधिकतम चार वर्षों की अवधि हेतु तिमाही में प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की राशि ₹500 प्रति माह की दर पर ₹6000 प्रति वर्ष है। योजना 9 मार्च 2008 में आर्थिक मामलों पर मंत्रीमंडल समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 2008-09 में प्रारम्भ की गई थी। योजना के प्रावधान के अनुसार, विभाग ने 2008-09 में ₹750 करोड़ की एक समग्र निधि सृजित की तथा अगले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष समान राशि को इसमें जोड़ा जाना था। निधि से ब्याज का छात्रवृत्ति हेतु उपयोग किया जाना था। वर्ष 2008-09 के लिए ₹750 करोड़ की समग्र निधि की प्रथम सीमा तक की राशि को 9.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर पांच वर्षों की अवधि के लिए सावधि जमा के रूप में इसे रखने के लिए, दिसम्बर 2008 में भा.स्टे.बै. में विभाग द्वारा जमा कराया गया था। जब वर्ष 2009-10 के लिए जून 2009 में ₹250 करोड़ की और राशि समग्र निधि में जमा की गई, तब मंत्रालय ने पाया कि बैंक ब्याज दर 5 प्रतिशत तक गिर गई थी। ब्याज दरों में गिरावट के कारण वित्त मंत्रालय से अनुमति लेने के बाद समाप्त कर दी गई और निर्णय लिया गया था कि अपेक्षित राशि के लिए बजट प्रावधान योजना को चालू रखने के लिए वार्षिक आधार पर किया जाएगा। वर्ष 2009-10 के लिए ₹500.00 करोड़ का शेष बजट प्रावधान सरकार को मार्च 2010 में अभ्यर्पित किया गया था।

इस प्रकार, वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान इन दो वर्षों के दौरान योजना के गैर-कार्यान्वयन के अतिरिक्त ₹1000.00 करोड़ की राशि की सरकारी निधियां समग्र निधि को समाप्त करने के कारण बैंक में अवरुद्ध पड़ी रहीं। मंत्रालय ने बताया (मई 2010) कि समग्र निधि को समाप्त करने और बैंक से ₹1000.00 करोड़ पर ब्याज सहित वापस लेने और उसे भारत की समेकित निधि में जमा करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

ग) स्कूलों में सूचना एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी

1998 में प्रधानमंत्री द्वारा गठित सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर विकास (सू.प्रौ. कार्यबल) पर राष्ट्रीय कार्यबल ने विद्यार्थी कम्प्यूटर योजना, शिक्षक कम्प्यूटर योजना तथा विद्यालय कम्प्यूटर योजना के माध्यम से स्कूलों सहित शिक्षा क्षेत्र में सू.प्रौ. को प्रारम्भ करने पर विशिष्ट अनुशंसाएं की थी। जनवरी 2010 में, योजना को स्कूलों में सूचना एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी के रूप में संशोधित कर दिया गया था। योजना के मुख्य घटक (i) माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक सरकारी विद्यालयों को कम्प्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों के साथ साझेदारी, (ii) स्मार्ट स्कूलों की स्थापना, (iii) विशेष शिक्षकों की नियुक्ति तथा आई.सी.टी. में सभी शिक्षकों

का क्षमता उन्नयन तथा (iv) केन्द्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान (के.शि.प्रौ.स.) के माध्यम से ई-सामग्री का विकास। संघ सरकार 75 प्रतिशत सहायता प्रदान करनी थी तथा शेष 25 प्रतिशत राज्यों द्वारा प्रदान की जानी थी। वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान अनुदान का पर्याप्त भाग अर्थात् ₹28.00 करोड़ में से ₹21.00 करोड़ (75 प्रतिशत), ₹20.00 करोड़ में से ₹17.31 करोड़ (87 प्रतिशत) और ₹18.50 करोड़ में से ₹15.00 करोड़ (81 प्रतिशत) क्रमशः राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान से निश्चित/व्यवहार्य प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति के कारण अव्ययित रहा।

घ) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण

शिक्षक शिक्षा की केन्द्रीय प्रत्यायोजित योजना को 1987-88 में प्रारम्भ किया गया था और 2003 में (i) संस्वीकृत डी.आई.ई.टी./सी.टी.ई./आई.ए.एस.ई./एस.सी.ई.आर.टी¹. परियोजनाएं परन्तु IXवीं योजना अवधि के अन्त तक पूर्ण न हुई का तीव्रता से पूर्ण करना, (ii) IXवीं योजना अवधि तक डी.आई.ई.टी., आई.ए.एस.ई. संस्वीकृत करना तथा एस.सी.ई.आर.टी. को सुदृढ़ करना इष्टतम रूप में कार्यशील तथा संचालनात्मक बनाना व (iii) नवीन डी.आई.ई.टी./सी.टी.ई./आई.ए.एस.ई./एस.सी.ई.आर.टी. परियोजनाओं की संस्वीकृत तथा कार्यान्वयन और (iv) डी.आई.ई.टी. द्वारा प्रारम्भ किए जाने वाले कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार आदि के मुख्य उद्देश्यों के साथ 2003 में संशोधित किया गया था।

वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान योजना के अंतर्गत क्रमशः ₹133.77 करोड़ (30 प्रतिशत), ₹195.34 करोड़ (44 प्रतिशत) तथा ₹122.94 करोड़ (27 प्रतिशत) अव्ययित रहा। शीर्षवार विनियोग लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि बचत हेतु दर्ज किया कारण ‘योजना के संशोधन अधीन होना’ तथा ‘संघ शासित सरकारों से पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होना’ था। तथापि, विभाग में संबंधित फाईलों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि योजना को जारी रखने/संशोधन करने हेतु विभाग के विस्तृत प्रस्ताव पर ई.एफ.सी. द्वारा नवम्बर 2007 में हुई अपनी बैठक में विचार किया गया था। ई.एफ.सी. ने विद्यमान योजना के मापदण्डों तथा पैरामीटरों में बिना किसी बदलाव के योजना का मूल्यांकन करने तथा जारी रखने की अनुशंसा की। इस प्रकार, लेखे में उल्लेखित बचत के कारण संबंधित फाईलों से संस्थापित नहीं थे।

अवास्तविक बजटीय अनुमान

8.24 विनियोग लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत, 2007-10 की अवधि के दौरान प्रावधानों का पूर्ण/बड़ा भाग अप्रयुक्त रहा तथा अन्य शीर्षों को

¹ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.); शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (सी.टी.ई.); शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान (आई.ए.एस.ई.); राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.)

अभ्यर्पित/पुनर्विनियोजित किए गए थे, जिसने उद्देश्य जिसके लिए बजट प्रावधान संसद द्वारा पारित किए गए थे, को विफल किया। ₹10 करोड़ तथा अधिक की बचतों, जो बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनती है, को **परिशिष्ट-VIII-च** में दिया गया है।

पूर्ण प्रावधान का गैर-उपयोग

8.25 वर्ष 2007-10 के लिए विनियोग लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 13 मामलों में उपशीर्षों के अंतर्गत पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा जैसा कि **परिशिष्ट VIII-छ** में ब्यौरा दिया गया है। विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत 100 प्रतिशत अभ्यर्पण हेतु दर्ज अधिकांश कारणों ने प्रकट किया कि प्रस्तावित योजनाओं को अंतिम रूप अथवा कार्यान्वित नहीं किया जा सका। यह पर्याप्त योजना के बिना अति महत्वकांशी की सलाह देता है।

बचतों का अभ्यर्पण

8.26 सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 56(2) बल देता है कि प्रावधान जिनको लाभकारी ढंग से उपयोग नहीं किया जा सका को वर्ष समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना उनका पूर्वानुमान होते ही सरकार को तुरंत अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। कोई भी बचत संभाव्य भविष्य की अधिकता के लिए आरक्षित नहीं रखी जानी चाहिए। तथापि, यह पाया गया कि वर्ष 2007-10 के दौरान निम्नलिखित मामलों में बचते वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पर सरकार को अभ्यर्पित की गई थी और इस प्रकार इन बचतों को सरकार द्वारा कहीं और प्रयुक्त नहीं किया जा सका।

तालिका 8.13 बचतों का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचतें		अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पित न की गई राशि		अभ्यर्पण की तिथि
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
2007-08	2668.29	शून्य	2637.25	शून्य	31.04	शून्य	31.03.2008
2008-09	4906.88	11.54	4748.56	11.54	158.32	शून्य	31.03.2009
2009-10	4768.63	500.00	4032.70	500.00	753.93	शून्य	31.03.2010

अंधाधुंध व्यय

8.27 सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 56(3) के अनुसार अन्धाधुंध व्यय, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंत में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा तथा इससे बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय ने सितम्बर 2007 में सभी मंत्रालयों/विभागों को वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में बजट अनुमानों के 33 प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष के मार्च के दौरान 15 प्रतिशत तक व्यय को सीमित करने के अनुदेश जारी किए। तथापि, शीर्षवार विनियोग लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान विभाग ने अंतिम तिमाही में

बजट आवंटन का 40 प्रतिशत से 45 प्रतिशत के बीच तथा मार्च के दौरान 27 प्रतिशत से 36 प्रतिशत के बीच व्यय किया जैसा कि ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

तालिका 8.14 अन्धाधुंध व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च के दौरान व्यय	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
2007-08	33535.22	13499.28	40	9139.61	27
2008-09	40667.00	18395.93	45	14690.64	36
2009-10	42069.58	18933.47	45	15211.84	36

बकाया उपयोग प्रमाणपत्र

8.28 स्वायत्त निकायों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को जारी अनुदान के संबंध में यह सुनिश्चित करने हेतु कि अनुदान का उपयुक्त रूप से उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया था जिसके लिए यह स्वीकृत थी, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा लेखा नियंत्रकों को अनुदानों के उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने अपेक्षित थे। नमूना जांच ने प्रकट किया कि 2008-09 तक विभाग द्वारा जारी अनुदानों के संबंध में 31 मार्च 2010 तक को ₹1049.52 करोड़ की राशि के 1373 बकाया उपयोग प्रमाणपत्र थे। **परिशिष्ट-VIII** ज में दिए गए वर्षवार ब्यौरा से यह देखा जा सकता है कि सबसे पहले की अवधि जिससे बकाया उपयोग प्रमाणपत्र संबंधित है, वर्ष 1982-83 से संबंधित थी तथा कुल बकाया उ.प्र. का 60 प्रतिशत पाँच से 26 वर्षों पहले की अवधि (1982-83 से 2003-04) से संबंधित हैं।

मंत्रालय ने, जहाँ प्रमाणपत्र निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं हुए हैं, चूककर्ता संस्थान/संगठनों से उ.प्र. प्राप्त करने हेतु न तो कोई कदम उठाए न ही उनको भविष्य की अनुदान से वर्ज्य सूची में डाला।

अनुदान सं.64- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

प्रस्तावना

8.29 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (सू.ल.म.उ.) राज्यों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की वृद्धि एवं विकास को बढ़ाने में उनके प्रयासों में, बढ़ती हुई बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में इनकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने तथा इनको अतिरिक्त रोजगार अवसरों को सृजित करने योग्य बनाने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय इन उद्यमों की आम चिन्ताओं का पता लगाने के प्रयास भी करता है तथा क्षेत्र के ओर से मामलों, जो उनके संरक्षण एवं वृद्धि को गम्भीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं, पर नीति समर्थन का दायित्व भी लेता है।

बजट एवं व्यय

8.30 पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधानों, वास्तविक व्ययों तथा संवितरणों की समग्र स्थिति नीचे दी गई है:-

तालिका 8.15 वर्षवार बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान		वास्तविक संवितरण		बचत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2007-08	589.49	1.90	486.35	0.86	103.14	1.04
2008-09	1984.76	8.31	1848.40	6.53	136.36	1.78
2009-10	2023.04	10.43	1684.60	4.58	338.44	5.85

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

8.31 अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय, मंत्रालय/विभाग को वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध अथवा उपलब्ध होने वाले संसाधनों को ध्यान में रखना है तथा निधियों की अपनी अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। अनुपूरक माँगों का सहारा केवल विशेष तथा अति आवश्यक मामलों में ही लिया जाना चाहिए। 2008-09 के दौरान, उप-शीर्ष 2851.00.102.75- "प्रौद्योगिकी सहायता संस्थान एवं कार्यक्रम गुणवत्ता" के अंतर्गत मंत्रालय ने अधिक व्यय की प्रत्याशा में ₹6.40 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान प्राप्त किया; तथापि, अंत में योजना के अंतर्गत ₹46.45 करोड़ की बचत थी तथा आखिरकार ₹6.40 करोड़ की अनुपूरक अनुदान में से कोई व्यय नहीं किया गया था। इस प्रकार, वर्ष के दौरान न केवल अनुपूरक अनुदान की पूर्ण राशि बल्कि वास्तविक अनुदान का एक भाग भी अप्रयुक्त रहा जिसका अन्य योजना/कार्यक्रम पर लाभकारी रूप से उपयोग किया जा सकता था।

बचतों का अभ्यर्पण

8.32 शीर्षवार विनियोग लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि सामान्य वित्तीय नियमावली 56(2) के प्रावधानों के विपरीत मंत्रालय ने अपनी बचतों को वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2009-10 के अंतिम दिन अभ्यर्पित किया जैसा कि व्यौरा नीचे दिया गया है:-

तालिका 8.16 बचतों का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत		अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पित न की गई राशि		बचतों के अभ्यर्पण की तिथि
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
2007-08	103.14	1.04	83.81	शून्य	19.33	1.04	31.3.2008
2008-09	136.36	1.78	109.60	1.01	26.76	0.77	31.3.2009
2009-10	338.44	5.85	318.19	5.68	20.25	0.17	31.3.2010

यदि बचतों का पूर्वानुमान होते ही इन्हें अभ्यर्पित कर दिया गया होता तो इनका उपयोग सरकार के अन्य योजनाओं/परियोजनाओं में लाभकारी रूप से किया जा सकता था।

उपलब्ध प्रावधान से अधिक व्यय

8.33 सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियमावली 57 तथा 63 के परिशिष्ट-14 के अनुसार भुगतान एवं लेखा कार्यालय को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि किसी भी उपशीर्ष या विनियोग की प्राथमिक इकाई में बजट आवंटन से अधिक कोई भुगतान न हो। जहाँ उपलब्ध बजट प्रावधान भुगतान हेतु पर्याप्त न हो तो भुगतान एवं लेखा कार्यालय केवल अनुदान नियंत्रण विभाग के प्रमुख से लिखित में यह आश्वासन प्राप्त किए जाने के पश्चात भुगतान कर सकते हैं कि संवितरण की भरपाई करने हेतु आवश्यक निधियाँ समय रहते पुनः विनियोग आदेश आदि जारी करके उपलब्ध करा दी जाएंगी।

वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के लिए वर्ष-वार विनियोग लेखे की संवीक्षा ने उजागर किया कि निम्नलिखित मामलों में, भु.ले.का. ने अंतिम अधिक व्यय को पूरा करने हेतु बिना किसी पुनर्विनियोग आदेश अनुदान नियंत्रण विभाग के प्रमुख से लिखित में यह आश्वासन कि संवितरण की भरपाई करने हेतु आवश्यक निधियाँ समय रहते पुनर्विनियोग आदेश जारी करके करा दी जाएंगी, प्राप्त किए बिना भी बजट प्रावधान के आधिक्य में भुगतान किया। यह भु.ले.का. के स्तर के साथ-साथ अनुदान को नियंत्रण करने वाले विभाग के स्तर पर अप्रभावी व्यय नियंत्रण को दर्शाता है:-

तालिका 8.17 उपलब्ध प्रावधान से अधिक व्यय

वर्ष	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	उपलब्ध प्रावधान	वास्तविक व्यय	(₹ करोड़ में) आधिक्य राशि
2008-09	3601.03.727.03- राज्य सरकार के डाटाबेस का उन्नयन	वा. 16.80 पु. 10.75	27.55	28.64	1.09
2009-10	2851.00.200.16- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	वा. 547.80 पु. (-) 140.17	407.63	409.68	2.05

निरंतर बचतें

8.34 विनियोग लेखे की शीर्षवार संवीक्षा ने उजागर किया कि विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत जैसा कि ब्यौरा नीचे दिया गया है, 2007-10 की अवधि के दौरान बड़े प्रावधान लगातार अप्रयुक्त रहे तथा अन्य शीर्षों को उनका पुनर्विनियोजन किया गया था जिसने उद्देश्य जिसके लिए बजट प्रावधान संसद द्वारा पारित किए गए थे, को विफल किया।

तालिका 8.18 निरंतर बचतें

(₹ करोड़ में)

उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	मंत्रालय द्वारा आरोपित कारण
2851.00.102.80- डाटाबेस का उन्नयन	2007-08 2008-09 2009-10	18.00 10.65 2.50	5.64 1.52 0.56	12.36 9.13 1.94	मूल्यांकन अध्ययन हेतु वि.मं. से छूट में देरी /सांख्यिकी संग्रहण की उपयोजना हेतु मूल्यांकन अध्ययन करने हेतु ई.स.सी. द्वारा गैर स्वीकृति तथा प्रशासनिक कारणों से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से माँग की कमी
2851.00.796.01- प्रौद्योगिकी सहायता संस्थान एवं कार्यक्रम - जनजातीय उप योजना की गुणवत्ता	2008-09 2009-10	11.25 8.05	1.61 2.71	9.64 5.34	जन जाति समूहों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति
2851.00.102.79- विपणन विकास सहायता कार्यक्रम	2008-09 2009-10	9.05 9.60	2.42 4.38	6.63 5.22	कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण
2851.00.102.75- प्रौद्योगिकी सहायता संस्थान एवं कार्यक्रम की गुणवत्ता	2008-09 2009-10	216.50 239.21	170.06 213.70	46.44 25.51	राष्ट्रीय न्यूनतम आम कार्यक्रम/योजना की गैर- स्वीकृति तथा कार्यान्वयन हेतु कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण

पूर्ण प्रावधान का गैर-उपयोग

8.35 2007-08 से 2009-10 के लिए शीर्षवार विनियोग लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि निम्नलिखित मामलों में, विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा जैसा कि द्यौरा नीचे दिया गया है:-

तालिका 8.19 पूर्ण प्रावधान का गैर-उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	बचत	मंत्रालय द्वारा आरोपित कारण
2007-08	3601.03.727.01- लघु उद्योगों की सांख्यिकी का संग्रहण	13.30	13.30	संस्थीकृति के विलम्ब से जारी होने तथा परिणामस्वरूप प्रस्तुत बिलों का गैर-भुगतान के कारण
2008-09	2851.00.789.03- सू.ल.म.उ. समूह विकास कार्यक्रम तथा सू.ल.म.उ. वृद्धि स्तंभ- अ.जा. योजना	11.50	11.50	प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति के कारण
	2851.00.796.03- सू.ल.म.उ. समूह विकास कार्यक्रम तथा सू.ल.म.उ. वृद्धि स्तंभ - जन जातीय योजना	5.75	5.75	प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति के कारण
2009-10	2851.00.102.82- असंगठित क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय निधि	1.00	1.00	योजना की गैर-स्वीकृति के कारण
	2851.00.789.03- सू.ल.म.उ. समूह विकास कार्यक्रम तथा सू.ल.म.उ. विकास स्तंभ - जन जातीय उप-योजना	6.00	6.00	प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति के कारण

पूर्ण प्रावधान की बचत यह दर्शाती है कि बजट अनुमानों/अनुपूरक माँगों को परियोजनाओं तथा योजनाओं की पर्याप्त पूर्व-बजट संवीक्षा के पश्चात तैयार नहीं किया गया था।

बजट प्रावधान का विरूपण

8.36 जबकि प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत प्रावधान का संवर्धन करने हेतु पुनर्विनियोजन के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है फिर भी बड़े पैमाने पर पुनर्विनियोजन के पश्चात बड़े अभ्यर्पण हुए जो बजट की संसदीय स्वीकृति के वास्तविक अभिप्राय को सार्थक रूप से विरूपण किया। निम्न तालिका पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे विरूपणों को दर्शाती है।

तालिका 8.20 बजट प्रावधान का विरूपण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	उप-शीर्षों से निधि अन्तरित करने हेतु पुनर्विनियोग आदेश		उप-शीर्षों को निधि अन्तरित करने हेतु पुनर्विनियोग आदेश		% जहाँ तक वास्तविक प्रावधान को उप- शीर्षों में कम किया गया था	% जहाँ तक वास्तविक प्रावधान को उप-शीर्षों में बढ़ाया गया था	अभ्यर्पित राशि
		आदेशों की सं.	राशि	आदेशों की सं.	राशि			
2007-08	591.39	20	124.71	6	40.90	21	07	83.81
2008-09	1993.07	45	286.29	18	175.68	14	09	110.61
2009-10	2033.49	58	460.61	13	136.74	23	07	323.87

तालिका 8.20 से यह देखा जा सकता था कि वर्ष 2009-10 के दौरान विभाग द्वारा ₹597.35 करोड़ वाले अनुदानों में कुल 71 पुनर्विनियोग आदेश जारी किए गए थे जिसके फलस्वरूप संसद द्वारा स्वीकृत प्राधिकरण का विरूपण हुआ। कुछ उप-शीर्ष जिनमें विरूपण प्रकट हुए थे, अनुवर्ती पैराग्राफ में उनकी व्याख्या की गई है।

क) उप-शीर्ष ‘2851.00.102.75-प्रौद्योगिकी सहायता संस्थान एवं कार्यक्रम की गुणवत्ता’ में संसद द्वारा प्राधिकृत ₹239.20 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति ₹72.93 करोड़ का इस योजना से किसी अन्य योजना का पुनर्विनियोजन (चार अवसरों में विभाजित करके) किया गया था तथा इस योजना से ₹49.34 करोड़ के बराबर पुनर्विनियोजन के निवल प्रभाव को छोड़ते हुए अन्य योजना से इस योजना में ₹23.59 करोड़ का फिर से पुनर्विनियोजन (एक अवसर में) किया गया था।

अवास्तविक बजटीय अनुमान

8.37 विनियोग लेखे की शीर्षवार संवीक्षा ने प्रकट किया कि विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत, 2007-10 की अवधि के दौरान बजट प्रावधानों का बड़ा भाग अप्रयुक्त रहा तथा उनका या तो अभ्यर्पण किया गया था या फिर अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया था जिसने उद्देश्य जिसके लिए बजट प्रावधान संसद द्वारा पारित किए गए थे, को विफल किया। बजट प्रावधान से रुदस करोड़ तथा अधिक की बचतों को तालिका 8.21 में दिया गया है।

तालिका 8.21 अवास्तविक बजटीय अनुमान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतों की राशि (प्रतिशतता)	मंत्रालय द्वारा बचतों हेतु बताए गए कारण
2007-08	2851.00.102.60- सू.ल.म.उ. समूह विकास कार्यक्रम तथा सू.ल.म.उ. वृद्धि स्तंभ	61.20	16.95	44.25 (72)	राज्य सरकारों द्वारा आम सुविधा केन्द्र का गैर-संस्थापन
	2851.00.102.63- डाटाबेस का उन्नयन	18.00	5.64	12.36 (69)	उप-योजना 'सांख्यिकी का संग्रहण' हेतु मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए वित्त मंत्रालय से देश से छूट के कारण
2008-09	2851.00.102.75- प्रौद्योगिकी सहायता संस्थान कार्यक्रम उप योजना की गुणवत्ता	216.50	170.06	46.44 (21)	कार्यान्वयन हेतु कुछ राष्ट्रीय न्यूनतम आम योजना से संबंधित योजना की गैर-स्वीकृति
	2851.00.102.77- सू.ल.म.उ. समूह विकास कार्यक्रम एवं सू.ल.म.उ. वृद्धि स्तंभ	28.55	18.08	10.47 (37)	राज्य सरकारों द्वारा सामान्य सुविधा केन्द्र के संस्थापन हेतु आवश्कताओं को पूरा न करने तथा योजना आयोग द्वारा योजना की देश से स्वीकृति के कारण
	2851.00.789.01- प्रौद्योगिकी सहायता संस्थान कार्यक्रम का अ.जा. उप-योजना की गुणवत्ता	23.00	7.76	15.24 (66)	कार्यान्वयन हेतु कुछ राष्ट्रीय न्यूनतम आम योजना से संबंधित कुछ योजना की गैर-स्वीकृति
2009-10	2851.00.789.08- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम - अ.जा. उप योजना	123.45	87.94	35.51 (29)	अनुसूचित जनजातियों से कुछ प्रस्तावों की प्राप्ति तथा जिला स्तरीय कार्यबल समिति बैठक कराने में विलम्ब के कारण
	2851.00.796.08- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम - अ.जा. उप योजना	67.50	48.09	19.41 (29)	जिला स्तरीय कार्य बल समिति बैठक कराने में विलम्ब

बड़ी बचतों ने संसद द्वारा पारित बजट प्रावधानों के उद्देश्य को प्रभावित किया। यदि मंत्रालय बजट प्रस्ताव तैयार करते समय इन उप-शीर्षों के अंतर्गत व्यय का सही निर्धारण किया होता तो भारी बचतों से बचा जा सकता था।

बकाया उपयोग प्रमाणपत्र

8.38 अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 31 मार्च 2009 तक मंत्रालय द्वारा जारी ₹408.29 करोड़ की कुल संहायता अनुदान हेतु 184 उपयोग प्रमाणपत्रों (उ.प्र.प.) को जून 2010 तक प्रस्तुत नहीं किया गया था जबकि इनका 31 मार्च 2010 तक मंत्रालय में प्राप्त होना अपेक्षित था। बकाया उपयोग पत्रों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है:

तालिका 8.22 बकाया उपयोग प्रमाणपत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की सं.	राशि
2005-06	07	0.30
2006-07	08	0.66
2007-08	05	0.54
2008-09	164	406.79
कुल	184	408.29

मंत्रालय ने जहाँ निर्धारित अवधि में प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए थे न तो उन चूककर्ता संस्थान/संगठनों से उपयोग प्रमाणपत्र वसूल करने हेतु कोई कदम उठाया है न ही इनको भविष्य की अनुदाने से वर्ज्य सूची में डाला है।

त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा नियंत्रण

8.39 मंत्रालय का आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध उद्योग मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है तथा सू.ल.म.उ. मंत्रालय के अंतर्गत इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने हेतु उत्तरदायी है। आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की संस्वीकृत कर्मचारी संख्या में एक वरिष्ठ लेखा अधिकारी, एक सहायक लेखाअधिकारी तथा 7 वरिष्ठ लेखाकार/लेखाकार हैं। वर्ष 2007-2010 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा निर्धारित तथा प्राप्त लक्ष्यों के ब्यौरे को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 8.23 त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा नियंत्रण

वर्ष	कुल इकाईयां	लक्षित इकाईयां	वास्तव में लेखापरीक्षा की गई इकाईयां	% में कमी
2007-08	61	61	16	74
2008-09	61	61	31	49
2009-10	61	61	16	74

मंत्रालय के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि मंत्रालय में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि जोखिम विश्लेषण आधारित कोई लेखापरीक्षा वार्षिक योजना तैयार नहीं की गई थी। जैसा कि तालिका से स्पष्ट है कि लक्ष्यों में कमी 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत के बीच थी

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है। 31 मार्च 2010 को भारी संख्या में लेखापरीक्षा पैराग्राफ अंतिम निपटान के लिए लम्बित थीं।

अनुदान सं. 105: युवा कार्य एवं खेलकूद मंत्रालय

प्रस्तावना

8.40 युवा कार्य एवं खेलकूद मंत्रालय अपनी उत्पत्ति खेलकूद विभाग को आरोपित करता है जिसे नई दिल्ली में IXवें एशियाड खेलों के समय 1982 में स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 1985 के दौरान, युवा कार्य एवं खेलकूद विभाग में इसका उन्नयन कर दिया गया था तथा मई 2000 में यह पूर्ण मंत्रालय बन गया। मंत्रालय व्यक्तित्व निर्माण तथा राष्ट्र निर्माण के दोहरे उद्देश्यों, जो कि युवा का व्यक्तित्व विकास करना तथा विभिन्न राष्ट्र-निर्माण गतिविधियों में उनको शामिल करना है, का अनुसरण करता है। खेल उन्नयन प्राथमिक रूप से विभिन्न राष्ट्रीय खेल संघों का उत्तरदायित्व है, जो कि स्वायत्त हैं। सरकार की भूमिका अवसंरचना को सृजित करना तथा व्यापक आधारित खेल के साथ-साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर विभिन्न प्रतियोगी स्पर्धाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने की है। मंत्रालय की योजनाएँ इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रति साधन हैं।

बजट एवं व्यय

8.41 पिछले तीन वर्षों के लिए अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय तथा बचतों की समग्र स्थिति तालिका 8.24 में दी गई है:-

तालिका 8.24 वर्षवार बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान		वास्तविक संवितरण		बचतें	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2007-08	828.26	97.00	719.97	96.63	108.29	0.37
2008-09	1528.39	171.02	1394.55	170.96	133.84	0.06
2009-10	2891.75	844.28	2856.99	813.92	34.76	30.36

बचतों का अभ्यर्पण

8.42 2007-10 की अवधि के लिए शीर्षवार विनियोग लेखे की नमूना जाँच ने प्रकट किया कि सामान्य वित्तीय नियमावली के विपरीत मंत्रालय ने अपनी बचतों को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित किया। 2007-10 के दौरान अभ्यर्पित राशियों के बारे नीचे दिए गए हैं:-

तालिका 8.25 बचतों का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचतें		अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पित न की गई राशि		अभ्यर्पण की तिथि
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
2007-08	108.29	0.37	88.78	0.00	19.51	0.37	31.03.2008
2008-09	133.84	0.06	106.39	0.00	27.45	0.06	31.03.2009
2009-10	34.76	30.36	20.21	30.00	14.55	0.36	31.03.2010

यदि उक्त बचतें जैसी ही प्रत्याशित हुई थी तभी अभ्यर्पित कर दी गई होती तो इनका उपयोग सरकार की अन्य योजनाओं/परियोजनाओं में लाभदायक रूप से किया जा सकता था।

मार्च तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अन्धाधुंध व्यय

8.43 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 56(3) के अनुसार, अन्धाधुंध व्यय, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में, को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा तथा इससे बचा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने भी सभी मंत्रालयों/विभागों को सितम्बर 2007 में वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अपने व्यय को बजट अनुमानों के 33 प्रतिशत तथा मार्च के दौरान 15 प्रतिशत तक सीमित करने हेतु अनुदेश जारी किए।

तथापि, मंत्रालय ने सा.वि.नि. तथा वित्त मंत्रालय के अनुदेशों का पालन नहीं किया तथा वित्तीय वर्ष 2007-10 के मार्च माह/अंतिम तिमाही के दौरान काफी बड़ा व्यय किया जैसा कि तालिका 8.26 में व्यौरा नीचे दिया गया है:-

तालिका 8.26 मार्च माह/वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अन्धाधुंध व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	बजट अनुमान	मार्च में किया गया व्यय	मार्च में किए गए व्यय की प्रतिशतता	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय	वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान किए गए व्यय की प्रतिशतता
1.	2007-08	780.00	239.88	31	287.37	37
2.	2008-09	1111.81	421.07	38	620.06	56
3.	2009-10	3073.00	1288.86	42	1559.79	51

चूंकि मार्च में निर्मुक्त निधियों का वर्ष के दौरान जो उसी महीने/तिमाही के अंतिम दिन समाप्त होता है, रचनात्मक रूप से व्यय नहीं किया जा सका इसलिए यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि क्या इन निधियों को वर्ष के दौरान उसी उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया था जिसके लिये यह प्राधिकृत थीं।

निरंतर बचतें

8.44 विनियोग लेखे की शीर्षवार संवीक्षा ने उजागर किया कि विभिन्न उप-शीर्षों के अंतर्गत, 2007-10 की अवधि के दौरान बड़े बजट प्रावधान लगातार अप्रयुक्त रहे तथा उनको अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किया गया था जिसने उद्देश्य जिसके लिए बजट प्रावधान संसद द्वारा पारित किए गए थे, को विफल किया। 2007-10 के दौरान निरंतर बचतों वाली योजनाओं से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच ने उजागर किया कि पिछले वर्षों में निरंतर अव्ययित प्रावधानों के बावजूद भी मंत्रालय ने अनुवर्ती वर्षों में बड़ी बचतों से बचने के लिए बजट अनुमानों को अधिक यथार्थवादी बनाने हेतु कोई प्रयास नहीं किए जिसका परिणाम योजनाओं के निष्पादन में कमी के अतिरिक्त अवास्तविक बजटीकरण, त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबंधन में हुआ। मंत्रालय की ‘राष्ट्रीय सेवा योजना’ में क्रियात्मक शीर्ष के साथ जिसके माध्यम से राज्यों को अनुदान जारी की जाती है, में निरन्तर बचतों पाई गई जैसा कि व्यौरा नीचे तालिका 8.27 में दिए गए हैं:-

तालिका 8.27 निरंतर बचतें

(₹ करोड़ में)

उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचतें	कारण
2204.00.001.02 - राष्ट्रीय सेवा योजना	2007-08	6.73	4.27	2.46	विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों से माँग की गैर-प्राप्ति के कारण
	2008-09	10.38	5.99	4.39	वेतन एवं अन्य दावों की प्रतिपूर्ति हेतु विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण
	2009-10	9.65	7.23	2.42	वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मितव्ययी अनुबंध, घरेलू यात्रा, कार्यालय व्यय, चिकित्सा एवं ओ.टी.ए. आदि के अंतर्गत प्रत्याशित से कम व्यय के कारण
3601.01.187.01 - राष्ट्रीय सेवा योजना	2007-08	2.76	0.67	2.09	विभिन्न राज्य सरकारों से मांगों की गैर प्राप्ति के कारण
	2008-09	2.60	0.54	2.06	राज्य सरकार से कम मांगों तथा राज्यों में नियमित तथा विशेष कार्यक्रम आयोजित करने हेतु विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण
	2009-10	2.31	0.61	1.70	प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत दावों की कम संख्या के कारण
3601.03.156.01 - राष्ट्रीय सेवा योजना	2008-09	76.88	47.33	29.55	राज्य सरकारों द्वारा व्यवहार्य प्रस्तावों की कम संख्या की प्राप्ति के कारण
	2009-10	76.88	54.34	22.54	व्यय वित्त समिति से स्वीकृति की प्राप्ति में विलम्ब के कारण वृत्ति की बड़ी हुई दर के गैर-कार्यान्वयन के कारण

पूर्ण निधियों का गैर-उपयोग

8.45 वर्ष 2007-10 के लिए शीर्षवार विनियोग लेखे की संवीक्षा ने उजागर किया कि उप-शीर्षों के अंतर्गत पूर्ण/भारी प्रावधान अव्ययित रहे जैसा कि नीचे चर्चा की गई है। मंत्रालय ने इन बचतों को योजनाओं की गैर-स्वीकृति/अंतिम रूप न देने को आरोपित किया।

क) नगर पालिका युवा क्रीड़ा और खेल अभियान

योजना को शहरी क्षेत्रों में विशेषकर छोटे शहरों में तथा गरीब क्षेत्रों में मूलभूत खेल अवसंरचना प्रदान करने हेतु प्रारम्भ किया जाना था। विनियोग लेखाओं की शीर्षवार नमूना जांच में प्रकट हुआ कि वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान योजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण क्रमशः ₹9.00 करोड़ तथा ₹4.00 करोड़ का पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

ख) विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में खेल एवं खेलकूद को उन्नयन बनाने के लिए योजना

विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में खेल एवं खेलकूद को उन्नयन बनाने के लिए योजना का निरूपण विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में खेल एवं खेलकूद की व्यापक आधार हेतु महत्वपूर्ण जोर डालने तथा शैक्षणिक संस्थानों में खेल में बड़ी भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रवीण खिलाड़ी के आधार को बढ़ाने की दृष्टि सहित खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ किया गया था।

विनियोग लेखे की समीक्षा ने प्रकट किया कि वर्ष 2007-08 के दौरान ₹5.40 करोड़ की आवंटित निधि में से ₹0.11 करोड़ का अव्यतित शेष छोड़ते हुए ₹5.29 करोड़ का व्यय किया गया था। मंत्रालय ने उद्देश्य प्रस्तुत नहीं किया जिसके लिए व्यय किया गया था क्योंकि अनुवर्ती दोनों वर्षों अर्थात् 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान ₹12.00 करोड़ (क्रमशः ₹8.00 करोड़ तथा ₹4.00 करोड़) का पूर्ण बजट प्रावधान ‘योजना को अंतिम रूप ने देने’ के कारण अप्रयुक्त रहा। चूंकि 2008-10 के दौरान योजना के अंतिम रूप नहीं दिया गया था इसलिए उद्देश्य जिस पर वर्ष 2007-08 के दौरान ₹5.29 करोड़ का व्यय किया गया था को अगस्त 2010 में जारी लेखापरीक्षा ज्ञापन के उत्तर के अभाव में लेखापरीक्षा को नहीं पता था।

ग) विकलांग व्यक्तियों के बीच खेलों का उन्नयन

योजना को शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग को केंद्रित सहायता प्रदान करने हेतु आरम्भ किया गया था। योजना के अंतर्गत लक्षित वर्गों की विशेष कोचिंग एवं प्रशिक्षण आवश्यकताओं, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेना तथा अन्य आवश्यकता आधारित विशेषता प्राप्त सुविधा प्रदान की जानी थीं।

शीर्षवार विनियोग लेखे की समीक्षा ने प्रकट किया कि वर्ष 2007-10 के दौरान ₹15.00 करोड़ के कुल बजट प्रावधान में से ₹10.00 करोड़ की राशि 2007-08 तथा 2008-09 अवधि के दौरान क्रमशः योजना को अंतिम रूप न देने तथा बाह्य अभिकरणों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन न करने के कारण अप्रयुक्त रही तथा 2009-10 के अंतर्गत, योजना को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण ₹4.26 करोड़ का अव्ययित शेष छोड़ते हुए केवल ₹0.74 करोड़ का व्यय किया गया था।

अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों के कारण बड़ी अनुपूरक अनुदाने

8.46 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत संसद सरकार को भारत की समेकित निधि से विशिष्ट राशि विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत करती है। संविधान के अनुच्छेद 115 के अनुसार आगे विनियोग विधेयक के अनुसार संसद अनुपूरक एवं अतिरिक्त अनुदान भी प्राधिकृत कर सकती है। व्यय अनुमानों को तैयार करते समय, मंत्रालय/विभाग को पिछले वर्ष के व्यय प्रवृत्तियों को घ्यान में रखना चाहिए तथा उचित सावधानी बरतनी चाहिए जिससे वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने से पूर्व सारे अपरिहार्य एवं अदृश्य व्ययों के प्रावधान को अनुमान में सम्मिलित किया जा सके। वित्त मंत्रालय समुचित विमर्श तथा बजट पूर्व बैठकों/संवीक्षा के बाद बजट प्रस्तावों को अन्तिम रूप प्रदान करता है। वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 की अवधि हेतु विनियोग लेखे की संवीक्षा ने प्रकट किया कि मंत्रालय ने प्रावधानों के काफी आधिक्य में अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए। अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान 127 प्रतिशत से 181 प्रतिशत के बीच था जैसा कि व्यौरे तालिका 8.28 में दिए गए हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि मंत्रालय ने अपने व्यय के अनुमान वास्तविकता के आधार पर तैयार नहीं किए थे तथा वास्तविक बजट प्रक्षेपणों को सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा बजट पूर्व बैठकों को आयोजन करने एवं संवीक्षा संबंधी की प्रक्रिया का प्रत्याशित प्रभाव नहीं हुआ।

तालिका 8.28 अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों के कारण बड़ी अनुपूरक अनुदाने

(₹ करोड़ में)

उप-शीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक अनुदान	अनुपूरक अनुदान का प्रतिशत
6202.03.800.01- राष्ट्रमण्डल खेल	2007-08	25.00	70.21	281
2204.00.104.42- राष्ट्रमण्डल खेल	2008-09	224.00	509.00	227

बकाया उपयोग प्रमाणपत्र

8.47 अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2009 तक मंत्रालय द्वारा जारी ₹177.51 करोड़ के संबंध में अनुदान ग्राही संस्थाओं से 6133 मामलों में उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए थे तथा वे बकाया थे जबकि वह 31 मार्च 2010 तक प्राप्त होने अपेक्षित थे। इनमें से कुछ 1987-88 से संबंधित थे जिनका विवरण परिशिष्ट VIII-झ में दिया गया है।

मंत्रालय ने जहाँ निर्धारित अवधि में प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए थे न तो उन चूककर्ता संस्थान/संगठनों से उपयोग प्रमाणपत्र वसूल करने हेतु कोई कदम उठाया है न ही इनको भविष्य की अनुदाने से वर्ज्य सूची में डाला है।

त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

8.48 मंत्रालय का आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध लेखा नियंत्रक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है तथा मंत्रालय के अंतर्गत इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई आंतरिक लेखापरीक्षा के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

तालिका 8.29 त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा नियंत्रण

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य (लेखापरीक्षा हेतु योजित प्रभागों/इकाईयों की सं.)	वास्तव में लेखापरीक्षा की गए प्रभागों/इकाईयों की सं.	कमी की %
2007-08	12	09	25
2008-09	05	03	40
2009-10	04	01	75
योग	21	13	

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि मंत्रालय में आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रणाली संतोषजनक नहीं थी क्योंकि वर्ष 2007-10 के दौरान कमी 25 से 75 प्रतिशत के बीच रही और कमी के लिए कारण स्टाफ की कमी को आरोपित किया गया।

निष्कर्ष

8.49 व्यवसाय नियमावली के विनिधा के अनुसार वित्त मंत्रालय बजट एवं व्यय नियंत्रण सहित भारत सरकार की समग्र वित्तीय प्रबंधन हेतु उत्तरदायी है। सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 64 के अनुसार, मंत्रालय/विभाग का सचिव मंत्रालय/विभाग के मुख्य लेखांकन अधिकारी के रूप में अपनी क्षमता में अपने मंत्रालय/विभाग के वित्तीय प्रबंधन हेतु उत्तरदायी एवं जबावदेह है तथा उसे सुनिश्चित करना है कि विनियोजित लोक निधियों का उसी उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है जिसके लिए वे अभिप्रेत थीं। वह निष्पादन मानकों का अनुपालन करते समय उस मंत्रालय/विभाग के कथित कार्यक्रमों/परियोजना को प्राप्त करने में मंत्रालय/विभाग के संसाधनों को प्रभावी, कुशल, मितव्यी तथा पारदर्शी उपयोग हेतु भी उत्तरदायी है। बजट नियमावली विस्तृत में बजट के प्रति व्यय के नियंत्रण में मंत्रालयों तथा विभगों की भूमिका का सूचीबद्ध करती है।

8.50 तथापि, हमने पाया कि शून्य-आधारित बजटीकरण के प्रारम्भ आउटपुट बजट का पालन करने तथा राजकोषीय वर्ष 2006-07 से आउटपुट से आउटकम बजट की ओर बढ़ने के बावजूद अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके। वर्ष दर वर्ष हमने अवास्तविक एवं त्रुटिपूर्ण बजटीकरण जो पूर्व/बड़ी राशियों के बचे रहे का कारण बनी; अनावश्यक अनुपूरक अनुदान जिसने इसके समग्र को बचे रहना प्रदर्शित किया; निधियों के पुनर्विनियोग की प्रत्यायोजित शक्तियों का अंधाधुंध उपयोग, जिसने संसद के प्राधिकरण की प्रक्रिया को मन्दा किया; वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अंधाधुंध व्यय आदि जैसे गंभीर बजटीय उल्लंघनों को सूचित किया है। तथ्य कि सामान्य वित्तीय नियमावली और बजट नियमपुस्तिका में निर्धारित विशिष्ट प्रावधानों तथा वित्त एवं विनियोग लेखे पर हमारी प्रतिवेदन के माध्यम से संसद को निरन्तर रिपोर्टिंग के बावजूद ऐसी कमियाँ बनी रहीं, जो दर्शाती है कि वित्त मंत्रालय तथा मंत्रालयों/विभागों में मुख्य लेखांकन प्राधिकारियों द्वारा

बजटीय नियंत्रण गंभीर प्रणालीगत कमियों से ग्रस्त है जो पूर्ण प्रक्रिया को निष्प्रभावी बनाते हुए वर्षों से निदान किए बिना पड़ी हुई हैं।

8.51 जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैरा 6.4 (तालिका 6.1) में प्रस्तुत किया गया है कि संसद से व्यय हेतु प्राप्त किए ₹46,91,095 करोड़ के कुल अनुमोदन के प्रति ₹2,48,791 करोड़ की समग्र बचत हुई है। उच्च लागत पर उधार (2009-10 में लोक ऋण की प्राप्तियाँ ₹33,93,269 करोड़ थी) से आए सरकारी संसाधनों के उस मुख्य भाग पर विचार करते हुए वास्तविक बजटीकरण हेतु आवश्यकता तथा संसाधनों के कुशल उपयोग को अधिक महत्व न देने की आवश्यकता है। वर्ष 2009-10 के लिए अनुदानों की माँगों की विनियोग लेखापरीक्षा ने वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचतों के अभ्यर्पण के अनेकों उदाहरणों को प्रकट किया। बजट आबंटन पर्याप्त योजना तथा व्यय करने के लिए स्वीकृति के बिना किए थे जिसका परिणाम अभ्यर्पणों में हुआ क्योंकि योजना जिसके लिए आबंटन प्राप्त किए गए थे प्रारम्भ नहीं की जा सकी अथवा स्वीकृत नहीं थी/स्वीकृति बकाया थी। कृषि एवं सहकारिता विभाग; भू-विज्ञान मंत्रालय; स्कूली शिक्षा एवं सक्षरता विभाग (स्कू.शि.सा.पि.) लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय; युवा कार्य एवं खेलकूद मंत्रालय की अनुदानों का लेखापरीक्षा में विस्तृत संवीक्षा हेतु चयन किया गया था। स्कू.शि.सा.पि. में सुस्पष्ट उदाहरण थे जिनमें सार्वभौम शिक्षा हेतु ₹43,840.62 करोड़ प्रदान किए गए परन्तु कई योजनाएँ पूरी नहीं की जा सकीं तथा ₹5,268.63 करोड़ की राशि अव्ययित रही जो अंत में अभ्यर्पण/समाप्त हो गई थी। इसके अतिरिक्त, कृषि मंत्रालय द्वारा नियंत्रित वर्षा प्रभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के मामले में, योजना को स्वीकृत की मांग किए बिना, तीनों निरन्तर वर्षों में विनियोजित निधियाँ तथा पूर्ण प्रावधान सभी तीनों वर्षों के लिए अप्रयुक्त रहे तथा अंतिम तिमाही में इसका अभ्यर्पण किया गया था। ऐसे अवसरों से बचने हेतु संबंधित मंत्रालय को तब तक केवल टोकन प्रावधान प्राप्त करने चाहिए जब तक कि स्वीकृति तथा योजना स्तर पूरे न हो जाए तथा सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जाए। ऐसे मामलों में समयपूर्व प्रावधान करने से मंत्रालय को बचाने हेतु वित्त मंत्रालयों को उपयुक्त जाँच तथा कार्यप्रणाली प्रारम्भ करनी चाहिए।

8.52 सरकारी विभागों के अलावा अभिकरणों के माध्यम से विनियोजित निधियों तथा खर्च के "आउटकम" को मांनीटर करने का एक महत्वपूर्ण साधन उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त करना है। निकायों/प्राधिकरणों को जारी अनुदानों का निर्धारित समय सीमा के भीतर उ.प्र. द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए जो उस अभिकरण को निधियों/अनुदानों की किसी भावी निमुक्ति को नियंत्रित करेगा। उ.प्र. को गैर-प्राप्ति को प्रत्येक वर्ष सूचित किया गया है तथा इस वर्ष भी कोई सुधार नहीं पाया गया था। ऐसे मामलों में विनियोजित निधियों के अंत उपयोग असत्यापित रहा, मंत्रालय, उससे भी अधिक विशेष रूप से मु.ले.का. को इस मामले पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए।

8.53 जैसा कि अध्याय 8 में वर्णन किया गया है कि मंत्रालयों, जिनकी अनुदानों की हमारे द्वारा विस्तृत में जाँच की गई थी, में कमजोर आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली पाई गई थी। आंतरिक लेखापरीक्षा नियंत्रणों में कमियों से प्रशासक को सूचित रखने हेतु एक आवश्यक प्रबंधन साधन है जो इस प्रकार विचलनों का पता लगता है तथा समय पर हस्तक्षेप के लिए समर्थ बनाता है। एक प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को दोहराई गई कमियों से बचने तथा अधिक कुशल बजटीय

नियंत्रण तथा व्यय प्रबंधन के प्रति जबाबदेही को सुधारने हेतु संस्थापित किया जाना चाहिए जो वित्तीय संसाधनों के कुशल तथा इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देगी।

8.54 इस प्रतिवेदन का अध्याय-2 संघ सरकार के लेखों की पूर्णतः तथा यथार्थता के संबंध में प्रणालीगत कमियों को उजागर करता है। इस अध्याय में शामिल कुछ अभ्युक्तियों को वर्ष 2000 से बहुत पहले सरकार के ध्यान में लाया गया था तथा अनुक्रमिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से अनुकरण भी किया गया परन्तु फिर भी कोई सुस्पष्ट प्रगति नहीं हुई है। ऐसे मामलों पर सरकार का उत्तर सदैव एक ही रहा कि मामला स्पष्टीकरण हेतु संबंधित मंत्रालय/विभाग को प्रेषित कर दिया गया है। ऐसे संदर्भ/जाँच के परिणामों से कभी भी लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया है तथा ऐसी कमियां निरन्तर जारी हैं।

8.55 यह अध्याय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के संबंध सहित संघ के लेखे में अपर्याप्त प्रकटनों के संबंध में मामलों को भी उजागर करता है जिससे सरकार द्वारा मूलरूप से सहमति दिए जाने के बावजूद भी अनुपालन नहीं किया गया है।

नई दिल्ली

(रॉय मथरानी)

दिनांक : 4 मार्च, 2011

महानिदेशक लेखापरीक्षा,

केन्द्रीय व्यय


प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

(विनोद राय)

दिनांक : 4 मार्च, 2011

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट

परिशिष्ट सूची

क्र. सं.	परिशिष्ट सं.	परिशिष्ट का विषय	पृष्ठ सं.
1.	II- क	2009-10 में लघुशीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत राजस्व तथा पूँजीगत व्यय के बारे	153
2.	II- ख	विभागीयरूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम	154
3.	II- ग	2009-10 के दौरान बट्टे खाते में डाली/अस्थगित हानियों तथा अवसूलनीय देयों का विवरण	161
4.	II- घ	विदेश में खरीदों हेतु उचंत लेखे की बकाया राशि (2001 से)	162
5.	II- ङ	ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेष	163
6.	II- च	नि. स. ले.प.; स्वा.प.क.म.; वि.का.वि.; के.प्र.क.बो. एवं वि.म. के चयनित प्र.ले.का. की लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए प्रतिकूल शेष	166
7.	V-क	संघ सरकार की कुल देयता	168
8.	V-ख	अप्रयुक्त बाह्य सहायता-क्षेत्र-वार	169
9.	VI-क	अनुमोदन तथा संवितरण	170
10.	VI-ख	अनुदानों/विनियोगों में निवल बचतें	173
11.	VI-ग	सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत प्रभारित तथा दत्तमत संवितरणों का समानुपात	174
12.	VII-क	निधि के उपयुक्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण (₹ दो करोड़ और उससे अधिक)	175
13.	VII-ख	विभिन्न अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ अथवा उससे अधिक बचतों को दर्शाती विवरणी	182
14.	VII-ग	विभिन्न अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों की विवरणी	185
15.	VII-घ	उन मामलों के उदाहरण जिनमें बचत से अधिक की राशियाँ अभ्यर्पित की गई थीं	188
16.	VII-ङ	उन मामलों के बारे जहाँ बचतों के मुख्य भाग 31 मार्च 2010 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के बारे	189
17.	VII-च	मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो कि अनुपयोगिता के कारण अविवेकपूर्ण थे (₹ एक करोड़ तथा अधिक की राशि के पुनर्विनियोग)	192
18.	VII-छ	मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जोकि उप-शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण अविवेकपूर्ण थे	196

क्र. सं.	परिशिष्ट सं.	परिशिष्ट का विषय	पृष्ठ सं.
		(केवल एक करोड़ रु से अधिक की राशि के पुनर्विनियोग के मामलों का उल्लेख किया गया है)	
19.	VII-ज	मूल तथा अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों की स्थिति	197
20.	VII-झ	लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों को दर्शाती हुई विवरणी	198
21.	VII-अ	अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण (₹ दस करोड़ और अधिक की बचत और जो बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनाता है)	200
22.	VII-ट	₹ दस करोड़ एवं अधिक की बचत के मामले जहाँ समग्र प्रावधान अव्ययित रहा, को दर्शाती विवरणा	207
23.	VII-ठ	उप-शीर्ष के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण (बजट प्रावधान की ₹100 करोड़ और अधिक की बचतें)	211
24.	VIII-क	कृषि एवं सहकारिता विभाग में अवास्तविक बजटीकरण	218
25.	VIII-ख	कृषि एवं सहकारिता विभाग में उप-शीर्ष में ₹100 करोड़ या अधिक की बचत	219
26.	VIII-ग	भू-विज्ञान मंत्रालय में निरन्तर बचतें	221
27.	VIII-घ	भू-विज्ञान मंत्रालय में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	223
28.	VIII-ङ	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में निरन्तर बचतें	224
29.	VIII-च	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में अवास्तविक बजट अनुमान	225
30.	VIII-छ	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में समग्र प्रावधान का उपयोग न किया जाना	227
31.	VIII-ज	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	229
32.	VIII-झ	युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	230

परिशिष्ट II -क
(पैराग्राफ 2.3 के संदर्भ में)
**2009-10 में लघुशीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत राजस्व
तथा पूँजीगत व्यय के ब्यौरे**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	लघुशीर्ष - 800- अन्य व्यय के अन्तर्गत व्यय	मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय	"कुल व्यय की तुलना में "अन्य व्यय की प्रतिशतता
1.	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	901.09	1286.07	70
2.	2217- शहरी विकास	659.93	1116.51	59
3.	2225- अ.जा., अ.ज. तथा अ.पि.व. का कल्याण	299.49	528.47	57
4.	2250- अन्य सामाजिक सेवाएं	33.31	33.86	98
5.	2416- कृषि वित्तीय संस्थान	2831.00	2350.64	120
6.	2711- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी	150.35	151.37	99
7.	2801- विद्युत	5189.53	7774.11	67
8.	2885- उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य परिव्यय	300.08	301.68	99
9.	3053- नागरिक उड़ड़चन	1080.95	1126.70	96
10.	3275-अन्य संचार सेवाएं	2891.36	5315.01	54
11.	3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	211.24	401.06	53
12.	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	62.30	65.58	95
13.	4211- परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	1.59	1.59	100
14.	4402- मृदा एवं जल संरक्षण पर पूँजीगत परिव्यय	17.19	18.44	93
15.	4403- पशु पालन पर पूँजीगत परिव्यय	7.06	9.73	73
16.	4405- मत्स्य पालन पर पूँजीगत परिव्यय	14.22	21.54	66
17.	4407- वृक्षारोपण पर पूँजीगत परिव्यय	15.00	15.00	100
18.	4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	3.44	5.59	61
19.	4859- दूरसंचार एवं इलैक्ट्रोनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	9.73	11.73	83
20.	5275- अन्य संचारी सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	268.75	273.61	98
21.	5403- समुद्रविज्ञान अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय	25.60	26.53	96
22.	5453- विदेश व्यापार पर पूँजीगत परिव्यय	595.50	551.50	108
23.	5455- अन्तर्क्ष विज्ञान पर पूँजीगत परिव्यय	147.62	171.40	86
24.	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	183.40	206.10	89
	योग	15899.73	21763.82	

परिशिष्ट II-ख
(पैराग्राफ 2.10 के संदर्भ में)
विभागीयरूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	सरकारी पूँजी	ब्लॉक परिसम्पर्य तथां (निवल)	तिथि तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूँजी पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूँजी की तुलना में कुल वापसी की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
कृषि मंत्रालय										
1.	दिल्ली दुग्ध योजना	2009-10	3968.33	23375.79	2790.61	(-) 3808.41	194.65	(-) 3613.76	उ.न.	उ.न.
2.	आइसक्रीम फ्रीजिंग संयंत्र, कोच्ची	2008-09	382.15	1656.28	73.42	(-)101.34	59.23	111.78	शून्य	
परमाणु ऊर्जा विभाग										
3.	नाभिकीय ईंधन परिसर हैदराबाद	2008-09	55183.87	32317.60	23066.73	(-)6330.35	4776.15	(-)1554.20	(-)2.91	प्रावधानिक
4.	भारी जल संयंत्र, मुम्बई	2004-05								प्रोफार्मा लेखे का प्रतिस्रूप अभी भी स्वीकृत किया जाना है
रक्षा मंत्रालय										
5.	कैन्टीन भण्डारण विभाग	2007-08	48.00	2942.68	3500.69	8080.89	8807.21	16888.1	17.3	97608.94 ⁼
वित्त मंत्रालय										
6.	सरकारी ऐल्केलोइड कार्य, नीमच्च	2008-09	656.74	421.45	235.29	(+)759.40	652.44	1411.84	18.14	7784.65 ⁼

⁼ औसत पूँजी

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट II-ख
(पैराग्राफ 2.10 के संदर्भ में)
विभागीयरूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	सरकारी पूँजी	ब्लॉक परिसम्पत्तयां (निवल)	तिथि तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूँजी पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूँजी की तुलना में कुल वापसी की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
7.	सरकारी ऐल्कोलॉइड कार्य, गाजीपुर	2009-10	654.08	297.61	358.60	38.65	121.87	160.52	11.09	1447.43 ⁼
8.	सरकारी अफीम कारखाना, गाजीपुर	2009-10	444.26	435.75	316.00	(-)306.97	240.47	(-)66.5	(-) 2.33	2855.89 ⁼
9.	सरकारी अफीम कारखाना, नीमच्च	2008-09	1665.32	978.27	680.76	(+)2088.52	00.00	2088.52	173.35	1204.7 ⁼
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय										
10.	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसोली	2004-05	906.87	251.03	99.81	124.24	137.04	549.86	38.44	
11.	सरकारी औषधि भण्डार डिपो, कोलकाता	2007-08	1972.85	48.87	35.79	(-) 40.99	67.18	26.19	2.75	952.84 ⁼
12.	सरकारी औषधि भण्डार डिपो, हैदराबाद	2008-09	3403.52	87.64	6.18	(-)94.57	ब्याज की गणना नहीं की गई है	4087.59	120.09	
13.	सरकारी औषधि भण्डार डिपो, करनाल	2007-08	89.42	17.22	1.33	(-) 66.87	-	322.63	-	

⁼ औसत पूँजी

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट II-ख

(पैराग्राफ 2.10 के संदर्भ में)

विभागीयरूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	सरकारी पूँजी	ब्लॉक परिसम्परा तथा (निवाल)	तिथि तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूँजी पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूँजी की तुलना में कुल वापसी की प्रतिशतता	आभ्युक्तियां
14.	सरकारी औषधि भण्डार डिपो, नई दिल्ली	2008-09	29.86	21.19	133.74	(+)527.97		(+)527.97	1768.31	
15.	केन्द्रीय मनोरोग संरचान का वनस्पति उद्यान, कांके, रांची	2009-10	0.31	0.26	-	0.64	0.12	0.81	75.61	
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय										
16.	फिल्म प्रभाग	2001-02	3830.07	3821.30	2090.65	(-) 1718.34	455.54	-	-	
नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय										
17.	भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, लिमिटेड	2009-10	53960	4312.32	1515.04	7268.77 (कर उपरान्त लाभ)	1454.00	1454.00 (लाभांश)	2.74	52980 ^a
विद्युत मंत्रालय										
18.	बद्रपुर थर्मल स्टेशन, नई दिल्ली	2005-06	42673.00	10445.00	35625.00	3100.00	863.00	3963.00	9.29	बी.टी.पी.एस. का 30 जून 2006 से एन.टी.पी.सी. के साथ विलय कर दिया गया है

^a औसत पूँजी

परिशिष्ट II-ख
(पैराग्राफ 2.10 के संदर्भ में)
विभागीयरूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	सरकारी पूंजी	ब्लॉक परिसम्पत्तियां (निवल)	तिथि तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूंजी पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूंजी की तुलना में कुल वापसी की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
19.	विद्युत विभाग, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2001-02	17926.4 1	15464.3 3	2015.55	(-) 55167.01	1718.91	(-) 694.07	(-) 61.40	-
20.	विद्युत विभाग, लक्षद्वीप	2008-09	11599.6 8	9307.29	2292.38	(-) 4670.00	941.29	614.82	-	-
जहाजरानी, सङ्क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय										
21.	प्रकाशस्तंभ एवं दीप-नौका महानिदेशालय, नोएडा	2008-09	21308	21308	9840	4105	527	4632	43.48	-
22.	चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम	2005-06	9514.45	3776.96	1094.11	(-) 1337.35	400.41	(-) 936.94	(-) 10.06	-
23.	राज्य परिवहन सेवा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2008-09	3438.25	1209.27	1848.35	(-) 9917.87	3426.79	(-) 2491.08	(-) 6.11	-
24.	अण्डमान नौका सेवा	2002-03	26092.3 8	3373.67	5486.23	(-) 32.74	(-) 2553.32	(-) 2586.06	(-) 9.91	-
25.	गोवा पोत कारखाना लिमिटेड	2005-06	1487.00	8927.00	4381.00	2822.00	-	327.00	22.00	-

परिशिष्ट II-ख
(पैराग्राफ 2.10 के संदर्भ में)
विभागीयरूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	सरकारी पूँजी	ब्लॉक परिसम्पर्त्यां (निवल)	तिथि तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूँजी पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूँजी की तुलना में कुल वापसी की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
26.	नौसैनिक विभाग (गोदी) अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2003-04	2884.55	205.10	61.60	(-) 4166.22	(-) 289.41	(-) 4455.63	(-) 154.47	
27.	जहाजरानी सेवाएं, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2003-04	28873.79	10613.10	1695.94	(-) 32275.33	21953.38	(-) 10321.95	(-) 35.75	
शहरी विकास मंत्रालय										
28.	प्रकाशन विभाग	2000-01 से आगे	-	-	-	-	-	-	-	प्रोफार्मा लेखों की बजाए, प्रकाशन विभाग ने भण्डार लेखे तैयार किए जिनकी 1999-2000 तक लेखापरीक्षा की गई है। मंत्रालय ने नवम्बर 2001 में लेखांकन प्रणाली को लेखे के वाणिज्यक प्राप्त में बदलने का निश्चय किया। विभाग ने अभी तक नहीं बदला है।
29.	भारत सरकार प्रैस, रिंग रोड नई दिल्ली	2008-09	388	उ.न.	18	0	19	उ.न.	उ.न.	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट II-ख

(पैराग्राफ 2.10 के संदर्भ में)

विभागीयरूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	सरकारी पूँजी	ब्लॉक परिसम्पर्त्यां (निवल)	तिथि तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूँजी पर व्याज	कुल वापसी	औसत पूँजी की तुलना में कुल वापसी की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
30.	भारत सरकार प्रैस, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली	2007-08	58.24		2.72		2.84			
31.	भारत सरकार प्रैस, निलोखेरी	2008-09	134	1170	0	0	0	0	0	
32.	भारत सरकार प्रैस, फरीदाबाद	2008-09	873	259	33	0	30	926	106	
33.	भारत सरकार प्रैस, शिमला	2008-09	29	12	1	0	0	1	3.9	
34.	भारत सरकार प्रैस, कोयम्बतूर	2008-09	0	0	130	0	0	0	0	
35.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक प्रैस, भुवनेश्वर	2008-09	249	39	1	0	0	281	112	
36.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक प्रैस, मैसूर	2008-09	0	57	0	0	0	80	0	
37.	भारत सरकार प्रैस, कोलकाता	2007-08	79	18	5	-	3	4	0.05	
38.	भारत सरकार प्रैस, कोराट्टी	2007-08	222	131	11	-	40	1588	363	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट II-ख

(पैराग्राफ 2.10 के संदर्भ में)

विभागीयरूप से प्रबंधित सरकारी उपक्रमों के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखे की अवधि	सरकारी पूँजी	ब्लॉक परिसम्पर्यां (निवल)	तिथि तक मूल्यहास	लाभ (+) हानि (-)	सरकारी पूँजी पर ब्याज	कुल वापसी	औसत पूँजी की तुलना में कुल वापसी की प्रतिशतता	अभ्युक्तियां
39.	भारत सरकार प्रैस, नासिक	2007-08	868	534	280	-	43	1235	-	
40.	भारत सरकार प्रैस, अलीगढ़	2007-08	314	162	163	-	15	928	-	
41.	भारत सरकार पाठ्य पुस्तक प्रैस, चण्डीगढ़	2007-08	6865	182	92	-	12	547	100	
42.	भारत सरकार प्रैस, गेंगटोक	2007-08	4	7	-	-	-	4	5	
43.	भारत सरकार प्रैस, सतरागाढ़ी	2006-07	52	0	6	0	2	24	5	

परिशिष्ट II-ग
(पैराग्राफ 2.11 के संदर्भ में)

2009-10 के दौरान बट्टे खाते में डाली/अस्थगत हानियों तथा अवसूलनीय देयों का विवरण

(₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	निम्न के कारण हानियों तथा अवसूलनीय देयों को बट्टे खाते में डालना									
	प्रणाली की विफलता		उपेक्षा/धोखाधड़ी आदि		अन्य कारण		वसूली का अधित्याग		सानुग्रह भुगतान	
	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
कृषि (आई.सी.ए.आर.)					17	5.02				
परमाणु ऊर्जा					16	52.27				
वाणिज्य					1	105.00				
चुनाव आयोग					1	0.02				
खनन					1	0.03				
शहरी विकास									41	78.99
ग्रामीण विकास					5	0.05				
पैदलेलियम एवं प्राकृतिक गैस					1	0.41				
श्रम एवं रोजगार, डी.जी.इ.एस.टी.					1	0.29				
राज्य सभा					2	0.23				
के.उ.सी.शु.बो.					21	10.67	3	0.10		
सूचना प्रौद्योगिकी					3	2.87				
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन									2	3.00
अंतरिक्ष					2	2.97				
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी					12	1.68				
रक्षा (बी.आर.ओ. एवं सी.एस.टी.)	8	7.33	16	8.24	66	181.34				
डाक एवं दूरसंचार			14	16.59	22	6.16	3	0.09	61	2.83
विद्युत					1	0.07	6	0.26	22	17.00
जल संसाधन					8	0.93				
योग	8	7.33	30	24.83	180	370.01	12	0.45	126	101.82

परिशिष्ट II- घ
(पैराग्राफ 2.13.1 के संदर्भ में)

विदेश में खरीदों हेतु उचंत लेखे की बकाया राशि (2001 से)

(₹ हजार में)

क्र. सं.	आयातक का नाम	कर्ज की सं.	राशि
1.	सङ्क एवं भवन विभाग, गुजरात	1	1104
2.	तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड	1	5198
3.	मैसूर सीमेन्ट लिमिटेड	1	4326
4.	रेल मंत्रालय	2	8399
5.	पाईराइट्स, फोस्फेट्स एवं रसायन लिमिटेड	2	249513
6.	रेल बोर्डी कारखाना, कपूरथला	1	1895
7.	रेलवे बोर्ड	2	13119
8.	रेल क्वायल स्प्रिंग	1	7111
9.	जल संसाधन मंत्रालय	3	9793
10.	पवन हंस लिमिटेड	1	574384
11.	दूरसंचार विभाग	6	14737
12.	उर्वरक एवं रसायन ट्रावनकोर लिमिटेड	1	341
13.	भारतीय किसान उर्वरक सहकारिता लिमिटेड	3	14257
14.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सहयोगी अस्पताल	1	9962
15.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	1	136
16.	खनिज एवं धातु व्यापार निगम	1	14444
17.	गृह मंत्रालय, नई दिल्ली	1	2255
18.	सङ्क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	4	289762
19.	सङ्क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय -तकनीकी	2	4082
20.	कोचीन पत्तन न्यास	1	3648
21.	दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम, दिल्ली	1	78009
22.	भिलाई इस्पात संयंत्र	1	1200
23.	भारत कोयला लिमिटेड (प.ब.)	1	231832
24.	सी.एम.ए.एल.-डी.एल.	1	348
25.	झांजरा भिलाई इस्पात संयंत्र	1	906
26.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	3	59427
27.	आन्ध्रा प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	1	47476
28.	भारतीय हेलीकॉप्टर निगम	1	672356
29.	कृषको वर्षा कृषि एवं पूर्वी एवं पश्चिमी घाट परियोजना	2	7079
30.	जिला गरीबी प्रारम्भिक परियोजना	1	14630
31.	भारत सरकार विनिवेश आयोग	1	17805
योग			2359534

परिशिष्ट II- ड
(पैराग्राफ 2.13.2 के संदर्भ में)
ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

(₹ हजार में)

क्र. सं.	लेखे का शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)	31.3.2010 को शेष	अवधि जबसे शेष प्रतिकूल हुए
विवरणी सं. 13			
1.	8115.00.101 मूल्यहास आरक्षित निधि-रेलवे वाणिज्यिक रेखाएं	डेबिट 24377858	2009-10
2.	8117.00.101 रेलवे विकास निधि-वाणिज्यिक रेखाएं	डेबिट 7792829	2009-10
3.	8121.00.103 रेलवे पेंशन निधि – वाणिज्यिक रेखाएं	डेबिट 11257942	2009-10
4.	8121.00.108 स्टाफ लाभ निधि (रेलव सामरिक रेखाएं)	डेबिट 2462	2009-10
5.	8229.00.200 अन्य विकास एवं कल्याण निधि	डेबिट 1479005	2007-08
6.	8231.00.102 रेल सुरक्षा निधि (सामरिक)	डेबिट 1	2004-05
7.	8336.00.101 प्रतिभूति जमा	डेबिट 6098	2007-08
8.	8443.00.111 अन्य विभागीय जमा	डेबिट 848125	2006-07
9.	8445.00.104 रेल जमा- ट्रस्ट ब्याज लेखा	डेबिट 198265	2005-06
10.	8445.00.800 रेल जमा- अन्य जमा	डेबिट 1124688	2005-06
11.	8446.00.800 डाक जमा- अन्य जमा	डेबिट 165644	2005-06
12.	8448.00.102 स्थानीय निधियों का जमा-नगरपालिका निधियां	डेबिट 3	2007-08
13.	8448.00.104 स्थानीय निधियों का जमा-भारतीय बीमा संघ की निधियां	डेबिट 291	1976-77 से पूर्व
14.	8451.00.101 भोपाल गैस रिसाव विपदा सहायता निधि- दावे एवं राहत निधि	डेबिट 9296337	2005-06
15.	8451.00.102 भोपाल गैस रिसाव विपदा सहायता निधि- दावे एवं राहत निधि निवेश लेखा	क्रेडिट 9202162	2005-06
16.	8550.00.101 सिविल पेशारी- वन पेशागी	क्रेडिट 9344	1995-96
17.	8670.00.110 इलेक्ट्रॉनिक सज्जापन	डेबिट 409057	2008-09

परिशिष्ट II- ड
(पेराग्राफ 2.13.2 के संदर्भ में)
ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

(₹ हजार में)

क्र. सं.	लेखे का शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)		31.3.2010 को शेष	अवधि जबसे शेष प्रतिकूल हुए
18.	8671.00.104	विभागीय शेष-रक्षा	क्रेडिट 41438	2004-05
	विवरणी सं. 14			
19.	6002-207	यूरोपियन आर्थिक समुदाय से कर्जे	डेबिट 552932	2000-01
20.	6002-208	फ्रांस सरकार से कर्जे	डेबिट 19721779	2000-01
21.	6002-226	अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण सं.सा.अ. से कर्जे	डेबिट 29729759	1995-96
22.	6002-227	पी.एल. -480 परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा क्रेडिटों के अंतर्गत सं.सा.अ. सरकार से ऋण	डेबिट 12761314	1995-96
23.	8013-01-101	सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों हेतु जमा योजना, 1989	डेबिट 620407	2007-08
	विवरणी सं. 15			
24.	6202.01.203	विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा	क्रेडिट 1568	2004-05
25.	6215.02.800	अन्य कर्जे	क्रेडिट 16936	2001-02
26.	6216-80-190	लोक क्षेत्र एवं अन्य उपकरणों को कर्जे	क्रेडिट 2	2008-09
27.	6225.01.800	अन्य कर्जे	क्रेडिट 829	1994-95
28.	6245.01.101	निःशुल्क सहायता	क्रेडिट 830	1986-87
29.	6245.02.101	निःशुल्क सहायता	क्रेडिट 2157	1997-98
30.	6402.102	भू-संरक्षण	क्रेडिट 7354	1995-96
31.	6402.203	भूमि उद्धार एवं विकास	क्रेडिट 592	2007-08
32.	6404.800	अन्य कर्जे	क्रेडिट 4099161	2004-05
33.	6405.106	मत्स्य शिल्प का यंत्रीकरण	क्रेडिट 405	2006-07
34.	6425.108	अन्य सहकारिताओं को कर्जे	क्रेडिट 3842580	2003-04
35.	6515.102	सामुदायिक विकास	क्रेडिट 65	1986-87
36.	6801.201	हाइडल उत्सर्जन	क्रेडिट 3068415	2004-05
37.	6801.205	ट्रांसमिशन एवं संवितरण	क्रेडिट 897583	2005-06
38.	6851.102	लघु उद्योग	क्रेडिट 3120	2006-07
39.	6857.01.190	लोक क्षेत्र एवं अन्य उद्यमों को कर्जे	क्रेडिट 335320	2006-07

परिशिष्ट II- ऊ
(पैराग्राफ 2.13.2 के संदर्भ में)
ऋण, जमा एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

(₹ हजार में)

क्र. सं.	लेखे का शीर्ष (मुख्य/लघु शीर्ष)	31.3.2010 को शेष	अवधि जबसे शेष प्रतिकूल हुए
40	7052.02.101	एस.डी.एफ.सी. को कर्जे	क्रेडिट 2941224 2002-03
41.	7425.800	अन्य कर्जे	क्रेडिट 3074 2005-06
राज्य सरकारों को कर्जे एवं पेशगियाँ			
42.	7601.07	कर्नाटक	क्रेडिट 4805 2006-07
43.	7601.07	केरल	क्रेडिट 1213 2006-07
विदेशी सरकारों को पेशगी			
44.	7605.052	तुर्कमानिस्तान सरकार को कर्जे	क्रेडिट 1,23,35 2008-09
45.	7605.053	क्रीरिंगस्तान सरकार को कर्जे	क्रेडिट 305 2007-08
46.	7605.058	उजबेकिस्तान सरकार को कर्जे	क्रेडिट 123161 2007-08
सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्जे			
47.	7610.203	अन्य वाहनों की खरीद हेतु पेशगी	क्रेडिट 48498 2004-05
विवरणी सं. 16			
48.	8001-00-103	मियादी एवं सावधि जमा	डेबिट 48 2005-06
49.	8002-00-101	डाकघर प्रमाण-पत्र	डेबिट 1505353 1999-2000
50.	8002-00-103	खजाना बचत जमा प्रमाणपत्र	डेबिट 6962 1976-77
51.	8002-00-105	बैंक श्रेखला	डेबिट 189 2007-08

परिशिष्ट II- च

(पैराग्राफ 2.13.2 के संदर्भ में)

(i) चयनित प्र.ले.का. में प्रतिकूल शेषों की सूची

(₹ हजार में)

विभाग का नाम	क्र. सं.	लेखे का शीर्ष	राशि
नियंत्रक सहायता लेखे एवं लेखापरीक्षा	1.	6002- बाह्य ऋण 207- इ.इ.सी.	552932 डेबिट
	2.	6002- बाह्य ऋण 208- फ्रांस	19722406 डेबिट
	3.	6002- बाह्य ऋण 226- यू.एस.ऐड	29729759 डेबिट
	4.	6002- बाह्य ऋण 227- यू.एस.ए. पी.एल. 480	12761314 डेबिट
	कुल 6002- बाह्य ऋण (क्र. सं. 1 से 4)		62,76,64,11
आर्थिक कार्य विभाग	5.	7052-02-101-जहाजरानी - तटीय जहाजरानी हेतु ऋण - एस.डी.एफ.सी. को कर्ज	2941224 क्रेडिट
	6.	7605-विदेशी सरकार को पेशगी- 052 तुकमेनिस्तान	12336 क्रेडिट
	7.	7605- विदेशी सरकार को पेशगी-053 खिरस्तान	305 क्रेडिट
	8.	7605- विदेशी सरकार को पेशगी-058 उजबेकिस्तान	123161 क्रेडिट
	9.	8002-बचत प्रणालपत्र -104-खका बचत प्रमाणपत्र	95 डेबिट
	10.	8112-विशेष जमा एवं लेखे -117-भारतीय यूनिट ट्रस्ट का जमा	808 डेबिट
	11.	8013-अन्य जमा एवं लेखे -101-सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों हेतु जमा योजना, 89	619979 डेबिट
	12.	8342-अन्य जमा -117- सरकारी कर्मचारियों हेतु परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	2475 डेबिट
	13.	8342-अन्य जमा -120-विविध जमा	1090203 डेबिट
	14.	8443- सिविल जमा -103-प्रतिभूति जमा	3741 डेबिट
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	15.	8342-अन्य जमा -117- सरकारी कर्मचारियों हेतु परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	5699 डेबिट
सी.बी.डी.टी.	16.	7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्ज -203-अन्य वाहन के क्रय हेतु पेशगी	872 क्रेडिट
वि.मं.	17.	7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्ज -202-मोटर वाहन के क्रय हेतु पेशगी	655 क्रेडिट
	18.	8443- सिविल जमा -113-विदेशों आदि में क्रय हेतु जमा	193987 डेबिट

परिशिष्ट II- च

(पैराग्राफ 2.13.2 के संदर्भ में)

(i) चयनित प्र.ले.का. में प्रतिकूल शेषों की सूची

(₹ हजार में)

19.	8443- सिविल जमा -117-लोक निकायों या निजी व्यक्तियों हेतु किए गए कार्य हेतु जमा	260257 डेबिट
-----	--	--------------

(ii) प्र.ले.का. में अवलोकित किए गए परंतु समेकित वित्त लेखे में प्रदर्शित न किए गए प्रतिकूल शेष

(₹ हजार में)

विभाग का नाम	क्र. सं.	लेखे का शीर्ष	राशि
आर्थिक कार्य मंत्रालय	1	8002-बचत प्रमाणपत्र 104-रक्षा बचत प्रमाणपत्र	95 डेबिट
	2	8002-बचत प्रमाणपत्र 117-भारतीय यूनिट द्रस्ट का जमा	808 डेबिट
	3	8342-अन्य जमा 117- सरकारी कर्मचारियों हेतु परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	2475 डेबिट
	4	8342-अन्य जमा 120- विविध जमा	1090203 डेबिट
	5	8443- सिविल जमा 103-प्रतिभूति जमा	3741 डेबिट
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	6	8342.00.117- सरकारी कर्मचारियों हेतु परिभाषित अंशदान पेंशन योजना	5699 डेबिट
विदेश मंत्रालय	7	7610.00.202- मोटर वाहन के क्रय हेतु अग्रिम	655 क्रेडिट
	8	8443.00.113- विदेशों में क्रय हेतु जमा आदि	193987 डेबिट
	9	8443.00.117- लोक निकायों या निजी व्यक्तियों हेतु किए गए कार्य हेतु जमा	260257 डेबिट

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ. सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट -V -क
(पैराग्राफ 5.1 के संदर्भ में)
संघ सरकार की कुल देयता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आंतरिक ऋण	बाह्य ऋण		लोक लेखा*			कुल देयता	
		ऐतिहासिक दर पर	वर्तमान दर पर	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	आरक्षित निधि एंव जमा	ऐतिहासिक दर पर	वर्तमान दर पर	
2002-03	1020689	59612	196068	251293	80126	1411720	1548176	
2003-04	1141706	46125	184203	241349	92376	1521556	1659634	
2004-05	1275971	60877	191271	263048	92989	1692885	1823279	
2005-06	1389758	94243	194199	275380	109462	1868843	1968799	
2006-07	1544975	102716	201233	307546	131295	2086532	2185049	
2007-08	1799651	112031	210104	339815	126787	2378284	2476357	
2008-09	2019841	123046	264059	427553	128682	2699122	2840135	
2009-10	2316281	134083	249306	475884#	119453#	3045701	3160924	

* 1999-2000 से लोक लेखा देयताएँ विशेष राज्य सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किए की सीमा तक लघु बचतों के कारण देयताओं को सम्प्रिलित नहीं करती।

31.3.2010 को, लोक लेखा देयताएँ ₹ 10,67,541 करोड़ थी जिसमें 2007-08 से विशेष राज्य सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किए ₹ 4,82,762 करोड़ तथा आई.आई.एफ.सी.एल. में निवेश किए ₹ 1,500 करोड़ सम्प्रिलित हैं।

≡

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट -V -ख
(पैराग्राफ 5.6 के संदर्भ में)
अप्रयुक्त बाह्य सहायता-क्षेत्र-वार

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्तमान दर पर अप्रयुक्त बाह्य सहायता
1.	ऊर्जा	7958.87
2.	सड़के	11617.47
3.	सामाजिक	1571.93
4.	शहरी विकास	23882.75
5.	जल संसाधन प्रबंधन	7195.09
6.	परमाणु ऊर्जा	3910.62
7.	कृषि एवं ग्रामीण विकास	9557.49
8.	पर्यावरण एवं वन	3770.98
9.	अवसंरचना क्षेत्र (सामान्य)	5492.86
10.	अन्य	208.91
11.	अवसंरचना क्षेत्र (रेलवे)	5201.61
12.	संरचना समायोजन/तीव्र संवितरण	9077.58
13.	स्वास्थ्य	4864.68
14.	उद्योग एवं वित्त	607.18
15.	ऊर्जा क्षेत्र (सामान्य)	1475.82
16.	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	8944.7
	योग	105338.54

परिशिष्ट-VI- क
(पैराग्राफ 6.4 के संदर्भ में)
अनुमोदन तथा संवितरण

(₹ करोड़ में)

संवितरणों का प्रकार	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	बचत
क - सिविल					
दत्तमत					
I. राजस्व	667429.75	81044.43	748474.18	715761.17	32713.01
II. पूंजीगत	52991.56	17953.12	70944.68	43030.69	27913.99
III. कर्ज एवं पेशगियां	8666.78	2620.60	11287.38	9666.47	1620.91
योग	729088.09	101618.15	830706.24	768458.33	62247.91
प्रभारित					
IV. राजस्व	268466.75	49.10	268515.85	255594.04	12921.81
V. पूंजीगत	42.17	1.10	43.27	32.85	10.42
VI. लोक ऋण	1880843.21	1367361.86	3248205.07	3085791.90	162413.17
VII. कर्ज एवं पेशगियां	6642.00	2200.00	8842.00	7835.01	1006.99
योग	2155994.13	1369612.06	3525606.19	3349253.80	176352.39
कुल योग	2885082.22	1471230.21	4356312.43	4117712.13	238600.30
संवितरण की कटौती में वसूलियां			131849.43	122738.76	(-) 9110.67
कुल निवल प्रावधान			4224463.00		
कुल निवल संवितरण				3994973.37	
ख - डाक					
दत्तमत					
I. राजस्व	12090.10	432.57	12522.67	13344.83	(+) 822.16
II. पूंजीगत	388.80	0.01	388.81	261.62	127.19
योग	12478.90	432.58	12911.48	13606.45	(+) 694.97
प्रभारित					
III. राजस्व	0.10	4.03	4.13	2.11	2.02
IV. पूंजीगत		0.10	0.10	0.04	0.06
योग	0.10	4.13	4.23	2.15	2.08
कुल योग	12479.00	436.71	12915.71	13608.60	(+) 692.89
संवितरण की कटौती में वसूलियां			322.00	438.94	116.94
कुल निवल प्रावधान			12593		
कुल निवल संवितरण				13169.66	

परिशिष्ट-VI- क
(पैराग्राफ 6.4 के संदर्भ में)
अनुमोदन तथा संवितरण

(₹ करोड़ में)

संवितरणों का प्रकार	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपुरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	बचत
ग- रक्षा सेवाएं					
दत्तमत					
I. राजस्व	90847.25	2732.87	93580.12	94645.46	(+)1065.34
II. पूँजीगत	54779.62	-	54779.62	51019.42	3760.20
योग	145626.87	2732.87	148359.74	145664.88	2694.86
प्रभारित					
III. राजस्व	23.41	5.96	29.37	23.21	6.16
IV. पूँजीगत	44.38	65.77	110.15	92.95	17.20
योग	67.79	71.73	139.52	116.16	23.96
कुल योग	145694.66	2804.60	148499.26	145781.04	2718.22
संवितरण की कटौती में वसूलियां			334.72	292.32	
कुल निवल प्रावधान			148164.54		
कुल निवल संवितरण				145488.72	
घ-रेलवे					
दत्तमत	167186.38	5999.23	173185.61	165009.64	8175.97
प्रभारित	139.50	42.71	182.20	192.53	(+)10.33
योग	167325.88	6041.94	173367.81	165202.17	8165.64
व्यय की कटौती में वसूलियां			61858.02	59062.04	
कुल निवल प्रावधान			111509.79		
कुल निवल संवितरण				106140.13	
योग	दत्तमत	1054380.24	110782.83	1165163.07	1092739.30
भा.स.नि.	प्रभारित	2156201.52	1369730.63	3525932.14	3349564.64
भा.स.नि.	कुल योग		1480513.46	4691095.21	4442303.94
व्यय की कटौती में कुल वसूलियां			194364.17	182532.06	11832.11
विनियोग लेखे (भा.स.नि.) के अनुसार कुल व्यय				4260071.88	
वित्त लेखे के आंकड़ों के साथ भिन्नता					0.01
वित्त लेखे के अनुसार भा.स.नि. से कुल संवितरण					4260071.89

टिप्पणी: अनुदानों की मांगों में, प्रभारित संवितरण का प्रावधान विनियोग कहलाता है और दत्तमत संवितरण में, यह अनुदान कहलाता है।

भा.स.नि.: भारत की समेकित निधि

परिशिष्ट-VI-ख
(पैराग्राफ 6.6 के संदर्भ में)
अनुदानों/विनियोगों में निवल बचत

(₹ करोड़ में)

प्रभावित अनुदान तथा विनियोग	अव्ययित प्रावधान		आधिक्य		निवल बचत	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
क - सिविल						
दत्तमत	41931.90	29534.90	9218.89	-	32713.01	29534.90
अनुदानों की संख्या	88	72	4	-		
प्रभारित		163430.5				
	12921.81	8	-	-	12921.81	163430.58
विनियोगों की संख्या	35	10	-	-		
ख - डाक						
दत्तमत	-	127.19	822.16	-	(+) 822.16*	127.19
अनुदानों की संख्या		1	1	-		
प्रभारित	2.02	0.06	-	-	2.02	0.06
विनियोगों की संख्या	1	1	-	-		
ग - रक्षा सेवाएं						
दत्तमत	1549.28	3760.20	2614.62	-	(+)1065.34*	3760.20
अनुदानों की संख्या	3	1	2	-	-	-
प्रभारित	6.76	17.20	0.60	-	6.16	17.20
विनियोगों की संख्या	4	1	1	-	-	-
घ-रेलवे						
दत्तमत	4577.45	5505.69	1907.17	-	2670.28	5505.69
अनुदानों की संख्या	7	1	8	-		
प्रभारित	3.31	8.80	19.08	3.36	(+)15.77*	5.44
विनियोगों की संख्या	8	1	3	1		

* आधिक्य

परिशिष्ट-VI-ग

(पैराग्राफ 6.7 के संदर्भ में)

सिविल मंत्रालयों/ विभागों के अंतर्गत प्रभारित तथा दत्तमत संवितरणों का समानुपात

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	अनुमोदन			संवितरण			प्रतिशतता	
		दत्तमत	प्रभारित	योग	दत्तमत	प्रभारित	योग	दत्तमत	प्रभारित
1.	1998-99	139083	504105	643188	139488	468679	608167	23	77
2.	1999-2000	157780	512075	669855	148642	453196	601838	25	75
3.	2000-01	173677	530530	704207	160753	405289	566042	28	72
4.	2001-02	218136	481679	699815	201574	473950	675524	30	70
5.	2002-03	230649	547152	777801	213833	504119	717952	30	70
6.	2003-04	254328	564275	818603	231100	599889	830989	28	72
7.	2004-05	278555	703835	982390	252254	724942	977196	26	74
8.	2005-06	330051	1193138	1523189	301269	1288817	1590086	19	81
9.	2006-07	449178	1635986	2085164	415785	1670413	2086198	20	80
10.	2007-08	551115	1894750	2445865	519214	1818879	2338093	22	78
11.	2008-09	780316	2440552	3220868	744116	2404957	3149073	24	76
12.	2009-10	830706	3525606	4356312	768458	3349254	4117712	19	81

परिशिष्ट-VII-क
(पैरोग्राफ 7.3 के संदर्भ में)

निधि के उपयुक्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण

(₹ दो करोड़ और उससे अधिक)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	(₹ करोड़ में)
सिविल		अंतिम आधिक्य व्यय		
2-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग				
1.	2415.01.150.05-कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 के अंतर्गत उपकर की निवल प्राप्ति का भुगतान	मू. पु.	10.00 (-) 7.55	4.90 2.45
4-परमाणु ऊर्जा				
2.	2852.09.202.01-ईधन निर्माण सुविधा	मू. अ. पु.	696.75 265.72 (-) 3.00	967.70 8.23
11-वाणिज्य विभाग				
3.	3453.00.102.01-व्यापार आयुक्त	मू. पु.	98.58 (-) 5.93	98.72 6.07
14-दूरसंचार विभाग				
4.	3451.00.091.03- टैलिमेटिक्स के विकास हेतु केन्द्र	मू. पु.	265.00 (-) 175.00	100.00 10.00
5.	2071.01.101.01- साधारण पेंशन	मू. अ. पु.	1045.00 160.67 143.82	1493.92 144.43
6.	2071.01.105.02- परिवार पेंशन	मू. अ.	189.25 63.85	277.12 24.02
19-संस्कृति मंत्रालय				
7.	2205.00.105.01- राष्ट्रीय पुस्तकालय - कोलकाता	मू. पु.	39.50 (-) 10.71	35.26 6.47
8.	4202.04.106.01- भवन	मू. अ. पु.	5.00 4.67 (-) 4.88	7.13 2.34
20 - रक्षा मंत्रालय				
9.	2037.00.102.06- तटरक्षक संगठन	मू. पु.	604.37 (-) 0.01	621.08 16.72
10.	2055.00.104.02 -जम्मू एवं कश्मीर लाइट इनफैट्री के संबंध में प्रदत्त प्रभार	मू. अ. पु.	549.93 12.14 6.37	717.95 149.51
21-रक्षा पेंशन				
11.	2071.02.101.01-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ	मू. अ. पु.	19113.61 3327.29 (-) 46.81	30569.31 8175.22

परिशिष्ट-VII-क
(पैराग्राफ 7.3 के संदर्भ में)

निधि के उपयुक्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण
(₹ दो करोड़ और उससे अधिक)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	प्रावधान	(₹ करोड़ में)	
			वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
12.	2071.02.102.01- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ	मू. अ. पु.	635.33 87.73 39.55	1088.35 325.74
13.	2071.02.103.01- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ	मू. अ. पु.	1345.64 215.91 (-)1.15	2122.06 561.66
31- विदेश मंत्रालय				
14.	2061.00.101.01- प्रबंधन एवं स्थापना	मू. पु.	1246.32 41.72	1375.91 87.87
15.	2061.00.798.03-संयुक्त राष्ट्र संगठन	मू. पु.	118.59 (-) 17.73	104.56 3.70
16.	3605.00.101.10- भूटान को सहायता	मू. अ. पु.	961.00 8.00 103.10	1119.72 47.62
17.	3605.00.101.11- नेपाल को सहायता	मू. पु.	238.00 (-) 88.00	161.14 11.14
18.	3605.00.101.17- आई.टी.ई. सी. कार्यक्रम	मू. पु.	70.00 15.00	94.61 9.61
19.	4216.01.700.18- विदेशी कार्य	मू. पु.	125.00 (-) 45.00	83.19 3.19
34- विनियोग - ब्याज भुगतान				
20.	2049.01.103.01- खजाना बिल - 91 दिवसीय खजाना बिलों पर छूट	मू. पु.	4350.00 (-) 1809.00	2623.35 82.35
21.	2049.01.108-182 दिवसीय खजाना बिल	मू. पु.	1400.00 (-) 598.00	830.23 28.23
22.	2049.01.110- 364 दिवसीय खजाना बिलों पर ब्याज	मू. पु.	2800.00 (-)1076.00	1775.60 51.60
23.	2049.01.115-अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज	मू. पु.	405.00 (-) 3.00	430.92 28.92
24.	2049.01.200.03- क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	मू. पु.	4897.94 (-) 236.92	4724.27 63.25
25.	2049.02.216- आई.बी.आर.डी. से ऋणों पर ब्याज	मू. पु.	1000.34 (-) 429.92	572.46 2.04
26.	2049.03.104.01-सामान्य भविष्य निधि	मू. पु.	4080.43 (-) 431.82	3710.24 61.63
27.	2049.03.104.04- राज्य रेलवे भविष्य निधि	मू. पु.	1241.15 126.74	1392.58 24.69

परिशिष्ट-VII-क
(पैराग्राफ 7.3 के संदर्भ में)

निधि के उपयुक्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण
(₹ दो करोड़ और उससे अधिक)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय	(₹ करोड़ में)
28.	2049.03.104.02-अन्य राज्य भविष्य निधि	मू. पु.	1332.27 35.17	1546.21	178.77
29.	2049.03.110.01- भारतीय पदों के असंवितरित वेतन हेतु बोनस	मू. पु.	90.19 79.14	301.70	132.37
30.	2049.05.103-रेलवे विकास निधि पर व्याज	मू. पु.	138.29 (-) 27.94	122.36	12.01
35-राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण					
31.	2245.80.103.01-गंभीर प्राकृतिक आपदा हेतु एन.सी.सी.एफ. से राज्य को सहायता	मू. अ. पु.	2500.00 1200.00 (-) 1098.48	3261.52	660.00
37-ऋण का पुनर्भुगतान					
32.	6001.00.103.01-91 दिवसीय खजाना विल (प्रभारित)	मू. अ.	173548.00 130001.00	305549.00	2000.00
33.	6001.00.106.30- 8% बचज बंधपत्र, 2003 (प्रभारित)	मू. पु.	6377.00 (-)157.48	6405.58	186.06
34.	6001.00.108-182 दिवसीय खजाना विल (प्रभारित)	मू. अ.	38034.00 2516.00	41550.00	1000.00
39-पेशन					
35.	2071.01.101.01- साधारण पेशन	मू. अ. पु.	5720.08 3374.00 (-) 18.04	9488.67	412.63
49-भारी उद्योग विभाग					
36.	4858.60.190.05-उपकरण विनियोग में निवेश	मू. अ. पु.	2.32 0.02 5.00	45.68	38.34
53-पुलिस					
37.	4055.00.203.01-महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल	मू. अ. पु.	819.26 0.09 104.80	932.95	8.80
38.	4055.00.203.02-भारत तिब्बत सीमा पुलिस	मू. अ. पु.	227.35 0.02 (-) 2.53	260.13	35.29
54-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय					
39.	2235.60.107.03-केन्द्रीय सरकार पेशन	मू. पु.	550.00 114.00	825.01	161.01
64-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय					
40.	2851.00.200.16-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	मू. पु.	547.80 (-)140.17	409.68	2.05
73-योजना मंत्रालय					

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट-VII-क
(पैराग्राफ 7.3 के संदर्भ में)

निधि के उपयुक्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण

(₹ दो करोड़ और उससे अधिक)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय		(₹ करोड़ में)
			अंतिम	अधिक्य व्यय	
41.	3475.00.800.52- योजना हेतु 50 वर्षीय पहल	मू. पु.	30.71 (-) 27.77	9.84	6.90
42.	5475.00.800.14-कार्यालयी प्रणाली का आधुनिकीकरण	मू. पु.	13.00 (-) 5.84	9.18	2.02
87-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय					
43.	3054.02.337.05-सीमा सड़क स्कंध द्वारा अनुरक्षण	मू.	96.97	99.47	2.50
44.	3601.01.821.02- बी.आर.डी.बी. के अंतर्गत सड़क कार्य	मू. पु.	1618.01 (-) 467.01	1173.27	22.27
45.	3601.01.821.04- सुरक्षा विस्तार पर व्यय	मू.	34.11	42.94	8.83
95 - अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह					
46.	5054.03.337.01 - अण्डमान प्रधान मार्ग	मू. पु.	13.50 4.90	21.10	2.70
100-शहरी विकास विभाग					
47.	2216.05.053.01- आवासीय भवनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	मू. पु.	276.50 17.48	297.19	3.21
48.	2216.05.053.02-निर्माण	मू. पु.	16.00 (-) 6.00	13.58	3.58
49.	2217.05.191.04-जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नदीकरण मिशन	मू. पु.	15.00 (-) 9.00	8.73	2.73
103-जल संसाधन मंत्रालय					
50.	3451.00.090.16- जल संसाधन मंत्रालय	मू. पु.	21.00 2.00	27.51	4.51
51.	2701.80.000.01-केन्द्रीय जल आयोग	मू. पु.	23.00 0.25	25.57	2.32
52.	2701.80.002.01- केन्द्रीय जल आयोग	मू. अ.	69.22 2.96	82.02	9.84
53.	2701.80.004.01-राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	मू.	5.30	10.04	4.74
54.	2701.80.004.03-केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान	मू. पु.	31.50 1.80	43.25	9.95
55.	2701.80.006.01- केन्द्रीय जल आयोग	मू. पु.	21.90 0.45	26.35	4.00
56.	2702.02.005.01-केन्द्रीय भू-जल बोर्ड	मू. पु.	95.00 8.11	108.81	5.71

परिशिष्ट-VII-क
(पैराग्राफ 7.3 के संदर्भ में)

निधि के उपयुक्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण
(₹ दो करोड़ और उससे अधिक)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	(₹ करोड़ में) अंतिम आधिक्य व्यय
57.	2711.01.800.01- केन्द्रीय जल आयोग	मू. पु.	55.00 5.00	65.35 5.35
डाक विभाग				
	13 - डाक सेवाएं			
58.	3201.01.101.01-परिमण्डल कार्यालय	मू. अ. पु.	147.76 0.45 36.79	189.34 4.34
59.	3201.01.101.03- डाक प्रभाग (दत्तमत)	मू. अ. पु.	292.60 1.66 39.82	346.38 12.30
60.	3201.02.101.01- विधमान डाकघर	मू. अ. पु.	4224.31 136.39 123.16	4731.67 247.81
61.	3201.02.101.10-ग्रामीण डाक सेवक	मू. पु.	2072.84 (-) 406.58	1829.67 163.41
62.	3201.02.101.04- प्रीमियम उत्पाद सेवाएं	मू. पु.	87.88 (-) 1.95	88.87 2.94
63.	3201.02.102.02- ग्रामीण डाक सेवक पत्रवाहक	मू. पु.	32.00 0.75	39.88 7.13
64.	3201.02.103.06- अन्य	मू. पु.	136.04 11.46	153.47 5.97
65.	3201.02.104.05- अन्य मर्दे	मू. पु.	100.00 (-) 100.00	65.24 65.24
66.	3201.02.104.08- वार्षिक अनुरक्षण	मू. पु.	27.00 (-) 15.00	17.49 5.49
67.	3201.03.101.08- डाक जीवन बीमा शाखा परिमण्डल कार्यालय	मू. पु.	50.60 5.91	58.59 2.08
68.	3201.04.101.01-लेखापरीक्षा स्टाफ के वेतन एवं भत्तों की लागत	मू. पु.	60.00 7.96	71.38 3.42
69.	3201.04.102.02-डाक लेखा कार्यालय परिमण्डल	मू. अ. पु.	220.21 2.07 10.72	276.14 43.14
70.	3201.05.053.03- भवन स्थापना	मू. पु.	29.94 3.06	36.74 3.74
71.	3201.06.101.05- के.स.स्वा.से. योजना के अंतर्गत भुगतान	मू. पु.	17.40 0.10	20.34 2.84

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट-VII-क
(पैराग्राफ 7.3 के संदर्भ में)

निधि के उपयुक्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण

(₹ दो करोड़ और उससे अधिक)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय		(₹ करोड़ में)
			अंतिम आधिक्य व्यय		
72.	3201.07.101.01- सेवा निवृत्त एवं सेवा-निवृत्त भत्ते	मू. अ. पु.	1237.00 13.00 7.00	1519.14	262.14
73.	3201.07.101.03- पहले के संयुक्त डाक एवं दूरसंचार विभाग के पेंशन भोगियों को भुगतान	मू.	0.00	13.36	13.36
74.	3201.07.102 -पेंशन रूपान्तरित मूल्य	मू. अ. पु.	350.00 130.00 (-) 57.00	447.33	24.33
75.	3201.07.104- उपदान	मू. अ. पु.	370.00 80.00 (-) 23.00	458.70	31.70
76.	3201.07.108- अवकाश नकदीकरण लाभ	मू. अ. पु.	150.00 10.00 9.00	182.15	13.15
77.	3201.07.110- परिभाषित नई पेंशन योजना हेतु सरकारी अंशदान	मू. अ. पु.	13.00 2.00 9.00	34.31	10.31
78.	3201.60.102 – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम	मू.	6.00	9.05	3.05
79.	5201.00.104- डाक सेवाओं (दत्तमत) का यंत्रीकरण एवं आधुनिकीकरण (दत्तमत)		111360.25 (-) 160.23	241.24	41.22

रक्षा सेवाएं

22-रक्षा सेवाएं - थल सेना

80.	2076.00.101- थल सेना के वेतन एवं भत्ते	मू.	33125.80	36191.25	3065.45
81.	2076.00.103 – मुख्य बलों के वेतन एवं भत्ते तथा विविध व्यय	मू.	686.78	704.98	18.20

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट-VII-क
(पैराग्राफ 7.3 के संदर्भ में)

निधि के उपयुक्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण
(₹ दो करोड़ और उससे अधिक)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	(₹ करोड़ में)
			अंतिम आधिक्य व्यय	
82.	2076.00.104 – असेनिकों के मू वेतन एवं भत्ते	2961.13	3132.27	171.14
83.	2076.00.105- परिवहन मू	1468.20	1791.54	323.34
84.	2076.00.106-मिलिट्री फोरम मू	215.13	218.52	3.39
85.	2076.00.107–सेवानिवृत्त मू सेनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना	690.00	891.96	201.96
86.	2076.00.109– निरीक्षण मू संस्था	557.96	609.13	51.17
23 –रक्षा सेवाएं - जल सेना				
87.	2077.00.101-जल सेना के मू वेतन एवं भत्ते अ.	1600.00 733.32	2656.90	323.58
88.	2077.00.104 – असेनिकों के मू वेतन एवं भत्ते	1249.80	1314.01	64.21
89.	2077.00.105 – परिवहन मू	225.00	232.54	7.54
26 – रक्षा सेवाएं – अनुसंधान एवं विकास				
90.	2080.00.101 – सेवा कार्मिकों मू के वेतन एवं भत्ते	156.69	220.34	63.65
91.	2080.00.102 – असेनिकों मू के वेतन एवं भत्ते	1440.69	1525.66	84.97
27 – रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय				
92.	4076.01.102 – भारी एवं मध्यम वाहन मू	831.80	1273.56	441.76
93.	4076.02.204 – नौ सेना बेड़ा मू	6840.81	7459.57	618.76
94.	4076.05.052–मशीनरी एवं उपकरण मू	3302.89	3802.26	499.37
गोग				21774.78

परिशिष्ट-VII-ख
(पैराग्राफ 7.4 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत ₹100 करोड़ अथवा उससे अधिक बचतों को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय/विभाग	बचत की राशि
सिविल		
राजस्व द्वा दत्तमत		
1.	1— कृषि और सहकारिता विभाग	155.13
2.	3— पशुपालन, डेरी कार्य तथा मत्स्यकी विभाग	333.09
3.	4— परमाणु ऊर्जा	150.80
4.	5— नाभिकीय विद्युत योजनाएं	417.46
5.	7— उर्वरक विभाग	550.56
6.	15— सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	883.56
7.	17— खाद्य एवं जन-वितरण विभाग	225.61
8.	31— विदेश मंत्रालय	279.72
9.	32— आर्थिक कार्य विभाग	308.66
10.	33— वित्तीय सेवाएं विभाग	1872.72
11.	35— राज्य एवं सं.शा.क्ष. सरकारों को अन्तरण	5708.01
12.	42— प्रत्यक्ष कर	158.13
13.	46— स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	603.64
14.	53— पुलिस	285.92
15.	56— आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	276.21
16.	57— स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	4767.74
17.	58— उच्चतर शिक्षा विभाग	1552.60
18.	59— सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	219.75
19.	60— श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	185.26
20.	62— विधि एवं न्याय	243.48
21.	64— सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपब्रह्म मंत्रालय	335.07
22.	69— पंचायती राज मंत्रालय	1003.89
23.	73— योजना मंत्रालय	334.23
24.	74— विद्युत मंत्रालय	2325.67
25.	80— ग्रामीण विकास विभाग	11142.92
26.	81— भू-संसाधन विभाग	380.57
27.	85— जैव प्रौद्योगिकी विभाग	117.46
28.	86— जहाजराजी विभाग	613.26
29.	87— सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	3098.99
30.	90— सांख्यिकी एवं कार्यव्रह्म कार्यान्वयन मंत्रालय	150.04
31.	92— कपड़ा मंत्रालय	298.08
32.	97— दादरा एवं नागर हवेली	718.58

परिशिष्ट-VII-ख
(ऐसाग्राफ 7.4 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत ₹100 करोड़ अथवा उससे अधिक बचतों को दर्शाती विवरणी
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय/विभाग	बचत की राशि
33.	98- दमन एवं दीयू	178.43
राजस्व - प्रभारित		
34.	34 -विनियोग - व्याज भुगतान	6996.56
35.	35 - राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अन्तरण	4800.00
36.	94- जनजातीय कार्य मंत्रालय	1112.65
पूंजीगत - दत्तमत		
37.	4- परमाणु ऊर्जा	109.10
38.	20- रक्षा मंत्रालय	424.64
39.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	129.44
40.	32-आर्थिक कार्य विभाग	12280.57
41.	33-वित्तीय सेवाएं विभाग	2075.00
42.	36-सरकारी कर्मचारी को ऋण आदि	120.14
43.	42-प्रत्यक्ष कर	608.70
44.	43-अप्रत्यक्ष कर	204.86
45.	44- विनिवेश विभाग	5379.90
46.	46 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	996.18
47.	49 - भारी उद्योग विभाग	168.05
48.	53 -पुलिस	2252.10
49.	57-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	500.00
50.	59- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	278.08
51.	74- विद्युत मंत्रालय	336.24
52.	86 - जहाजरानी विभाग	106.33
53.	87- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	1987.90
54.	89 - अन्तरिक्ष विभाग	764.67
पूंजीगत - प्रभारित		
55.	35 - राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को ऑंतरण	1000.94
56.	37 - विनियोग - ऋण की पुनःअदायगी	162413.18
रक्षा सेवाएं		
राजस्व द्वारा दत्तमत		
57.	24-रक्षा सेवाएं- वायु सेना	564.79
58.	25-रक्षा आयुध कारखाना	553.04
59.	26-रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास	431.46
पूंजीगत द्वारा दत्तमत		
60.	27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3760.20
डाक विभाग		
पूंजीगत- दत्तमत		

परिशिष्ट-VII-ख
(पैराग्राफ 7.4 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत ₹100 करोड़ अथवा उससे अधिक बचतों को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय/विभाग	बचत की राशि
61. 13- डाक सेवाएं		127.19
रेलवे		
राजस्व द्वारा दत्तमत		
62. 10-प्रचलनात्मक व्यय - ईंधन		150.25
63. 14- निधियों का विनियोग- डी.आर.एफ., डी.एफ., पी.एफ. तथा सी.एफ.		4301.51
पूंजीगत द्वारा दत्तमत		
64. 16 -सम्पत्ति- अधिग्रहण, निर्माण एवं प्रतिस्थापन -पूंजीगत		2020.71
65. 16 - सम्पत्ति - अधिग्रहण, निर्माण एवं प्रतिस्थान -रेलवे निधि		2815.59
66. 16 - सम्पत्ति - अधिग्रहण, निर्माण एवं प्रतिस्थान -रेलवे सुरक्षा निधि		649.98
योग		260295.19

परिशिष्ट-VII-g

(पैराग्राफ 7.5 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों की
विवरणी
(₹ करोड़ में)

अनुदान सं. तथा नियन्त्रक मंत्रालय/विभाग	वर्ष	वर्ष के दौरान बचतें
सिविल		
राजस्व (दत्तमत)		
5- नाभिकीय ऊर्जा योजनाएं	2007-08	709.46
	2008-09	520.94
	2009-10	417.46
15-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2007-08	238.62
	2008-09	257.57
	2009-10	883.56
17- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	2007-08	495.87
	2008-09	276.69
	2009-10	225.61
31-विदेश मंत्रालय	2007-08	164.43
	2008-09	185.62
	2009-10	279.72
33 - वित्तीय सेवाएं विभाग	2007-08	1224.47
	2008-09	922.66
	2009-10	1872.72
35 - राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	2007-08	1481.30
	2008-09	2662.90
	2009-10	5708.01
46 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2007-08	1467.46
	2008-09	1474.84
	2009-10	603.64
53 -पुलिस	2007-08	285.07
	2008-09	883.98
	2009-10	285.92
57 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	2007-08	2668.29
	2008-09	4906.88
	2009-10	4767.74
58-उच्चतर शिक्षा विभाग	2007-08	2952.13
	2008-09	185.14
	2009-10	1552.60
62 - विधि एवं न्याय	2007-08	309.78
	2008-09	159.84
	2009-10	243.48
64-सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	2007-08	103.14
	2008-09	136.36
	2009-10	335.07
69-पंचायती राज मंत्रालय	2007-08	1082.04
	2008-09	788.10
	2009-10	1003.89
74-विद्युत मंत्रालय	2007-08	576.21
	2008-09	252.86
	2009-10	2325.67

परिशिष्ट-VII-g
(पैराग्राफ 7.5 के संदर्भ में)
विभिन्न अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत ₹100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों की
विवरणी
(₹ करोड़ में)

अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय/विभाग	वर्ष	वर्ष के दौरान बचतें
86-जहाजरानी मंत्रालय	2007-08	210.92
	2008-09	252.46
	2009-10	613.26
87- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2007-08	335.62
	2008-09	171.02
	2009-10	3098.99
92- कपड़ा मंत्रालय	2007-08	147.35
	2008-09	276.59
	2009-10	298.08
राजस्व (प्रभारित)		
34 – विनियोग - व्याज भुगतान	2007-08	815.53
	2008-09	6321.66
	2009-10	6996.56
35 – राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	2007-08	3748.34
	2008-09	7233.77
	2009-10	4800.00
94- जनजातीय कार्य मंत्रालय	2007-08	150.53
	2008-09	230.10
	2009-10	1112.65
पूँजीगत (दत्तमत)		
20-रक्षा मंत्रालय	2007-08	493.83
	2008-09	438.12
	2009-10	424.64
33-वित्तीय सेवाएं विभाग	2007-08	3710.03
	2008-09	3071.96
	2009-10	2075.00
49-भारी उद्योग विभाग	2007-08	178.56
	2008-09	157.63
	2009-10	168.05
53 – पुलिस	2007-08	1788.67
	2008-09	2225.51
	2009-10	2252.10
86-जहाजरानी विभाग	2007-08	189.74
	2008-09	154.19
	2009-10	106.33
87- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	2007-08	175.79
	2008-09	400.07
	2009-10	1987.90
89-अंतरिक्ष विभाग	2007-08	205.85
	2008-09	715.71
	2009-10	764.67
डाक विभाग		
पूँजीगत (दत्तमत)		
डाक विभाग	2007-08	141.79

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेख-2009-10

परिशिष्ट-VII-g

(पैराग्राफ 7.5 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक निरन्तर बचतों की

विवरणी
(₹ करोड़ में)

अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय/विभाग	वर्ष	वर्ष के दौरान बचतें
	2008-09	182.31
	2009-10	127.19
रक्षा सेवाएं		
पूंजीगत (दत्तमत)		
26 – रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2007-08	4417.70
	2008-09	7081.13
	2009-10	3760.20

परिशिष्ट-VII-घ

(पैराग्राफ 7.7 के संदर्भ में)

उन मामलों के उदाहरण जिनमें बचत से अधिक की राशियाँ अभ्यर्पित की गई थीं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/ विनियोग	कुल बचत	अभ्यर्पित राशि
सिविल			
राजस्व – दत्तमत			
1.	14- दूरसंचार विभाग	87.82*	40.21
2.	31- विदेश मंत्रालय	279.72	314.66
3.	35 – राज्य एवं सं.शाक्षि. सरकारों को अन्तरण	5708.01	6358.02
4.	45- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	60.90	61.25
5.	49-भारी उद्योग मंत्रालय	79.39	79.63
6.	103-जल संसाधन मंत्रालय	50.66	63.26
पूँजीगत – दत्तमत			
7.	17-खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग	0.13	0.19
8.	19- संस्कृति मंत्रालय	22.88	23.40
9.	73-योजना मंत्रालय	27.47	29.05
डाक सेवाएं			
पूँजीगत – दत्तमत			
10.	13- डाक सेवाएं	127.25	164.14
रक्षा सेवाएं			
राजस्व – दत्तमत			
11.	22- रक्षा सेवाएं द्वारा थल सेना	2464.11**	838.33
12.	27-रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत व्यय	3760.20	3851.77

*87.82 करोड़ रु. का अधिक व्यय

**2464.11 करोड़ रु. का अधिक व्यय

परिशिष्ट VII-ड
(पैराग्राफ 7.8 के संदर्भ में)

उन मामलों के ब्यौरे जहाँ बचतों के मुख्य भाग 31 मार्च 2010 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	बचत की राशि	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2010 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
सिविल						
सिविल - राजस्व (दत्तमत)						
1.	1- कृषि एवं सहकारिता विभाग	155.13	118.08	118.08	76	37.05
2.	3-पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य-पालन विभाग	333.09	317.07	317.07	95	16.02
3.	17- खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग	225.61	223.88	223.88	99	1.73
4.	31- विदेश मंत्रालय	279.72	314.66 *	314.66	112	34.94*
5.	32- आर्थिक कार्य विभाग	308.66	213.38	213.38	69	95.28
6.	33- वित्तीय सेवा विभाग	1872.72	1868.29	1868.29	100	4.43
7.	35- राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	5708.01	6358.02*	6358.02	111	650.01*
8.	42-प्रत्यक्ष कर	158.13	95.45	95.45	60	62.68
9.	46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	603.64	363.78	363.78	60	239.86
10.	53- पुलिस	285.92	शून्य	शून्य	उ.न.	285.92
11.	56- आवासीय एवं शहरी गरीबी उप शमन मंत्रालय	276.21	268.77	268.77	97	7.44
12.	57- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	4767.74	4032.70	4032.70	85	735.04
13.	58- उच्चतर शिक्षा विभाग	1552.60	1369.76	1369.76	88	182.84
14.	59- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	219.75	214.00	214.00	97	5.75
15.	60- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	185.26	82.48	82.48	45	102.78
16.	62- विधि एवं व्यव्यय	243.48	180.03	180.03	74	63.45
17.	64- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	335.07	318.19	318.19	95	16.88
18.	73- योजना मंत्रालय	334.23	311.68	311.68	93	22.55

परिशिष्ट VII-ड
(पेराग्राफ 7.8 के संदर्भ में)

उन मामलों के ब्यौरे जहाँ बचतों के मुख्य भाग 31 मार्च 2010 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	बचत की राशि	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2010 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
19.	74-झविद्युत मंत्रालय	2325.67	2323.20	2323.20	100	2.47
20.	80-झग्गामीण विकास विभाग	11142.92	11139.37	11139.37	100	3.55
21.	81 - भू संसाधन विभाग	380.57	380.40	380.40	100	0.17
22.	85-झजैव प्रौद्योगिकी विभाग	117.46	114.40	114.40	97	3.06
23.	86 - जहाजरानी विभाग	613.26	545.86	545.86	89	67.40
24.	87 - सङ्क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	3098.99	2539.44	2539.44	82	559.55
25.	90-सांख्यकी एवं कार्यव्रद्धम कार्यान्वयन मंत्रालय	150.04	94.93	94.93	63	55.11
26.	92-कपड़ा मंत्रालय	298.08	276.77	276.77	93	21.31
27.	97-दावर एवं नागर ह्यैली	718.58	695.53	695.53	97	23.05
28.	98-दमन एवं दीव	178.43	176.92	176.92	99	1.51
राजस्व - प्रभारित						
29.	34 - विनियोग- व्याज भुगतान	6996.56	6744.65	6744.65	96	251.91
30.	35 - राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	4800.00	4800.00	4800.00	100	-
31.	94- जनजातीय कार्य मंत्रालय	1112.65	1112.65	1112.65	100	-
पूँजीगत (दत्तमत)						
32.	20-खास मंत्रालय	424.64	406.10	406.10	96	18.54
33.	28-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	129.44	129.39	129.39	100	0.05
34.	32-आर्थिक कार्य विभाग	12280.57	12279.77	12279.77	100	0.08
35.	33-वित्तीय सेवा विभाग	2075.00	2075.00	2075.00	100	-
36.	36-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि	120.14	88.81	88.81	74	31.33
37.	42- प्रत्यक्ष कर	608.70	608.29	608.29	100	0.41
38.	43 - अप्रत्यक्ष कर	204.86	171.32	171.32	84	33.54

परिशिष्ट VII-ड
(पैराग्राफ 7.8 के संदर्भ में)

उन मामलों के ब्यौरे जहाँ बचतों के मुख्य आग 31 मार्च 2010 को अभ्यर्पित किए गए थे तथा व्यपगत निधियों के ब्यौरे
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	बचत की राशि	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च 2010 को अभ्यर्पित राशि	बचतों की तुलना में 31 मार्च को अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता	अभ्यर्पित न की गई तथा व्यपगत राशि
39.	44 - विनिवेश विभाग	5379.90	5379.90	5379.90	100	-
40.	46 - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	996.18	966.03	966.03	100	0.15
41.	49 - भारी उद्योग विभाग	168.05	168.01	168.01	100	0.04
42.	53 - पुलिस	2252.10	1519.52	1519.52	67	732.58
43.	57 - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	500.00	500.00	500.00	100	-
44.	59 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	278.08	277.86	277.86	100	0.22
45.	74 - विद्युत मंत्रालय	336.24	333.59	333.59	99	2.65
46.	86 - जहाजरानी विभाग	106.33	102.25	102.25	96	4.08
47.	87 - सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	1987.90	1778.42	1778.42	89	209.48
पूँजीगत (प्रभारित)						
48.	35 - राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र सरकारों को अंतरण	1000.94	1000.94	1000.94	100	-
49.	37 - विनियोग-क्रृण की पुनःआदायगी	162413.18	4336.99	4336.99	2	158076.19
रक्षा सेवाएं						
राजस्व (दत्तमत)						
50.	26 - रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन	431.46	408.18	408.18	95	23.28
पूँजीगत (दत्तमत)						
51.	27 - रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3760.20	3851.77 *	3851.77	102	-

* अभ्यर्पित राशि बचतों से अधिक थी परन्तु आधिक्य के लिए गणना नहीं की गई थी क्योंकि अन्तिम व्यय अनुमोदित प्रावधान के अन्दर था।

परिशिष्ट VII-च

(पैराग्राफ 7.11 के संदर्भ में)

मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण भामले जो कि अनुपयोगिता के कारण अविवेकपूर्ण थे
(₹ एक करोड़ तथा अधिक की राशि के पुनर्विनियोग)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं..	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचतें
सिविल					
1.	1- कृषि एवं सहकारिता विभाग	2401-फसल पालन	2401.00.107.01-पौध सुख्ता बचाव एवं भण्डारण निदेशालय	2.40	3.36
2.	4-परमाणु ऊर्जा	3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3401.00.004.01-भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	4.30	37.26
3.	-वही -	4861-परमाणु ऊर्जा उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	4861.60.204.01-रेडियशन एवं आईसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड	3.85	5.32
4.	14-दूरसंचार विभाग	3275-अन्य संचार सेवाएं	3275.00.101.01-वायरलैस योजना एवं समन्वय	7.84	11.12
5.	16-उपभोक्ता कार्य विभाग	3456-सिविल आपूर्ति	3456.00.001.02-उपभोक्ता संरक्षण कक्ष	4.05	8.73
6.	19-संस्कृति मंत्रालय	2205-कला एवं संस्कृति	2205.00.107.20-बड़े शहरों में संग्रहालयों का आधुनिकीकरण	1.60	2.50
7.	20-रक्षा मंत्रालय	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	2052.00.092.03-रक्षा संपदा संगठन	1.19	2.63
8.	-वही -	2075- विविध सामान्य सेवाएं	2075.00.108.01-कैन्टीन सेवा निदेशालय	6.19	61.47
9.	21-रक्षा पेंशन	2071- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ	2071.02.103.03 – अवकाश नकदीकरण	1.15	33.57
10.	29- भू विज्ञान मंत्रालय	5403-समुद्र विज्ञान पर पूँजीगत परिव्यय	5403.00.800.02 – एकीकृत एवं समुद्री क्षेत्र प्रबंधन (आई.सी.ए.एम ए एम.)	1.50	1.51
11.	31-विदेश मंत्रालय	2061-विदेश कार्य	2061.00.105.01-केन्द्रीय पासपोर्ट प्रवासी संगठन	10.07	21.89
12.	34-ब्याज भुगतान	2049-ब्याज भुगतान	2049.03.108.06-डाक वीमा एवं जीवन वार्षिकी निधि (प्रभारित)	220.00	278.95
13.	-वही -	-वही -	2049.03.111.01-सेवा निवृत हो रहे कर्मचारियों हेतु जमा पर ब्याज योजना (प्रभारित)	2.00	5.47
14.	-वही -	-वही -	2049.03.101.01-रेलवे मूल्यहास आरक्षित निधि (प्रभारित)	37.06	74.27

परिशिष्ट VII-च

(पैराग्राफ 7.11 के संदर्भ में)

मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो कि अनुपयोगिता के कारण अविवेकपूर्ण थे
(₹ एक करोड़ तथा अधिक की राशि के पुनर्विनियोग)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं..	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचतें
15.	37-ऋण का पुनर्भुगतान	6001-केन्द्रीय सरकार के आंतरिक ऋण	6001.00.115-14 दिवसीय खजाना बिल	156653.18	160945.82
16.	43-अप्रत्यक्ष कर शुल्क	2038- संघ उत्पाद	2038.00.101.05-प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक का भुगतान एवं लेखा कार्यालय (केन्द्रीय उत्पाद), सी.बी.इ.सी.	4.09	4.50
17.	-वही -	2216-आवासीय	2216.01.700.03-अनुरक्षण एवं मरम्मत	1.48	2.59
18.	46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.01.001.03-स्वास्थ्य सेवा महा निदेशालय	7.76	10.11
19.	-वही -	2211-परिवार कल्याण	2211.00.001.02-विधान सभा रहित संघ शासित क्षेत्रों में व्यय	1.72	4.14
20.	-वही -	-वही -	2211.00.101.01- विधान सभा रहित संघ शासित क्षेत्रों में व्यय	1.55	2.18
21.	-वही -	-वही -	2211.00.106.01-मुख्यालय के कार्यकलाप	1.00	2.98
22.	-वही -	-वही -	2211.00.106.10-सूचना, शिक्षा एवं संचार - आर.सी.एच. परियोजना	11.75	11.86
23.	-वही -	4210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	4210.01.103.04-डिस्पेंसरी /अस्पतालों की स्थापना	3.96	4.01
24.	49-भारी उद्योग विभाग	6858-अभियांत्रिकी उद्योगों हेतु ऋण	6858.60.190.12- इन्स्ट्रुमेन्टेशन लि. को ऋण	38.36	38.36
25.	51-गृह मंत्रालय	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070.00.800.14-आसूचना ब्यूरो	3.50	5.71
26.	53-पुलिस	2055-पुलिस	2055.00.114.01-अंतर्राजीय पुलिस बायरलेस योजना	1.33	1.55

परिशिष्ट VII-ब

(पैराग्राफ 7.11 के संदर्भ में)

मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो कि अनुपयोगिता के कारण अविवेकपूर्ण थे

(₹ एक करोड़ तथा अधिक की राशि के पुनर्विनियोग)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं..	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचतें	
27.	54-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	3601-राज्य सरकार को अनुदान सहायता	3601.01.146.01-1984 के दंगों में वाणिज्यिक/ औद्योगिक सम्पत्ति की हानि, सम्पत्ति की हानि मृत्यु चोटों हेतु क्षतिपूर्ति में वृद्धि	12.00	14.71	
28.	58-उच्चतर विभाग	शिक्षा विभाग	2202-सामान्य शिक्षा	2202.05.001.04-भारतीय भाषाओं का केन्द्रीय संस्था (भारतीय भाषा संस्थान) मैसूर एवं क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	3.56	3.73
29.	-वही -	2203-तकनीकी शिक्षा	2203.00.112.17-राष्ट्रीय फोन्डी एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, रोची	3.43	5.00	
30.	60-श्रम मंत्रालय	एवं रोजगार रोजगार	2230- श्रम एवं रोजगार	2230.01.109.04-स्वास्थ्य	2.55	5.81
31.	64-सुक्ष्म उद्यम मंत्रालय	लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851.00.102.80-डाटाबेस का उन्नयन	1.09	3.03
32.	87-सड़क मंत्रालय	एवं राजमार्ग - आर्थिक सेवाएं	3451-सचिवालय	3451.00.090.11- सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय	4.96	16.15
33.	101-लोक निर्माण कार्य	2059- लोक निर्माण कार्य	2059.80.001.02-निष्पादन		5.76	6.55
34.	-वही -	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4059.01.051.01-भवन		3.60	7.63
35.	93-पर्यटन मंत्रालय	3452-पर्यटन	3452.01.102.07-गन्तव्य एवं सर्किट हेतु उत्पाद/ अवसंरचना विकास		8.00	12.83
36.	103-जल मंत्रालय	संसाधन मध्यम सिंचाई	2701-बड़ी एवं मध्यम सिंचाई	2701.80.800.13-जल संसाधन विकास योजना की जांच	2.00	4.99
37.	-वही -	2702-लघु सिंचाई	2702.02.005.16-भू प्रबंधन एवं नियमन	जल	1.98	3.06
डाक विभाग						
38.	13-डाक सेवाएं	3201- डाक सेवाएं	3201.02.104.01- अनुसंधान एवं विकास		2.09	2.68

परिशिष्ट VII-च

(पैराग्राफ 7.11 के संदर्भ में)

मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो कि अनुपयोगिता के कारण अविवेकपूर्ण थे

(₹ एक करोड़ तथा अधिक की राशि के पुनर्विनियोग)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष को पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त उप-शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचतें
रक्षा सेवाएं					
39.	22-रक्षा सेवाएं - थल सेना	2076-रक्षा सेवाएं - थल सेना	2076.00.800-अन्य व्यय	42.57	70.93
40.	24 - रक्षा सेवाएं - वायु सेना	2078 - रक्षा सेवाएं - वायु सेना	2078.00.105 - परिवहन	9.76	25.99
41.	25 - रक्षा आयुध	2079-रक्षा आयुध	2079.00.110-भण्डार	109.39	203.99
42.	27-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076.01.050 -भूमि	6.75	17.79
43.	-वही -	-वही -	4076.05.111 - निर्माण कार्य	1.50	1.82
योग				157253.87	

परिशिष्ट VII-७

(पैराग्राफ 7.12 के संदर्भ में)

मुख्य विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जोकि उप-शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण अविवेकपूर्ण थे
(केवल एक करोड़ रु. से अधिक की राशि के पुनर्विनियोग के मामलों का उल्लेख किया गया है)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मुख्य शीर्ष	लघु/उप-शीर्ष	लघु/उप-शीर्ष से पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त लघु/उप-शीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य की राशि
सिविल					
1.	4-परमाणु ऊर्जा	2852-उद्योग	2852.09.202.01-ईंधन निर्माण सुविधाएं	3.00	8.23
2.	11-वाणिज्य विभाग	3453-विदेशी व्यापार एवं नियंत्रित प्रोत्साहन	3453.00.102.01-व्यापार आयुक्त	5.93	6.07
3.	21- रक्षा पेंशन	2071- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ	2071.02.101.01- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ	46.81	8175.22
4.	-वही -	-वही -	2071.02.103.01- पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ	1.15	561.65
5.	34-विनियोग - व्याज भुगतान	2049- व्याज भुगतान	2049.03.115-अर्थोपाय अग्रिम पर व्याज (प्रभारित)	3.00	28.92
6.	39-पेंशन	2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ	2071.01.101.01-साधारण पेंशन	18.04	412.63
7.	53-पुलिस	4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	4055.00.203.02-भारत तिब्बत सीमा पुलिस	2.53	53.31
8.	54-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235.60.107.03-केन्द्रीय सरकार पेंशन	114.00	161.01
9.	95-अप्डमान निकोबार एवं द्वीप समूह	3054 - सङ्कर एवं पुल	3054.04.337.01- जिला सङ्करे	1.06	2.92
डाक विभाग					
10.	13-डाक सेवाएं	3201 - डाक सेवाएं	3201.07.104.01- उपदान	23.00	31.70
रक्षा सेवाएं					
11.	23-रक्षा सेवाएं - जल सेना	2077- जल सेना	2077.00.105 - परिवहन	10.00	17.54
योग				228.52	

परिशिष्ट-VII - ज
(पैराग्राफ 7.14 के संदर्भ में)
मूल तथा अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रावधान	राजस्व		पूंजीगत				योग	
		दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	पूंजीगत	कर्ज एवं पेशगियां	लोक ऋण		
	मूल	208340	143833	19634	7086	367079	36	25763	771771
2003-04	अनुपूरक	15888	4744	1862	1517	21702	4	1115	46832
	प्रतिशतता	8	3	9	21	6	11	4	6
	मूल	215854	151300	23148	14669	342119	32	28899	776021
2004-05	अनुपूरक	22539	78	599	1744	180366	1	1041	206368
	प्रतिशतता	10	-	3	12	53	3	4	27
	मूल	260249	164936	25972	6302	601477	53	1179	1060168
2005-06	अनुपूरक	34784	612	1101	1643	420204	4	4674	463022
	प्रतिशतता	13	-	4	26	70	8	396	44
	मूल	310212	176989	33434	5517	1098308	80	5174	1629714
2006-07	अनुपूरक	90637	5146	8800	577	349582	6	702	455450
	प्रतिशतता	29	3	26	10	32	8	14	28
	मूल	360510	195865	75302	4831	1611646	4322	238	2252714
2007-08	अनुपूरक	89998	16937	17730	2744	62573	35	3134	193151
	प्रतिशतता	25	9	24	57	4	1	1317	9
	मूल	437377	243991	38329	5019	1745575	38	5073	2475402
2008-09	अनुपूरक	285013	113	10158	4419	442593	7	3162	745465
	प्रतिशतता	65	-	27	88	25	18	62	30
	मूल	667430	268467	52991	8667	1880843	42	6642	2885082
2009-10	अनुपूरक	81044	49	17953	2621	1367362	1	2200	1471230
	प्रतिशतता	12	-	34	30	73	2	33	51

परिशिष्ट VII-झ

(पैराग्राफ 7.15 के संदर्भ में)

लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लघु शीर्ष/ /उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
सिविल							
1.	1- कृषि एवं सहकारिता विभाग	2435.01.102.01-एगमार्क ग्रेडिंग सुविधा का सुदृढ़ीकरण	17.43	1.17	17.22	1.38	मितव्ययता उपायों के कारण
2.	4-परमाणु ऊर्जा	2852.09.200.05-सामान्य सेवा संस्था तारापुर	24.72	2.13	23.64	3.21	पट्टेल/ डीजल आदि के प्रति निधियों की कम आवश्यकता
3.	-वही -	3401.00.004.07-टाटा मैमोरियल सेन्टर	198.60	6.00	196.09	8.51	निर्माण कार्यों पर कम व्यय
4.	-वही -	3401.00.004.09-श्रीनगर एवं गुलमर्ग में अनुसंधान सुविधाएं	7.41	1.41	7.19	1.63	वेतन एवं भत्ते, विज्ञान जर्नल तथा कलपुर्जों एवं सहायक कलपुर्जों पर कम व्यय
5.	-वही -	3401.00.200.01-भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	153.88	7.46	145.34	16.00	वेतन एवं भत्ते, विज्ञान जर्नल तथा कलपुर्जों एवं सहायक कलपुर्जों पर कम व्यय
6.	-वही -	3401.00.800.07-परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति मुख्य	47.72	1.92	47.54	2.10	नियोजित परियोजनाओं की प्रगति पर आधारित कम आवश्यकता
7.	-वही -	5401.00.400.02-परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रोन केन्द्र	61.00	6.86	55.07	12.79	सिविल कार्यों को शुरू किए जाने में विलम्ब, विदेशी व्यय पर कम व्यय तथा उपकरणों का गैर अभिग्रहण आदि
8.	-वही -	5401.00.400.03-ए.एम.डी. प्रयोगशालाएं तथा अन्य नियोजित योजनाएं	70.40	11.83	67.57	14.66	उपयोगीय एवं कलपुर्जों के अभिग्रहण पर कम व्यय तथा निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति आदि
9.	14-दूरसंचार विभाग	2071.01.115.01-साधारण पेंशन	5.50	1.74	4.69	2.55	अनुमान की अपेक्षा दावों की कम प्राप्ति
10.	32-आर्थिक कार्य मंत्रालय	5466.00.207.02-मूल्य दायित्व का अनुरक्षण (एम.ओ.वी.)	3653.93	9136.25	3653.93	9136.25	एस.डी.आर. की शर्तों के अनुसार करंसी की कीमत को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरी निधि द्वारा अतिरिक्त निधियों की कम आवश्यकता के कारण
11.	37-ऋण का पुनर्उतान	6001.00.105.06-आकाश विकास निधि (प्रभारित)	8.98	9.80	8.76	10.02	प्रतिभूतियों के कम जारी किए जाने के कारण बचत
12.	-वही -	6001.00.106.15-9% राहत बंधपत्र, 1987	1.26	1.05	0.20	2.11	बंधपत्र धारकों द्वारा कम दावों को प्रमुखता देना
13.	-वही -	6001.00.106.220-8.5% राहत बंधपत्र, 2001 (प्रभारित)	79.34	1.23	26.19	54.38	बंधपत्र धारकों द्वारा कम दावों को प्रमुखता देने के कारण बचत

परिशिष्ट VII-झ

(पैराग्राफ 7.15 के संदर्भ में)

लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक अनुदानों को दर्शाती हुई विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लघु शीर्ष/ उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा बताए गए कारण
14.	-वही -	6001.00.106.24 – 8% बचत बंधपत्र, 2002	62.58	40.96	61.95	41.59	बंधपत्र धारकों द्वारा कम दावों को प्रमुखता देने के कारण बचत
15.	43- अप्रत्यक्ष कर	2038.00.101.01-आयुक्तालय	1825.66	15.57	1802.88	38.35	एक प्रतिशत वर्धनीय राजस्व अर्जन के अंतर्गत संगठनात्मक कार्यकुशलता हेतु कम प्रस्ताव, रिक्त पदों का न भरे जाना आदि।
16.	51-गृह मंत्रालय	2070.00.119.03-अन्य योजनाएं	18.85	1.32	12.95	7.22	खाली पदों की गैर भर्ती चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, कम विदेशी यात्राओं तथा मितव्ययी उपाय।
17.	54- गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	2245.80.102.14-राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल	223.57	7.90	178.05	53.42	एन.डी.आर इकाईयों से कम दावों की प्राप्ति तथा मितव्ययी उपाय।
18.	71-कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	2052.00.090.05-कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	113.82	3.70	93.74	23.78	समग्र निधि का जारी न किया जाना, संस्कृति स्कूल को सहायता अनुदान, कल्याण समितियों को कम जारी किया जाना तथा सं.शा.के. की गैर प्राप्तियाँ।
19.	100-शहरी विकास विभाग	4216.01.700.34-रोजगार	0.60	1.38	0.59	1.39	क्लाइंट विभाग द्वारा संस्थीकृतियों की पर्याप्त संख्या की गैर प्राप्ति।
20.	101-लोक निर्माण कार्य	2059.80.001.01-निर्देशन	116.32	4.31	115.45	5.18	खाली पदों की गैर भर्ती के कारण
रक्षा सेवाएं							
21.	23-रक्षा सेवाएं - जल सेना	2077.00.104-असैनिकों के वेतन एवं भत्ते (प्रभारित)	1.00	2.50	0.82	2.68	अदालती मामलों की संख्या को अनुमान से कम अंतिम रूप दिया जाना।

परिशिष्ट VII-J

(पैराग्राफ 7.16 के संदर्भ में)

अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण

(₹ दस करोड़ और अधिक की बचत और जो बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनाता है)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
सिविल					
अनुदान सं. 2 - कृषि अनुदान एवं शिक्षा विभाग					
1.	2415.80.798.03- अन्य कार्यक्रम	21.00	4.71	16.29	78
अनुदान सं. 3 - पशुपालन, डेरी एवं मत्य-पालन विभाग					
2.	2403.00.101.25- एविअन इनफलूज्ना के नियंत्रण तथा समावेशन की तैयारी	54.82	12.27	42.55	78
3.	2403.00.104.01- मेड पालन एवं विकास	26.70	11.34	15.36	58
4.	2405.00.103.05- अपतट मत्स्य पालन	35.97	18.94	17.03	47
अनुदान सं. 4-परमाणु ऊर्जा					
5.	2852.09.202.04-फास्ट रियक्टर सुविधा	55.00	17.47	37.53	68
6.	2852.09.210.01-टी.डी.पी. - एच.डब्ल्यू.वी (ओ. एण्ड एम.)	15.00	0.02	14.98	100
अनुदान सं. 8 - फार्मास्यूटीकल विभाग					
7.	2852.05.206.10-फार्मास्यूटीकल निर्यात उन्नयन योजना (पी.ई.पी.एस.)	48.50	18.63	29.87	62
अनुदान सं.9-नागरिक उड्डयन मंत्रालय					
8.	5053.80.001.01- महानिदेशक नागरिक उड्डयन	23.00	12.18	10.82	47
9.	5053.80.800.01- नागरिक उड्डयन सुरक्षा	13.80	0.52	13.28	96
अनुदान सं.10- वाणिज्य मंत्रालय					
10.	3453.00.800.33-मार्किट एक्सप्रेस पहलकदमी - निर्यात अध्ययन	124.00	63.71	60.29	49
अनुदान सं.12-औद्योगिक नीति एवं उन्नयन विभाग					
11.	4875.60.190.03-दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम	50.00	7.00	43.00	86
अनुदान सं.15- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग					
12.	2852.07.202.60-इलेक्ट्रोनिक्स गवर्नेंस	810.00	328.05	481.95	60
13.	2852.07.202.83-राष्ट्रीय जानकारी नेटवर्क	540.00	240.00	300.00	56
अनुदान सं. 16- उपभोक्ता कार्य विभाग					
14.	3475.00.106.08- वेट्स एवं मैजर्स अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण	14.72	4.54	10.18	69
अनुदान सं. 17-खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग					
15.	2408.01.800.01-चीनी के बफर स्टॉक के अनुरक्षण हेतु आर्थिक सहायता	300.00	123.94	176.06	59
अनुदान सं.19-संस्कृति मंत्रालय					
16.	2205.00.107.05-विक्टोरिया मैमोरियल हॉल कोलकाता	24.65	7.69	16.96	69
17.	2205.00.107.09-भारतीय संग्रहालय कोलकाता	35.25	14.48	20.77	59

परिशिष्ट VII-ज

(पैराग्राफ 7.16 के संदर्भ में)

अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण

(₹ दस करोड़ और अधिक की बचत और जो बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनाता है)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
18.	2205.00.107.19-साईंस सिटीज	19.28	8.50	10.78	56
अनुदान सं.28-उत्तर - पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय					
19.	3601.05.104.01-विशेष विकास पैकेज	50.00	3.15	46.85	94
अनुदान सं. 30- पर्यावरण और वन मंत्रालय					
20.	3435.04.104.04-राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम	15.50	1.52	13.98	90
अनुदान सं. 31- विदेश मंत्रालय					
21.	2061.00.798.02-अन्य राष्ट्रीय संगठन	21.48	9.86	11.62	54
22.	2061.00.798.07-नालनन्दा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय	50.00	0.24	49.76	100
23.	3605.00.101.24- निवेश उन्नयन तथा प्रचार कार्यक्रम	16.40	0.69	15.71	96
24.	3605.00.101.25- सेन्ट्रल एशिया का सहायता	48.00	7.25	40.75	85
25.	3605.00.101.33-अफगानिस्तान को सहायता	474.05	223.39	250.66	53
अनुदान सं.32-आर्थिक कार्य विभाग					
26.	5475.00.800.12 – अवसंरचना विकास हेतु सहायता	150.00	45.85	104.15	69
अनुदान सं. 33-वित्तीय सेवा विभाग					
27.	2235.04.101.03-कृषिय ऋण उन्मूलन तथा ऋण राहत योजना 2008 के प्रति लैंडिंग संस्थानों को ब्याज का भुगतान	2151.00	458.85	1692.15	79
अनुदान सं. 34-विनियोग - ब्याज भुगतान					
28.	2409.01.103.01-खजाना बिलों पर छूट - 91 दिवसीय बिल	4350.00	2623.35	1726.65	40
29.	2049.01.115- अर्थपाय अग्रिमों पर ब्याज	438.00	93.41	344.59	79
30.	2049.01.126- बैंकों में बाजार स्थिरीकरण धन जमा योजना पर प्रदत्त ब्याज	26615.69	11829.94	14785.75	56
31.	2049.03.117- परिभाषित अंशदान योजना पर ब्याज	50.00	4.83	45.17	90
अनुदान सं.35-राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरण					
32.	3601.02.101.19-गतिमान विद्युत विकास कार्यक्रम	350.00	156.06	193.94	55
33.	3601.02.101.24- किशोर बालिकाओं के लिए पोषाहार कार्यक्रम (एन.पी.ए.जी.)	162.77	49.55	113.22	70
34.	3601.02.101.27-राष्ट्रीय इ-गवर्नेंस एक्शन प्लान	469.37	117.69	351.68	75
35.	3601.02.101.36-जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	11618.62	6124.02	5494.60	47
36.	3601.02.101.42- वन आञ्जन के पुनरुत्थान एवं जीर्णोद्धार के लिए कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	500.00	81.66	418.34	84
अनुदान सं.36-सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि					
37.	7610.00.201.01-मंत्रालय एवं संघ शासित क्षेत्र प्रशासन	129.17	73.83	55.34	43
अनुदान सं. 37- विनियोग - ऋण पुनर्भुगतान					
38.	6001.00.105.02-अंतर्राष्ट्रीय मॉनीटर फंड	14955.26	2218.00	12737.26	85
39.	6001.00.106.28- 7%बचत बंधपत्र, 2002 (गैर -कर योग्य)	657.00	196.83	460.17	70

परिशिष्ट VII-ज

(पैराग्राफ 7.16 के संदर्भ में)

अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण

(₹ दस करोड़ और अधिक की बचत और जो बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनाता है)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
अनुदान सं. 39- पेशन					
40.	2071.01.101.04- साधारण पेशन (ए.आई.एस.)	50.00	13.61	36.39	73
अनुदान सं.41-राजस्व विभाग					
41.	2875.01.107.02-ओपियम का क्रय	82.16	12.76	69.40	84
42.	3601.01.113.05-वैट संबंधित व्यय हेतु राज्यों को अनुदान	418.50	149.00	269.50	64
अनुदान सं. 42-प्रत्यक्ष कर					
43.	4059.01.800.01- पहले से तैयार आवासों का अभिग्रहण	602.00	7.42	594.58	99
अनुदान सं. 43- अप्रत्यक्ष कर					
44.	4047.00.037.03-रोकथाम एवं अन्य कार्य	220.00	78.65	141.35	64
45.	4059.01.800.01- पहले से तैयार आवासों का अभिग्रहण	50.00	6.05	43.95	88
46.	4216.01.108-सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कर्मचारियों हेतु आवासीय भवन	19.80	0.30	19.50	98
अनुदान सं.45- खाद्य संसाधन उद्योग मंत्रालय					
47.	2405.00.103.06- गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के प्रचालन	134.80	71.44	63.36	47
अनुदान सं. 46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय					
48.	2210.01.800.26- निरीक्षण समिति के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर किया जाने वाला व्यय	50.00	30.00	20.00	40
49.	2210.05.105.26-केंसर अनुसंधान	86.05	39.84	46.21	54
50.	2210.06.101.12-आयोडिन कमी विकलांगता नियंत्रण कार्यक्रम	32.70	19.62	13.08	40
51.	2210.06.106.01-बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिन्डी, चैन्नै	17.50	4.74	12.76	73
52.	2210.06.800.24-केन्द्रीय योजना के अंतर्गत नई पहल कदमियां	83.49	18.81	64.68	77
53.	2210.06.800.26-द्रामा सेंटर की क्षमता बढ़ाने हेतु सहायता	107.00	52.66	54.34	51
54.	2210.06.800.30-जिला अस्पताल	36.00	16.00	20.00	56
55.	2210.06.800.31-स्वास्थ्य हेतु मानव संसाधन	47.00	17.23	29.77	63
56.	2211.00.003.02-जनसंख्या विज्ञान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, मुम्बई	98.60	14.30	84.30	85
57.	2211.00.108.08-अमरीकी सहायता परियोजना - एस.आई.एफ.पी.एस.ए., उ.प्र., लखनऊ	50.00	11.96	38.04	76
58.	2211.00.200.04-गर्भनिरोधक का सामाजिक विषयन	38.50	21.86	16.64	43
59.	2211.00.800.14-प्रबंधन सूचना प्रणाली	64.52	35.21	29.31	45
60.	3601.04.240.03-एफ पी सामग्री की निशुल्क आपूर्ति	60.00	34.87	25.13	42
61.	3601.04.263.04-राष्ट्रीय वायुजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (सहरों)	19.54	3.25	16.29	83
62.	4210.03.105.05-लेडी हॉर्डिंग मैडिकल कॉलेज तथा श्रीमति सुचेता कृपलानी अस्पताल	40.00	--	17.45	44

परिशिष्ट VII-ज

(पैराग्राफ 7.16 के संदर्भ में)

अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण

(₹ दस करोड़ और अधिक की बचत और जो बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनाता है)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उपशीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
63.	4216.01.700.51-एम्स की तरह अतिविशिष्ट अस्पताल-सह-शिक्षा संस्थानों कर स्थापना तथा राज्य सरकारी अस्पतालों का उन्नयन	180.00	81.75	98.25	55
अनुदान सं. 47- आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग(आयुष)					
64.	2210.02.001.03- आयुष पर अंतर्राष्ट्रीय विनियम कार्यक्रम/सेमीनार कार्यशाला पर व्यय	19.00	4.13	14.87	78
65.	2210.02.200.23- आयुष औषधालयों हेतु योजना	49.50	24.00	25.50	52
66.	2210.05.101.12-आयुष संस्थानों/महाविद्यालयों का विकास एवं उन्नयन	40.00	20.00	20.00	50
अनुदान सं. 49- भारी उद्योग विभाग					
67.	2852.06.103.28- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु पी.एस.इ. को बैंक से वित्तीय सहायता पर व्याज सहायता	20.29	10.27	10.02	49
अनुदान सं. 51-गृह मंत्रालय					
68.	3601.02.101.46-राज्य में अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकरण	33.00	13.40	19.60	59
अनुदान सं. 52-कैबिनेट					
69.	2013.00.108.01-कैबिनेट मंत्री	135.00	70.27	64.73	48
70.	2013.00.108.02-राज्य मंत्री	25.76	11.28	14.48	56
71.	4055.00.206.03- सामान्य	68.00	34.96	33.04	49
अनुदान सं. 53-पुलिस					
72.	3601.02.117.01-आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र में महत्वपूर्ण अवसरपान	100.00	30.00	70.00	70
73.	4055.00.201.04-आधुनिकीकरण	44.57	25.50	19.07	43
74.	4055.00.213.05-आधुनिकीकरण	70.09	24.54	45.55	65
75.	4055.00.800.02-कन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला	36.33	14.27	22.06	61
76.	4055.00.800.08-भारत म्यनमार सीमा निर्माण कार्य	36.00	14.04	21.96	61
अनुदान सं. 54-गृह मंत्रालय के अन्य व्यय					
77.	2235.60.200.12- आतंकवाद तथा साम्प्रदायिक हिंसा के शिकार को सहायता हेतु केन्द्रीय योजना	47.00	4.56	42.44	90
78.	2245.80.102.04-राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	88.06	36.92	51.14	58
79.	3601.01.343.06-जम्मू एवं कश्मीर राहत एवं पुनर्वास	210.00	120.00	90.00	43
अनुदान सं. 58-उच्चतर शिक्षा विभाग					
80.	2202.80.107.18-महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के विधायिकों के हेतु छात्रवृद्धि	99.00	58.85	40.15	41
81.	2203.00.105.04- गणवत्ता सुधार कार्यक्रम हेतु अनुदान - सामुदायिक पॉलिटेक्निक्स	141.30	48.14	93.16	66
82.	2203.00.105.13-नई पॉलिटेक्निक्स की स्थापना/ गौजूदा का उन्नयन	45.00	16.30	28.70	64
83.	2203.00.105.14-पॉलिटेक्निक्स में महिला छात्रावास	90.00	41.80	48.20	54

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट VII-ज

(पैराग्राफ 7.16 के संदर्भ में)

अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले भागों का विवरण

(₹ दस करोड़ और अधिक की बचत और जो बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनाता है)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
84.	2203.00.112.43- नए भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना (आई आई एम)	20.00	4.00	16.00	80
अनुदान सं. 59 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय					
85.	6221.00.101.01- प्रसार भारती	355.84	134.85	220.99	62
अनुदान सं. 60 - श्रम एवं रोजगार मंत्रालय					
86.	2230.01.797.03-आयरन, मैगनीज, करीम खनिज निधि को अंतरण	25.00	10.72	14.28	57
87.	2230.01.797.04-लाइन्सटोम एवं डोलोमाइट खनन निधि को अंतरण	25.00	6.09	18.91	76
अनुदान सं. 62- न्याय एवं विधि					
88.	2014.00.800.09- जिला एवं अधिनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण	109.50	62.36	47.14	43
89.	2015.00.102.01-राज्य/स.शा.क्षे. सरकारों को प्रतिपूर्ति	80.00	12.01	67.99	85
90.	2015.00.103.01-राज्य/स.शा.क्षे. सरकारों को प्रतिपूर्ति	140.00	84.33	55.67	40
91.	2015.00.108.01-राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति	43.00	14.39	28.61	67
92.	4070.00.001.04-आयकर आपीलीय दब्बूनल हेतु भूमिका अधिग्रहण एवं भवन निर्माण	40.87	0.08	40.79	100
अनुदान सं. 67- नवीन एवं पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय					
93.	2810.00.105.02-अंतर्राष्ट्रीय संबंध	15.01	4.83	10.18	68
अनुदान सं. 68-भारतीय ओवरसीज कार्य मंत्रालय					
94.	4059.60.051.23-प्रवासी भारतीय केन्द्र	20.00	2.00	18.00	90
अनुदान सं. 73- योजना मंत्रालय					
95.	3454.02.206.01-भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	92.79	18.71	74.08	80
96.	3475.00.800.52-योजना हेतु 50वीं वर्षीय पहलकदमी	30.71	9.84	20.87	68
97.	3475.00.800.71-सरकार में मूल्यांकन क्षमता सुदृढ़ीकरण	12.00	1.68	10.32	86
98.	5475.00.112.38-भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	27.21	6.96	20.25	74
अनुदान सं. 74 – विद्युत मंत्रालय					
99.	2801.80.800.19- ए पी डी आर पी परियोजना हेतु परामर्शी प्रभार	30.00	10.52	19.48	65
100.	2801.80.800.26- त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए पी डी आर पी)	80.00	1.26	78.74	98
101.	2801.80.800.27- ऊर्जा संरक्षण	56.00	18.00	38.00	68
अनुदान सं. 81- भू संसाधन विभाग					
102.	2501.05.101.08- व्यावसायिक सहायता एवं अन्य कार्यक्रम	82.50	19.30	63.20	77
103.	2506.00.001.01-राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आवृत्तिकीरण कार्यक्रम	45.80	8.04	37.76	82

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट VII-ज

(पैराग्राफ 7.16 के संदर्भ में)

अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले सामलों का विवरण

(₹ दस करोड़ और अधिक की बचत और जो बजट प्रावधान का 40% प्रतिशत से अधिक बनाता है)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
अनुदान सं.83-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग					
104.	3425.60.200.45-आधारभूत अनुसंधान हेतु वृहत सुविधाएं	40.00	19.99	20.01	50
अनुदान सं.84- विज्ञान एवं औद्योगिक विकास अनुसंधान					
105.	3425.60.200.03-प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन विकास एवं उपयोगिकता कार्यक्रम हेतु अनुदान सहायता	40.50	14.67	25.83	64
अनुदान सं. 86- जहाजरानी मंत्रालय					
106.	2852.06.102.10-जहाज निर्माण आर्थिक सहायता	175.00	102.15	72.85	42
अनुदान सं.87- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग					
107.	3055.00.004.20 -सड़क सुरक्षा	79.00	21.04	57.96	73
108.	3055.00.004.21 - राष्ट्रीय डाटाबेस नेटवर्क	56.00	0.02	55.98	100
109.	5054.01.052.02 - मशीनरी एवं उपकरण	15.00	0.35	14.65	98
अनुदान सं. 88 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय					
110.	2225.01.277.18 - अनुसूचित जाति हेतु अतिविशिष्ट शिक्षा	19.00	8.26	10.74	57
111.	2225.01.800.07-अनुसूचित जाति स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	34.00	11.23	22.77	67
112.	2225.01.800.27-सफाई वालों की स्वतंत्रता एवं पुनर्वास हेतु रोजगार योजना	97.00	50.00	47.00	48
113.	3601.04.341.01-बाल छात्रावास	31.50	4.60	26.90	85
114.	3601.04.341.06-वालिका छात्रावास	45.00	22.34	22.66	50
115.	3601.04.344.01-प्रधानमंत्री आर्द्ध ग्राम योजना	97.00	4.00	93.00	96
अनुदान सं. 89- अंतरिक्ष विभाग					
116.	3402.00.102.02-विकास एवं शिक्षा संचार इकाई (डी.इ.सी.यू.)	56.88	20.77	36.11	63
117.	3402.00.102.10-आपदा प्रबंधन सहायता	30.00	7.20	22.80	76
118.	5252.00.203.03- इनसैट-4 सेटेलाईट	282.04	154.04	128.00	45
119.	5252.00.204.01-इनसैट एम सी एफ	35.18	17.93	17.25	49
120.	5402.00.101.07-लिकिड प्रोपल्सन सिस्टम्स सेंटर (एल.पी.एस.सी.)	49.10	25.11	23.99	49
121.	5402.00.101.09-इलेक्ट्रो - ऑपटिक्स सिस्टम हेतु लेबोट्रेट्री (इल.ई.ओ.एस.)	20.11	9.45	10.66	53
122.	5402.00.101.35- मानव मिशन पहल/मानव अन्तरिक्ष कार्यक्रम	210.00	5.98	204.02	97
123.	5402.00.103.03-भारतीय चन्द्र आयोग - चन्द्रयान 1 एवं 2	84.62	14.74	69.88	83
124.	5402.00.800.02- विशेष स्वदेशीकरण/अग्रिम आदेश	201.00	60.00	141.00	70
अनुदान सं.91- इस्पात मंत्रालय					
125.	2852.80.800.23- लौह तथा इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के प्रोत्साहन हेतु योजना	26.00	4.13	21.87	84

परिशिष्ट VII-ज

(पैराग्राफ 7.16 के संदर्भ में)

अवार्ताविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण

(₹ दस करोड़ और अधिक की बचत और जो बजट प्रावधान का 40 प्रतिशत से अधिक बनाता है)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान से बचत की प्रतिशतता
अनुदान सं.93- पर्यटन मंत्रालय					
126.	3602.04.826.01- गन्तव्य और सर्किट के लिए प्रोडेक्ट/अवसंरचनात्म विकास	20.00	4.30	15.70	79
अनुदान सं. 94- जनजातीय कार्य मंत्रालय					
127.	3601.03.360.04-जनजातीय समूह का विकास (प्रभारित)	151.00	75.00	76.00	50
अनुदान सं.100- शहरी विकास विभाग					
128.	4216.01.700.05- लेखापरीक्षा	25.00	14.19	10.81	43
129.	4216.01.700.17-लोकसभा/राज्य सभा	18.82	8.38	10.44	55
अनुदान सं.101-लोक निर्माण कार्य					
130.	2059.01.799.01- भण्डार	18.00	7.71	10.29	57
131.	4059.80.051.11-गृह मंत्रालय	15.00	2.46	12.54	84
अनुदान सं.103- जल संसाधन मंत्रालय					
132.	2701.80.004.08-हाईड्रोजिक परियोजना	38.10	21.54	16.56	43
अनुदान सं.104- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय					
133.	2235.02.102.18- एकीकृत बाल विकास सेवाएं	34.59	15.39	19.20	56
134.	2235.02.103.57-प्रियदर्शनी	27.00	0.04	26.96	100
135.	2235.02.800.21-सूचना, शिक्षा एवं प्रकाशन	45.00	18.21	26.79	60
रक्षा सेवाएं					
27 – रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय					
136.	4076.01.107 – सेवानिवृत्त सेनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना	37.00	5.91	31.09	84
137.	4076.01.113 – नैशनल कैडिट कोर्पस	27.30	3.60	23.70	87
138.	4076.03.102 – भारी एवं मध्यम वाहन	84.56	23.20	61.36	73
139.	4076.04.052 – मरीनरी एवं उपकरण	445.13	97.39	347.74	78
डाक विभाग					
13 – डाक सेवाएं					
140.	3201.08.101 – पोस्ट कार्ड, लिफाफे, टिकटें	45.53	22.08	23.45	52

परिशिष्ट VII-ट
(पैराग्राफ 7.17 के संदर्भ में)

₹ दस करोड़ एवं अधिक की बचत के मामले जहाँ समग्र प्रावधान अव्ययित रहा, को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान के प्रति बचत की प्रतिशतता
सिविल					
अनुदान सं. 3 - पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य पालन विभाग					
1.	2403.00.101.29- राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली (एन.ए.डी.आर.एस.)	47.04	-	47.04	100
2.	3601.04.577.08- पैस्ट्री डेस पेटिटीस स्मिनेन्ट्स (पी.पी.आर.) राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम	35.90	-	35.90	100
अनुदान सं. 4-परमाणु ऊर्जा					
3.	4861.60.203.59- तारापुर एवं कलपक्कम नामकीय रिसाइकल सुविधाओं का एकीकरण तथा प्रक्रिया औगजलरी प्रणाली का नवप्रवर्तन	10.00	-	10.00	100
अनुदान सं. 8 - फार्मास्यूटीकल विभाग					
4.	6857.02.190.04- हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक लि.	20.02	--	20.02	100
अनुदान सं.10-कोयला मंत्रालय					
5.	2803.00.101.01 - कोयला क्षेत्र में परिवहन अवसंरचना के विकास के प्रति उपकर (उत्पादन शुल्क) के संचयन के विरुद्ध भुगतान	22.00	-	22.00	100
6.	2803.00.800.02 - पर्यावरणीय उपाय एवं अस्तित्व नियंत्रण	15.00	-	15.00	100
अनुदान सं. 11-वाणिज्य विभाग					
7.	2407.60.800.03- फंसल बीमा	10.00	-	10.00	100
अनुदान सं. 14-दूरसंचार विभाग					
8.	5275.00.800.02-भूमि तथा अण्डमान निकोबार के बीच समुद्र के नीचे तारे बिछाना	61.00	-	61.00	100
अनुदान सं. 17-खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग					
9.	2408.01.102.08- टी.पी.डी.एस. के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की स्मार्ट कार्ड आधारित सुपर्दीरी के आरम्भन पर पायलट योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार तथा सं.शा.क्षे. प्रशासन को आर्थिक सहायता	142.28	-	142.28	100
10.	2408.01.800.07- नावाई के माध्यम से सहकारी चीनी मिलों को ब्याज की आर्थिक सहायता	31.11	-	31.11	100
अनुदान सं.19-संस्कृति मंत्रालय					
11.	2205.00.105.04-अन्य योजनाएं	13.00	-	13.00	100
अनुदान सं. 30- पर्यावरण और वन मंत्रालय					
12.	2406.04.101.05-पी.आर.आई. के माध्यम से वनीकरण (एन.सी.ए.म.पी.-संबंधित योजना) पंचायत वन योजना	10.00	-	10.00	100

परिशिष्ट VII-ट
(पैराग्राफ 7.17 के संदर्भ में)

₹ दस करोड़ एवं अधिक की बचत के मामले जहाँ समग्र प्रावधान अव्ययित रहा, को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान के प्रति बचत की प्रतिशतता
अनुदान सं. 31- विदेश मंत्रालय					
13.	2061.00.798.06- साझा एशियन विश्वविद्यालय	80.00	--	80.00	100
अनुदान सं.32-आर्थिक कार्य विभाग					
14.	5466.00.207.01 - अंतर्राष्ट्रीय मोनिटरी निधि के प्रति अंशदान	3035.61	--	3035.61	100
अनुदान सं. 33-वित्तीय सेवा विभाग					
15.	2416.00.800.07-टीर्घवधि सहकारी क्रेडिट संरचना का पुनः उत्थान	1000.00	--	1000.00	100
अनुदान सं. 34-विनियोग - व्याज भुगतान					
16.	2048.22.200.13- सरकारी प्रतिभूतियों के बाय-बैक पर प्रीभियम का भुगतान	2400.00	--	2400.00	100
अनुदान सं.35-राज्य एवं सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरण					
17.	3601.02.101.41- चैन्नई स्थित डिसालिनेशन प्लान्ट हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	300.00	--	300.00	100
18.	3601.02.101.43-अनबैंकड ब्लॉकों में बैंक ब्रांचे खोलने हेतु अवसंरचना सहायता के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	100.00	--	100.00	100
19.	7601.06.200-अन्य अर्थोपाय अग्रिम (प्रभारित)	1000.00	--	1000.00	100
अनुदान सं. 42-प्रत्यक्ष कर					
20.	4216.01.111.01-पहले से तैयार फ्लैटों का अभिग्रहण	15.00	--	15.00	100
अनुदान सं. 44-विनिवेश विभाग					
21.	5467.00.797.01- राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	2689.95	--	2689.95	100
22.	5467.00.101.01-भा.स्टे.बै. म्युच्युअल फंड	427.81	--	427.81	100
23.	5467.00.102.01- यू.टी.आई. म्युच्युअल फंड निवेश	427.81	--	427.81	100
24.	5467.00.103.01- एल.आई.सी. म्युच्युअल फंड	1834.32	--	1834.32	100
अनुदान सं. 46- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय					
25.	2210.06.800.32- स्वास्थ्य बीमा (शहरी स्वास्थ्य मिशन)	44.00	--	44.00	100
26.	4210.01.800.07- निरीक्षण समिति के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर किया जाने वाला व्यय	35.00	--	35.00	100
27.	4210.04.200.10-पैरामैडिकल संस्थानों का सुदृढ़ीकरण/सृजन	15.00	--	15.00	100
28.	4210.04.200.11-राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	20.00	--	20.00	100
29.	4216.01.700.52- निरीक्षण समिति के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर किया जाने वाला व्यय	15.00	--	15.00	100
अनुदान सं. 49- भारी उद्योग विभाग					
30.	2852.06.103.42- पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का आधुनिकीकरण	24.00	--	24.00	100
31.	4858.60.190.10-भारत भारी उद्योग नियम लि. में निवेश	10.44	--	10.44	100

परिशिष्ट VII-ट
(पैराग्राफ 7.17 के संदर्भ में)

₹ दस करोड़ एवं अधिक की बचत के मामले जहाँ समग्र प्रावधान अव्ययित रहा, को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान के प्रति बचत की प्रतिशतता
32.	4858.60.190.11- एच एम टी लि. में निवेश	18.42	-	18.42	100
33.	4858.60.190.20- पी एस इ की पुनः संरचना हेतु एक मुश्त प्रावधान	15.00	-	15.00	100
34.	6854.60.800.01 - पी एस इ की पुनःरूक्षीयन योजना का कार्यालयन	150.00	-	150.00	
35.	6858.60.190.07 - स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का कार्यालयन एवं सांविधिक बकायों का भुगतान	250.00	-	250.00	
अनुदान सं. 58-उच्चतर शिक्षा विभाग					
36.	2203.00.112.38- नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना	54.00	-	54.00	100
37.	3601.01.166.01- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों के वेतनमानों में सुधार	250.01	-	250.01	
अनुदान सं. 73- योजना मंत्रालय					
38.	2203.00.800.18-पी पी के माध्यम से निपुणता विकास नई पहलकदमियां	15.00	-	15.00	100
39.	3475.00.800.82-राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर योजना प्रक्रिया को सहायता	20.00	-	20.00	100
40.	3601.03.431.02-राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर योजना प्रक्रिया को सहायता	175.00	-	175.00	100
अनुदान सं. 80- ग्रामीण विकास विभाग					
41.	2515.00.800.23- ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख-सुविधाओं हेतु प्रावधान (ग्रा.श.सु.प्रा.)	27.00	-	27.00	100
अनुदान सं.81- भू संसाधन विभाग					
42.	2501.05.101.09- जैव ईंधन योजना	27.00	-	27.00	100
अनुदान सं.83-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग					
43.	3425.60.600.03-आर एप्ड डी सैस के अंतर्गत प्राप्तियों के विरुद्ध भुगतान	10.00	-	10.00	100
अनुदान सं. 86- जहाजराजी मंत्रालय					
44.	2852.06.102.25- हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. को स्थापना एवं अन्य लागतों हेतु अनुदान	14.00	-	14.00	100
45.	5075.60.800.06 - सेतुसमुद्रम शिप केनल परियोजना	151.10	-	151.10	
अनुदान सं.87- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग					
46.	3054.04.337.07 - बिना विधानसभा बाली सं.शा.क्षे. सरकारों को केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान	12.11	-	12.11	100
47.	3055.00.004.24 - निरीक्षण एवं अनुरक्षण केन्द्र	10.00	-	10.00	100
48.	3055.00.004.25 - जन परिवहन प्रणाली का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण	35.00	-	35.00	100

परिशिष्ट VII-ट
(पेराग्राफ 7.17 के संदर्भ में)

₹ दस करोड़ एवं अधिक की बचत के मामले जहाँ समग्र प्रावधान अव्ययित रहा, को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	बजट प्रावधान के प्रति बचत की प्रतिशतता
49.	3055.00.004.26 - राष्ट्रीय सङ्कर सुरक्षा बोर्ड	72.00	--	72.00	100
50.	3601.04.106.01 - आर्थिक महत्व की सङ्करें	53.00	--	53.00	100
51.	3602.02.105.01 - दिल्ली में सङ्करें	60.00	--	60.00	100
52.	3602.04.105.01- अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सङ्करें	16.03	--	16.03	100
अनुदान सं. 88 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय					
53.	3601.04.362.02-बृद्ध आश्रम का निर्माण	10.00	-	10.00	100
अनुदान सं. 89- अंतरिक्ष विभाग					
54.	5252.00.203.04-इनसैट-4. लॉच सेवाएं	50.00	-	50.00	100
अनुदान सं. 90- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय					
55.	3601.03.432.04- भारतीय सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना (भारत में सांख्यिकी प्रणाली का आधुनिकीकरण)	82.30	-	82.30	100
अनुदान सं. 94- जनजातीय कार्य मंत्रालय					
56.	3601.03.360.03- जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (प्रभारित)	10.00	-	10.00	100
57.	4225.80.190.13-राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम को सहायता	50.00	-	50.00	100
अनुदान सं.95 - अण्डमान निकोबार एवं द्वीप					
58.	5052.80.796.01 - जहाजों की खरीद	25.00	--	25.00	100
अनुदान सं.100- शहरी विकास विभाग					
59.	2217.80.004.03- भारत अर्थ मूवर्स लि.	30.00	-	30.00	100
अनुदान सं.103- जल संसाधन मंत्रालय					
60.	3601.01.752.01- सतलुज, यमुना लिंक नहर परियोजना	22.00	-	22.00	100
अनुदान सं.104- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय					
61.	2235.02.103.55- बलात्कार पीड़ितों को राहत तथा उसका पुनर्वास	53.10	-	53.10	100
62.	3601.04.356.04- स्वयंसिद्ध	13.55	-	13.55	100
63.	3601.04.358.08- किशोर बलिकाओं की अधिकारिता हेतु राजीव गांधी योजना	97.00	-	97.00	100

परिशिष्ट VII- ठ
(पैराग्राफ 7.18 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण

(बजट प्रावधान की ₹100 करोड़ और अधिक की बचतें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
अनुदान सं. 7-उर्वरक विभाग					
1.	2401.00.105.14-देशी अनियंत्रित उर्वरक की छूट बिक्री हेतु भुगतान	16800.00	16000.00	800.00	आर्थिक सहायता दावों की कम संख्या में प्राप्ति
2.	2401.00.106.02-यूरिया का आयात	9548.44	6999.98	2548.46	यूरिया का कम आयात, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमत कम होना तथा बदलती विनियम दरों में भिन्नता
अनुदान सं. 14-दूरसंचार विभाग					
3.	3451.00.091.03-टेलेमिटिक्स विकास केन्द्र	265.00	100.00	165.00	निकासी - गृह उपयोग के कार्यान्वयन हेतु विस्तरीय अवसंचारना की स्थापना तथा ब्राउडबैंड गतिविधियों की व्यवहार्यता
अनुदान सं. 20-रक्षा मंत्रालय					
4.	4047.00.037.01-तट सुरक्षा संगठन	1300.02	907.65	392.37	सी.एन.सी. का पूरा न करना उपकरणों की गैरुद्देर से आपूर्ति करना, आई.पी.वी. परियोजना याड़ों को विभिन्न चरणों की धीमी गति, कुछ भू-अधिग्रहण का कार्यान्वयन न करना।
अनुदान सं. 30- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय					
5.	3435.04.101.06-राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	511.00	375.99	135.01	नव-निर्मित प्राधिकारी के आवंटन की देर से घोषणा और उसके बाद राष्ट्रीय गंगा नदी की घाटी प्राधिकरण की बैठक आयोजन में और कार्य के भी के संवेदन में विलम्ब।
अनुदान सं. 32-आर्थिक कार्य मंत्रालय					
6.	3054.80.107.02-रेलवे सुरक्षा कार्य हेतु बजट सहायता	958.36	827.11	131.25	रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए उपकर संग्रहण के अंश पर आधारित योजना आयोग द्वारा बनाये गये कम प्रावधान के कारण
7.	3054.80.797.03-केन्द्रीय सड़क निधि को अंतर्राष्ट्रीय सड़क निधि	958.36	827.11	131.25	रेलवे सुरक्षा कार्य के लिए संग्रहित उपकर अंश पर आधारित योजना आयोग द्वारा किया गया कम प्रावधान और समान राशि को आरक्षित निधि में अन्तरित करने के कारण।
8.	3475.00.800.73-भारतीय एक्जिम बैंक को ब्याज समकक्ष सहायता	278.00	118.87	159.13	भारतीय एक्जिम बैंक से कम दावों की प्राप्ति।
9.	5466.00.207.02-मूल्य दायित्व का अनुरक्षण (एम ओ वी)	12790.00	3653.93	9136.07	एस.डी.आर. की शर्तों के अनुसार मुद्रा की कीमत बनाए रखने के लिए आई.एम.एफ. द्वारा अतिरिक्त निधियों की आवश्यता का न होना।
अनुदान सं. 33-वित्तीय सेवाएं विभाग					
10.	2885.01.800.11-स्ट्रेस एसेट्स स्टेबलाइजेशन फंड को जारी प्रतिभूतियों की छूट	400.00	300.00	100.00	महत्वपूर्ण तथा निष्पादित न कर रही परिस्थितियों में से कम वसूलियां।

परिशिष्ट VII- ठ
(पैराग्राफ 7.18 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण

(बजट प्रावधान की ₹100 करोड़ और अधिक की बचतें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
अनुदान सं. 35-राज्य तथा सं.शा.क्षे. सरकारों का अंतरण					
11.	2075.00.795.03-राज्यों सरकारों का प्रदत्त ऋणों को बढ़ाते में डालना	5500.00	3350.81	2149.19	ऋण अधित्याग के लिए हकदार पाए गए राज्य सरकारों की कम संख्या।
12.	2245.80.103.01-प्राकृतिक आपदा हेतु एन सी सी एफ से राज्य का सहायता	3700.00	3261.52	438.48	कुछ राज्य सरकारों को आई.एम.जी./एच.एल.सी. द्वारा अनुशंसित कम सहायता।
13.	3601.01.104.05-स्थानीय निकायों हेतु अनुदान	7026.85	5706.46	1320.39	कुछ राज्य सरकारों द्वारा बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न करना।
14.	3601.01.104.07-शिक्षा क्षेत्र हेतु अनुदान सहायता (प्रभारित)	2915.45	2281.35	634.11	कुछ राज्य सरकारों द्वारा बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न करना।
15.	3601.01.104.08- स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु अनुदान सहायता (प्रभारित)	1944.31	1370.83	573.48	कुछ राज्य सरकारों द्वारा बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न करना।
16.	3601.01.104.09-सज्जकों एवं पुलों के अनुरक्षण हेतु अनुदान सहायता (प्रभारित)	4250.00	3391.23	858.77	कुछ राज्य सरकारों द्वारा बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न करना।
17.	3601.01.104.10-लोक भवनों के अनुरक्षण हेतु अनुदान सहायता (प्रभारित)	2047.00	994.43	1052.57	कुछ राज्य सरकारों द्वारा बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न करना।
18.	3601.01.104.13-राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु अनुदान सहायता (प्रभारित)	2581.92	2136.14	445.78	कुछ राज्य सरकारों द्वारा बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न करना।
19.	3601.02.101.01-सामान्य केन्द्र सहायता	19110.61	17442.05	1668.56	कुछ राज्यों सरकारों से प्रस्तावों का प्राप्त न होना।
20.	3601.02.101.26-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम	9700.00	8524.39	1175.61	जल संसाधन मंत्रालय से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
21.	3601.02.101.37- टी सुनामी पुनर्वास योजना (टी आर.पी.)	336.98	208.84	128.14	केरल राज्य सरकार से उपयोगिता प्रेमाणपत्र का प्राप्त न होना।
22.	3601.02.797.01-राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण	4832.00	3384.97	1447.03	निधि के अंतर्गत प्राप्ति की बसूली में कमी के कारण
अनुदान सं. 37- विनियोग - ऋण का पुनर्भुगतान					
23.	6001.00.101-बाजार ऋण	43135.79	42575.64	560.15	भण्डार धारियों द्वारा नियंत्रण प्रस्तुत करने के विकल्प का कम प्रयोग
24.	6001.00.106.31—6.5% बचत बंधपत्र, 2003 (गैर कर योग्य)	8076.46	7770.50	305.96	बन्धपत्रधारियों द्वारा कम दावों को प्रस्तुत करने के कारण।
25.	6001.00.114 – अर्थोपाय अग्रिम	300000.00	153154.00	146846.00	निश्चित रेकॉर्ड स्थिति के कारण अर्थोपाय अग्रिम का आसरा
26.	6001.00.115 – 14 दिवसीय खजाना बिल	2376481.82	2372189.18	4292.64	राज्य सरकारों द्वारा अधिशेष निधियों का कम निवेश।
अनुदान सं. 39-पेंशन					
27.	2071.01.102.01-साधारण पेंशन	2230.25	2070.16	160.09	कम दावों की प्राप्ति के कारण।
28.	2071.01.104.01- साधारण पेंशन	2344.29	2184.54	159.74	कम दावों की प्राप्ति के कारण।

परिशिष्ट VII- ३
(पेराग्राफ 7.18 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण

(बजट प्रावधान की ₹100 करोड़ और अधिक की बचतें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
अनुदान सं. 46-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय					
29.	2211.00.109.09-नियमित टीकाकरण कार्यक्रम	414.21	268.93	145.28	सरकार द्वारा पेन्टावेलेन्ट वैकर्सीन का अनुयापन न करना तथा पुनर्निविदा के कारण कोल्ड चेन उपकरणों तथा नियमित टीके का कम प्रापण।
30.	2210.05.105.41-एम्स जैसे अतिविशिष्ट अस्पतालों सह शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा राज्यों सरकार अस्तपलों का उन्नयन	148.00	12.67	135.33	चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पतालों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान आरम्भ नहीं किया जा सका।
31.	4210.03.105.12- एम्स जैसे अतिविशिष्ट अस्पतालों सह शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा राज्यों सरकार अस्पतालों का उन्नयन	1119.92	380.06	739.86	पूंजीगत निर्माण-कार्य की धीमी गति और कम वाहनों का प्रापण।
अनुदान सं. 53-पुलिस					
32.	2055-00.119.01-निदेशन एवं प्रशासन	2784.06	2584.56	199.50	कास्टेबल के पदों हेतु भरती प्रक्रिया को पूरा करने में विलम्ब तथा मितव्ययी उपाय।
अनुदान सं. 56-आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय					
33.	2216.02.190.12 – शहरी गरीबों के लिए आवास हेतु योजना	180.59	0.83	179.76	योजना के प्रारम्भिक चरण पर होने के कारण।
अनुदान सं. 58-उच्चतर शिक्षा विभाग					
34.	2202.80.800.40-आई.सी.टी. के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन	810.00	270.88	539.12	योजना के कार्यान्वयन की धीमी गति
35.	2203.00.112.48-नए भास्तीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना	400.00	248.50	151.50	पांच मामलों में आई.आई.टी. के स्थायी परिसर के लिए भूमि के अंतरण को अंतिम रूप न दिया जाना।
अनुदान सं. 59-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय					
36.	2221.80.102.01-प्रसार भारती	1635.33	1440.72	194.61	सॉफ्टवेयर योजना को अनुमोदन न करने डी.डी. काशेर के प्रारम्भ न करने, पुर्जों का गैर-प्रापण और मितव्ययी उपाय आदि।
अनुदान सं. 64-सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय					
37.	2851.00.200.16 – प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	547.80	409.68	138.12	कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों के पास अव्ययित शेष की उपलब्धता जिला स्तर कार्य बल समिति बैठक आयोजित करने में बैंक द्वारा क्रेडिट निर्णय लेने में तथा सीमा धन द्वारों का निपटान करने में विलम्ब।
अनुदान सं. 69-पंचायती राज मंत्रालय					
38.	3601.02.471.01-पिछले क्षेत्रों हेतु अनुदान	4670.00	3670.00	1000.00	राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति।

परिशिष्ट VII- ठ
(पैराग्राफ 7.18 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण
(बजट प्रावधान की ₹100 करोड़ और अधिक की बचतें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरेपित कारण
अनुदान सं. 74-विद्युत मंत्रालय					
39.	2801.02.102.02 - प्रचालन एवं अनुरक्षण	149.59	26.57	123.02	बद्रपुर थरमल पावर स्टेशन और सम्बन्धित पाटियों के बीच बकाया देयताओं का गैर-समाधान।
40.	2801.06.800.03-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	6300.00	5000.00	1300.00	सामान्य चुनाव और भारी बरसाती मौसम के कारण योजना की धीमी गति।
41.	6801.00.190.04-विद्युत वित्त निगम को ऋण	1477.00	1331.46	145.54	कर्जे को अनुदान में परिवर्तन करने की कड़ी शर्तों के कारण कार्य की धीमी गति, एस.सी.ए.डी.ए. कार्यान्वयन आदि में वितरण लाभ की सक्षमता की कमी।
अनुदान सं. 80-ग्रामीण विकास विभाग					
42.	2505.02.101.02-जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/जिला कार्यक्रम मध्यस्थियों एवं अन्यों को सहायता	37778.62	33506.61	4272.01	राज्य सरकार के पास पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता।
43.	2505.02.101.09 - क्षमता निर्माण तकनीकी सहायता	1300.00	8.36	1291.64	राज्य सरकार से कम प्रस्तावों की प्राप्ति और व्यय बिना समिति मीमों को अंतिम रूप न दिया जाना।
44.	2505.02.797.01-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांर्ही निधि को अंतरण	39100.00	33539.38	5560.62	राज्य सरकार के पास पिछले वर्षों के अव्ययित शेष की उपलब्धता तथा राज्य सरकारों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति।
45.	3054.04.338.07 - ई.ए.पी. घटक	1350.00	810.00	540.00	कम डीजल उपकर का संग्रहण और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान की कठौती।
46.	3054.80.797.03-केन्द्रीय सङ्कर निधि को अंतरण	4843.13	4183.13	660.00	कम डीजल उपकर का संग्रहण और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान की कठौती।
अनुदान सं. 81-भू संसाधन विभाग					
47.	3601.03.467.08-राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	307.00	187.98	119.02	राज्यों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति और संशोधित अनुमान चरण पर वि.म. द्वारा कठौती लागू की गई।
अनुदान सं. 86 - जहाजरानी मंत्रालय					
48.	2852.06.102.21 - गैर केन्द्रीय लो.से.ल. शिपयार्ड तथा निजी शिपयार्डों को आर्थिक सहायता	370.53	77.06	293.47	कुछ निजी शिपयार्ड से प्रस्तावों का गैर-अनुमोदन।
49.	3051.01.108.01 - कोलकाता पत्तन च्यास द्वारा हलदिया नहर में ड्रेंजिंग एवं अनुरक्षण	437.98	246.77	191.21	विचाराधीन होने के कारण योजना पुनःतैयार करने के लिए संशोधित केबिनेट नोट।

परिशिष्ट VII- ठ
(पैराग्राफ 7.18 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण

(बजट प्रावधान की ₹100 करोड़ और अधिक की बचतें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
अनुदान सं. 87- सङ्क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय					
50.	3054.80.797.02 – केन्द्रीय सङ्क निधि का अंतरण हेतु ल्कोंक अनुदान	10878.51	9389.76	1488.75	संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान की कटौती।
51.	3601.01.821.02- बी.आर. डी.बी. के अंतर्गत सङ्क कार्य	1618.01	1173.27	444.74	भू-अधिग्रहण तथा वन विभाग से अनापति को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण पुनःपृष्ठन लक्ष्य में कमी।
52.	3601.02.105.01- राज्य सङ्कों हेतु अनुदान	1988.55	1340.26	648.29	राज्य सरकारों से उपयोगिता प्रमाणपत्र की गैर-प्राप्ति तथा सं.अ. चरण पर प्रावधान की कटौती।
53.	3601.04.105.01 – अंतरराज्यीय या आर्थिक महत्व की सङ्कें	213.97	104.35	109.62	राज्य सरकार से उपयोगिता प्रमाणपत्र की गैर-प्राप्ति।
54.	5054.01.190.01- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	8578.45	7404.70	1173.75	योजना आयोग द्वारा सं.अ. चरण पर प्रावधान की कटौती।
55.	5054.02.337.03 – बी.आर. डी. बी. के अंतर्गत कार्य	1616.00	1304.26	311.74	भू-अधिग्रहण तथा वन विभाग से अनापति को अंतिम रूप न दिये जाने तथा उपकरण तथा भण्डार आदि की खरीद का देर से अनुमोदन।
अनुदान सं. 92-कपड़ा मंत्रालय					
56.	2852.08.202.27-एकीकृत कपड़ा पार्क	377.00	260.80	116.20	योजनाओं के अंतर्गत चालू परियोजनाओं की धीमी गति।
रक्षा सेवाएं					
अनुदान सं. 22- रक्षा सेवाएं - थल सेना					
57.	2076.00.110-भण्डार	11438.26	9404.65	2033.61	ईंधन, तेल और ल्यूब्रिकन्ट पर कम व्यय के कारण चीनी का गैर-प्राप्ति, छठी सी.पी.सी. के प्रभावों की गलत संगणना, बैरल के करार को समाप्त न करना, बिलों की वापसी, सी.डी.ए. द्वारा बुकिंग की धीमी गति और आर्पृति किये गये इंजीनियर भण्डार पर डी.जी.ओ.एफ. द्वारा कम व्यय।
58.	2076.00.113-एन.सी.सी.	843.38	736.12	107.26	मंत्रालय द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया।
अनुदान सं. 23- रक्षा सेवाएं - नौ सेना					
59.	2077.00.110-भण्डार	3202.61	2957.11	245.50	मंत्रालय द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट VII- ठ
(पैराग्राफ 7.18 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण

(बजट प्रावधान की ₹100 करोड़ और अधिक की बचतें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
अनुदान सं. 24- रक्षा सेवाएं - वायु सेना					
60.	2078.00.110-भण्डार	7927.41	5640.37	2287.04	मार्च 2010 के अंत में प्राप्त 18 एरो इंजन के लिए अप्रैल 2010 में किये गये भुगतान के कारण, विनियम द्वरा परिवर्तन, भिसाइल लान्चर, सहयोगी जी.एस.ई. की गैर-सुपुर्दी, मदों के भुगतान को अगले वित्तीय वर्ष में ले जाना, मांग-पत्रों में से एक में परिवर्तन सी.डी.ए. द्वारा कुछ बलों की प्रक्रिया न करना, ए.टी.एफ. की कम बुकिंग, कुछ करारों/मदों को अंतिम रूप न दिया जाना प्रशिक्षण के लिए, मैसर्स एच.पी. पर आपर्टी आदेश का गैर कार्यान्वयन।
अनुदान सं. 25- रक्षा सेवाएं - आयुध फैक्ट्री					
61.	2079.00.054 - निर्माण	3684.00	3566.03	117.97	मंत्रालय ने केवल ₹13.97 करोड़ के अधिक्य के लिए कारण दिये, जिसे वेतन एवं भत्तों जिसमें परिवर्तनीय तथ्य थे, के अंतर्गत बढ़े हुए खर्च पर आरोपित किया।
62.	2079.00.800-अन्य व्यय	642.80	506.74	136.06	मंत्रालय ने विद्युत, जल हेतु तथा ए.एफ.एम.एस.डी. द्वारा औषधी की कम बुकिंग के कारण तथा अन्य विविध व्यय में पुनर्विनियोग को ध्यान में रखते हुए केवल ₹23.26 करोड़ हेतु कारण दिए।
अनुदान सं. 26- अनुसंधान एवं विकास संगठन					
63.	2080.00.004-अनुसंधान/अनुसंधान विकास	936.00	562.81	373.19	मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष के अंत में ई.आर. एवं आई.पी.आर. द्वारा निधियों के अभ्यर्पण तथा विभिन्न प्राप्ति एवं प्रेषण बोर्डों हेतु सीमांतक बचत के संचित प्रभाव आदि के कारण केवल ₹10.78 करोड़ के लिए कारण दिए।
64.	2080.00.110 – भण्डार	1668.26	1453.76	214.50	केवल ₹28.96 करोड़ की बचत हेतु ही कारण प्रस्तुत किए गए थे क्योंकि यह अनुमानित प्रक्षेपणों के प्रति केन्द्रीय क्रय के अंतर्गत डी.जी.ओ.एफ. द्वारा व्यय को कम दर्ज करने के संयुक्त प्रभाव तथा प्रयोगशालाओं/स्थापनाओं से सीमांतक बचतों के संचित प्रभाव के कारण था।
अनुदान सं. 27 – रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय					
65.	4076.01.101 – वायुयान एवं वायु ईंजन	1020.62	138.09	882.53	पुनर्विनियोग के पश्चात से मंत्रालय द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया था, बचत ₹50 लाख से कम थी।

परिशिष्ट VII- ठ
(पैराग्राफ 7.18 के संदर्भ में)

उप-शीर्ष के अंतर्गत अवास्तविक बजटीय अनुमानों को प्रदर्शित करने वाले मामलों का विवरण
(बजट प्रावधान की ₹100 करोड़ और अधिक की बचतें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लघु/उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
66.	4076.01.103 – अन्य उपकरण	11121.24	10089.54	1031.70	पुनर्विनियोग के पश्चात से मंत्रालय द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया था, इसने इस शीर्ष को अधिक्य रूप में दर्शाया है।
67.	4076.01.202 – निर्माण कार्य	4718.20	3087.09	1631.11	केवल ₹22.55 करोड़ की बचतें हेतु कारण प्रस्तुत किया थे। क्योंकि यह सी.ए.ओ. के आवंटित निधि को अभ्यर्पित करने, मुख्य पश्चिमी कमान द्वारा नए पूँजीगत कार्यों से पिछले पूँजीगत कार्यों को निधियों का आंतरिक अंतरण, आपूर्ति आदेशों के कार्यान्वयन में विलम्ब आदि के कारण था।
68.	4076.02.103 – अन्य उपकरण	1102.02	868.08	233.94	केवल ₹22.55 करोड़ की बचतें हेतु ही मंत्रालय द्वारा कारण प्रस्तुत किया था।
69.	4076.02.104 – संयुक्त स्टाफ	408.13	272.81	135.32	केवल ₹17.91 करोड़ की बचतें हेतु ही कारण प्रस्तुत किया था। क्योंकि यह एस.एफ.सी. द्वारा निधियों के अनुपयोग, सी.टी.डी. दिल्ली कैन्ट द्वारा वाहनों के गैर प्रापण तथा कुछ मुख्य योजनाओं के न फलने के कारण था।
70.	4076.02.202 – निर्माण कार्य	413.00	307.24	105.76	मंत्रालय द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया है।
71.	4076.02.205 – नौ सेना डाकचार्ड	1036.67	719.63	317.04	-वही -
72.	4076.03.103 – अन्य उपकरण	6891.53	5317.39	1574.14	मंत्रालय ने पुनर्विनियोग के पश्चात से कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया था, इसने अधिक व्यय दर्शाया था।
73.	4076.03.202 – निर्माण कार्य	1100.00	904.59	195.41	मंत्रालय द्वारा केवल ₹9.10 करोड़ की बचतें हेतु ही कारण प्रस्तुत किया गया था। क्योंकि यह संविदा द्वारा कार्य की धीमी प्रगति, प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण वायु भवन के लिए वी.आर.एफ. के साथ सेन्ट्रल एयर कन्फीशनिंग परियोजना का आरम्भ न होने, थनजावोर पर पश्चिमी कैट अंतिम स्तर में कार्यों की प्रगति को प्रभावित कर रहा तूफानी मौसम, कुछ कार्यों का प्रारम्भ न होने तथा राशि की गलती की मांग न करने के कारण था।
74.	4076.04.052-मशीनरी एवं उपकरण	445.13	97.39	374.74	मंत्रालय ने नालंदा परियोजना पर व्यय में कटौती के कारण तथा वर्ष की समाप्ति तक संयंत्र एवं मशीनरी की गैर-आपूर्ति के कारण सामान्य एन.सी. के अंतर्गत केवल ₹20.73 करोड़ के लिए ही कारण दिए।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट- VIII - क
(पैराग्राफ 8.6 के संदर्भ में)

कृषि एवं सहकारिता विभाग में अवास्तविक बजटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	ब.प्रा. की प्रतिशतता के रूप में बचतें
2007-08					
1.	2401.00.800.23-कृषि कलीनिक, कृषि व्यवसायिक केन्द्रों की स्थापना	20.00	5.00	15.00	75
2.	2401.00.800.24- कृषीय सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण /उन्नयन	29.28	13.62	15.66	53
3.	3601.03.436.11- वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	55.00	-	55.00	100
4.	6401.00.190.04- भारतीय राज्य खेत नियम	12.00	-	12.00	100
2008-09					
5.	2401.00.103.31-पुनर्संरचना हेतु एस.एफ.सी.आई./एन.एस.सी. को अनुदान	21.00	-	21.00	100
6.	2401.00.108.27- वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	25.00	-	25.00	100
7.	3601.03.437.08- उर्वरकों के सही इस्तेमाल के प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय परियोजना	19.00	0.05	18.95	100
2009-10					
8.	2401.00.108.27- वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	25.00	-	25.00	100
9.	2401.00.800.35- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	14.38	1.36	13.02	91
10.	4401.00.113.13-खेत मशीनरी प्रशिक्षण तथा जांच संस्थान की स्थापना	12.20	1.87	10.33	85
11.	6425.00.107.01-भूमि विकास बैंक हेतु कर्जे	58.00	35.00	23.00	40

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट-VIII-ख

(पैराग्राफ 8.7 के संदर्भ में)

कृषि एवं सहकारिता विभाग में उप-शीर्ष में ₹100 करोड या अधिक की बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक प्रावधान	बचतें	विभाग द्वारा दिए गए कारण
2007-08					
1.	2401.00.108.24- सूखी भूमि/वर्षा आधारित खेती प्रणाली की बरकारी में बढ़ोतरी	200.00	-	200.00	ई.एफ.सी. द्वारा योजना के गैर-अनुमोदन के कारण
2008-09					
2.	2401.00.108.28-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	993.00	878.24	114.76	पिछले वर्षों के बकायों की उपलब्धता
3.	2401.00.800.02- एम.आई.एस./पी.एस. हेतु भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन फैडरेशन लि. को अनुदान	500.00	375.00	125.00	प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति
4.	2401.00.800.35-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राज्य/सं.श.क्षे. को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना)	1580.00	1305.95	274.05	प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिये जाना
5.	3601.04.436.12- वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	282.00	-	282.00	योजना के गैर अनुमोदन के कारण - पैरा 8.9 में चर्चा की गई है।
6.	7601.04.443.01- कार्य योजना के माध्यम से राज्यों के प्रयासों की सम्पूर्णता/प्रशंसा (लघु प्रबंधन) (प्रभारित)	157.80	-	157.80	आर्थिक कार्यों पर कैबिनेट समिति की स्वीकृति के साथ वित्तपोषण प्रणाली में बदलाव
2009-10					
7.	2401.00.103.25-बीजों के उत्पादन एवं संवितरण हेतु बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण	329.00	219.16	109.84	प्रस्तावों जिन्होंने अपर्याप्त कार्यान्वयन का सुझाव दिया को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण
8.	3601.04.436.12- वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम	112.00	-	112.00	योजना के गैर अनुमोदन के कारण - पैरा 8.9 में चर्चा की गई है।

परिशिष्ट-VIII-ख

(पैराग्राफ 8.7 के संदर्भ में)

कृषि एवं सहकारिता विभाग में उप-शीर्ष में ₹100 करोड या अधिक की बचत

(₹ करोड में)

क्र. सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वार्तविक प्रावधान	बचतें	विभाग द्वारा दिए गए कारण
9.	2401.00.108.28-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1260.00	1017.09	242.91	कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्षों के अप्रयुक्त शेषों की उपलब्धता
10.	2401.00.119.40-राष्ट्रीय बागवानी मिशन	1100.00	800.00	300.00	कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्षों के अप्रयुक्त शेषों की उपलब्धता
11.	3601.02.446.01-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	4052.70	3756.53	296.17	कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पिछले वर्षों के अप्रयुक्त शेषों की उपलब्धता

परिशिष्ट-VIII-ग

(पैराग्राफ 8.16 के संदर्भ में)

भू-विज्ञान मंत्रालय में निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त प्रावधान	बजट प्रावधानों के प्रति अप्रयुक्त प्रावधानों की प्रतिशतता
3403.00.103.01 – समुद्र अनुसंधान एवं विकास	2007-08	34.30	20.32	13.98	41
	2008-09	5.00	3.67	1.33	27
	2009-10	8.00	2.77	5.23	65
3403.00.200.14 – सुनामी एवं तृकानी लहरों की चेतावनी की प्रणाली (टी.एस.एस.डब्ल्यू.एस.)	2008-09	15.00	10.12	4.88	33
	2009-10	15.00	10.56	4.44	30
3403.00.200.17 – मैड समर्सिवल का विकास	2007-08	5.00	शून्य	5.00	100
	2008-09	5.00	शून्य	5.00	100
	2009-10	5.00	शून्य	5.00	100
3403.00.200.20 – राष्ट्रीय ओशनेरियम	2007-08	0.95	शून्य	0.95	100
	2008-09	0.50	शून्य	0.50	100
	2009-10	2.00	0.04	1.96	98
5425.00.800.06 – राष्ट्रीय मध्यम रेज मौसम भविष्यवाणी केन्द्र (एन.सी.एम.आर.डब्ल्यू.एफ.)	2007-08	5.50	2.39	3.11	57
	2008-09	6.00	शून्य	6.00	100
	2009-10	8.00	शून्य	8.00	100
5455.00.101.01 – अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी	2008-09	4.47	2.07	2.40	54
	2009-10	10.00	5.05	4.95	50
5455.00.102.02 – विमानन विज्ञान संबंधी	2008-09	5.00	शून्य	5.00	100
	2009-10	14.00	शून्य	14.00	100
5455.00.200.01 – एग्रोमेट परामर्शी सेवाएं	2007-08	6.10	2.30	3.80	62
	2008-09	5.50	0.42	5.08	92

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट-VIII-ग

(पैराग्राफ 8.16 के संदर्भ में)

भू-विज्ञान मंत्रालय में निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

उप-शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त प्रावधान	बजट प्रावधानों के प्रति अप्रयुक्त प्रावधानों की प्रतिशतता
	2009-10	6.00	0.42	5.58	93
5455.00.800.01 – भूकम्प आपदा एवं जौखिम मूल्यांकन	2007-08	8.45	शून्य	8.45	100
	2008-09	10.15	1.37	8.78	87
	2009-10	17.00	3.26	13.74	81
3455.00.800.03 – आई.एम.डी. का आधुनिकीकरण	2007-08	16.00	शून्य	16.00	100
	2008-09	5.00	1.80	3.20	64
5455.00.800.03 – आई.एम.डी. का आधुनिकीकरण	2007-08	223.62	1.40	222.22	99
	2008-09	359.00	139.34	219.66	61
	2009-10	166.38	144.17	22.21	13

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट-VIII -घ
(पैराग्राफ 8.19 के संदर्भ में)

भू-विज्ञान मंत्रालय में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

(रुकरोड़ में)

वर्ष	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि
1983-84	9	0.01
1984-85	27	0.45
1985-86	20	0.06
1986-87	15	0.08
1987-88	38	0.40
1988-89	43	1.41
1989-90	71	0.85
1990-91	39	2.51
1991-92	7	0.84
1992-93	22	3.49
1993-94	20	1.63
1994-95	17	2.18
1995-96	63	3.51
1996-97	41	0.69
1997-98	56	2.48
1998-99	50	5.84
1999-2000	46	7.14
2000-01	41	2.20
2001-02	26	2.20
2002-03	14	0.20
2003-04	61	1.63
2004-05	53	9.54
2005-06	72	7.17
2006-07	61	9.24
2007-08	135	30.03
2008-09	183	33.02
कुल	1230	128.80

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट-VIII- ऊ

(पैराग्राफ 8.23 के संदर्भ में)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

उप शीर्ष	वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित	प्रतिशत
स्कूलों में दोपहर के भोजन की राष्ट्रीय योजना					
2202.01.112 - स्कूलों में दोपहर के भोजन की राष्ट्रीय योजना	2007-08	1886.60	897.08	989.52	52
	2008-09	1424.00	1465.03	+41.03	-
	2009-10	2129.10	1430.00	699.10	33
3601.04.187- प्राथमिक शिक्षा - स्कूलों में दोपहर के भोजन की राष्ट्रीय योजना	2007-08	4649.00	4911.92	+262.92	-
	2008-09	5701.00	5005.27	695.73	12
	2009-10	5701.00	5477.78	232.22	04
3601.04.187.06- संघ शासित क्षेत्र- सरकारों को सहायता	2007-08	-	-	-	-
	2008-09	75.00	61.22	13.78	18
	2009-10	75.00	23.08	51.92	69
शिक्षा का व्यवसायिकरण					
3601.04.180.01-शिक्षा का व्यवसायिकरण	2007-08	14.00	00	14.00	100
	2008-09	25.80	00	25.80	100
	2009-10	25.80	00	25.80	100
स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी					
2202.02.800.37- स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	2007-08	28.00	7.00	21.00	75
	2008-09	20.00	2.69	17.31	87
	2009-10	18.50	3.50	15.00	81
शिक्षक शिक्षा संस्थानों का सुदृढ़ीकरण					
3601.04.188.01- शिक्षक शिक्षा संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	2007-08	428.70	309.28	119.42	28
	2008-09	428.70	247.79	180.91	42
	2009-10	428.70	312.50	116.2	27
3602.04.188.01- शिक्षक शिक्षा संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	2007-08	20.00	5.65	14.35	72
	2008-09	20.00	5.57	14.43	72
	2009-10	20.00	13.26	6.74	34
6202.01.202.02-राष्ट्रीय मीन्स - कम - मैरिट छात्रवृत्ति योजना	2008-09	761.54	750.00	11.54	02
	2009-10	750.00	250.00	500.00	67

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट- VIII - च
(पैराग्राफ 8.24 के संदर्भ में)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में अवास्तविक बजट अनुमान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	कारण
2009-10					
1.	2202.02.110.15-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)	983.46	489.28	494.18	राज्यों में कार्यान्वयन समितियों से प्रस्तावों की गैर प्राप्ति
2.	3601.04.180.06--राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)	150.00	59.48	90.52	राज्य सरकारों से उपयुक्त प्रस्तावों की गैर प्राप्ति
3.	3602.04.187.06-संघ शासित क्षेत्र सरकारों को सहायता	75.00	23.08	51.92	संघ शासित क्षेत्र सरकारों से प्रस्तावों की कम संख्या की प्राप्ति के कारण
2008-09					
4.	2202.01.800.19-जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (ई.ए.पी.)	50.00	5.59	44.41	योजना के बंद होने के कारण
5.	2202.02.800.37-स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी - स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	20.00	2.69	17.31	राज्य शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान एवं अन्यों से उपयुक्त प्रस्तावों की गैर प्राप्ति के कारण
6.	2202.04.200.14-प्रौढ़ शिक्षा एवं निपुणता विकास योजना	317.10	61.88	255.22	योजना के कुछ घटकों के संशोधन के कारण
2007-08					
7.	2202.01.112.01-खाद्यानों की लागत	1653.00	785.21	867.79	पिछड़े शिक्षा ब्लॉकों में योजना के विस्तार हेतु कैबिनेट के अनुमोदन की प्राप्ति में विलम्ब के कारण
8.	2202.01.112.02-खाद्यानों के चलन की कीमत	216.00	107.88	108.12	खाद्यानों की परिवहन कीमत के भुगतान हेतु राज्य/स.शाक्ष. से खाद्यान उठाने की कीमतों की गैर-प्राप्ति के कारण
9.	2202.01.112.07-परामर्शी/विशेषज्ञ तथा मूल्यांकन/अध्ययन हेतु शुल्क के प्रति भुगतान	12.00	0.58	11.42	भारतीय शिक्षा परामर्शी लि. में स्थापित राष्ट्रीय खेलकूद वर्ग का चालू न होने तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली को अंतिम रूप न

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

क्र.सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	कारण
					देने के कारण
10.	3602.04.187.01- स्कूलों में दोपहर के भोजन की राष्ट्रीय योजना भोजन तैयार करने की लागत को पूरा करने हेतु सहायता	44.50	22.36	22.14	पिछले वर्षों में अप्रयुक्त शेषों की उपलब्धता के कारण जिसने विलम्बित कार्यान्वयन तथा त्रुटिपूर्ण बजट को प्रस्तुत किया।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट-VIII-छ

(पैराग्राफ 8.25 के संदर्भ में)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में समग्र प्रावधान का उपयोग न किया जाना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	विभाग द्वारा आरोपित किए गए कारण
2009-10					
1.	3475.01.797.01-राष्ट्रीय निवेश निधि के आय एवं व्यय खाते को अंतरण	185.90	--	185.90	उ.न.
2.	3601.04.180.01-शिक्षा का व्यवसायिकरण	25.80	--	25.80	योजना संशोधन के अंतर्गत
3.	3601.04.180.07-उत्कृष्टता बिन्दु के स्तर के रूप में ब्लॉक स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना की योजना	30.00	--	30.00	राज्य सरकारों द्वारा विद्यालयों का आरम्भ न किया जाना
4.	3602.04.179.02-विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी	4.00	--	4.00	पांडिवेरी तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों से प्रस्तावों की गैर प्राप्ति
2008-09					
5.	2202.02.800.37-एक वर्षीय पूर्व प्राथमिक सरकारी स्थानीय निकाय विद्यालयों को सहायता	89.98	--	89.98	वित्त मंत्रालय से निर्देशों के प्राप्त होने के कारण योजना का गैर-कार्यान्वयन
6.	2202.02.110.13-नए आदर्श विद्यालय	582.78	--	582.78	संशोधित योजना को अंतिम रूप न दिया जाना।
7.	2202.04.200.16- 35+आयु वर्ग हेतु साक्षरता कार्यक्रम	14.98	--	14.98	वित्त मंत्रालय से निर्देशों के प्राप्त होने के कारण योजना का गैर-कार्यान्वयन।
8.	3601.01.180.02-माध्यमिक स्तर पर सार्वभौमिक एवं गुणवत्ता हेतु योजना (सकरैस)	1927.50	--	1927.50	योजना संशोधन एवं मॉडल कोड आफ कन्डक्ट के अधीन है।
9.	3602.01.180.05- माध्यमिक स्तर पर सार्वभौमिक एवं गुणवत्ता हेतु योजना (सकरैस)	35.00	--	35.00	योजना संशोधन एवं मॉडल कोड आफ कन्डक्ट के अधीन है।
2007-08					
10.	2202.01.107.04-राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद	9.00	--	9.00	परिषद द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से पर्याप्त आय का

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

क्र.सं..	उप-शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	विभाग द्वारा आरोपित किए गए कारण
					सर्जन करना
11.	2202.02.110.02-विशेष नवोदय विद्यालय	247.48	--	247.48	योजना का अंतिम रूप न दिया जाना
12.	3601.04.180.02- माध्यमिक स्तर पर सार्वभौमिक एवं गुणवत्ता हेतु योजना (सक्सैस)	1149.10	--	1149.10	आर्थिक कार्यों हेतु कैबिनेट समिति से अनुमोदन की गैर- प्राप्ति के कारण योजना को अंतिम रूप न दिया जाना
13..	3602.04.180.05- माध्यमिक स्तर पर सार्वभौमिक एवं गुणवत्ता हेतु योजना (सक्सैस)	22.00	--	22.00	आर्थिक कार्यों हेतु कैबिनेट समिति से अनुमोदन की गैर- प्राप्ति के कारण योजना को अंतिम रूप न दिया जाना

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट-VIII-ज
(पैराग्राफ 8.28 के संदर्भ में)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाण पत्र की सं.	देय उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र की सं.	प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र की राशि	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र की राशि
1.	1982-83	98	0.23	97	0.18	1	0.05
2.	1984-85	209	1.01	208	1.00	1	0.01
3.	1985-86	326	1.72	317	1.67	9	0.05
4.	1986-87	403	2.45	384	2.27	19	0.18
5.	1987-88	192	2.77	188	2.64	4	0.13
6.	1988-89	281	26.33	260	25.59	21	0.74
7.	1989-90	494	16.01	461	15.46	33	0.55
8.	1990-91	474	42.21	465	42.00	9	0.21
9.	1991-92	343	45.67	336	45.58	7	0.09
10.	1992-93	311	61.08	301	60.30	10	0.78
11.	1993-94	1150	152.26	1122	149.28	28	2.98
12.	1994-95	1112	188.42	1078	183.81	34	4.61
13.	1995-96	1146	356.98	1096	345.70	50	11.28
14.	1996-97	1434	917.88	1390	913.08	44	4.80
15.	1997-98	1305	594.22	1266	592.66	39	1.56
16.	1998-99	1179	551.44	1127	538.06	52	13.38
17.	1999-00	1163	1036.24	1109	1032.02	54	4.22
18.	2000-01	990	1132.39	951	1115.19	39	17.20
19.	2001-02	711	1484.99	650	1420.60	61	64.39
20.	2002-03	769	3228.45	670	3140.51	99	87.94
21.	2003-04	1359	4880.18	1155	4849.22	204	30.96
22.	2004-05	1283	7841.20	1142	7808.23	141	32.97
23.	2005-06	1107	8589.07	1008	8513.93	99	75.14
24.	2006-07	889	11236.92	752	11131.47	137	105.45
25.	2007-08	937	14006.15	824	13874.93	113	131.22
26.	2008-09	666	2267.53	601	1808.90	65	458.63
	योग	20331	58663.80	18958	57614.28	1373	1049.52

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे-2009-10

परिशिष्ट-VIII -झ

(पैराग्राफ 8.47 के संदर्भ में)

युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संस्थीकृति का वर्ष	देय प्रमाणपत्र		उपयोगिता प्रमाणपत्र		बकाया प्रमाणपत्र	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	1987-88	23	0.25	4	0.14	19	0.11
2	1988-89	97	0.55	22	0.17	75	0.38
3	1989-90	152	0.62	13	0.19	139	0.43
4	1990-91	182	0.98	12	0.22	170	0.76
5	1991-92	129	0.81	10	0.24	119	0.57
6	1992-93	368	4.43	87	2.46	281	1.97
7	1993-94	360	5.64	82	3.34	278	2.30
8	1994-95	228	4.30	64	2.46	164	1.84
9	1995-96	339	8.80	79	5.78	260	3.02
10	1996-97	362	12.32	113	8.79	249	3.54
11	1997-98	233	14.24	122	13.10	111	1.14
12	1998-99	522	118.40	228	113.08	294	5.32
13	1999-00	801	39.52	313	30.14	488	9.38
14	2000-01	1351	236.61	759	228.05	592	8.56
15	2001-02	16	0.29	5	0.15	11	0.14
16	2002-03	1382	183.65	838	173.02	544	10.63
17	2003-04	1771	220.94	1146	208.43	625	12.51
18	2004-05	1977	312.97	1252	299.19	725	13.77
19	2005-06	939	311.21	768	307.18	171	4.03
20	2006-07	316	370.65	277	365.54	39	5.11
21	2007-08	1562	636.22	968	619.26	594	16.96
22	2008-09	546	975.24	361	900.20	185	75.04
	कुल	13656	3458.64	7523	3281.13	6133	177.51

शब्दावली

- 14 दिवसीय नीलामी खजाना बिल** : जून 1997 से आरम्भ किया गया 14 दिवसीय अवधि का प्रपत्र। इस साधन की नीलामी साप्ताहिक आधार पर पूर्व निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है।
- 14 दिवसीय माध्यमिक खजाना बिल** : राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य विशिष्ट निकायों को अपनी अस्थायी अधिशेष निधियाँ निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए जून 1997 से आरम्भ किया गया 14 दिवसीय अवधि का प्रपत्र।
- 364 दिवसीय नीलामी खजाना बिल** : 364 दिवसीय अवधि का उधार लेने का यह साधन अप्रैल 1992 से आरम्भ किया गया था। इस साधन की नीलामी पाक्षिक आधार पर पूर्व-निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है।
- 91 दिवसीय नीलामी खजाना बिल** : उधार के लिए जनवरी 1993 से आरम्भ किया गया साधन। इस साधन की नीलामी साप्ताहिक आधार पर पूर्व-निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है।
- तदर्थ खजाना बिल** : जब कभी सरकार का नकद शेष ₹50 करोड़ के स्तर से कम हो जाए, संघ सरकार की ओर से भा.रि.बैं. द्वारा उसके पक्ष में सृजित किया गया 91 दिवसीय प्रपत्र। जब भी सरकार का नकद शेष अधिक हो जाए सम्मत स्तर को बनाए रखने के लिए ऐसी राशियों के तदर्थ रद्द कर दिए गये थे। 1 अप्रैल 1997 से यह प्रपत्र बन्द कर दिया गया था।
- विनियोग** : विनियोग का अर्थ है, विनियोग की प्राथमिक इकाई में सम्मिलित निधियों के विशिष्ट व्यय को वहन करने हेतु आबंटन।
- विनियोग लेखे** : विनियोग लेखे, संसद द्वारा बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत तथा प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल तथा अनुपूरक) और साथ साथ प्रत्येक के सामने वास्तविक व्यय तथा विनियोग के प्रत्येक अनुदान अथवा विनियोग के अधीन बचत अथवा आधिक्य को प्रस्तुत करते हैं।
- विनियोग अधिनियम** : संसद द्वारा विनियोग बिल पारित होने के पश्चात् यह राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। बिल को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के पश्चात् यह अधिनियम बन जाता है।
- विनियोग विधेयक** : लोक सभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किए जाने के बाद यथा-सम्बन्धीय भारत की समेकित निधि में से (क) लोक सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, तथा (ख) भारत की समेकित निधि पर भारित किन्तु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दी हुई राशि से किसी भी अवस्था में अनाधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित समर्त धन के विनियोग के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

- पूंजीगत व्यय**
- : इसके अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के अभिग्रहण के लिए अदायगी, अंश-पूंजी में निवेश और सरकार द्वारा दिए गए उधार एवं अग्रिम आते हैं।
- पूंजीगत प्राप्तियाँ**
- : पूंजीगत प्राप्ति में सरकार द्वारा जनता से लिए गए उधार, भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए उधार, विदेशी सरकारों से लिए गए ऋण, सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की पुनर्प्राप्ति, विनिवेश की प्राप्ति आदि शामिल है।
- प्रभारित विनियोग**
- : संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अधीन समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि को प्रभारित विनियोग कहा जाता है।
- भारत की समेकित निधि (आ.स.नि.)**
- : भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अधीन संघटित निधि, जिसमें सभी प्राप्तियों, राजस्वों और कर्जों का प्रवाह होता है। समस्त व्यय आ.स.नि. से विनियोग द्वारा दत्तमत्त अथवा प्रभारित किया जाता है। इसमें राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय) तथा पूंजीगत लेखा (लोक ऋण तथा कर्ज इत्यादि) नामक दो प्रभाग हैं।
- भारत की आकस्मिकता निधि**
- : विधि द्वारा, अग्रदाय के रूप में, संसद भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकती है जिसमें ऐसी विधि द्वारा निर्धारित राशियाँ समय-समय पर डाली जाएँगी तथा अनपेक्षित व्यय का संविधान के अनुच्छेद 115 अथवा 116 के अधीन संसद द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत होना लम्बित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए उक्त निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गयी हैं।
- ऋण सेवा**
- : देव मूलधन तथा व्याज का ऋणदाता को भुगतान। इसमें आमतौर पर सेवा प्रभार आदि शामिल होते हैं।
- अनुदानों की मांग**
- : अनुदानों की मांग किये जाने वाले व्यय की सकल राशि के लिए है तथा व्यय की कटौती में ली जाने वाली वसूलियों को पृथक रूप से पाद टिप्पणियों के रूप में दर्शाकर संसद को दो स्तरों में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान के लिए मुख्य मांगें वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण सहित प्रस्तुत की जाती हैं। अनुदानों के लिए विस्तृत मांगें उस सदन में सम्बद्ध मंत्रालय की मांग के लिए चर्चा होने के कुछ दिन पहले सम्बद्ध मंत्रालय द्वारा लोक सभा के पटल पर रखी जाती है।
- : जैसा कि अनुदानों की मांग सकल व्यय के लिए होती है और वार्षिक वित्तीय विवरण प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत होने वाले व्यय को बताता है, अतः दोनों का योग, खातों में सकल व्यय की कटौती की प्राप्तियों को समायोजित करने के बाद का मिलान होना चाहिए।

- अधिक अनुदान** : ऐसे मामलों में जहां व्यय अनुदान/विनियोग के पृथक् ‘खण्ड’ अर्थात् राजस्व (प्रभारित), राजस्व (दत्तमत्त), पूँजीगत (प्रभारित) तथा पूँजीगत (दत्तमत्त) में अनुमोदन से बढ़ जाते हैं, इस प्रकार के अनुदान/विनियोग को अधिक अनुदान माना जाता है।
- वाह्य ऋण** : सरकार द्वारा विदेशों से, अधिकतर विदेशी मुद्रा में अर्थात् अधिकतर विश्व बैंक, अ.पु.वि.बै., आई.डी.ए. आदि से कर्जा अनुबन्धित ऋण।
- राजकोषीय घटा** : यह राजस्व प्राप्तियों तथा ऋण-भिन्न पूँजीगत प्राप्तियों के ऊपर ऋण की अदायगी के उपरान्त निवल राशि को शामिल करते हुए कुल खर्च का आधिक्य है। यह सरकार के कुल उधार तथा लम्बित ऋणों की वृद्धि दर को भी दर्शाता है।
- उपादान लागत पर स.घ.उ.** : उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद उत्पादन साधनों की उस मूल्य का मापक है जिस पर स.घ.उ. होता है अर्थात् उन साधनों द्वारा अर्जित आय पर। यह बाजार मूल्य पर स.घ.उ. में अप्रत्यक्ष करों की कटौती तथा रियायतों के योग से प्राप्त होता है।
- बाजार मूल्य पर स.घ.उ.** : बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर कुल अंतिम खर्च को प्रदर्शित करता है। यह एक निश्चित समय में देश में उत्पादित कुल वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य है। इसका माप चालू कीमतों या आधार वर्ष के दौरान की कीमतों पर की जाती है।
- आन्तरिक ऋण** : भारत में जनता से लिए गए नियमित कर्जे, आन्तरिक ऋण होते हैं, इसे “भारत में लिया गया ऋण” भी कहते हैं। यह समेकित निधि को क्रेडिट किए गए कर्जों तक सीमित होता है।
- एम-3** : यह व्यापक मुद्रा है जिसे जनता के पास मुद्रा, मांग-जमा और बैंकों में सावधि जमा तथा अन्य भारतीय रिजर्व बैंक में जमा मुद्रा, के कुल योग के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- मुख्य शीर्ष** : लेरेखे में वर्गीकरण की मुख्य इकाई, मुख्य शीर्ष के रूप में जानी जाती है। मुख्य शीर्ष के लिए चार अंकों का एक कोड निर्धारित किया गया है, पहला अंक यह सूचित करता है कि मुख्य शीर्ष का संबंध प्राप्ति शीर्ष से है अथवा राजस्व व्यय शीर्ष अथवा पूँजीगत व्यय शीर्ष अथवा ऋण शीर्ष से है।
- लघु शीर्ष** : लघु शीर्ष को तीन अंकों वाले कोड दिए गए हैं, जो प्रत्येक उप-मुख्य शीर्ष/मुख्य शीर्ष (जहां कोई उप मुख्य शीर्ष न हो) के अंतर्गत “001” से प्रारंभ होते हैं।
- नई सेवा** : का अभिप्राय नई नीति निर्णय जो पूर्व में संसद के संज्ञान में न लाया गया हो, से उद्भूत निर्धारित सीमा से बाहर किए गए व्यय से है,

	जिसमें एक नई गतिविधि या एक नए निवेश का तरीका शामिल है।
सेवा का नया साधन	: वर्तमान गतिविधि के महत्वपूर्ण विस्तार से उद्भूत निर्धारित सीमा से बाहर किया गया एक बृहत व्यय।
मूल अनुदान	: किसी वित्त वर्ष में किसी सेवा के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में उपलब्ध की गई राशि को मूल अनुदान अथवा विनियोग कहा जाता है।
प्रारंभिक घटा	: राजकोषीय घटे में से ब्याज भुगतानों को घटा दिया जाए तो प्रारंभिक घटा आ जाता है। इसकी सरकार की राजस्व प्राप्तियों तथा ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में उसके अव्याजी व्यय के आधिक्य के रूप में व्याख्या की जा सकती है।
लोक लेखा	: भारत सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त समेकित निधि में शामिल धन से इतर सभी धन भारत के लोक लेखे में क्रेडिट किया जाता है [भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2)]। इसमें भारत की समेकित निधि में शामिल ऋण से भिन्न 'ऋण' से संबंधित लेन-देन शामिल होता है। लोक लेखा लेन-देन संसद द्वारा दत्तमत/विनियोग के अधीन नहीं होते हैं और शेष अग्रेनीत किए जाते हैं।
लोक ऋण (भारत का)	: भारत सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक तथा बाह्य उधार।
पुनर्विनियोजन	: इसका अर्थ है विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से ऐसी दूसरी इकाई को निधियों का अंतरण।
आरक्षित धन	: यह मौद्रिक आधार है। यह सरकार को भा.रि.बैं. के निवल क्रेडिट, वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावों, वाणिज्यिक क्षेत्र में भा.रि.बैं. के क्रेडिट, भा.रि.बैं. का निवल विदेशी विनिमय, लोक लेखे में सरकार की मुद्रा देयता में घटा भा.रि.बैं. की निवल अमौद्रिक देयताओं की राशि है।
राजस्व घटा	: यह राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय के आधिक्य के बराबर है।
राजस्व व्यय	: यह सरकार के सामान्य संचालन, अनुरक्षण व्यय, ब्याज भुगतानों आर्थिक सहायता तथा अंतरण आदि करने के लिए है। यह चालू व्यय है जिससे परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं होता है। राज्य सरकारों अथवा अन्य वर्गों को दिए गए अनुदानों को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है भले ही कुछ अनुदान परिसम्पत्तियां सृजन करने के लिए बनाए गए हों।
राजस्व प्राप्तियां	: इसमें सरकार द्वारा उद्ग्रहीत करों तथा शुल्कों से प्राप्त आय, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर ब्याज तथा लाभांश, शुल्क तथा सरकार द्वारा की गई सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2009-10

स्टॉक

: स्टॉक, प्रमाण पत्र के रूप में रखी गई सरकारी प्रतिभूति का एक रूप, जो पृष्ठांकन तथा सुपुर्दी द्वारा हस्तांतरणीय न हो बल्कि लोक ऋण कार्यालय की बहियों में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करके तथा हस्तांतरण दर्ज करके हो।

अनुपूरक अनुदान

: यदि संविधान के अनुच्छेद 114 के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस पर वर्ष के मूल बजट में अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अतिरिक्त व्यय की चालू वित्त वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है तो सरकार संविधान के अनुच्छेद 115(1) के उपबन्धों के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग प्राप्त करेंगी।

बचत का अभ्यर्पण

: केन्द्र सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोगों में बचतों को, जैसे ही ये प्रत्याशित हों, वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय, वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व इस प्रकार के अभ्यर्पणों को स्वीकार करने की स्वीकृति लेखापरीक्षा अधिकारी/या लेखा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सूचित करेगा।

टैप खजाना बिल

: 91 दिवसीय अवधि का प्रपत्र जिसके द्वारा सरकार धन उधार लेती है। इस प्रपत्र का अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उनके अधिशेष का निवेश करना था। यह प्रपत्र 1 अप्रैल 1997 से बन्द कर दिया गया था।

खजाना बिल

: खजाना बिल ऐसे साधन है जो संघ सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अस्थायी संसाधन अंतराल को पूरा करने के इरादे से अत्य अवधि कर्जे को उगाहने के लिए जारी किए जाते हैं।

बचत

: जब व्यय, बजट प्रावधान से कम होता है, तब बचत होती है।

दत्तमत्त अनुदान

: अन्य व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अंतर्गत संसद का मतदान अपेक्षित है, को दत्तमत्त अनुदान कहा जाता है।

स्टॉक

: स्टॉक, प्रमाण पत्र के रूप में रखी गई सरकारी प्रतिभूति का एक रूप, जो पृष्ठांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरणीय न हो बल्कि लोक ऋण कार्यालय की बहियों में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करके तथा हस्तांतरण दर्ज करके हो।

अनुपूरक अनुदान

: यदि संविधान के अनुच्छेद 114 के उपबन्धों के अनुसार निर्भित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त पाई जाती है अथवा उस पर वर्ष के मूल बजट में अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अतिरिक्त व्यय की चालू वित्त वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है तो सरकार संविधान के अनुच्छेद 115(1) के उपबन्धों के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग प्राप्त करेंगी।

बचत का अभ्यर्थण

: केन्द्र सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोगों में बचतों को, जैसे ही ये प्रत्याशित हों, वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले वित्त मंत्रालय को अभ्यर्थित करना होता है। वित्त मंत्रालय, वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व इस प्रकार के अभ्यर्थणों को स्वीकार करने की स्वीकृति लेखापरीक्षा अधिकारी/या लेखा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सूचित करेगा।

टैप खजाना बिल

: 91 दिवसीय अवधि का प्रपत्र जिसके द्वारा सरकार धन उधार लेती है। इस प्रपत्र का अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उनके अधिशेष का निवेश करना था। यह प्रपत्र 1 अप्रैल 1997 से बन्द कर दिया गया था।

खजाना बिल

: खजाना बिल ऐसे साधन है जो संघ सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अस्थायी संसाधन अंतराल को पूरा करने के इरादे से अन्य अवधि कर्जे को उगाहने के लिए जारी किए जाते हैं।

बचत

: जब व्यय, बजट प्रावधान से कम होता है, तब बचत होती है।

दत्तमत्त अनुदान

: अन्य व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अंतर्गत संसद का मतदान अपेक्षित है, को दत्तमत्त अनुदान कहा जाता है।

